● वर्ष 24 ● अंक 1 ● अक्तूबर-दिसंबर 2011

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन

बैंकिंग पर व्यावसायिक जर्नल

एमएसएमई विशेषांक

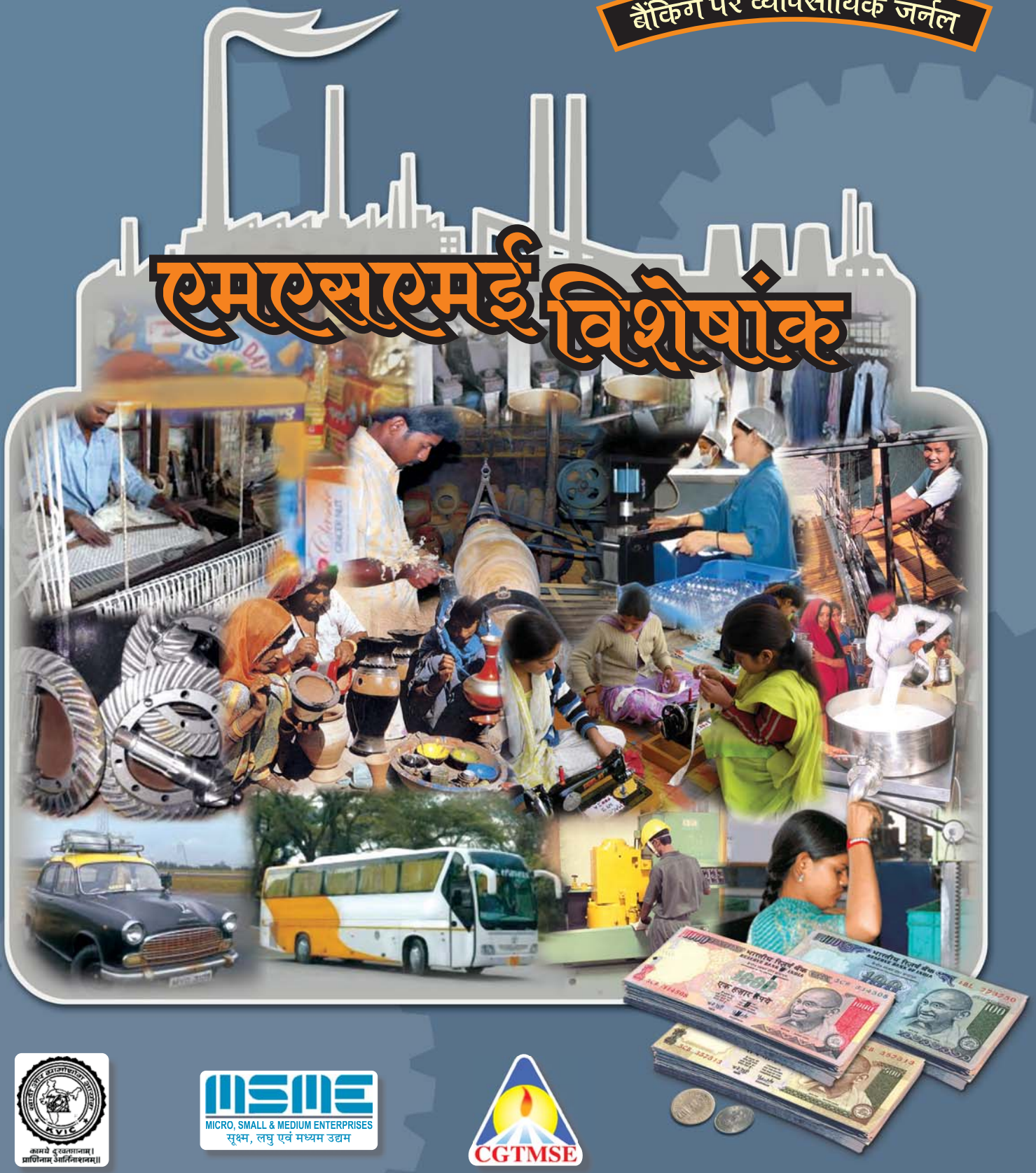

MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम

CGTMSE

सदस्य ABCI Member

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन

विषय सूची

संपादक मंडल		1
संपादकीय		2
इतिहास के पन्नों से	सावित्री सिंह	4
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) – एक परिचय	डॉ. रमाकांत शर्मा	9
एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006	प्रदीप कुमार राय	17
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और आर्थिक विकास	डॉ. नरेंद्रपाल सिंह	21
देश के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का योगदान	अशोक कुमार गुप्ता	27
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम – महत्व, समस्याएं और समाधान	आर. एस. तिवारी	31
एमएसएमई के विकास में क्लस्टर माडल का योगदान	सावित्री सिंह	34
एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास	विजय प्रकाश श्रीवास्तव	40
एमएसएमई विशेष अध्ययन – कयर उद्योग	डॉ. मधुशील आयिल्यत्त	44
एमएसएमई के विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका	डॉ. राजीव कुमार सिन्हा	47
एमएसएमई के विकास में कार्यरत एजेंसियां	ध्रुव कुमार फिटकरीवाला	51
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में सिडबी की भूमिका	अनिता सचदेवा	56
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट रेटिंग	चेतना पांडेय	61
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र : भारतीय बैंकों के लिए असीम ऋण संभावनाएं	प्रह्लाद सबनानी	67
एमएसएमई और क्रेडिट गारंटी	सुशील कृष्ण गोरे	71
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर उदारीकरण का प्रभाव	सुबह सिंह यादव	77
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विपणन सहायता	विनय बंसल	81
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और निर्यात संवर्धन	काजी मुहम्मद ईसा	90
घूमता आईना	के. सी. मालपानी	95
पुस्तक समीक्षा	सुबोध मेहरोत्रा	99
अनुचिंतन		101
लेखकों से/पाठकों से		103
सदस्यता नवीकरण फार्म		104

संपादक–मंडल

प्रबंध संपादक

डॉ. रमाकांत गुप्ता
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

कार्यकारी संपादक

सावित्री सिंह
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सदस्य सचिव

के. सी. मालपानी
प्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

संपादकीय कार्यालय

भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई – 400 018

सदस्य

डॉ. शरद कुमार
परामर्शदाता, सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सूरज प्रकाश
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

एम. एल. महाजन
महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

डॉ. गजेंद्र कुमार
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
इलाहाबाद बैंक, कोलकाता

एस. वेंकटेश
प्रधानाचार्य एवं उप महाप्रबंधक, प्रबंध विकास संस्थान
बैंक ऑफ इंडिया, नवी मुंबई

डॉ. हरियश राय
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई

एम. वी. अशोकन
उप महाप्रबंधक (राजभाषा)
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

अरुण श्रीवास्तव
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई

डॉ. अजित कुमार
संकाय सदस्य एवं सहायक महाप्रबंधक
कृषि बैंकिंग महाविद्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, पुणे

इस पत्रिका में प्रकाशित लेखों में दिये गये विचार संबंधित लेखकों के हैं । यह आवश्यक नहीं है कि भारतीय रिज़र्व बैंक उन विचारों से सहमत हो । इसमें प्रकाशित सामग्री को उद्धृत करने पर भारतीय रिज़र्व बैंक को कोई आपत्ति नहीं है बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया गया हो ।

डॉ. रमाकांत गुप्ता द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, गारमेंट हाउस, वरली, मुंबई 400 018 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा इंडिया प्रिंटिंग वर्क्स, मुंबई में मुद्रित । **मुखपृष्ठ : सुधाकर वरवडेकर**
इंटरनेट http://www.rbi.org.in/hindi पर भी उपलब्ध । E-mail : rajbhashaco@rbi.org.in फोन 2498 2076 फैक्स 2498 2077

संपादकीय....

प्रिय पाठको,

'रहिमन' देखि बड़ेन को लघु न दीजिए डारि ।
जहां काम आवै सुई कहा करै तरवारि ।।

चिंतन

इसमें कोई संदेह नहीं कि देश के विकास में बड़े और छोटे दोनों ही प्रकार के उद्योगों का योगदान है और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं । किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है । औद्योगिक विकास, निर्यात, विदेशी मुद्रा अर्जन तथा रोज़गार सृजन में इन उद्यमों का प्रमुख योगदान रहता है । मुझे इस बात की खुशी है कि संपादकीय मंडल ने वर्ष 2011 का विशेषांक एमएसएमई विशेषांक के रूप में निकालने का निर्णय लिया है । इस अंक में एमएसएमई के विधिक आधार, उससे जुड़े हुए सांस्थानिक ढांचे, एमएसएमई के प्रकार, एमएसएमई की प्रगति, एमएसएमई की समस्याओं और उनके समाधान आदि से जुड़े हुए सभी पहलुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है ।

हमारे देश के विकास में एमएसएमई का बहुत बड़ा योगदान है । भारत के सकल देशी उत्पाद में उनकी हिस्सेदारी लगभग 8 प्रतिशत है तथा कुल औद्योगिक उत्पादन में उनका योगदान लगभग 45 प्रतिशत है । इन उद्यमों में उत्पादन की लागत कम होती है और ज्यादा रोज़गार उपलब्ध कराने की क्षमता होती है तथा, साथ ही, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध मानवीय श्रम और भौतिक संसाधनों के प्रयोग के साथ यह क्षेत्र बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय असंतुलन और पलायन को भी रोकता है । भारत अपने लाखों युवकों को इस क्षेत्र में रोजगार देकर अपने सामाजिक-आर्थिक लक्ष्यों को हासिल कर सकता है ।

*भारत में लघु और मझौले उद्योगों के क्षेत्र के विकास को 4 स्पष्ट चरणों में देखा जा सकता है - पहला चरण 1949 से 1990 तक की अवधि का है, जब सूक्ष्म और लघु उद्योगों को मान्यता दी गयी, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना (1955) की गयी तथा राज्य स्तर पर जिला औद्योगिक केंद्रों की स्थापना की गयी । दूसरे चरण में 1990 से 1998 तक की अवधि शामिल है तथा एमएसएमई के विकास के इस चरण की उल्लेखनीय घटना 1990 में **भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक** (सिडबी) की स्थापना है । इसी दौरान 1995 में औद्योगिकी विकास और आधुनिकीकरण कोष की स्थापना भी की गयी । तीसरे चरण की शुरुआत 1998 में **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय** की स्थापना से होती है । अलग मंत्रालय की स्थापना के बाद इस ओर अत्यधिक ध्यान दिया गया तथा कई उल्लेखनीय कार्य किये गये, जिनमें 2005 में प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग योजना बनाना शामिल है । चौथा और अंतिम चरण 2006 के बाद से शुरू होता है और इस चरण की सर्वाधिक उल्लेखनीय घटना 2006 में **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम** पारित होना है जिसके तहत पहली बार इन उपक्रमों को परिभाषित किया गया तथा पहली बार कानूनी दायरे में उद्यम (एंटरप्राइज़) शब्द को पहचान मिली तथा इसके तहत विनिर्माण और सेवा दोनों प्रकार के उद्यमों का समावेश किया गया ।*

अनुचिंतन

इस विशेषांक में एमएसएमई से संबंधित सभी पहलुओं पर विद्वान लेखकों के लेख शामिल किए गए हैं । 'एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006' नामक लेख में इस क्षेत्र से संबंधित विधिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई है । डॉ. रमाकांत शर्मा, डॉ. नरेंद्र पाल सिंह, श्री अशोक कुमार गुप्ता और श्री आर. एस. तिवारी ने अपने लेखों में देश के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र के योगदान का बखूबी वर्णन किया है । छोटी मछलियां मिलकर बड़ी मछली का रूप धारण कर लेती हैं और बड़ी मछलियों को टक्कर देने लगती हैं । इसी तर्ज पर भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र ने विकास के लिए क्लस्टर मॉडल को अपनाया, जिसका विस्तृत परिचय पत्रिका की कार्यकारी संपादक श्रीमती सावित्री सिंह ने अपने लेख 'एमएसएमई के विकास में क्लस्टर मॉडल का योगदान' में कराया है । किसी भी उद्यम के विकास में प्रशिक्षण और कौशल की उल्लेखनीय भूमिका रहती है और इस महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला है – श्री विजय प्रकाश श्रीवास्तव ने अपने लेख 'एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास' में । यह विशेषांक अधूरा रह जाता, यदि हम इस क्षेत्र से जुड़े किसी उद्योग विशेष की विस्तृत जानकारी पाठकों तक नहीं पहुंचाते और इस कमी को पूरा किया गया है – डॉ. मधुशील आयित्यत के लेख 'एमएसएमई विशेष अध्ययन – कयर उद्योग' को इस अंक में शामिल करके ।

एमएसएमई के विकास में विभिन्न संस्थाओं/एजेंसियों से पाठकों का परिचय डॉ. राजीव कुमार सिन्हा के लेख 'एमएसएमई के विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका' और श्री ध्रुव कुमार फिटकरीवाला के लेख 'एमएसएमई के विकास में कार्यरत एजेंसियां' में कराया गया है। सिडबी की महाप्रबंधक श्रीमती अनिता सचदेवा ने अपने लेख 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में सिडबी की भूमिका' में सिडबी जैसी महत्वपूर्ण संस्था की भूमिका का ब्यौरेवार उल्लेख किया है ।

एमएसएमई ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए कारोबार विस्तार का द्वार खोल दिया है और इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में विस्तृत चर्चा श्रीमती चेतना पांडेय, श्री प्रह्लाद सबनानी और श्री सुशील कृष्ण गोरे के लेख क्रमशः 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट रेटिंग', 'सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र – भारतीय बैंकों के लिए असीम ऋण संभावनाएं' और 'एमएसएमई और क्रेडिट गारंटी' में की गई है ।

एमएसएमई क्षेत्र का ब्यौरेवार समावेश करने के साथ-साथ देश-दुनिया की नवीनतम आर्थिक-वित्तीय गतिविधियों को भी नज़रंदाज नहीं किया गया है और इन्हें संक्षेप में उजागर किया है – पत्रिका की संपादकीय समिति के सदस्य-सचिव श्री के. सी. मालपानी ने अपने लेख 'घूमता आईना' में, जिससे अब तक इस पत्रिका के पाठक भली-भांति परिचित हो चुके हैं ।

पत्रिका के पाठकों को हर साल एक विशेषांक का इंतज़ार रहता है । मुझे विश्वास है कि इस विशेषांक के जरिए विश्व के तीसरे सबसे बड़े जन समुदाय की भाषा हिंदी के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योगों के लिए ज्ञान बांटने का जो भगीरथ प्रयास किया गया है, वह इस पत्रिका के पाठकों के लिए मार्गदर्शी का कार्य करेगा ।

पिछले अंक के बारे में पाठकों ने खुलकर अपनी राय दी और उससे न सिर्फ हमारा उत्साह बढ़ा, अपितु हमें मार्गदर्शन भी मिला । वर्तमान अंक एक विशेषांक है और पत्रिका के पाठकों से विशेष अनुरोध है कि वे इस अंक के प्रति भी अपनी अनुक्रिया और बहुमूल्य सुझाव ramakantgupta@rbi.org.in अथवा savitrisingh@rbi.org.in नामक ई-मेल पतों पर अथवा डाक से अवश्य प्रेषित करें, ताकि हम इस पत्रिका को उनकी ज़रूरतों के अधिक अनुकूल बना सकें ।

सादर,

भवदीय

(डॉ. रमाकांत गुप्ता)

इतिहास के पन्नों से

इंडियन बैंक

आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक

उच्च शिखर पर पहुँचकर लड़खड़ाते हुए घाटी में गिर जाने वाले पर्वतारोही के लिए पुनः सम्भल कर उठना और झंझावतों का सामना कर फिर से आगे बढ़ना कदाचित असम्भव नहीं तो चुनौतीपूर्ण अवश्य होता है। ऐसी ही कुछ रोमांचक दास्तां है मेरी। जी हाँ, पहचाना ..... मैं हूँ इंडियन बैंक और अब अपनी स्थापना के 104 वर्ष पूर्ण कर चुका हूँ। मद्रास स्थित आर्बुटनॉट बैंक की विफलता ने बैंकिंग के एक नए विकल्प की राह दिखाई और 1906 में इंडियन बैंक की स्थापना के लिए एक अनुकूल माहौल बना दिया। मेरे संस्थापक एक प्रतिष्ठित वकील स्वर्गीय श्री वी. कृष्णस्वामी अय्यर को मद्रास (चेन्नै) में एक बैंक शुरू करने का विचार आया और उन्होंने 02 दिसम्बर 1906 को प्रमुख नागरिकों की एक बैठक बुलाई। इन प्रमुख लोगों में चेट्टियार, अय्यर, अय्यंगार, गुजराती, मुस्लिम आदि समाज के विभिन्न वर्गों के व्यक्ति थे। श्री वी. कृष्णस्वामी अय्यर के सफल प्रयत्नों के फलस्वरूप 05 मार्च 1907 को मेरी स्थापना हुई। उस समय मेरा नाम ''इंडियन बैंक लिमिटेड'' था। मात्र 20 लाख रुपए की प्राधिकृत पूँजी से मैंने अपना कारोबार 15 अगस्त 1907 से प्रारम्भ किया।

एक विदेशी शासन के दौरान समाज की धर्मनिरपेक्ष उद्यमशील भावना के साथ मेरे उद्‌भव की संकल्पना के मूल में तमिलनाडु और गुजरात की व्यावसायिक प्रवृत्ति का अद्‌भुत संगम था। यह वह समय था जब दक्षिण भारत में घरेलू बैंकिंग पर गौड़ सारस्वत, नाट्टुकोट्टै चेट्टियार, पई, नाडार आदि समुदाय आधारित बैंकों का वर्चस्व था। किन्तु इंडियन बैंक इसमें एक अपवाद था। स्वदेशी आधार पर बैंक स्थापित करने की आवश्यकता के प्रथम सर्कुलर नोटिस पर सभी समुदाय के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। लॉर्ड गोविंद दास नामक एक गुजराती व्यवसायी ने समाचार पत्रों में लेख लिखकर स्वदेशी बैंक की स्थापना पर लोगों की राय बनाई थी। वे न केवल पहले शेयर धारक थे, बल्कि उन्होंने 25000 रुपए का अंशदान देकर बैंक का प्रथम निदेशक बनना स्वीकार किया था। उन्होंने मद्रास में रहने वाले गुजराती व्यापारियों का सहयोग भी प्राप्त किया।

मैंने चेन्नै में पैरी एण्ड कम्पनी के भवन के एक हिस्से से अपना काम शुरू किया। तत्पश्चात् जुलाई 1910 में मेरा प्रधान कार्यालय नार्थ बीच रोड (अब राजाजी सालै), मद्रास स्थित बैंटिंक भवन में चला गया। इसके बाद मई 1970 में 31, राजाजी सालै में प्रधान कार्यालय स्थानान्तरित हो गया। यह भवन उसी स्थान पर है, जहाँ बैंटिंक भवन था। सतत बढ़ते कारोबार, नए विभागों की संकल्पना तथा कर्मचारियों की वृद्धि के चलते राजाजी सालै स्थित भवन से स्थानान्तरित होकर अब मैं चेन्नै के रायपेट्टा में 254-260, अव्वै षणमुगम सालै स्थित नए विशाल भवन में सितम्बर 2011 से आ गया हूँ। यह नया भवन मेरे प्रतीक चिह्न (लोगो) के आकार पर निर्मित है और अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है तथा पर्यावरण के स्थापित मानदण्डों के अनुरूप चहुँ ओर विकसित हरीतिमा से घिरा है। दिसम्बर 1908 में मदुरै में मेरी पहली शाखा का आविर्भाव हुआ। तत्पश्चात् चेन्नै के मइलापुर, ट्रिप्लिकेन और एस्प्लेनेड में क्रमशः नवम्बर 1911, जून 1914 तथा जुलाई 1916 में अन्य शाखाएँ खोली गईं।

इस प्रकार धीरे-धीरे मेरी विकास यात्रा प्रगति पथ पर अग्रसर होने लगी। 1931 के अन्त तक मेरी कुल जमाराशियाँ 1.73 करोड़ रुपए हो चुकी थीं। सन् 1932 में मेरी रजत जयन्ती मनाई गई। उस समय मेरी 10 शाखाएँ और 05 उप कार्यालय कार्यरत थे। यह एक विचित्र ऐतिहासिक संयोग ही कहा जा सकता है कि 15 अगस्त 1907 को मैंने अपना कारोबार प्रारम्भ किया था और इसके ठीक 40 वर्ष पश्चात् अर्थात् 15 अगस्त 1947 को भारत एक स्वाधीन राष्ट्र बन गया। स्वतन्त्र भारत में 27 दिसम्बर 1957 को डॉ. सी. पी. रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में मेरी स्वर्ण जयन्ती मनाई गई। अभी तक मेरा अधिकांश कारोबार दक्षिण भारत तक ही सीमित था। स्वर्ण जयन्ती के समय बैंक की जमाराशियाँ 32.86 करोड़ रुपए थीं और उस समय देश भर में मेरी 120 शाखाएँ खुल चुकी थीं।

विदेश में मेरी पहली शाखा कोलम्बो में 1932 में खोली गई। यह उस समय की बात है, जब नियामक संस्था के रूप में न तो सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका था और न ही भारतीय रिज़र्व बैंक। ऐसे में मैंने कम्पनियों के पंजीयक से अनुमति लेकर वहाँ अपना कार्य शुरू किया था। आगे रंगून (बर्मा) में 1940, सिंगापुर में सितम्बर 1941, क्वालालम्पुर में 1941 तथा पेनांग में दिसम्बर 1941 में भी शाखाएँ खोली गई, किन्तु द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन्हें बन्द करना पड़ा। कोलम्बो में पुनः 1944 में शाखा खोली गई और तत्पश्चात् सन् 1951 में मलक्का में भी एक शाखा खोली गई। श्रीलंका के जाफना में मेरी नई शाखा जनवरी 2011 में खोली गई। किन्तु इस समय विदेशों में मेरी कुल तीन शाखाएँ ही हैं जो सिंगापुर, कोलम्बो और जाफना में हैं।

प्रसंगवश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मैंने सिंगापुर में अपनी शाखा खोली थी, उस समय वह छोटा सा नगर-राज्य था। आज की तरह बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं था। मेरी शाखा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की गणना सिंगापुर के विशिष्ट व्यक्तियों (वीआईपी) में होती थी। तभी तो 1959 में मेरी सिंगापुर शाखा के प्रमुख को वहां की सरकार ने सिंगापुर औद्योगिक संवर्धन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया था।

भारतीय बैंकिंग उद्योग में 19 जुलाई 1969 एक ऐतिहासिक दिन के रूप में दर्ज है। इस दिन देश के 14 अन्य बैंकों के साथ मेरा भी राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीयकरण के पश्चात् मेरा नाम इंडियन बैंक हो गया। राष्ट्रीयकरण के समय मेरी प्रदत्त पूँजी (पेड अप कैपिटल) 88.67 लाख रुपए, जमाराशियाँ 89.66 करोड़ रुपए तथा अग्रिम 64.94 करोड़ रुपए थे तथा शाखाओं की संख्या 224 हो चुकी थी। इसमें 05 विदेशों में स्थित शाखाएँ थीं।

मेरी प्लैटिनम जयन्ती 15 अगस्त 1981 से 14 अगस्त 1982 तक मनाई गई। इस अवसर पर डाक एवं तार विभाग ने 14 अगस्त 1982 को एक विशेष लिफाफा जारी किया। इसके अतिरिक्त चेन्नै के डाकघर में एक विशेष निरसन (कैंसिलेशन) मोहर की व्यवस्था की गई। प्लैटिनम जयन्ती मनाने तक मेरी शाखाओं की संख्या बढ़कर 904 हो चुकी थी। जमाराशियाँ 1497 करोड़ रुपए तथा सकल ऋण 958 करोड़ रुपए हो गए थे। प्रगति पथ पर अग्रसर होते हुए 20 फरवरी 1990 को मुझमें बैंक ऑफ तंजाऊर लिमिटेड नामक निजी क्षेत्र के एक बैंक का विलय किया गया, जिससे उसकी 157 शाखाएँ मुझमें मिल गई। इसके पूर्व वर्ष 1962 में मैंने रायलसीमा बैंक, दि बैंक ऑफ अलगापुरी, दि सेलम बैंक, दि मन्नारगुड़ी बैंक और दि त्रिची यूनाइटेड बैंक का अर्जन किया था। ये छोटे बैंक थे, जिनकी कुल 38 शाखाएँ ही थीं।

इस बीच बैंकिंग जगत में 1993-94 में बासेल-I के आने से भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्रूडेंशियल मानदण्ड लागू किए। प्रावधानीकरण आदि की संकल्पना भी आ चुकी थी।

वर्ष 1995 तक आते-आते मुझ पर संकट के काले बादल मँडराने लगे तथा वर्ष 2000 तक वित्तीय स्थिति काफी बिगड़ गई थी। निजीकरण अथवा किसी अन्य बड़े बैंक में मेरे विलय की आशंका ने घर कर लिया था। मुझे 13 दिसम्बर 1999 का वह दिन भुलाए नहीं भूलता, जब शहरी कॉर्पोरेटों की एक संस्था भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने तत्कालीन वित्त मंत्री को प्रस्तुत अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर कार्यदल की अपनी एक रिपोर्ट में मेरे साथ दो अन्य कमज़ोर बैंकों के निजीकरण अथवा बन्द करने की सिफारिश तक कर डाली थी। सच, मेरी आत्मा कराह उठी थी। इस सिफारिश ने भारतीय बैंक जगत में तहलका मचा दिया था। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रबन्धनों एवं कर्मचारी यूनियनों ने देश भर में इसका जमकर विरोध किया। कुछ सांसदों और दो अन्य व्यावसायिक संगठनों - एसोचम तथा फिक्की - ने भी इस सिफारिश पर अपनी असहमति दिखाई। अन्त में भारतीय उद्योग परिसंघ को अपनी यह विवादास्पद सिफारिश 20 दिसम्बर 1999 को एक सप्ताह बाद ही वापस लेनी पड़ी। मैं अपने संकट के दिनों में तमाम टीका-टिप्पणियों से विचलित हुए बिना गीता में बताए कर्म के सिद्धान्त पर चलते हुए सिर्फ एक ही आस पर टिका रहा कि हर काली रात के बाद स्वर्णिम सवेरा भी अवश्य आता है। ..... और ऐसा हुआ भी। तत्कालीन उच्च प्रबन्धन ने मेरे सभी वर्ग के अधिकारियों एवं स्टाफ-सदस्यों में उत्साह का संचार किया। अपने कुशल प्रशासन, दक्षता एवं सूझ-बूझ से मेरी डूबती-उतराती नैया को पार लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे प्रबन्धन ने भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को मुझे ठीक राह पर लाने का भरोसा दिलाया। मेरी स्थिति को सुधारने के लिए जून 2000 में पुनःसंरचना योजना 2000-03 भारत सरकार के पास भेजी गई। स्थिति में सुधार के लिए अनर्जक आस्तियों की वसूली व कई अन्य तरह के उपाय किए गए।

सरकार ने मेरी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए मुझे और पूँजी प्रदान की और मैं 31 मार्च 2002 को लाभ की स्थिति में आ गया। यह क्षण मेरे पुनर्जन्म से कम न था। मेरे संकटकाल के दौरान भी बैंक के ग्राहकों का अटूट भरोसा मुझ पर बना रहा। इनमें कई ग्राहक ऐसे भी हैं, जिनकी कई पीढ़ियाँ मुझसे बैंकिंग कारोबार करती रही हैं। ऐसे ग्राहकों ने अंगद के पैर की भाँति मुझ पर अपने भरोसे को अडिग बनाए रखा। अपने मूल्यवान एवं सम्मानित ग्राहकों का मुझ पर भरोसा एवं उत्तम ग्राहक सेवा ही मेरी एक ऐसी पूँजी थी, जिसके चलते मैं संकट से उबरकर अब एक बार फिर भारतीय बैंकिंग उद्योग में अपनी विकास यात्रा पर सरपट दौड़ने लगा हूँ। उत्तम ग्राहक सेवा मेरा मूल मन्त्र रहा है। आपको जानकर हर्ष होगा कि मेरी इस विशेषता के चलते एसी नीलसन ओ.आर.जी. मार्ग के सर्वेक्षणों के अनुसार मैंने 2004 से लगातार पाँच वर्षों तक दक्षिण स्थित सेवा ब्राण्डों में अपना प्रथम स्थान बनाए रखा। ***मेरे जीवन में वह दिन भी आया जब अमरीका की फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2009 में विश्व की 2000 सफलतम कम्पनियों में मुझे 1659वाँ स्थान दिया, जो किसी गौरव से कम नहीं है।***

इस बीच समय किस प्रकार तेज़ी से पर लगाकर उड़ गया, पता ही नहीं चला। सितम्बर 2006 में मेरी स्थापना के शताब्दी समारोह शुरू हुए। इस समारोह का उद्घाटन भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने चेन्नै में किया। इस ऐतिहासिक अवसर पर डॉ. कलाम ने मेरे ध्येय वाक्य (मिशन स्टेटमेंट) का अनावरण किया, जो इस प्रकार है -

''आम आदमी का बैंक बनना और अपने समस्त ग्राहकों को एक ही स्थान पर सभी वित्तीय उत्पाद एवं सेवाएँ उचित व पारदर्शी तरीके से कम खर्च में उपलब्ध कराना।''

वर्ष 2006-07 में मेरा पब्लिक इशू लाया गया और 20 प्रतिशत हिस्सेदारी अंशधारकों को दी गई। अब मैं एक सूचीबद्ध संस्था हूँ। वर्ष 2007-08 में मेरा कुल कारोबार एक लाख करोड़ रुपए के आँकड़े को पार कर गया, जो मेरे लिए एक ऐतिहासिक घटना से कम न था।

मेरा मौजूदा प्रतीक चिह्न जुलाई 1978 में अपनाया गया, जिसमें एक बिन्दु से निकले तीन तीर दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ये क्रमशः बचत, निवेश और अधिशेष (सरप्लस) को दर्शाते हैं। ये इस बात को इंगित करते हैं कि बचत से निवेश होता है ओर निवेश से आमदनी होती है तथा आमदनी से अधिशेष या बचत होती है और

यह क्रम चलता ही रहता है। इस प्रकार मेरा प्रतीक चिह्न निरन्तर समृद्धि का द्योतक है।

इंड-इमेज/इंड-छवि मेरी गृह पत्रिका है। आज कम्प्यूटर का ज़माना है, किन्तु लगभग डेढ़ दशक पूर्व तक जब ई-मेल से सूचनाओं का आदान-प्रदान बैंक में शुरू नहीं हुआ था उस समय शाखाएँ तार से साप्ताहिक आँकड़े भेजती थीं। तार अन्तरण द्वारा निधियों को भेजा जाता था। उस समय डाक एवं तार विभाग के पास मेरा तार का पता ''विजिलेंट'' और शाखाओं का 'बनयान' पंजीकृत था। अंग्रेज़ी के ''विजिलेंट'' अर्थात् सतर्क को चुनने के पीछे आशय था कि प्रधान कार्यालय को सतर्क रहते हुए कार्य करना है, जबकि शाखाओं के लिए ''बनयान'' अर्थात् वट वृक्ष का आशय शाखाओं के विस्तार से था। अब आप मेरी वेबसाइट www.indianbank.in देख सकते हैं और ई-मेल से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक नामक मेरे प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 22 मार्च 1981 को हुई और अब मेरे पास तीन ग्रामीण बैंक हैं।

मेरे पास तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, केरल और पुदुच्चेरी में अग्रणी बैंक का दायित्व भी है। मैं तमिलनाडु के 10 जिलों में अग्रणी बैंक के रूप में अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहा हूँ एवं आन्ध्र प्रदेश के चित्तूर व कृष्णा और केरल के एर्णाकुलम जिले में अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा हूँ। अपने कारोबार में विविधता लाने के लिए मेरी तीन अनुषंगी कम्पनियाँ भी हैं। ये हैं - इंड बैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज़ लिमिटेड, इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड और इंड फंड मैनेजमेंट लिमिटेड। अपने-अपने नामों के अनुरूप ये कम्पनियाँ अपना कारोबार कर मेरे हाथ मज़बूत कर रही हैं।

किसी भी संस्था के सुचारु रूप से संचालन में यह परम आवश्यक है कि उसके कर्मचारियों को समय-समय पर प्रशिक्षण देकर विभिन्न विषयों में हो रहे अद्यतन परिवर्तनों और नई संकल्पनाओं से अवगत कराया जाता रहे। मेरा कर्मचारी शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय इंडियन बैंक मैनेजमेंट एकादमी फॉर ग्रोथ एण्ड एक्सेलेंस अर्थात् ''इमेज'' के रूप में जाना जाता है। यह प्रशिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। इमेज में अन्य सरकारी संस्थाओं और चुनिन्दा सार्वजनिक क्षेत्र और कॉर्पोरेट संस्थाओं के कर्मियों को भी उनके अनुरोध पर प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के उत्कृष्ट मानदण्डों के कारण इमेज को 25.09.2003 को पहली बार आई एस ओ 9001:2000 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् 16 फरवरी 2010 को आई एस ओ 9001:2008 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। वर्ष 2009 में ''इमेज'' के कारण ही मुझे प्रतिष्ठित स्वर्ण मूयर राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

राजभाषा कार्यान्वयन के प्रयासों की कड़ी में 28.04.1987 का दिन मेरे लिए एक गौरवपूर्ण दिन था जब मुझे ''ग'' क्षेत्र में राजभाषा कार्यान्वयन में प्रशंसनीय कार्य के लिए रिज़र्व बैंक राजभाषा शील्ड योजना का वर्ष 1985 का श्रेष्ठता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

मैं सदैव ही बैंकिंग के अधुनातम साधनों को अपनाने का पक्षधर रहा हूँ। मैं भारत में ऐसा पहला सरकारी क्षेत्र का बैंक था, जिसने एटीएम लगाया था। इसके अलावा मुझे दक्षिण एशिया में ड्राइव-इन-एटीएम लगानेवाला पहला बैंक होने का गौरव भी प्राप्त है। सर्वप्रथम मैंने अपनी दो शाखाओं को 22 दिसम्बर 2004 को सीबीएस सुविधा से सुसज्जित किया । अगले 2 वर्ष में मेरी सभी शाखाएँ सीबीएस सुविधायुक्त हो गई। कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर को नवीनता एवं व्यापकता के साथ प्रयोग करने के लिए टीसीएस ने मुझे 02.07.2009 को बेंगलूर में आयोजित एक कार्यक्रम में सेलेंट मॉडेल बैंक 2009 के पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत में बैंकों की बेंचमार्किंग पर 2010-11 के दौरान सेलेंट ने मुझे प्रथम बैंक का दर्जा भी प्रदान किया।

वर्ष 2007 में सीबीएस में हिन्दी प्रयोग का एक स्वर्णिम अध्याय मेरी जीवनी में जुड़ गया, जब मेरे राजभाषा विभाग और प्रौद्योगिकी प्रबन्धन विभाग के अनवरत प्रयासों से वर्ष 2007 में सीबीएस में हिन्दी प्रयोग का श्री गणेश करने वाला मैं पहला बैंक बन गया। मेरी सभी 1928 शाखाएँ द्विभाषी सीबीएस सुविधायुक्त हैं। मेरे एटीएम भी देश के प्रमुख नगरों में हैं, जिनकी मौजूदा संख्या 1221 है। इन एटीएमों में राजभाषा-हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी संचालन किया जा सकता है।

मैं देश का ऐसा पहला बैंक हूँ, जिसमें 2007 में नेटवर्कयुक्त ध्वनि निर्देशित (नेटवर्क्ड वॉइस गाइडेड) बायोमीट्रिक

एटीएम की स्थापना की गई थी। इस एटीएम में पिन-आधारित प्रणाली की परम्परागत सेवाएँ भी उपलब्ध होती हैं। प्रौद्योगिकी आधारित तमाम बैंकिंग सेवाओं के कारण ही अब मैंने अपना नया सूत्र वाक्य **''आपका प्रौद्योगिकी हितैषी बैंक''** कर लिया है।

बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य वर्ग विशेष से जुड़ी बैंकिंग व्यवस्था को जन-जन के लिए उपलब्ध कराना था और राष्ट्र निर्माण से जुड़ी सरकार की सभी योजनाओं के कार्यान्वयन में बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। इस प्रकार मैं भी देश के उत्थान की दिशा में सरकारी योजनाओं को लागू करने में सदैव तत्परतापूर्वक अग्रसर रहा हूँ। मेरी गणना देश के उन चुनिन्दा बैंकों में की जाती है, जो भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के लिए निर्धारित किए गए क्रमशः 40 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के ऋण देने के लक्ष्य को लगातार पिछले कई वर्षों से न केवल प्राप्त कर रहा है, बल्कि लक्ष्य से भी आगे निकल रहा है। समाज के हर वर्ग एवं पेशे की सहायता के लिए मेरी कई तरह की योजनाएं और उत्पाद हैं। सर्वप्रथम मैंने ही भारत में स्वयं सहायता समूहों की संकल्पना को अपनाकर उसे विकसित करने का मार्ग 1989 में प्रशस्त किया था। यहाँ तक कि उस समय नाबार्ड ने भी अपने औपचारिक कार्यक्रम के रूप में इसका श्रीगणेश नहीं किया था । एसएमई क्षेत्र तथा स्वयं सहायता समूहों को सहायता देने में मेरी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए तमिलनाडु सरकार ने पिछले वर्ष मुझे सम्मानित भी किया है। मुझे शिक्षा ऋण वर्ग के अन्तर्गत सर्वोत्तम बैंक का आउटलुक मनी पुरस्कार 2010 प्रदान किया गया था।

मैंने वित्तीय समावेशन के कार्य को एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया और 2005 में संघ राज्य क्षेत्र पुदुच्चेरी को देश का ऐसा पहला राज्य बनाने का दर्जा हासिल कराया, जहाँ पूरी तरह वित्तीय समावेशन लागू हो सके। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2006-07 के वार्षिक पॉलिसी स्टेटमेंट में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राज्य स्तरीय बैंकर समितियों के संयोजकों को सलाह दी कि वे अपने-अपने इलाकों के कम-से-कम एक जिले को चिह्नित करें, जहाँ पर इंडियन बैंक की तर्ज पर पुदुच्चेरी में उठाए गए कदमों के अनुसार शत प्रतिशत वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। शहरी वित्तीय समावेशन में स्वयं सहायता समूहों के लिए पहल करने पर मुझे 2010-11 में प्रतिष्ठित 'स्कॉच' वित्तीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बैंकों जैसे सेवा क्षेत्र में ग्राहक सर्वोपरि होता है। उत्तम ग्राहक सेवा के लिए मुझे एमिटी कॉर्पोरेट एक्सेलेंस अवार्ड से 2010-11 में सम्मानित किया गया। वर्ष 2009-10 के दौरान लाभप्रदता के लिए फाइनेंशियल एक्सप्रेस और अर्नस्ट एण्ड यंग के सर्वेक्षण में मुझे सरकारी क्षेत्र के बैंकों में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था।

इसके अलावा मुझे फाइनेंशियल एक्सप्रेस द्वारा स्थापित सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सर्वोत्तम बैंक का वर्ष 2010-11 का पुरस्कार (द्वितीय स्थान), फिक्की-आईबीए सम्मेलन में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के वर्ग में बेस्ट रिस्क मास्टर एफआईबीएसी-2011 का पुरस्कार तथा श्रेष्ठ आस्ति गुणवत्ता के लिए वर्ष 2011 का डन एण्ड ब्रैडस्ट्रीट बैंकिंग पुरस्कार प्रदान किया गया।

..... और अधिक मैं अपने बारे में क्या बताऊँ। सितम्बर 2011 के परिणामों से आप वाकिफ ही होंगे, जिसके अनुसार मेरा कुल कारोबार दो लाख करोड़ रुपए के आँकड़े को पार चुका है। एक शताब्दी से अधिक की मेरी जीवन यात्रा तमाम पड़ावों, खट्टे-मीठे अनुभवों और उपलब्धियों का एक रोमांचक आख्यान रही है और मैं **आम आदमी के एक बैंक के रूप में** उन्नत बैंकिंग प्रौद्योगिकी का सम्बल लेकर अगली शताब्दी की यात्रा पर गर्व के साथ कुछ इस तरह अग्रसर हो चुका हूँ -

कदम आगे, नज़र ऊँची।
इरादा मुस्तकिल हमदम ।।
वो कम हिम्मत है,
जो मुड़-मुड़कर नक्श-ए-कारवाँ देखे।।

शेष फिर।

इंडियन बैंक
Indian Bank

प्रस्तुतीकरण :
सावित्री सिंह
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) – एक परिचय

डॉ. रमाकांत शर्मा
पूर्व महाप्रबंधक,
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है । स्वतंत्रता से पूर्व, जब बड़े उद्योग न के बराबर थे, यहां का कपड़ा उद्योग विश्वस्तरीय था । ढाका की मलमल और बनारस की साड़ियां तो विश्वविख्यात थीं । इनके अलावा, जवाहरात, संगमरमर, पत्थर की मूर्तियां, लकड़ी का काम, तांबा, पीतल आदि पर मीनाकारी और लोहे के सामान के लिए भी विदेशी लोग भारत के कायल थे । हमारे देश में जहां आज भी अधिकांश जनता गांवों में रहती है और देश बढ़ती जनसंख्या, बेरोजगारी, गरीबी तथा क्षेत्रीय असमानता जैसी समस्याओं से जूझ रहा है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों का विशेष महत्व है । यही कारण है कि वर्ष 1951 में योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई और उसके बाद भारत सरकार द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीति में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को पर्याप्त महत्व दिया गया तथा स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था में उनके लिए विशिष्ट भूमिका तय की गई । इसे ध्यान में रखते हुए वर्ष 1951 से 1991 तक, अर्थात् वैश्वीकरण और उदारीकरण से पूर्व, इन क्षेत्रों को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया गया तथा कुछ उत्पादों और सेवाओं को सिर्फ इन्हीं के लिए आरक्षित रखा गया ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग हमेशा ही भारत सरकार की सामाजिक-आर्थिक नीतियों का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, जिसमें उत्पादन का श्रम-गहन तरीका, रोजगार के अवसर बढ़ाना, कुछ ही लोगों के हाथों में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीकरण न होने देना, एकाधिकार को हतोत्साहित करना तथा निर्यात को प्रोत्साहन देना शामिल है । आइये, आगे बढ़ने से पहले हम यह जानें कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम वास्तव में क्या हैं और ये बड़े उद्यमों से किस प्रकार भिन्न हैं ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – परिभाषा

ये उद्यम, विशेष रूप से सूक्ष्म और लघु उद्यम ज्यादातर व्यक्तियों की अपनी रचनात्मकता और नवोन्मेष पर आधारित होते हैं । इन्हें विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है । अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन्हें परिभाषित करने के लिए सामान्यतः जो मानदंड अपनाया जाता है, उसमें संबंधित उद्यम में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या, कुल निवल आस्तियां तथा बिक्री और निवेश स्तर को शामिल किया जाता है । उदाहरण के लिए, यूरोपियन यूनियन कर्मचारियों की संख्या के आधार पर यह तय करती है कि उद्यम किस स्तर का है । जहां कर्मचारी की संख्या मात्र एक हो, उसे स्वरोजगार में लगा व्यक्ति माना जाता है । 02 से 09 कर्मचारी हों तो सूक्ष्म, 10 से 49 हों तो लघु तथा 50 से 249 हों तो मध्यम उद्यम माना जाता है ।

भारत में, इन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में परिभाषित किया गया है । इनमें अंतर उनके संयंत्र और मशीनों में निवेश या फिर सेवा प्रदान करने के लिए जरूरी उपस्करों में निवेश के आधार पर किया गया है । दूसरे शब्दों में, परिभाषा की दृष्टि से इन उद्यमों को **(1) विनिर्माण उद्यम, तथा (2) सेवाप्रदाता उद्यम** में वर्गीकृत किया गया है । अतः उचित यह रहेगा कि इस वर्गीकरण के हिसाब से इनकी परिभाषाओं पर नजर डाली जाए ।

विनिर्माण उद्यम

सूक्ष्म उद्यम – वह है जिसमें संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक न हो । इसमें भूमि और भवन की लागत तथा लघु उद्योग मंत्रालय की दिनांक 5 अक्तूबर 2006 की अधिसूचना सं. एस ओ 1722 (ई) में विनिर्दिष्ट मदों की लागत शामिल नहीं की जाती ।

लघु उद्यम – वह है जिसमें संयंत्र और मशीनों में निवेश 25 लाख रुपये से अधिक से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का हो। इसमें भी भूमि और भवन की लागत तथा लघु उद्योग मंत्रालय की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मदों की लागत शामिल नहीं होगी ।

मध्यम उद्यम – वह है जिसके संयंत्र और मशीनों में निवेश 5 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का हो। इसमें

भी भूमि और भवन की लागत तथा लघु उद्योग मंत्रालय की उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट मदों की लागत शामिल नहीं होगी ।

सेवाप्रदाता उद्यम

इनमें सेवाएं प्रदान करने से संलग्न निम्न प्रकार की संस्थाएं शामिल हैं –

– लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक, जिनके पास 10 से ज्यादा वाहन न हों ।

– खुदरा व्यापारी, जिनकी ऋण सीमा 10 लाख रुपये से अधिक न हो ।

– लघु व्यावसायिक, जिनके व्यवसाय के प्रयोजन के लिए प्रयुक्त उपस्करों की मूल लागत 20 लाख रुपये से अधिक न हो ।

– स्वरोजगार में लगे पेशेवर लोग और अन्य व्यक्ति, जिनकी उधार सीमा 10 लाख रुपये से अधिक न हो, जिसमें से कार्यशील पूंजी के लिए 2 लाख रुपये से अधिक नियत न हो । लेकिन, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में सेवाएं प्रदान करने वाले अर्हताप्राप्त चिकित्सकों के लिए उधार सीमा 15 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से कार्यशील पूंजी हेतु उप–सीमा 3 लाख रुपये तक ही हो ।

आइये, अब हम यह देखें कि उक्त प्रकार की संस्थाओं को शामिल करते हुए उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में किस प्रकार वर्गीकृत/परिभाषित किया गया है ।

सूक्ष्म उद्यम – वह है जिसके उपस्करों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक न हो । इसमें भूमि और भवन, फिटिंग्स तथा ऐसी मदों की लागत शामिल नहीं होगी जो सेवा प्रदान करने से सीधे संबंधित न हों और वे जिन्हें इस हेतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो ।

लघु उद्यम – वह है जिसके उपस्करों में निवेश 10 लाख रुपये से अधिक से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का हो । इसमें भी भूमि, भवन, फिटिंग्स तथा ऐसी मदों की लागत शामिल नहीं होगी जो सेवा प्रदान करने से सीधे तौर पर संबंधित न हों और वे जिन्हें इस हेतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो ।

मध्यम उद्यम – वह है जिसके उपस्करों में निवेश 2 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का हो । इसमें भी भूमि, भवन, फिटिंग्स तथा ऐसी मदों की लागत शामिल नहीं होगी जो सेवा प्रदान करने से सीधे तौर पर संबंधित नहीं हों और वे जिन्हें इस हेतु एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया हो ।

एमएसएमई से संबंधित उक्त वर्गीकरण तथा परिभाषाओं को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया जा सकता है :–

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम	सेवाप्रदाता उद्यम
सूक्ष्म उद्यम	संयत्र और मशीनों में अधिकतम 25 लाख रुपये तक का निवेश	सेवा प्रदान करने संबंधी उपस्करों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक का निवेश
लघु उद्यम	संयत्र और मशीनों में 25 लाख रुपये से अधिक से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का निवेश	सेवा प्रदान करने संबंधी उपस्करों में 10 लाख रुपये से अधिक से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का निवेश
मध्यम उद्यम	संयत्र और मशीनों में 5 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 10 करोड़ रुपये तक का निवेश	सेवा प्रदान करने संबंधी उपस्करों में 2 करोड़ रुपये से अधिक से लेकर 5 करोड़ रुपये तक का निवेश

इस प्रकार की 26 मिलियन से अधिक विनिर्माण और सेवाप्रदाता इकाइयों में से 99.5 प्रतिशत इकाइयां अतिलघु (सूक्ष्म) और लघुतर स्वरूप की हैं । इस प्रकार, यह कहा जा सकता है कि एमएसएमई क्षेत्र में इन इकाइयों का बोलबाला है ।

एमएसएमई – भारतीय अर्थव्यवस्था की धुरी

इस लेख की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई के महत्व से की गई थी, यहां हम इस पर थोड़े विस्तार से चर्चा करेंगे । एमएसएमई, विशेषकर सूक्ष्म और लघु उद्यम, देश की समग्र औद्योगिक अर्थव्यवस्था में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । यदि यह कहा जाए कि ये देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था की धुरी हैं तो अत्युक्ति नहीं होगी । एमएसएमई पर भारत सरकार द्वारा गठित कार्यबल की जनवरी 2010 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में इस क्षेत्र का हिस्सा 8 प्रतिशत, विनिर्माण उद्योग के उत्पादन के कुल मूल्य में लगभग 45 प्रतिशत तथा देश के कुल निर्यातों में लगभग 40 प्रतिशत है । यह उल्लेखनीय है कि हाल के वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र समूचे औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में लगातार उच्च वृद्धि दर बनाए हुए है । इस क्षेत्र का एक मुख्य लाभ कम पूंजीगत लागत पर बहुत सारे लोगों को रोजगार उपलब्ध

कराना है । उक्त रिपोर्ट के अनुसार देश भर की लगभग 26 मिलियन से ज्यादा एमएसएमई में 60 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह बात बहुत महत्व रखती है कि बड़े उद्यमों की अपेक्षा एमएसएमई क्षेत्र में रोजगार के अवसर कई गुना ज्यादा हैं क्योंकि इनमें हाथ से काम करने वालों की ज्यादा जरूरत होती है । एमएसएमई के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र औद्योगिक क्षेत्र के मुकाबले एमएसएमई की संवृद्धि दर हर समय बेहतर रही है ।

पिछले दस वर्ष की अवधि में एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों में भारी वृद्धि हुई है । हालांकि, इनकी निर्यात वस्तुओं में कोई खास विविधता नहीं आई है । अस्सी के दशक के उत्तरार्ध से ही एमएसएमई द्वारा किए जा रहे निर्यातों में अधिकांशतः सिलेसिलाये कपड़े, इंजीनियरी सामान, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेअर, रसायन तथा उससे संबंधित उत्पाद, आधारभूत रसायन, फार्मेस्युटिकल और कॉस्मेटिक्स, प्रसंस्कृत खाद्य-सामग्री, चमड़ा और चमड़े का सामान तथा प्लास्टिक उत्पाद हावी रहे हैं । एमएसएमई द्वारा किए गए निर्यातों के कुल मूल्य में इनका हिस्सा 90 प्रतिशत से भी अधिक है । यह इस बात का द्योतक है कि इनकी निर्यात वस्तुओं में विविधता की काफी गुंजाइश है ।

एमएसएमई – विशेषताएं

हमने ऊपर यह देखा है कि एमएसएमई समानता और समावेशन के साथ संवृद्धि के राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं । इनकी कुछ मुख्य विशेषताएं संक्षेप में निम्नानुसार हैं :-

1. इनमें कम निवेश की जरूरत होती है ।
2. इनमें परिचालनगत लचीलापन मौजूद है ।
3. ये निर्यातों से काफी आय अर्जित करते हैं ।
4. इन्हें अपने उत्पादन/सेवाओं के लिए आयातित माल की या तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती या फिर बहुत कम जरूरत होती है ।
5. इनमें उपयुक्त स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास करने की क्षमता मौजूद है ।
6. ये रक्षा संबंधी जरूरतों के लिए आपूर्ति करने में सक्षम हैं ।
7. ये प्रौद्योगिकी उन्मुख उद्यम हैं ।
8. इनमें घरेलू और विदेशी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक बने रहने की क्षमता मौजूद है ।

एमएसएमई पर गठित नायर समिति की जनवरी 2010 में प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई 6000 से भी अधिक उत्पादों का विनिर्माण कर रहे हैं । इनमें प्रमुख रूप से 18.97 प्रतिशत खाद्य उत्पाद, 14.05 प्रतिशत तैयार कपड़े, 8.81 प्रतिशत मूल धातु, 7.75 प्रतिशत रसायन और रासायनिक उत्पाद, 6.35 प्रतिशत मशीनें और उपस्कर, 4.5 प्रतिशत परिवहन उपस्कर, 3.9 प्रतिशत रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद, 2.62 प्रतिशत फर्नीचर, 2.03 प्रतिशत कागज और कागज के उत्पाद तथा 1.98 प्रतिशत चमड़ा और चमड़े के उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है ।

एमएसएमई की उपर्युक्त सकारात्मक विशेषताओं के बावजूद इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि 94 प्रतिशत एमएसएमई अपंजीकृत हैं तथा उनके आकार, उनके द्वारा प्रदत्त उत्पादों/सेवाओं और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के स्तर में बड़ी विषमता मौजूद है । इसके अलावा, इनमें ''बाहरी'' विशेषज्ञता का अभाव है । लॉजिस्टिक कंपनी डीएचएल के वरिष्ठ निदेशक (राष्ट्रीय बिक्री) संदीप जुनेजा के अनुसार भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अपने मूल क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, लेकिन जब विपणन और लॉजिस्टिक की बात सामने आती है तो उन्हें रास्ता ढूंढने के लिए भटकना पड़ता है, जबकि मूल क्षेत्र से बाहर की जरूरतें भी उनके और उनके कारोबार के लिए उतना ही महत्व रखती हैं ।

एमएसएमई के मार्ग की बाधाएं

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका होने के बावजूद एमएसएमई के कार्यनिष्पादन के संबंध में किए गए कई अध्ययनों में यह बात उभर कर सामने आती रही है कि इनकी प्रगति में कई बाधक तत्व मौजूद हैं, जिनसे इनके कार्यनिष्पादन पर विपरीत असर पड़ता है । इनमें से मुख्य हैं –

ऋण उपलब्ध न होना/कम उपलब्ध होना – समय पर और पर्याप्त वित्त उपलब्ध न होना इन उद्यमों के लिए एक बड़ी समस्या है। वित्त मंत्रालय और भारतीय रिज़र्व बैंक के इन स्पष्ट अनुदेशों के बावजूद कि लघु उद्यमों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र मानते हुए बैंकों द्वारा उन्हें पर्याप्त और समय पर वित्त उपलब्ध कराया जाए, इन्हें अपेक्षित वित्त उपलब्ध नहीं हो पाता ।

भारतीय एमएसएमई द्वारा वित्तपोषण संबंधी जो बाधाएं महसूस की जा रही हैं, उनके लिए जो कारक जिम्मेदार हैं उनमें वसूली, दिवालियापन और संविदा लागू करने से संबंधित नीतिगत, विधिक/विनियामक ढांचा, ऋण मूल्यांकन, जोखिम प्रबंधन तथा निगरानी

की सुस्थापित प्रणालियों का अभाव तथा एमएसएमई के संबंध में विश्वसनीय ऋण सूचनाओं का अभाव शामिल है । जब तक कि लघु उद्यमों के बारे में उचित और विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं होती, स्वाभाविक है कि बैंक उन्हें वित्त प्रदान करके जोखिम लेने से बचेंगे, वास्तव में, वे भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों का पालन दिखाने के लिए अपेक्षाकृत बड़े उद्यमों/मझौले उद्यमों को वित्त प्रदान कर खानापूर्ति कर देते हैं। इस प्रकार, एमएसएमई की वित्तीय स्थिति में पारदर्शिता के अभाव के कारण उन्हें बैंकों द्वारा वित्त प्रदान करने में कठिनाई होती है । वास्तव में, बैंक निम्नलिखित कारणों से एमएसएमई को ऋण देने में आनाकानी करते हैं :-

1. इन उद्यमों को ऋण प्रदान करने में लगने वाली उच्च प्रशासनिक लागतें
2. इन उद्यमों के बारे में सही और विश्वसनीय सूचनाओं का अभाव
3. इन्हें ऋण देने में निहित उच्च जोखिम
4. जमानत/संपार्श्विक का अभाव

उपर्युक्त कठिनाइयों को देखते हुए, वाणिज्यिक और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। उदाहरण के लिए, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी निधि न्यास के अंतर्गत एमएसएमई उद्यम के मुख्य प्रवर्तक के लिए जीवन बीमा की गारंटी दी जाती है । साथ ही, एमएसएमई उद्यमों के कई संघों ने नए उद्यमियों की संपार्श्विक जमानत हेतु बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना शुरू किया है । उक्त ऋण गारंटी निधि न्यास सिडबी की निगरानी में काम कर रहा है । ऐसे ही प्रयासों द्वारा जब तक ऋण गारंटी प्रणाली को सुव्यवस्थित और सुदृढ़ नहीं बनाया जाता, तब तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों की शुरुआत और विस्तार के लिए बहुत जरूरी वित्तपोषण तक उनकी पहुंच सीमित बनी रहेगी ।

आधारभूत सुविधाओं का अभाव – बिना आधारभूत सुविधाओं के कोई भी उद्यम, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, नहीं पनप सकता । चूंकि सूक्ष्म और लघु उद्योग अधिकांशतः अर्धशहरी/ग्रामीण इलाकों में होते हैं, अतः उन्हें उन आधारभूत सुविधाओं के अभाव से जूझना होता है जो उनके विकास और उत्पादों के नवोन्मेष तथा विपणन के लिए जरूरी होते हैं । साथ ही, शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण इलाकों में ऐसी सुविधाओं की अपर्याप्तता और अनुपलब्धता का स्तर भी बहुत भिन्न होता है जिससे उन्हें अलग-अलग प्रकार की समस्याओं का सामना करना होता है । फिर, भौतिक और आर्थिक दोनों ही प्रकार की आधारभूत सुविधाएं कम/उचित लागत पर भी उपलब्ध नहीं होतीं और ये छोटे उद्यम उन्हें वहन कर पाने में काफी कठिनाई महसूस करते हैं ।

एमएसएमई की उत्पादकता को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला एक बड़ा कारण बिजली/पावर की अनुपलब्धता या अनियमित उपलब्धता है । इसके अलावा, विशेषकर अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात और परिवहन सुविधाओं का अभाव भी इनके विकास की एक बड़ी बाधा बना हुआ है क्योंकि इसकी वजह से वे अपने उद्यम के लिए आवश्यक उपकरण/औजार और मशीनें या तो ला नहीं पाते या फिर उन्हें उनके लिए काफी ऊंची लागत लगानी पड़ती है । इसमें अच्छी सड़कों, रेलवे तथा उन्नत जल-परिवहन का अभाव शामिल है । यह स्थिति उनके उत्पाद की गुणवत्ता को तो प्रभावित करती ही है, अनावश्यक रूप से लागत भी बढ़ाती है, जिसका परिणाम उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता पर पड़ता है ।

सामान्य आधारभूत सुविधाओं के अलावा, उद्योग विशेष के लिए जरूरी आधारभूत सुविधाएं जैसे सुविकसित औद्योगिक संपदा/पार्क, उत्पादों की गुणवत्ता की जांच तथा कचरा/रासायनिक कचरा निस्तारण जैसी आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है । एमएसएमई की उत्पादकता बढ़ाने के लिए पर्याप्त पेयजल/जल की उपलब्धता भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसका सामान्यतः अभाव पाया जाता है । उक्त आधारभूत सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी स्तर पर और भी गहन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है ।

उत्पाद-आरक्षण – एमएसएमई उद्यमों को संरक्षण देने की दृष्टि से सरकार ने कुछ वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन केवल लघु क्षेत्र द्वारा किए जाने के लिए ही आरक्षित किया हुआ था । इस सूची में 800 से भी ज्यादा उत्पाद शामिल थे, जिनमें अधिकांशतः राजनीतिक कारणों से और बिना कोई ठोस वजहों से बार-बार परिवर्तन किया जाता रहा है । विभिन्न अध्ययनों ने इस ओर स्पष्ट रूप से इंगित किया है कि इस उत्पाद आरक्षण का सकारात्मक असर होने के बजाय इससे लघु उद्यमों की उत्पादकता पर खासा विपरीत असर पड़ा है । वास्तव में, इस आरक्षण का उद्देश्य संरक्षणवादी नीति के अंतर्गत स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना था । पर, संदेसरा (1993),

बालासुब्रमण्या (1995) तथा मौरिस (2001) जैसे विद्वानों द्वारा किए गए अध्ययनों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि इस अत्यधिक विवादास्पद नीति के कारण अनारक्षित उत्पादों की तुलना में आरक्षित सूची में शामिल उत्पादों की तकनीकी अदक्षता का मुद्दा काफी अहम है । इन अध्ययनों में इस आरक्षण नीति की व्यावहारिकता और असंगतता पर भी प्रकाश डाला गया है । जिन मुख्य मुद्दों को सामने लाया गया, वे हैं –

- आरक्षित सूची में अधिकांशतः राजनैतिक और विहित हितों की वजह से बार-बार परिवर्तन किया जाता रहा है ।
- आरक्षित मदों के निर्माण कार्य में लगी सूक्ष्म और लघु इकाइयों को इससे संबंधित नीति के बारे में कोई जानकारी नहीं होती या फिर बहुत कम जानकारी होती है ।
- आरक्षित सूची में शामिल होने से पूर्व जिन मदों का मध्यम और बड़े उद्यमों द्वारा उत्पादन किया जाता था, उनका उत्पादन वे उन मदों के आरक्षण सूची में शामिल होने के बाद भी जारी रखते हैं।
- आरक्षित सूची में शामिल उत्पादों की गुणवत्ता अक्सर संतोषजनक नहीं पाई जाती (दास, 2006 : 116 - 117)।

एमएसएमई को प्रभावित करने वाले अन्य कारक

एमएसएमई के मार्ग में बाधक उपर्युक्त प्रमुख तत्वों के अलावा उनके कार्यनिष्पादन को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाले कुछ अन्य कारक हैं –

- इक्विटी पूंजी तक उनकी सीमित पहुंच
- पेशेवराना रुख का अभाव
- अन्तरराष्ट्रीय वातावरण में काम करने का अपर्याप्त मौका/अनुभव
- विश्व व्यापार संगठन प्रणाली के प्रभाव का सामना करने में सक्षम न होना
- अनुसंधान और विकास के लिए अपर्याप्त अंशदान
- सरकारी विभागों और एजेंसियों को माल की आपूर्ति में समस्या
- कच्चे माल की ऊंची लागत तथा समय पर न मिलना या फिर कार्यस्थल से काफी दूर से कच्चा माल लाने में लगने वाला समय और अतिरिक्त लागत
- भंडारण, डिजाइनिंग, पैकिंग तथा उत्पादों के प्रदर्शन से संबंधित समस्याएं
- देश में विपणन संबंधी समस्याएं और वैश्विक बाजारों तक पहुंच का अभाव
- विनिर्माण उद्यमों के लिए कुशल श्रमिकों का अभाव
- श्रम कानूनों की बहुलता तथा उनसे संबंधित जटिल क्रियाविधियां
- व्यवहार्य बीमार इकाइयों के त्वरित पुनरुत्थान तथा अव्यवहार्य इकाइयों को तत्काल बंद करने के लिए किसी उपयुक्त तंत्र का न होना
- कर संबंधी विभिन्न मुद्दे और उनसे संबंधित जटिल क्रियाविधियां।

ये समस्याएं ज्यादातर असंगठित क्षेत्र से संबंधित हैं, इसलिए भारत सरकार ने सितंबर 2004 में असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग (नेशनल कमीशन फॉर एंटरप्राइजेस इन अनओर्गेनाइज्ड सेक्टर) की स्थापना की और उसे इस क्षेत्र की समस्याओं का पता लगाने तथा उन्हें तकनीकी, विपणन और ऋण संबंधी सहायता उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएं करने का काम सौंपा । इस आयोग ने कुल ग्यारह रिपोर्टें प्रस्तुत कीं, जिनके आधार पर सरकार ने समय-समय पर सुधारात्मक कदम उठाए हैं । फिर भी, इन समस्याओं का विश्वसनीय समाधान नहीं हुआ। यही कारण है कि भारत सरकार ने प्रधान मंत्री कार्यालय के प्रधान सचिव टी.के.के. नायर की अध्यक्षता में एमएसएमई पर एक कार्यबल (प्राइम मिनिस्टर्स टास्क फोर्स ऑन एमएसएमई) का गठन किया, जिसने जनवरी 2010 में प्रधान मंत्री को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस कार्यबल ने एमएसएमई से संबंधित समस्याओं/मुद्दों को निम्नलिखित 6 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया:-

1. ऋण संबंधी
2. विपणन संबंधी
3. श्रम संबंधी
4. बीमार इकाइयों के पुनरुत्थान और अव्यवहार्य इकाइयों को बंद करने की नीतियों संबंधी
5. आधारभूत सुविधा, प्रौद्योगिकी और दक्षता-विकास संबंधी
6. कराधान संबंधी ।

उक्त समस्याओं का अध्ययन करने और सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने के लिए उपर्युक्त प्रत्येक वर्ग के लिए अलग-अलग अर्थात् कुल 6 उप-समूहों का गठन किया गया, उनकी सिफारिशों के आधार पर किए जाने वाले उपायों पर यहां संक्षेप में चर्चा की जा रही है ।

ऐसे उपाय जिन पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है

- एमएसएमई को जो प्रोत्साहन पैकेज मार्च 2010 तक के लिए दिया जा रहा था उसे आगे भी जारी रखा जाए ।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए निर्धारित लक्ष्यों का बैंकों द्वारा पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना । 60 प्रतिशत के लक्ष्य हेतु एमएसएमई के लिए हर वर्ष 20 प्रतिशत की ऋण वृद्धि ।
- वाणिज्यिक बैंकों के लिए निर्धारित एमएसएमई ऋण में यदि कोई कमी हो तो उसका उपयोग करते हुए सिडबी के पास अलग से एक निधि का सृजन करना तथा उसका उपयोग केवल सूक्ष्म उद्यमों के लिए करना ।
- एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 में निरूपित किए गए अनुसार एमएसएमई के लिए एक पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी यथाशीघ्र लागू करना ।
- सरकारी आवश्यकताओं, विशेष रूप से रक्षा और विमानन क्षेत्र की आवश्यकताओं, की पूर्ति के लिए एमएसएमई क्षेत्र को प्राथमिकता देना ।
- एमएसएमई से संबंधित विद्यमान आधारभूत सुविधाओं और संस्थागत ढांचे की कमियों को दूर करने पर विशेष ध्यान दिया जाए और इस हेतु सरकार आगामी 3 से 5 वर्षों में 5000 - 5500 करोड़ रुपये खर्च करने के लिए अतिरिक्त प्रावधान करे।
- सरकार को चाहिए कि वह एमएसएमई को असंगठित क्षेत्र से संगठित क्षेत्र में लाने तथा उन्हें निगमित क्षेत्र में लाने के लिए प्रोत्साहनस्वरूप उपयुक्त कानूनी और राजकोषीय उपायों का उपयोग करते हुए उचित वातावरण निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाए।

मध्यावधि संस्थागत उपाय

- एमएसएमई के उन्नयन और विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र संस्था की स्थापना ।
- एमएसएमई क्षेत्र को ऋण-प्रवाह पर निगरानी रखने के लिए योजना आयोग के एक सदस्य के अंतर्गत एक स्थायी समिति का गठन करना और सूक्ष्म उद्यम तथा असंगठित क्षेत्र जैसे अतिसंवेदनशील क्षेत्रों तक पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।
- स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए सूक्ष्म वित्त संस्थाओं को प्रोत्साहित करना तथा बैंकरहित, ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमों को उचित दरों पर वित्त उपलब्ध कराना ।
- साहूकारों/महाजनों जैसे अनौपचारिक स्रोतों से एमएसएमई द्वारा लिये गए ऋणों के पुनर्वित्तपोषण के लिए बैंकों द्वारा योजनाएं तैयार करना ।
- अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण एमएसएमई इकाइयों के अस्थायी तौर पर रुग्ण हो जाने की दशा में उनके पुनर्वास हेतु तत्पर कदम उठाने की दृष्टि से राज्य सरकारों द्वारा पुनर्वास निधियों की स्थापना करना और इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समर्थन और सहयोग प्रदान करना ।
- जिला उद्योग केंद्रों को सूचना प्रौद्योगिकीयुक्त संचार सुविधाओं से लैस करना तथा उक्त संस्थाओं में उपलब्ध लोगों को पुनःप्रशिक्षित करना ।
- यह सुनिश्चित करना कि पुनर्वास पैकेज बैंकों और वित्तीय संस्थाओं सहित सभी हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) पर बाध्यकारी हो । इस संबंध में भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा यथावश्यक निर्देश/आदेश जारी करना ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हो सके ।
- खराब दशा से गुजर रही और उपेक्षित औद्योगिक संपदाओं (इंडस्ट्रीयल इस्टेट्स) को नयी पूंजी प्रदान करके पुनरुज्जीवित करना और उनका दर्जा बढ़ाकर उन्हें ''इंडस्ट्रियल टाउनशिप'' में परिवर्तित करना ।
- एमएसएमई के योजनाबद्ध विकास और संवृद्धि की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से उनके लिए नए समूह (क्लस्टर्स) का सृजन करना ।
- सरकार, जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य-योजना के विशेष संदर्भ में, एमएसएमई के विकास से संबद्ध विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले तकनीकी सहयोग हेतु 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान करने पर विचार करे ।
- एमएसएमई को आपूर्ति बढ़ाने संबंधी प्रोत्साहन की दृष्टि से सरकार को चाहिए कि वह नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (एनएसआईसी) का इक्विटी आधार बढ़ाए ।

विधिक और विनियामक कार्रवाई

- सीमित देयता भागीदारी (लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप) तथा एकल व्यक्ति कंपनी (सिंगल पर्सन कंपनीज़) जैसे नए प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जो एमएसएमई

को अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से निकालकर औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का अंतरिम समाधान उपलब्ध कराते हैं।

- इस तथ्य को देखते हुए कि वैश्विक बाजार में ऐसी लघु इकाइयां निरंतर तौर पर शुरू और बंद होती रहती हैं, दिवालिया होने से संबंधित कानूनों की पुनरीक्षा की जाए ।
- श्रम कानूनों, विशेषकर एमएसएमई से संबंधित श्रम कानूनों, को सरल बनाया जाए क्योंकि उनके उपबंधों का पालन करना इन लघु उद्यमों के लिए बहुत मंहगा पड़ता है ।

उक्त कार्यबल ने उत्तर-पूर्वी राज्यों और जम्मू कश्मीर के लिए अलग से विशेष सुझाव भी दिये हैं । साथ ही, यह स्पष्ट रूप से कहा है कि उपर्युक्त सिफारिश/सुझाव तब तक बेमानी हैं जब तक कि उनके कार्यान्वयन पर उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से निगरानी न रखी जाए । इसे ध्यान में रखने हुए कार्यबल ने इनके अमल पर निगरानी रखने के लिए प्रधान मंत्री कार्यालय में ''एमएसएमई संबंधी प्रधान मंत्री परिषद्'' के गठन का सुझाव दिया था ।

एमएसएमई के संबंध में उठाए गये कुछ उल्लेखनीय कदम

- प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव टी.के.के. नायर की अध्यक्षता में अगस्त 2011 में हुई एक बैठक में फैसला लिया गया कि भारतीय स्टेट बैंक, उसके सहयोगी बैंक तथा सरकारी क्षेत्र के अन्य बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण वितरित करने का लक्ष्य पूरा करने के लिए उन पर दबाव बनाने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक से कहा जाए ताकि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र का विकास हो सके । इन बैंकों को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों में 20 प्रतिशत की वृद्धि करने का लक्ष्य दिया गया है, जिसमें से आधा ऋण सूक्ष्म उद्यमों को दिया जाना है ।
- भारत सरकार तथा भारत में एमएसएमई के लिए शीर्ष बैंक सिडबी ने विश्व बैंक से यह अनुरोध किया कि एमएसएमई को मीयादी वित्त सहित उनकी वित्त संबंधी जरूरतों को पूरा करने के मार्ग में आनेवाली बाधाओं को हटाने तथा उनके विकास को गति देने के प्रयासों को वह समर्थन और सहयोग प्रदान करे । इस संदर्भ में, सिडबी को 400 मिलियन अमरीकी डालर का अतिरिक्त वित्तपोषक ऋण उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार और सिडबी के प्रतिनिधियों ने 5 जून 2009 को हस्ताक्षर किए ।
- सेबी ने नवम्बर 2009 के दौरान एमएसएमई के लिए अलग शेयर बाजार संबंधी मानदंड जारी किए ताकि उन्हें पूंजी जुटाने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध हो सकें ।
- भारत में स्मेरा (SMERA) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों हेतु प्रमुख साख निर्धारण (क्रेडिट रेटिंग) एजेंसी है । इसका प्रमुख उद्देश्य एमएसएमई के संबंध में व्यापक, विश्वसनीय और पारदर्शी रेटिंग उपलब्ध कराना है । इस हेतु यह एमएसएमई की ऋण-पात्रता को प्रभावित करने वाले कई गुणात्मक पहलुओं और वित्तीय स्थिति को विचार में लेता है । क्रेडिट रेटिंग एमएसएमई को उनके उत्पादों की लागत घटाने तथा नवोन्मेष करने में सहायता प्रदान करती है तथा बैंक को कम जोखिम उठाकर उधार देने में सक्षम बनाती है, बशर्ते क्रेडिट रेटिंग वैज्ञानिक आधार पर की जाए ।
- अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद एमएसएमई के प्रति सरकार के रुख में परिवर्तन आया है तथा केवल एमएसएमई के लिए आरक्षित उत्पाद-सूची में से बहुत से उत्पादों को चरणबद्ध रूप से हटा दिया गया है और अब केवल 21 उत्पाद ही इस सूची में रह गए हैं जिनमें ब्रेड, अचार, लकड़ी का फर्नीचर, मोमबत्ती, अभ्यास-पुस्तिकाएं और रजिस्टर, माचिस, अगरबत्ती, पटाखे, स्टेनलैस स्टील और अल्युमीनियम के बर्तन शामिल हैं । इस प्रकार, अब एमएसएमई उद्यमों को ''शिशु उद्योग'' के दर्जे से बाहर लाया गया है ताकि वे आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो सकें और उनमें प्रतिस्पर्धात्मकता आ सके ।
- बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने में एमएसएमई को सक्षम बनाने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम (नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कंपीटीटिवनेस प्रोग्राम) चलाया है जिसका एक उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र का स्वस्थ विकास करना है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिन पांच घटकों को शामिल किया गया है, वे हैं - गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी संबंधी उपाय, बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रति जागरूकता, इनक्युबेटर के जरिये उद्यमशीलता और प्रबंधकीय क्षमता का विकास

तथा नए छोटे औजार कक्ष और विपणन सहायता कक्षों की स्थापना ।

- ऋण गारंटी योजनाएं उधारदाताओं द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम को घटाती हैं । ये योजनाएं ऋणकर्ताओं के बारे में विश्वसनीय सूचनाओं के अभाव को कम करती हैं जिससे उधार देने की लागत घटती है । इनसे लघु इकाइयां बैंकों जैसी औपचारिक संस्थाओं से ऋण लेने और ऋण की शर्तों को बेहतर बनाने में समर्थ बनती हैं । ऐसी योजनाएं एमएसएमई को उचित शर्तों पर कार्यशील पूंजी, निवेश तथा पट्टे के प्रयोजन से वित्त प्राप्त करने में मदद करती हैं । इससे एमएसएमई अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के साथ-साथ अपनी आर्थिक गतिविधियों भी बढ़ाने में समर्थ बनते हैं ।
- एमएसएमई के प्रौद्योगिकी स्तर को बढ़ाने में सहायता प्रदान करने के लिए टेक्नॉलॉजी ब्यूरो फॉर स्माल एन्टरप्राइजेस (टीबीएसई) की स्थापना की गई है । सिडबी के अंतर्गत काम करने वाले टीबीएसई की एशियन एंड पैसिफिक सेंटर फॉर ट्रांस्फर ऑफ टेक्नॉलाजी के साथ सहयोग की व्यवस्था की गई है, जिससे एमएसएमई को प्रौद्योगिकी के विकास, अंतरण, अनुकूलन तथा प्रयोग के संबंध में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।
- उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले सामान की संयुक्त रूप से प्राप्ति, संयुक्त बिक्री तथा संयुक्त बाजार अनुसंधान के लाभ उठाने जैसी गतिविधियों के लिए एमएसएमई को वैश्विक उत्पादन नेटवर्क (ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क) से जोड़ने के लिए उन्हें परामर्श तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं ।
- जहां तक विदेशी बाजारों में सहभागिता का प्रश्न है, वाणिज्य मंत्रालय तथा एमएसएमई मंत्रालय दोनों ने ही बाजार विकास सहायता योजनाएं (मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम्स) शुरू की हैं जिनके अंतर्गत अन्तरराष्ट्रीय मेलों, अध्ययन दौरों, व्यापारिक प्रतिनिधि मंडलों में भाग लेने और प्रचार आदि के लिए निधि प्रदान करना शामिल है ।

उपर्युक्त चर्चा से यह स्पष्ट है कि एमएसएमई का भारत की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है । यही कारण है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत देश के विकास की नीति के एक अभिन्न अंग के रूप में एमएसएमई की बड़ी भूमिका को स्वीकार किया गया और उन्हें बढ़ावा देने के लिए भरसक प्रयत्न जारी रखे गये । निश्चित तौर पर एमएसएमई ने रोजगार के अवसर उत्पन्न करने, भौगोलिक क्षेत्रों तथा शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच विकास की असमानता को कम करने और आर्थिक संकट के समय सहारा देने में अपनी सार्थकता सिद्ध की है । भारत सरकार ने वर्ष 2006 में एमएसएमई विकास अधिनियम बनाकर इस बात को प्रत्यक्षतः स्वीकार किया है कि वैश्वीकरण के इस युग में भी एमएसएमई का महत्व कम नहीं हुआ है, बल्कि इन्हें और भी उपयोगी तथा गतिशील भूमिका निभानी है । इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जो नीतिगत पहल की गई है, उसका सार और उद्देश्य है :-

- एमएसएमई को उनके उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जागरूक बनाना,
- उन्हें नवोन्मेष तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहित कर तथा इस हेतु समर्थन और सहयोग प्रदान कर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना,
- राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों नेटवर्क का लाभ उठाने की दृष्टि से विभिन्न हितधारकों के साथ संपर्क बढ़ाना,
- घरेलू बाजार के साथ-साथ वैश्विक बाजार में अपनी ठोस उपस्थिति दर्ज करना और इस प्रकार अपने उत्पादों के लिए नए बाजार उत्पन्न करना,
- इन उद्योगों को संरक्षण और नियंत्रण से बाहर निकालकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए समर्थन, सहयोग और सुविधाएं प्रदान करना ।

इन महत्वपूर्ण उद्यमों के विकास के लिए सरकार और अन्य स्तरों पर उठाए गए उपर्युक्त कई कदमों के बावजूद इस प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के उधार, इनके साख-निर्धारण और कार्यनिष्पादन मूल्यांकन, उत्पादन में लगने वाले सामान की आपूर्ति तथा विपणन के लिए सहायता प्रदान करने के रूप में सरकार को और भी सहयोग देने के लिए आगे आना होगा । ''ग्रीन टेक्नॉलॉजी'' जैसी प्रौद्योगिकी के अंतरण और नेटवर्किंग से एमएसएमई के विकास को निश्चित तौर पर अधिक गति प्रदान की जा सकती है । साथ ही, इस प्रकार के उपायों के कार्यान्वयन पर कड़ी निगरानी भी रखनी जरूरी है । नायर समिति के सुझाव पर इस हेतु प्रधानमंत्री कार्यालय में गठित उच्च स्तरीय निगरानी समिति से यह आशा की जा सकती है कि एमएसएमई के विकास और संवृद्धि के लिए जो कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं उनका पूरा कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सकेगा ।

❍❍❍

एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006

प्रदीप कुमार राय
विधि अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

खादी और ग्रामीण उद्यमों के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उच्च रोजगार वृद्धि दर सृजित करने और प्रमुख औद्योगिक उत्पादन एवं निर्यात भागीदारी में योगदान देते रहे हैं। इन उद्यमों ने प्रभावी, दक्ष, लचीलेपन और नवीनतम उद्यम भावना से आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका अदा की है। भारत द्वारा सामाजिक-आर्थिक नीतियां अपनायी गई हैं क्योंकि औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के आशय से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर जोर दिया गया है।

देश की औद्योगिक उत्पादकता, निर्यात, रोजगार और उद्यमशीलता आधार के सृजन में योगदान के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि में छोटे और मध्यम उद्यमों का महत्व पहचानते हुए केन्द्र और राज्य सरकारें अनेक नीतिगत उपाय करती रही हैं। इस दिशा में एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 एक महत्वपूर्ण एवं कारगर कदम साबित हुआ है।

अधिनियम की आवश्यकता :

एस. एस. आई सेक्टर के होने के बावजूद भी - एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 की आवश्यकता महसूस की गयी जो निम्नांकित बिन्दुओं से परिलक्षित होता है -

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परिभाषित करने की आवश्यकता।
- एक सक्षम व्यवस्था का निर्माण।
- एक ऐसी कार्यप्रणाली तैयार करना जो विचार कर सिफारिश कर सके।
- पंजीकरण व्यवस्था को आसान बनाना।
- सेवा क्षेत्र (Service Sector) को प्रोत्साहन देना।
- बिलों के भुगतान में होने वाली देरी से संबंधित कानून सख्त करना।

एमएसएमई विकास अधिनियम की तरह एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक का अवलोकन कुछ इस प्रकार है -

''सरकारी नीति एवं ऋण नीति ने अब तक अपना ध्यान सिर्फ लघु उद्योग क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों पर केन्द्रित किया है। दुनिया भर में व्यापार बाधाओं को कम करने से उद्यमों की न्यूनतम व्यवहार्य पैमाने पर वृद्धि हुई है। इकाई के आकार और प्रौद्योगिकी कंपनियों को नियोजित करने के लिए विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं उच्च कोटि का होना आवश्यक है। लघु क्षेत्र की परिभाषा पर पुनः गौर करने की आवश्यकता है और इस दायरे में नीति सेवाओं और व्यापार के क्षेत्रों को शामिल किये जाने पर विचार करना चाहिए। वैश्विक व्यवहार को ध्यान में रखते हुए, वहाँ भी एक क्षेत्र की वर्तमान अवधारणा को व्यापक बनाने और मध्यम उद्यमों को लघु एवं मध्यम उद्यम के एक समग्र क्षेत्र में शामिल करने की आवश्यकता है। एक व्यापक कानून पर संसद को विचार करना चाहिए जो लघु उद्योग से छोटे एवं मध्यम उद्यमों की तरफ प्रतिमान बदलाव में सक्षम होगा .....।''

उद्यमियों, छोटे उद्योग एवं संगठनों और सम्बंधित हितधारकों की लम्बे समय की माँग को केन्द्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के रूप में पूरा किया। इस अधिनियम के तहत केन्द्र सरकार ने आवश्यक अधिसूचना/नियम को अधिसूचित किया एवं यह अधिनियम 02 अक्तूबर 2006 से प्रभावी हो गया।

अधिनियम के महत्वपूर्ण बिन्दु -

- अधिनियम क्षेत्रीय विस्तार के बिन्दु पर शान्त है। अतः यह प्रतीत होता है कि यह अधिनियम जम्मू कश्मीर के साथ सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा।
- सेवा क्षेत्र को मान्यता देने के लिए, अधिनियम उद्योग (Industry) के बजाय उद्यम (Enterprise) को परिभाषित करता है।
- सूक्ष्म उद्यमों के लिए स्थान।

- बड़े पैमाने की किफायतें (economies of scale) उपलब्ध कराने के लिए मध्यम उद्यमों को परिभाषित किया गया।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड को सांविधिक आधार प्रदान किया गया ।
- सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विलंबित भुगतान की जाँच के लिए कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया गया ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों/निर्देशों के अनुसार एमएसएमई के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान।
- **अधिनियम के अन्तर्गत उत्पादक उद्यम – प्लांट एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर परिभाषित है –**
  - माइक्रो (सूक्ष्म) उद्यम – 25 लाख रुपये तक निवेश
  - लघु उद्यम – 25 लाख रुपये से अधिक परन्तु 5 करोड़ रुपये तक
  - मध्यम उद्यम – 5 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 10 करोड़ रुपये तक
  - **सेवा उद्यम अपने साधनों में निवेश के आधार पर परिभाषित है –**
  - माइक्रो (सूक्ष्म) उद्यम –10 लाख रुपये तक निवेश
  - लघु उद्यम – 10 लाख रुपये से अधिक परन्तु 2 करोड़ रुपये तक
  - मध्यम उद्यम – 2 करोड़ रुपये से अधिक परन्तु 5 करोड़ रुपये तक
  - **अधिनियम के जरिए बिलों के भुगतान में देरी के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए गए –**
  - बिल भुगतान हेतु खरीददार को दिया जा रहा समय कम करके 45 दिन किया गया ।
  - खरीददारों को उनके वार्षिक विवरण में लंबित बिलों को दिखाना/दर्शाना अनिवार्य किया गया ।
  - लंबित बिलों पर लगाया जाने वाला ब्याज खरीददारों को आयकर में राहत नहीं दे सकेगा ।
  - अपीलीय न्यायालय द्वारा कुछ भाग के भुगतान का आदेश दिया जा सकेगा ।

अधिनियम के अन्तर्गत –

- राज्य सरकारों के लिए माइक्रो तथा लघु उद्यम सुविधा परिषद (MSE Facilitation Council) की स्थापना करना अनिवार्य किया गया ।
- माइक्रो तथा लघु उद्यम सुविधा परिषद के कार्य का दायरा बढ़ाया गया । इस परिषद में आए मामलों पर निर्णय 90 दिनों के अन्दर करने का प्रावधान किया गया ।
- अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा निर्माण/उत्पादन क्षेत्र में एक मध्यम उद्यम स्थापित करने हेतु अनिवार्य रूप से ज्ञापन दाखिल (Compulsory filing of memorandum) करने का प्रावधान किया गया है ।
- अधिनियम की धारा 27 (1) में जानबूझकर उल्लंघन करने वाले के खिलाफ जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है ।
- मौजूदा कानूनी ढांचे के तहत छोटे क्षेत्र के लिए लाभ पंजीकरण पर आधारित है । परन्तु अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है । लाभ ज्ञापन के दाखिल करने से संबद्ध हैं ।

अधिनियम के अन्तर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को लाभ –

अधिनियम, 2006 सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को निम्न लाभ का प्रावधान करता है –

- क्रेडिट, समय पर ऋण और प्रगतिशील क्रेडिट नीतियां और प्रथाएं (धारा 10),
- निर्माण/उत्पादन क्षेत्र के उद्यमों के लिए आरक्षण नीतियां,
- प्रोक्योरमेंट (प्रापण) वरीयता नीतियां (धारा 11),
- संवर्धन एवं विकास के लिए उपाय (धारा 9, 12, 13 एवं 14),
- खरीदारों द्वारा भुगतान में देरी के खिलाफ संरक्षण (धारा 15),
- विलंबित भुगतान पर ब्याज का अधिकार (धारा 16),
- सुलह और मध्यस्थता (Conciliation & Arbitration) के माध्यम से खरीदारों के साथ विवादों का समयबद्ध निपटारा ।

अधिनियम, 2006 मध्यम उद्यमों को निम्न लाभ का प्रावधान करता है –

- क्रेडिट, समय पर ऋण और प्रगतिशील क्रेडिट नीतियां और प्रथाएं,
- संवर्धन एवं विकास के लिए उपाय,
- अधिनियम उन समस्त खरीदारों के वार्षिक खाते को प्रभावित करता है, जिनको अपने खातों की किसी भी कानून के अन्तर्गत लेखापरीक्षा कराने की आवश्यकता है ।

एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र तथा इससे संबंधित या अनुषंगी मामलों को प्रतिस्पर्धा और प्रोत्साहन एवं विकास की सुविधा प्रदान करने हेतु लागू किया गया है । इसके लिए इसमें विशिष्ट कोषों की स्थापना, विशेष योजनाओं/कार्यक्रमों की अधिसूचना, प्रगतिशील ऋण नीतियां एवं प्रथाएं, इन उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के प्रापण में सरकार की प्राथमिकता, इनकी समस्याओं के शमन या निराकरण के लिए और अधिक प्रक्रिया एवं विधियां अपनाना आदि शामिल है । यह अधिनियम उद्यम की संकल्पना को मान्यता देने के लिए अब तक का पहला कानूनी ढांचा प्रदान करता है, जिसमें विनिर्माण एवं सेवा इकाइयां शामिल हैं । इस अधिनियम के तहत उद्यम के तीन स्तर – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम को पहली बार परिभाषित किया गया है । इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर सभी हितधारियों के वर्गों के संतुलित प्रतिनिधित्व सहित राष्ट्रीय स्तर पर वैधानिक परामर्शी प्रक्रिया प्रदान की गयी है, जो विशेष रूप से सलाहकारी कार्यों के व्यापक प्रयास के साथ इन उद्यमों के लिए उपयोगी हैं ।

उद्यमों के विकास हेतु प्रशिक्षण संस्थान :

- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा (उत्तरप्रदेश) ।
- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम संस्थान, हैदराबाद ।
- भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी ।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग – प्रासंगिकता :

उद्यमों के विकास हेतु सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार ने विभिन्न देशों जैसे इण्डोनेशिया, मोजाम्बिक, कोरिया, बोत्सवाना, इजिप्ट, ट्यूनिशिया, रोमानिया, संयुक्त मेक्सिकन राज्य, उजबेकिस्तान, श्रीलंका, सूडान एवं अन्य देशों के साथ सहमति ज्ञापन (Memoradum of understanding) पर हस्ताक्षर किए हैं ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश में निर्यात संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं । अन्तरराष्ट्रीय और वैश्विक बाजार में अपनी विशेष पहचान बनाये रखने के लिए यह आवश्यक है कि ये उद्यम क्षेत्र प्रतिस्पर्धी एवं पेशेवर बने रहें । उनके लिए यह आवश्यक है कि तकनीक में परिवर्तन, मांगों में परिवर्तन, नए बाजारों के उद्भव आदि के कारण उभरने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए वे स्वयं को अपडेट बनाए रखें ।

ये उद्यम वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के इस दौर में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं । नियमित वृद्धि दर्ज करने तथा बहुतायत में प्राप्त उच्च कौशलप्राप्त श्रम शक्ति के आधार पर भारत घरेलू और विदेशी दोनों निवेशों के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध करा रहा है।

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड :

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुपालन में कुल 47 सदस्यों को मिलाकर उपर्युक्त बोर्ड का गठन किया गया है । इस बोर्ड में 20 गैर सरकारी सदस्य सम्पूर्ण देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं एवं 27 अन्य सदस्यों में संसद सदस्य, राज्य सरकार के 6 मंत्री, भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों के प्रतिनिधि आदि शामिल होते हैं । बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और उद्यमों के विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है तथा सुधारात्मक उपाय संबंधित विभागों/एजेंसियों से परामर्श करके किये जाते हैं ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय :

एमएसएमई विकास अधिनियम, 2006 के प्रभाव में आने के पश्चात 9 मई 2007 को भारत सरकार (कार्यों का आवंटन) नियमावली, 1961 में संशोधन के फलस्वरूप लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को विलय करके सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का सृजन किया गया । यह मंत्रालय अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में सहायता करने के विचार से नीतियां बनाने और कार्यक्रमों के संवर्धन/सुविधा,

सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा निम्नानुसार दर्शाया जाता है –

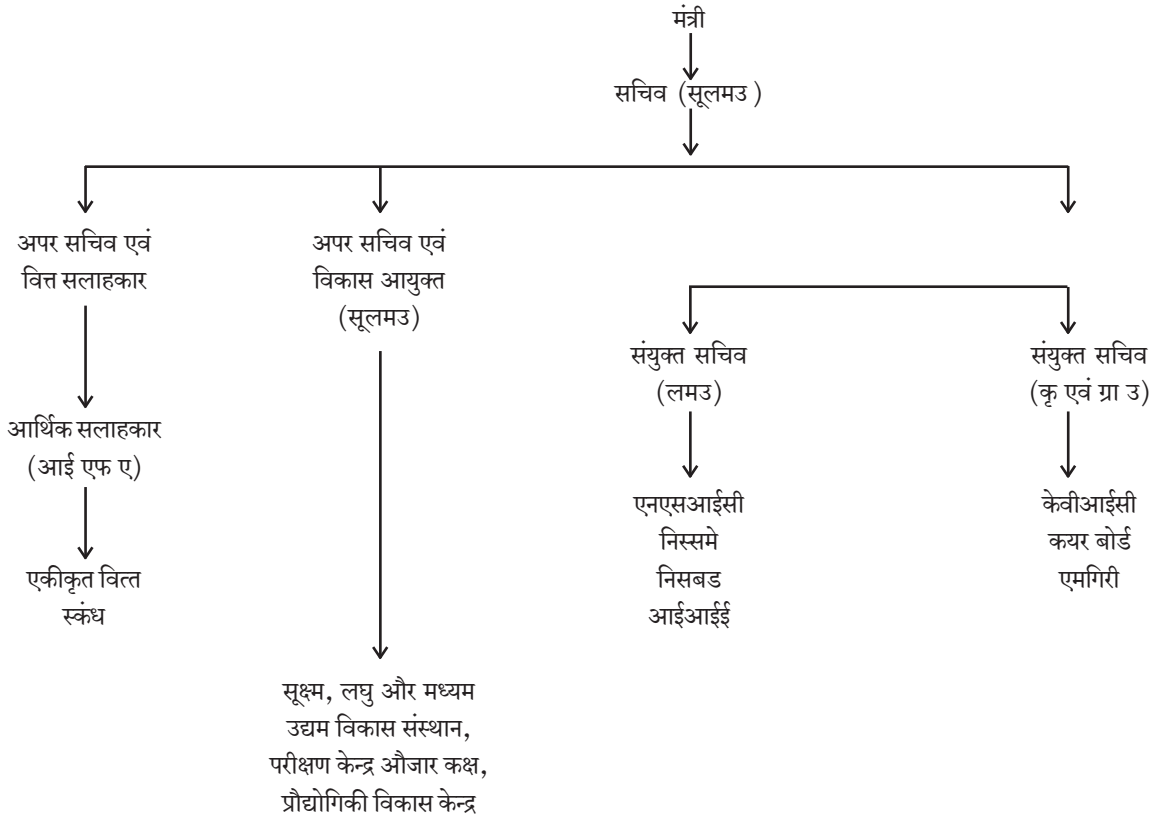

परियोजनाओं और स्कीमों तथा उनके कार्यान्वयन की मानीटरिंग करता है ।

सूलमउ – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
लमउ – लघु, मध्यम उद्यम
कृ एवं ग्रा उ – कृषि एवं ग्रामीण उद्यम
आईआईई – भारतीय उद्यमिता संस्थान
केवीआईसी – खादी और ग्रामोद्योग आयोग
एम गिरी – महात्मा गाँधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान
निसबड – राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान

उद्यमों को मजबूत बनाने की आवश्यकता एवं सुझाव :

भारत में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास के लिए नयी एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकियों को अपनाने की आवश्यकता है । इस क्षेत्र को, जो देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है, वैश्विक स्तर पर गठबंधन करने एवं एक मजबूत क्षेत्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है । इन उद्यमों के लिए एक वैकल्पिक वित्तपोषण संरचना करने की जरूरत है तथा इस क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भागीदारी स्थापित किए जाने को प्रोत्साहन देने की भी सख्त जरूरत है । इस क्षेत्र में उद्यमियों की भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए समय-समय पर संगोष्ठी एवं सम्मेलन आयोजित कर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है ।

उपर्युक्त व्याख्यान एवं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह कहा जा सकता है कि देश के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है । इससे प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ ही मात्रा एवं गुणवत्ता का भी विकास होता है । अतः एमएसएमईडी अधिनियम की प्रकृति सरलीकरण की है न कि विनियामक (अर्थात "The Act is facilitatory in nature and not regulatory.")।

❍❍❍

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और आर्थिक विकास

डॉ. नरेन्द्र पाल सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य संकाय, साहू जैन कॉलेज, नजीबाबाद (उत्तरप्रदेश)
डॉ. लोकेन्द्र सिंह
सहायक प्रोफेसर, अर्थशास्त्र विभाग, जनता वैदिक कालेज, बड़ौत (उत्तरप्रदेश)

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है । महात्मा गांधी ने कहा था कि ''भारत का मोक्ष उसके कुटीर उद्योग धन्धों में निहित है । वास्तव में भारत जैसे विशाल विकासशील राष्ट्र में जहाँ पूँजी का अभाव व बेरोजगारी का साम्राज्य है, वहीं कुटीर एवं लघु उद्योग, आर्थिक सामाजिक और राजनैतिक सभी पहलुओं से, देश के औद्योगिक विकास की आधारशिला हैं।'' सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग भारत की क्षमताओं और उसके भावी विकास की कुंजी है जिसके द्वारा उसके अविदोहित साधनों के विदोहन तथा लाखों व्यक्तियों की उत्पादन की क्षमता का प्रयोग किया जा सकता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में ही आज की अनेक ज्वलन्त समस्याओं का समाधान निहित है । अतः ये उद्यम हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी कभी भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । देश में कृषि के बाद ये उद्यम सर्वाधिक रोजगार प्रदान करते हैं । औद्योगिक उत्पादन में इनकी हिस्सेदारी लगभग चालीस प्रतिशत है । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के द्वारा लगभग छब्बीस मिलियन इकाइयों में 59 मिलियन लोगों को पूरे देश में रोजगार प्रदान किए गए हैं तथा साथ ही शेष औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में विकास दर को ऊँचा बनाये रखने में सफलता प्राप्त की गई है । इन उद्यमों द्वारा छः हजार से अधिक उत्पाद निर्मित किए जा रहे हैं, जिसमें साधारण वस्तुओं से लेकर उच्चतम तकनीकी से युक्त वस्तुएं शामिल हैं । खेती के बाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्वरोजगार तथा सेवा क्षेत्र में अधिकतम अवसर प्रदान करता है ।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास आजादी के बाद से ही शुरू हो गया था, जब 1954 में लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी । लघु उद्योग द्वारा कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों के लिए राष्ट्र स्तर पर एक शीर्ष संगठन भी तैयार किया गया जिसे लघु उद्योग कृषि एवं ग्रामोद्योग विकास संगठन (सीडो) नाम दिया गया । यह संगठन लघु उद्योग के अन्तर्गत ही कार्यरत था । इसके माध्यम से लघु एवं ग्रामोद्योगों का विकास किया जाता रहा । लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामोद्योग मन्त्रालय की स्थापना 14 अक्तूबर 1999 को की गयी जिसके अन्तर्गत 1 सितम्बर 2001 से दो अलग-अलग मन्त्रालयों, लघु उद्योग मन्त्रालय तथा कृषि एवं ग्रामोद्योग मन्त्रालय का गठन किया गया । 9 मई 2007 की अधिसूचना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा नियमों में पुनः संशोधन कर कृषि एवं ग्रामोद्योग मन्त्रालय तथा लघु उद्योग को समाहित कर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मन्त्रालय के अन्तर्गत शामिल किया गया । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास बिल, 2006 को लोकसभा द्वारा 18 मई 2006 तथा राज्यसभा द्वारा 22 मई 2006 को पारित कर दिया गया । राष्ट्रपति द्वारा भी इस बिल को 16 जून 2006 को अनुमोदित कर दिया गया था । इस अधिनियम के अन्तर्गत उद्यमों का वर्गीकरण आधार, शीर्ष परामर्शी निकाय का गठन, विलंबित भुगतान अधिनियम के प्रावधानों को कठोर बनाने आदि बातों को शामिल किया गया है । यह अधिनियम 2 अक्तूबर 2006 से प्रभावी बना दिया गया । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए नेशनल स्माल एण्ड मीडियम एण्टरप्राइजेज बोर्ड नाम से एक राष्ट्रीय बोर्ड के गठन का प्रावधान भी इस अधिनियम में किया गया है । उद्योग के स्थान पर उपक्रम शब्द का प्रयोग कर सेवा क्षेत्र में उपक्रमों के विकास को भी पर्याप्त महत्व इस अधिनियम में दिया गया है । लघु एवं मध्यम उपक्रमों को ऋणों की समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने की बात भी विधेयक में कही गई है । साथ ही इन उपक्रमों की प्रतिस्पर्धात्मकता के प्रोत्साहन एवं विकास के लिए एक विशेष निधि के गठन का प्रावधान भी रखा गया है ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से आशय

भारत में लघु एवं कुटीर उद्योगों को समय-समय पर विभिन्न आधारों पर परिभाषित किया जाता रहा है जिसमें प्रमुख आधार पूँजी निवेश को माना गया है । वर्ष 1950 में उन उद्योगों को लघु उद्योग के अन्तर्गत माना गया है जिनमें पाँच लाख रुपये तक की निश्चित पूँजी होती थी यह स्थिति 1960 तक बनी रही । वर्ष 1966 में लघु उद्योगों में उद्यम और मशीनरी में निवेश की सीमा को बढ़ाकर साढ़े सात लाख रुपये कर दिया गया । वर्ष 1975 में इस सीमा को पुनरीक्षित कर दस लाख रुपये कर दिया गया । औद्योगिक नीति 1980 के अन्तर्गत स्थायी निवेश की राशि को बढ़ाकर बीस

लाख रुपये कर दिया गया । यह सीमा वर्ष 1985 - 86 के बजट में बढ़ाकर 35 लाख रुपये, वर्ष 1991 में 60 लाख रुपये और वर्ष 1997 में तीन करोड़ रुपये कर दी गयी । वर्ष 1999 में पुनः पूँजी निवेश की मात्रा घटाकर एक करोड़ रुपये की सीमा, उद्यम और मशीनरी के लिए, लघु उद्योगों हेतु तय की गई । वर्तमान में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा नये (एमएसएमईज़) अधिनियम 2006 के अनुसार विनिर्माण उद्यम के लिए संयन्त्र एवं मशीनरी में निवेश के आधार पर और सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यमों के लिए उपस्करों में निवेश के आधार पर की गयी है । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किये जाने वाले उद्यमों के लिए निवेश पर वर्तमान में अधिकतम सीमा निम्न प्रकार रखी गयी है जिसको अग्र तालिका के द्वारा दर्शाया गया है :-

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में निवेश की सीमा

	सूक्ष्म उद्योग		लघु उद्योग		मध्यम उद्योग	
	उत्पादन व विनिर्माण	सेवादायी	उत्पादन व विनिर्माण	सेवादायी	उत्पादन व विनिर्माण	सेवादायी
संयंत्र व मशीनरी पर निवेश	25 लाख रु. अधिकतम	-	25 लाख रु. से अधिक लेकिन 5 करोड़ रु. से कम	-	5 करोड़ से अधिक लेकिन 10 करोड़ रु. से कम	-
उपकरणों पर निवेश	-	10 लाख रु. अधिकतम	-	10 लाख रु. से अधिक लेकिन 2 करोड़ रु. से कम	-	2 करोड़ रु. से अधिक लेकिन 5 करोड़ रु.से कम

भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की भूमिका

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आज हमारी अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं जिनकी उपेक्षा आर्थिक विकास को बाधित करती है । अतः भारत में इन उद्योगों के महत्व को निम्न तथ्यों द्वारा समझा जा सकता है -

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रम प्रधान होने के कारण इन उद्यमों में कम पूँजी विनियोजित कर रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि की जा सकती है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संख्या में अधिक होने के कारण इनके स्वामी भी संख्या में अधिक होते हैं, जिससे धन एवं आर्थिक शक्ति का विकेन्द्रीकरण सम्भव है । परिणामस्वरूप राष्ट्रीय आय का अधिक समान वितरण होता है ।
- भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान होने के कारण आज भी देश की दो तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है जबकि कृषि में अदृश्य बेरोजगारी छिपी है जिसका समाधान इन उद्यमों के विकास में निहित है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के द्वारा उद्यमों का विकेन्द्रीकरण सम्भव है, क्योंकि ये उद्योग छोटे-छोटे कस्बों एवं गाँवों तक फैले होते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लाभप्रद है और प्रादेशिक असमानताएं मिटाने में भी सहायक है ।
- भारतीय कृषि का उपविभाजन एवं उपखण्डन होने के कारण इन उद्यमों का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है ।
- इन उद्यमों के द्वारा स्थानीय स्तर पर ख्यातिप्राप्त वस्तुओं का निर्माण कार्य प्राचीन काल से ही किया जाता रहा है; जिससे देश के निर्यात, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं ख्याति में निरंतर वृद्धि हो रही है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के द्वारा स्थानीय स्तर पर संसाधनों एवं प्रतिभाओं का उचित उपयोग सम्भव है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम हमारे देश की संरचना के अनुकूल हैं क्योंकि छोटे एवं बड़े उद्यमों के कुल रोजगार का 36 प्रतिशत तथा कुल उत्पादन का 27 प्रतिशत भाग ये उद्यम प्रदान करते हैं।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में बड़े उद्यमों की तुलना में कम तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के अन्तर्गत निवेश करने तथा उत्पादन प्रारम्भ करने में अधिक समयान्तर नहीं होता । अतः भारत जैसे विकासशील देश में मुद्रा प्रसारक प्रवृत्तियों को नियन्त्रित करने और सामान्य जीवन स्तर को ऊँचा उठाने की दृष्टि से ये उद्योग काफी महत्वपूर्ण हैं ।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सामान्यतः स्थानीय संसाधनों एवं तकनीक पर निर्भर रहते हैं । परिणामस्वरूप इन उद्योगों के अन्तर्गत आयातित वस्तुओं एवं विदेशी मुद्रा की कम आवश्यकता रहती है जिससे भुगतान असन्तुलन की समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाती है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा निर्मित वस्तुओं का निर्यात निरन्तर बढ़ रहा है जो बहुमूल्य विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक है । वर्तमान में इन उद्यमों द्वारा निर्मित वस्तुओं का देश के कुल निर्यात में 35 प्रतिशत हिस्सा है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बड़े उद्यमों के लिए सहायक या पूरक के रूप में कार्य करते हैं क्योंकि इन उद्यमों द्वारा निर्मित माल का बड़े उद्यम कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर सकते हैं ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विकास

आज तक निरन्तर किये जा रहे प्रयासों के परिणामस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों ने भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है । आज औद्योगिक क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार ये उद्यम प्रदान कर रहे हैं । एक अनुमान के अनुसार इस क्षेत्र में लगभग 7 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है तथा निर्यात के क्षेत्र में भी इसकी भागीदारी लगभग 35 प्रतिशत है । समग्र औद्योगिक उत्पाद में भी इन उद्यमों की भागीदारी लगभग 42 से 45 प्रतिशत के बीच है । अतः आज के दौर में भी ये उद्यम अपनी विशिष्ट पहचान बना चुके हैं । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की इकाइयों में रोजगार और निर्यात की स्थिति अग्र तालिका द्वारा दर्शायी गयी है ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की इकाइयों में रोजगार एवं निर्यात की स्थिति

क्रम सं.	वर्ष	रोजगार (लाख व्यक्तियों में)	निर्यात (करोड़ रुपये में)
1	1990-91	158.34	9664
2	1995-96	197.93	36470
3	2000-01	238.73	69797
4	2005-06	294.91	150242
5	2006-07	594.61	182538
6	2007-08	626.34	202017
7	2008-09	659.35	N.A.

नोट – 2005 - 06 से पूर्व के आंकड़े सूक्ष्म एवं लघु उद्योग तथा बाद के आंकड़े सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों से सम्बधित हैं ।

स्रोत – सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2009-10

लघु उद्योगों में विशिष्ट विनिर्माण के लिए उत्पादों के आरक्षण का उद्देश्य लघु उद्योग क्षेत्र के हितों की सुरक्षा करना था । भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति के तहत सूक्ष्म एवं लघु क्षेत्र द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित वस्तुओं की संख्या में निरन्तर अनारक्षण होता जा रहा है, इसका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उदारीकरण एवं वैश्वीकरण को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के आधुनिकीकरण को प्रोत्साहित करने तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता में वृद्धि करने के लिए, प्रौद्योगिकी उन्नयन, निर्यात संवर्धन और उन्नत अर्थव्यवस्था के लिए अवसर प्रदान करना है । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्षमता में वृद्धि करने हेतु महत्वपूर्ण उपाय किये गये हैं तथा प्रतिबन्धों को हटाया गया है ताकि धन का पर्याप्त आगमन सुविधाजनक तरीके से हो सके और बाजार में टिके रहने के लिए समुचित प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर विश्व स्तरीय वस्तुएं उत्पादित कर सकें । वस्तुओं के अनारक्षित करने की गति में सर्वाधिक तेजी 2005 में देखी गई । वर्ष 2005, 2006 और 2007 में क्रमशः 108, 180, 212 वस्तुओं को अनारक्षित किया गया है । इस प्रकार लघु क्षेत्र के उत्पादन करने के लिए मात्र 114 वस्तुएं शेष रह गयी हैं । नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लघु उद्योगों ने 32 लाख से अधिक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया था । दसवीं पंचवर्षीय योजना में लघु उद्योग क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं तथा कार्यक्रमों के लिए 2584 करोड़ रुपये का व्यय निर्धारित किया गया तथा इस अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में 44 लाख नये रोजगार पैदा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की समस्याएं

प्राचीन भारत में देश के राजाओं एवं नवाबों के समर्थन के कारण कुटीर एवं लघु उद्योगों को संरक्षण प्राप्त था लेकिन ब्रिटिश सरकार की उपेक्षापूर्ण नीति से इन उद्योगों का पतन हुआ । बाद में स्वदेशी आन्दोलन के कारण इन उद्योगों का फिर से विकास होने लगा । स्वतन्त्रता के बाद सरकार द्वारा लघु उद्योगों के विकासार्थ व्यापक कदम उठाये गये हैं फिर भी इन उद्योगों में कुछ समस्याएं आज भी विद्यमान हैं, उनमें से प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित हैं –

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए पर्याप्त बुनियादी सुविधाओं का अभाव है ।
- इन उद्यमों का पूँजी आधार कमजोर होने के कारण ये उद्यम परिचालन में बचत का लाभ नहीं उठा पाते और संसाधन जुटाने के लिए मुख्यतः ऋणदाताओं पर निर्भर रहते हैं ।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रायः कच्चे एवं निर्मित माल की आपूर्ति एवं विपणन के लिए बड़ी औद्योगिक इकाइयों पर निर्भर रहते हैं तथा इनको विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए उपलब्ध अन्य सम्भावित अवसरों की जानकारी एवं ज्ञान का अभाव रहता है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की अधिकांश इकाइयों में धन के अभाव के कारण पुरानी प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है ।
- इन उद्यमों की व्यावसायिक योजना सुव्यवस्थित नहीं हो पाती ।
- इन उद्यमों के पास पर्याप्त विपणन सुविधाओं का अभाव रहता है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई आकार में छोटी होने के कारण अपने अनुसंधान एवं विकास पर पर्याप्त खर्च नहीं कर पाती ।
- ये उद्यम अपनी व्यावसायिक योजनाओं को वित्तीय संस्थानों के समक्ष ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं । अतः समय-समय पर वित्तीय समस्याओं को झेलना पड़ता है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए जोखिम अनुमान अधिक होने के कारण उधार राशि मिलने में कठिनाई होती है और ब्याज दर भी ऊँची रहती है ।
- इन उद्यमों को तकनीकी जानकारी का अभाव रहता है, अतः प्रौद्योगिकी उन्नयन में दिक्कतें आती हैं ।
- बड़े उद्यमों द्वारा निर्मित माल अपेक्षाकृत सस्ता और अच्छी किस्म का होता है, जिस कारण इन उद्यमों को प्रतियोगिता में हानि उठानी पड़ती है ।
- इन उद्यमों में उद्यमियों को प्रबन्ध एवं संगठन सम्बन्धी कोई विशेष प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होता, जिसका प्रभाव इन उद्योगों के विकास पर पड़ता है ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए सरकारी प्रयास

विगत वर्षों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा इनके विकास के लिए काफी कदम उठाये गये हैं, जिनमें से प्रमुख कदम निम्न हैं –

* केन्द्र सरकार द्वारा कुटीर एवं लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न बोर्डों का गठन किया गया है, जैसे अखिल भारतीय कुटीर बोर्ड 1948, केन्द्रीय सिल्क बोर्ड 1949, अखिल भारतीय दस्तकारी बोर्ड 1952, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड 1952, लघु उद्योग विकास संगठन बोर्ड 1954, नारियल जटा बोर्ड 1954, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम 1955, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग 1957, भारतीय दस्तकारी विकास निगम 1958, ग्रामीण उद्योग नियोजन समिति 1962 आदि ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को पूँजी एवं अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने के क्षेत्र में सरकार की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका रही है । इन उद्यमों को जोखिम पूँजी, दीर्घ एवं मध्यकालीन ऋण, किराया क्रय योजना में लघु उद्योग विकास कोष के माध्यम से वित्तीय सुविधाएं प्रदान की गयी हैं । इनमें भारतीय रिज़र्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, राज्य वित्त निगम, सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंक, राज्य सरकार, राष्ट्रीय लघु उद्योग विकास बैंक की वित्त प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है ।
- इन उद्यमों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गयी है जिसके अन्तर्गत प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।
- इन उद्यमों के लिए समय-समय पर उत्पादन शुल्क छूट की सीमा को भी सरकार द्वारा बढ़ाया गया है ।
- इन उद्यमों के लिए ऋण गारण्टी निधि योजना की शुरुआत की गयी है ।
- इन उद्यमों के विकास के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लघु उद्योग बोर्ड का गठन किया गया है ।
- इन उद्यमों के लिए भारत सरकार द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि यदि क्रेता लघु औद्योगिक इकाई से माल खरीदकर भुगतान में देरी करता है तो उसे भुगतान में देरी के लिए ब्याज का भुगतान करना होगा ।
- इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए लाइसेन्स में छूट प्रदान की गयी है तथा कुछ वस्तुओं का उत्पादन केवल इसी क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है ।
- सरकार द्वारा इन उद्यमों की वस्तुओं को अपने विभागों के उपयोग के लिए क्रय करने में प्राथमिकता दी जाती है ।

- इन उद्यमों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में उपभोक्ताओं को जानकारी देने के लिए सरकार विभिन्न स्थानों एवं समय पर प्रदर्शनियों का आयोजन करती है ।
- सरकार द्वारा इन उद्यमों से सम्बधित वस्तुओं के लिए अनेक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किए गए हैं ।
- सरकार द्वारा इन उद्यमों को सभी सुविधाएं एक स्थान पर देने तथा उनका क्रमबद्ध विकास करने के लिए औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की गयी है ।
- केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की समान सहभागिता द्वारा इन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय समता कोष की स्थापना की गयी है, जो इन उद्यमों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराते हैं ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमियों को सहज ऋण उपलब्ध कराने के लिए लघु उद्यमी क्रेडिट कार्ड योजना लागू की गयी है ।
- इन उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार द्वारा देश भर में एकीकृत, ढांचागत विकास केन्द्रों की स्थापना की गई है तथा इस योजना के अन्तर्गत एक औद्योगिक परिसर में विकसित स्थान, बिजली, पानी, दूरसंचार, निकासी व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ बैंक, कच्चा माल, भण्डारण, विपणन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के समक्ष चुनौतियाँ

आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की तुलना बड़े उद्यमों से की जाती है किन्तु हम यह ध्यान नहीं देते कि अधिकांशतः इन उद्यमों के पास प्रबन्ध, संसाधन, तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी का अभाव होता है । विपणन के समय बाजार में इन्हें प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है । उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण के फलस्वरूप जहाँ इन उद्यमों को अनेक नये अवसर मिले हैं, वहीं उनके सामने नयी-नयी चुनौतियाँ भी उभर कर सामने आयी हैं, जिनमें से प्रमुख चुनौतियां निम्न प्रकार की हैं -

- इन उद्यमों को कच्चे माल की निरन्तर आपूर्ति की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है ।
- इन उद्यमों के लिए सबसे बड़ी चुनौती नित नयी एवं तेजी से परिवर्तित तथा सफल प्रौद्योगिकी एवं प्रक्रियाएं हैं ।
- जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अपने तैयार माल की आपूर्ति बड़े उद्यमों को करते हैं उनकी सफलता-असफलता बड़े उद्यमों पर आधारित हो जाती है, जो उनको सीधा प्रभावित करती है ।
- इन उद्यमों की इकाई का आकार छोटा होने के कारण यह अपने श्रमिकों एवं कार्यरत कर्मियों को उचित पारिश्रमिक नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से समय-समय पर श्रमिक आन्दोलन होते रहते हैं।
- इन उद्यमों में श्रमिक अपने रोजगार को सुरक्षित नहीं समझते अतः वे जल्दी-जल्दी अपना रोजगार बदलते रहते हैं, जिसकी वजह से इन उद्यमों का उत्पादन एवं कार्यनिष्पादन प्रभावित होता रहता है ।
- इन उद्यमों को देश के अन्दर आयातित माल से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जो आम तौर से सस्ती दर पर आयात किये जाते हैं, जबकि यहाँ इन उद्यमों की लागत तुलनात्मक रूप से अधिक आती है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अभी तक संरक्षित क्षेत्र में कार्य कर रहा था जबकि आर्थिक उदारीकरण, निजीकरण के परिणामस्वरूप इन उद्यमों के लिए निरन्तर आरक्षित वस्तुओं में कमी की जा रही है, जिससे ये उद्यम अपने को असुरक्षित महसूस करने लगे हैं ।
- वैश्वीकरण के चलते आज विकासशील देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा हो गयी है अतः वे कम-से-कम मूल्य पर सर्वश्रेष्ठ उत्पाद निर्यात करना चाहते हैं, जो इन उद्यमों के लिए एक चुनौती है।
- इन उद्यमों द्वारा प्रयोग किये गये शक्ति के साधनों जैसे बिजली, कोयला, डीजल, पेट्रोल आदि मूल्यों में अनिश्चितता बनी रहती हैं, जो सीधे इनकी लागतों को प्रभावित करती हैं ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए निर्धारित विशिष्ट क्षेत्रों में लगातार कमी हो रही है ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती समय पर ऋण की उपलब्धता है ।
- इन उद्योगों के समक्ष कुशल प्रबन्ध संसाधनों का बहुत अभाव रहता है ।
- इन उद्योगों को घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय दोनों ही स्तरों पर बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है ।

सुधार के उपाय –

हमारे देश की केन्द्र व राज्य सरकारें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा झेली जा रही समस्याओं और चुनौतियों की ओर पर्याप्त ध्यान दे रही हैं और इनके सुधार हेतु अनेक कदम उठाये गए हैं । लेकिन देश के आर्थिक विकास में इन उद्यमों के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए इनकी कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु निम्नलिखित सुझाव हैं –

- भविष्य में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में प्रयुक्त हो रही उत्पादन तकनीक में सुधार किया जाना चाहिए ताकि ये उद्यम भी बड़े उद्यमों से प्रतिस्पर्धा कर उपभोक्ताओं को उत्तम एवं गुणवत्तायुक्त वस्तुएं प्रदान कर सकें।
- प्रत्येक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई को चाहिए कि वह अपने वार्षिक लाभ में से एक निश्चित हिस्सा, एक विशेष कोष में हस्तान्तरित करे, जिसका उपयोग आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर किया जाए और इस कोष को करमुक्त रखा जाए ।
- इन उद्यमों द्वारा बनाये गये माल को निर्यात करने और उपभोक्ताओं में विश्वास बनाये रखने के लिए उत्पादन किस्म पर उचित नियन्त्रण बनाए रखा जाए तथा कुछ वस्तुओं को इन उद्यमों के लिए संरक्षित किया जाए ।
- सरकार को चाहिए कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थापना करने, विकास करने और पूँजीगत वस्तुओं का प्रयोग करने के लिए पर्याप्त सलाहकार सेवाओं की व्यवस्था की जाए।
- जहाँ तक सम्भव हो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का विशाल उद्यमों के साथ समन्वय स्थापित किया जाए और विशाल उद्यम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के तैयार माल को ही अपने कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करें ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की उत्पादन क्षमता एवं उत्पादकता बढ़ाने तथा गुणवत्ता में सुधार को दृष्टिगत रखते हुए अनुसंधान कार्यक्रमों को बनाया एवं लागू किया जाना चाहिए ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्पादों की जानकारी उपभोक्ता एवं ग्राहकों तक पहुँचाने के लिए प्रदर्शनियों का बड़े पैमाने पर आयोजन किया जाए एवं पर्याप्त रूप से वस्तुओं को भी विज्ञापित किया जाए ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित माल का निर्यात करने, प्रतिस्पर्धा में बने रहने तथा उपभोक्ताओं में विश्वास बनाए रखने के लिए इन उद्यमों द्वारा उत्पादन किस्म पर पूर्णतः नियन्त्रण रखा जाना चाहिए ।
- अन्य देशों की भाँति सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु बनाये गये अधिनियम को प्रभावी रूप से लागू करने की आवश्यकता है जिसमें इन उद्यमों को सस्ते ब्याज पर ऋण एवं अनुदान देने, तकनीकी, प्रौद्योगिकीय एवं प्रबन्धकीय सहायता उपलब्ध कराने के अतिरिक्त उत्पादन का सरकार द्वारा उचित मूल्य पर क्रय करने, श्रमिकों को प्रशिक्षण देने आदि व्यवस्थाओं पर अधिक ध्यान दिया जाए ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा समय की माँग को पहचानते हुए अपने उत्पादों में समय-समय पर बदलाव कर उन्हें प्रतियोगी मूल्यों पर बाजार में उतारने चाहिए । सरकार को चाहिए कि वह बैंकों को निर्देशित करे कि वे इन उद्यमों को कम-से-कम समय में एवं कम ब्याज दर पर इनकी योजनाओं एवं सेवाओं के अनुरूप ऋण प्रदान करें, जिसमें प्रलेखीकरण एवं कागजी कार्यवाही न्यूनतम हो । इन उद्यमों को भी चाहिए कि वह ऋण की राशि की चुकौती भी समय पर कर बैंकों को यथासम्भव सहयोग प्रदान करें । दिन प्रतिदिन की उभरती नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए उत्पादन प्रक्रियाओं एवं विपणन में व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाएं । अनुसंधान एवं विकास पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर योग्य, अनुभवी एवं जरूरतमंद उद्यमियों को ही पूँजी उपलब्ध करायी जाए साथ ही कर प्रणाली को भी सरल एवं तर्कसंगत बनाया जाए । सरकार को चाहिए कि इन उद्यमों पर वैश्वीकरण का सीधा प्रभाव न पड़े, इसके लिए उन्हें प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए तैयार करना चाहिए । देश के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सरकार द्वारा इन उद्यमों की भूमिका पर अधिक बल दिया गया है, किन्तु इसमें अभी भी और अधिक सुधार की गुंजाइश है तभी सुदृढ़ प्रौद्योगिकी आधार, अन्तरराष्ट्रीय दृष्टिकोण, प्रतिस्पर्धी भावना तथा परिवर्तन की स्वीकार्यता के फलस्वरूप सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम स्वयं के विकास के साथ-साथ देश के आर्थिक विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे ।

❍❍❍

देश के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का योगदान

अशोक कुमार गुप्ता
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, जिन्हें संक्षिप्त में एमएसएमई भी कहा जाता है, आकार की दृष्टि से भले ही कमतर लगते हों, परन्तु देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में इनकी अहम भूमिका है। यह उद्यमियों की पौधशाला (नर्सरी) है, जो व्यक्तिपरक सृजनात्मकता और नव-परिवर्तनों से प्रेरित होती है। देश की समग्र वृद्धि में ये अपना महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं क्योंकि इन उद्योगों में श्रम-पूँजी अनुपात तुलनात्मक रूप से अधिक होता है, जिससे देश की श्रम शक्ति का प्रभावशाली उपयोग होता है। आज देश के ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन का वेग जारी है जो स्वयं महानगरों के लिए भी खतरनाक बनता जा रहा है। इसे रोकने के लिए यह क्षेत्र अपनी महती भूमिका निभा सकता है।

एमएसएमई क्षेत्र देश के उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान करता है। देश के जीडीपी में इसका 8 प्रतिशत योगदान है। यह अनुमान है कि यह क्षेत्र मूल्य के संबंध में 45 प्रतिशत निर्मित उत्पादन तथा देश के कुल निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी करता है। भारत में एमएसएमई द्वारा विनिर्मित किये जा रहे 6000 से अधिक उत्पाद हैं जिनमें पारम्परिक वस्तुओं से लेकर उच्च तकनीक से तैयार होनेवाली वस्तुएं शामिल हैं।

देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान :

1) रोजगार सृजन

बड़े उद्योग-धंधों की तुलना में एमएसएमई क्षेत्र श्रम-पूँजी अनुपात बेहतर होने के कारण अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करने की क्षमता रखता है। बृहद उद्योगों के एक श्रमिक की तुलना में इस क्षेत्र में तीन श्रमिक नियोजित किये जाते हैं। यह सर्वविदित है कि कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई क्षेत्र स्वरोजगार तथा सेवा दोनों में अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। छोटे एवं मँझले उद्योग-धंधे शिक्षित एवं पेशेवर व्यक्तियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते हैं, साथ ही किसानों को भी वर्ष के दौरान खाली समय में रोजगार जुटाने का कार्य करते हैं । वास्तव में एमएसएमई क्षेत्र की स्वस्थ वृद्धि देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या का प्रभावी ढंग से निदान कर सकती है।

वर्ष 2009-10 के लिए संकलित आँकड़ों के अनुसार क्षेत्र में रोजगार 695.38 लाख था। पिछले पांच वर्षों के दौरान इस क्षेत्र द्वारा प्रदान किये गये रोजगार को निम्न चार्ट में दर्शाया गया है :

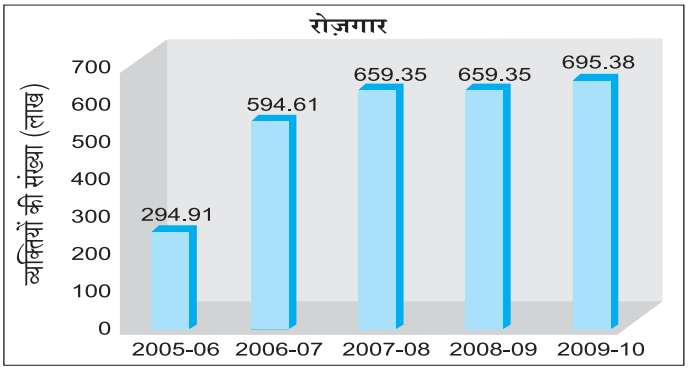

2) संतुलित क्षेत्रीय विकास

एमएसएमई का भौगोलिक वितरण काफी समान है, जिससे औद्योगिक विकास के क्षेत्रीय असंतुलन में कमी आती है। उद्योग-धंधों के बेहतर फैलाव से समग्र विकास में मदद मिलती है। इन उद्योगों द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार प्रदान किये जाने के कारण शहरों की ओर पलायन में कमी आती है। एमएसएमई क्षेत्र गाँवों के पुनरुत्थान, पुनर्नियोजन एवं विकास के लिए महत्त्वपूर्ण स्रोत है। क्षेत्र के बेहतर फैलाव के कारण आम लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है एवं पिछड़े क्षेत्र के विकास में मदद मिलती है।

3) पूंजी का अधिकतम उपयोग

लघु एवं मँझले उद्योग-धंधों में प्रति इकाई उत्पाद हेतु अपेक्षाकृत कम पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, अर्थात कम निवेश से अधिक उत्पादन किया जा सकता है। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के अनुसार प्रति कर्मचारी स्थिर पूंजी (fixed capital)

एमएसएमई क्षेत्र में रुपये 3706 थी, जो बड़े उद्योग के मामले में रुपये 27752 रही, साथ ही ये उद्योग स्थापित होने के बाद उत्पादन शुरू करने में भी कम समय लेते हैं। भारत में पूंजी-निर्माण (capital formation) की दर कम है, अत: यह क्षेत्र काफी उपयोगी साबित हुआ है।

4) स्थानीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग

एमएसएमई में स्थानीय संसाधनों एवं पारिवारिक कौशल का बेहतर उपयोग किया जाता है, अन्यथा यहाँ संसाधन अनुपयोगी/अल्प उपयोगी होते हैं, इससे देश के आर्थिक विकास की गति को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय कुशलता के दोहन से उनकी व्यक्तिगत उद्यमिता (entrepreneurship) में वृद्धि होती है।

5) विदेशी मुद्रा का अर्जन

एमएसएमई क्षेत्र देश के भुगतान संतुलन को अनुकूल बनाने में दोहरे रूप से सहायता करता है। पहला, इन उद्योगों में भारी एवं तकनीकी मशीनी उपकरणों की आवश्यकता नहीं होने के कारण आयात में कमी होती है। दूसरा, निर्यात क्षेत्र में योगदान द्वारा यह मूल्यवान विदेशी मुद्रा का अर्जन करता है। यह क्षेत्र देश के कुल निर्यात में 40 प्रतिशत की भागीदारी करता है एवं इसके कुल निर्यात में 90 प्रतिशत गैर-पारंपरिक वस्तुओं की हिस्सेदारी है। इस क्षेत्र द्वारा किए गए निर्यात की राशि को निम्न तालिका में दर्शाया गया है:

वर्ष	निर्यात (करोड़ रुपये)
2003-04	97,644 (13.52)
2004-05	1,24,417 (27.42)
2005-06	1,50,242 (20.76)
2006-07	1,82,538 (21.50)
2007-08	2,02,017 (10.67)

(कोष्ठक में दिए गए आँकड़े पिछले वर्ष की तुलना में हुई वृद्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं)

6) देश के विकास में जन-भागीदारी

लघु एवं कुटीर उद्योगों में घर-परिवार के साथ आम आदमी जुड़ा रहता है, जबकि बड़े उद्योग-धंधे कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथों में सिमटे हुए हैं। इससे आय का समान वितरण होता है, एकाधिकार की प्रवृत्ति में कमी होती है एवं उपभोक्ता का शोषण नहीं होता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में आम भागीदारी होने से इनका लाभ सीधे श्रमिकों को मिलता है।

7) बड़े उद्योग-धंधों के लिए कच्ची सामग्री

एमएसएमई क्षेत्र बृहद उद्योगों के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करवाता है। बड़े उद्योगों के लिए यह क्षेत्र विभिन्न उपकरण, सामग्री, अतिरिक्त पुर्जे, औजार, सहायक सामग्री इत्यादि उपलब्ध करवाता है। अत: कई बड़े उद्योग-धंधे इस क्षेत्र पर निर्भर हैं।

एमएसएमई क्षेत्र का वर्तमान सामर्थ्य

इस क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए राज्य और केंद्रीय स्तर पर सुदृढ़, संस्थागत अवसंरचना विद्यमान है। विपणन प्रौद्योगिकी, वित्त अवसंरचना तथा कौशल विकास के तहत सहायक सेवाओं की विस्तृत श्रेणी प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर एक व्यापक नेटवर्क है। राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष परामर्शदात्री निकाय नामतः 'एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय बोर्ड' गठित किया गया है जिसमें नीति निर्माण और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में दिशा देने के लिए स्टेकहोल्डरों के सभी वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस क्षेत्र के वर्तमान सामर्थ्य को नीचे दिया गया है:-

क) समग्र औद्योगिक क्षेत्र के साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की तुलना :

एमएसएमई क्षेत्र ने संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र की तुलना में वृद्धि की उच्चतर दर बनाए रखी है जो गत पाँच वर्षों की तुलनात्मक वृद्धि दर से स्पष्ट होता है, जिसे नीचे तालिका में शामिल किया गया है :

वर्ष	2001-02 के आधार पर आईआईपी की वृद्धि दर (प्रतिशत)	क्षेत्र की कुल औद्योगिक वृद्धि दर (प्रतिशत)
2005-06	12.32	8.20
2006-07	12.60	11.60
2007-08	13.00	8.50
2008-09	उपलब्ध नहीं	2.80
2009-10	उपलब्ध नहीं	10.40

ख) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का योगदान एवं सकल औद्योगिक उत्पादन :

वर्ष	1999-2000 के मूल्यों पर एमएसएमई योगदान(प्रतिशत)	
	सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी)	सकल औद्योगिक उत्पादन
2004-05	5.84	38.62
2005-06	5.83	38.56
2006-07	7.20	45.62
2007-08	8.00	45.24
2008-09	8.72	44.86

ग) एमएसएमई की संख्या एवं क्षेत्र में नियत निवेश :

वर्ष	कुल एमएसएमई (लाख)	नियत निवेश (करोड़ रुपये)
2005-06	123.42 (4.07)	1,88,113 (5.27)
2006-07	261.01 (111.48)	5,00,758 (166.20)
2007-08	272.79 (4.51)	5,58,190 (11.47)
2008-09	285.16 (4.53)	6,21,753 (11.39)
2009-10	298.08 (4.53)	6,93,835 (11.59)

घ) एमएसएमई क्षेत्र से सकल उत्पादन :

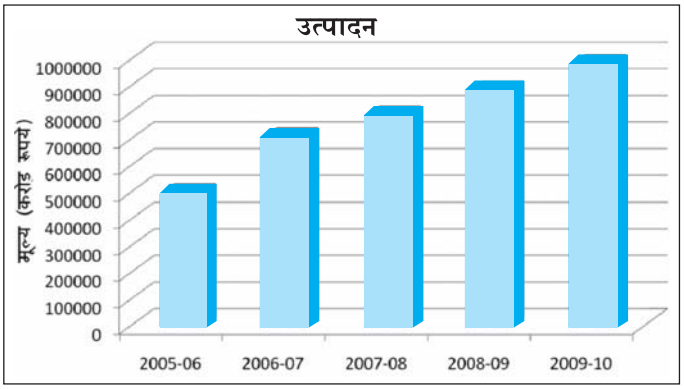

ड) एमएसएमई क्षेत्र के उत्पाद :

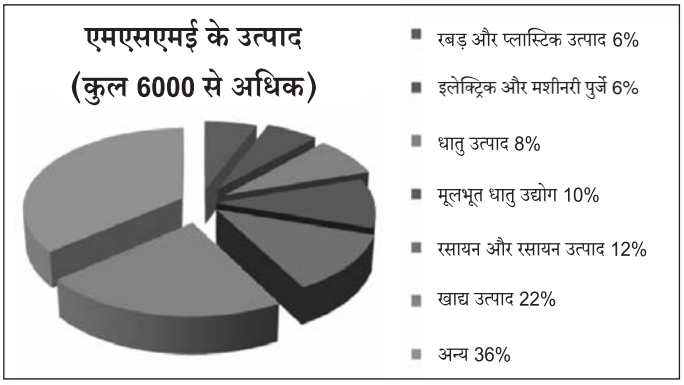

क्षेत्र की कमजोरियाँ/समस्याएं

इस क्षेत्र के 2.6 करोड़ उद्योगों में से अधिकांश असंगठित क्षेत्रों में हैं जो प्राय: अनधिकृत शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। यह सेक्टर विविधतापूर्ण है जिसमें उच्च प्रौद्योगिकी वाले उद्योगों की संख्या कम है, जबकि अधिकांशत: निम्न प्रौद्योगिकी वाले हैं। इसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता और उत्पादों की निम्न गुणवत्ता सामने आती है। इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं नीचे दी गई हैं:

1) पर्याप्त क्रेडिट उपलब्धता का न होना

यह क्षेत्र इक्विटी एवं बैंकिंग सिस्टम के बजाय मित्रों और रिश्तेदारों की बचत और ऋणों से क्रेडिट प्राप्त करता है। प्राय: कार्यशील पूंजी के लिए सस्ते बैंकिंग क्रेडिट का सहारा नहीं लिया जाता। क्रेडिट की उपलब्धता की समस्या अब भी प्रमुख चिंता का विषय है, जबकि सरकार ने इस क्षेत्र को ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए अनेक कदम उठाये हैं। अगस्त 2005 में भारत सरकार ने इस क्षेत्र में पर्याप्त क्रेडिट उपलब्ध करवाने हेतु एक 'पॉलिसी-पैकेज' की घोषणा की जिसमें अगले 5 वर्षों में इस क्षेत्र के ऋण प्रवाह को दो गुना करने की बात कही गई। फलस्वरूप एमएसएमई क्षेत्र की 31 मार्च 2007 की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय बैंकों में बकाया धनराशि 1,02,550 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,78,398 करोड़ रुपये हो गई। सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक की इस क्षेत्र में विशेष निगरानी एवं प्रयासों के कारण प्रति वर्ष बैंक क्रेडिट वृद्धि 2007-08, 2008-09 एवं 2009-10 में क्रमश: 47.4%, 26.6% एवं 45.4% आंकी गई, जो 20 प्रतिशत लक्ष्य से काफी अधिक है।

2) कमजोर प्रबंधकीय क्षमता एवं पुरातन मानसिकता

एमएसएमई क्षेत्र की मुख्य कमी यह है कि यह पैतृक विरासत वाला है। अत: इस क्षेत्र में प्रबंधकीय क्षमता का अभाव रहता है जिससे समय के साथ 'आर एण्ड डी' का कोई स्थान नहीं होता । इस कारण उत्पाद अपना महत्त्व धीरे-धीरे खोने लगता है। संरक्षणवादी, सब्सिडी आधारित, आरक्षण आधारित व्यवस्था के कारण इस क्षेत्र की मानसिकता इस पुरानी परंपरा को जारी रखने की मांग करती है। इस हेतु नई पीढ़ी के विचारशील नेतृत्व द्वारा सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।

3) कमजोर ढाँचा एवं विपणन प्रणाली

वर्तमान ढाँचा, क्षेत्र स्तर पर सेवाओं की अपर्याप्त उपलब्धता एवं कमजोर विपणन से भी दुष्प्रभावित है। इसमें विपणन माध्यमों तथा ब्रांड निर्माण क्षमता का अभाव है। लाभार्थियों के बहु-आयामी ढाँचे की आवश्यकता की पूर्ति हेतु विश्वसनीय एवं अद्यतन आंकड़ों की कमी होना भी चिंता का विषय है, क्योंकि यह उपयुक्त स्कीम के निर्माण एवं विकासीय पहलों की निगरानी में बाधक है।

4) क्षेत्र के संवर्धन के लिए विभिन्न संघों के बीच समन्वय की कमी

वर्तमान में एमएसएमई क्षेत्र बिखरा हुआ है। इसे समन्वित रूप से दिशा देने के लिए योजनाओं और कार्यक्रमों की सीमितता है। राज्य, संघ राज्य सरकारों सहित, एमएसएमई संवर्धन के लिए विभिन्न संघों के बीच समन्वय की कमी है तथा निजी क्षेत्र में संस्थागत स्टेकहोल्डर के साथ अपर्याप्त लिंकेज/संयोजन है।

एमएसएमई क्षेत्र की उक्त समस्याओं को दूर करने के लिए सरकारी तंत्र के साथ नई पीढ़ी के विचारशील नेतृत्व की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में देश के समग्र विकास की अपार संभावनाएं हैं, अत: हमें एक व्यापक एवं कार्यशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है।

❍❍❍

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) में गुणवत्ता उत्पाद

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में गुणवत्ता उत्पादों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अधीन प्रतिवर्ष कुछ उत्पादों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने के लिए चुना जाता है । चुनिंदा उत्पादों को प्रत्येक श्रेणी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है । इस पुरस्कार में एक ट्राफी, एक प्रमाण-पत्र तथा 1,00,000/- रु. (एक लाख रुपये) नकद राशि के रूप में दिए जाते हैं । पात्र सूलमउ को 20,000/- रु. प्रत्येक की नकद राशि, एक प्रमाण पत्र तथा एक ट्रॉफी के रूप में विशेष मान्यता पुरस्कार दिए जाते हैं ।

गुणवत्ता उत्पाद 2009 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 10 उत्पादों के लिए पात्र उद्यमियों को दिए गए :-

1. निट वियर
2. इलेक्ट्रिक पावर एंड डिस्ट्रिब्यूशन ट्रांसफार्मर
3. लाइटिंग फिक्सचर
4. प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीनरी
5. हॉस्पिटल फर्नीचर
6. फल व सब्जी प्रसंस्कृत उत्पाद
7. सिरॅमिक सेनिटरी वेयर
8. प्लास्टिक ऑटो कंपोनेट्स
9. एड्हेसिव
10. महिलाओं व पुरुषों के लेदर फुटवियर

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम – महत्व, समस्याएं और समाधान

आर. एस. तिवारी
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, चंडीगढ़

सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र समस्त विश्व में तेज़ी से विकसित हो रहे क्षेत्रों में से एक है । यह पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का विशेष महत्व होता है । एमएसएमई बड़े उद्योगों के मुकाबले लगभग चार गुना अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हैं । साथ ही ये बड़े उद्योगों के लिए कच्चा माल, छोटे कलपुर्जे आदि उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं ।

सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समन्वित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 में पास किया गया है । अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है –

विनिर्माण क्षेत्र – उद्यम	**प्लांट एवं मशीनरी में निवेश**
सूक्ष्म उद्यम	रुपये 25 लाख से अनधिक
लघु उद्यम	रुपये 25 लाख से अधिक परंतु रुपये 5 करोड़ से कम
मध्यम उद्यम	रुपये 5 करोड़ से अधिक परंतु रुपये 10 करोड़ से कम
सेवा क्षेत्र–उद्यम	**उपकरणों में निवेश**
सूक्ष्म उद्यम	रुपये 10 लाख से अनधिक
लघु उद्यम	रुपये 10 लाख से अधिक परंतु रुपये 2 करोड़ से कम
मध्यम उद्यम	रुपये 2 करोड़ से अधिक परंतु रुपये 5 करोड़ से कम

भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्व –

1. एमएसएमई इकाइयां – देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की कुल संख्या 1990-91 में 60 लाख से बढ़कर 2000-01 में 1 करोड़ से अधिक तथा आज लगभग 2.6 करोड़ हो गई है । पिछले पांच वर्षों में एमएसएमई में 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज हुई है।

2. उत्पादन – भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम 6000 से अधिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं । एमएसएमई द्वारा कुल उत्पादन 1991 में 1,78,700 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 2001 में 6,90,522 करोड़ रुपये तक पहुँच गया । देश के कुल विर्निमित उत्पादन में एमएसएमई का 45 प्रतिशत योगदान है जबकि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई का योगदान 8 प्रतिशत है ।

3. रोजगार – भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का महत्व इस तथ्य से ही बढ़ जाता है कि यह कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है । इस क्षेत्र में रोजगार प्राप्त लोगों की संख्या 1990-91 में 1.6 करोड़ से बढ़कर 2000-01 में 2.4 करोड़ और 2010-11 में लगभग 6 करोड़ हो गई है ।

4. निर्यात – देश के निर्यात में भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का महत्वपूर्ण योगदान है । 1990-91 में एमएसएमई क्षेत्र से कुल निर्यात 9664 करोड़ रुपये से बढ़कर 2000-01 में 69,797 करोड़ रुपये तथा 2005-06 में 1,50,242 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। देश के कुल निर्यात में आज एमएसएमई क्षेत्र का अंशदान लगभग 40 प्रतिशत है ।

एमएसएमई की समस्याएं –

कच्चे माल की समस्या – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सबसे बड़ी समस्या कच्चे माल की होती है । इनको कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है । कार्यशील पूंजी के अभाव में एमएसएमई को खुदरा कच्चा माल खरीदना पड़ता है जिससे इन्हें बड़े पैमाने के लाभ नहीं मिल पाते हैं ।

वित्त की समस्या – पूंजी की कमी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए दूसरी बड़ी समस्या है । एमएसएमई क्षेत्र में छोटे–छोटे उद्यम हैं जिनकी बाजार में कोई साख नहीं मानी जाती है ।

इसलिए बैंक अथवा वित्तीय संस्थाएं इन्हें ऋण देने से कतराती हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त संस्थागत वित्तीय सुविधाओं का अभाव है । इसलिए इन्हें अपनी वित्तीय जरूरतों के लिए स्थानीय साहूकारों से मदद लेनी पड़ती है जोकि इनसे मनमाना ब्याज वसूलते हैं ।

मूलभूत सुविधाओं का अभाव – मूलभूत सुविधाओं की कमी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक अन्य बड़ी समस्या है । अधिकांश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अर्ध–शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं जहां बिजली, पानी, यातायात के साधनों की कमी का इन्हें सामना करना पड़ता है । इन सुविधाओं के अभाव में अपना व्यवसाय चलाने के लिए इन्हें वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ता है जिससे इनके उत्पादन की लागत बढ़ जाती है । भंडारण की सुविधाओं के अभाव में कच्चे व तैयार माल के खराब होने का भय बना रहता है । इसलिए तैयार माल की उचित कीमत नहीं मिल पाती ।

आधुनिक तकनीक का अभाव – आधुनिक तकनीक का अभाव भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक समस्या है । अर्ध–शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित होने के कारण अधिकांश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम आधुनिक तकनीक से अनजान रहते हैं और अपने व्यक्तिगत कौशल से व्यवसाय चलाते हैं । वास्तव में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए इनके पास न तो आधुनिक मशीनें हैं और न ही कुशल कर्मचारी रखने के लिए पर्याप्त धन । आधुनिक तकनीक के अभाव में इनका माल बड़े उद्योगों के मुकाबले उच्च स्तर का नहीं होता है ।

बड़े उद्योगों से प्रतिस्पर्धा – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को उपर्युक्त समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण इनके माल की कीमत बढ़ जाती है । बड़े उद्योग बड़े पैमाने पर उत्पादन का लाभ व सस्ते बाजार ऋण, आधुनिक तकनीक आदि सुविधाओं के कारण सस्ते भाव पर माल बेच लेते हैं । बाजार में एमएसएमई को अपना माल बेचने के लिए बड़े उद्योगों से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है । इससे इनकी लाभप्रदता कम हो जाती है और प्रतिस्पर्धा की मार में तमाम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम रुग्ण होकर बन्द हो जाते हैं ।

समस्याओं को दूर करने के प्रयास – सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व को समझते हुए इनकी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :–

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समन्वित विकास के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 09 मई 2007 को अधिसूचना जारी करके एक नया सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय बनाया गया । यह मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की नीति बनाने, संवर्धन, विकास तथा संरक्षण के लिए एक नोडल मंत्रालय है ।
- भारत सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास के लिए 02 अप्रैल 1990 को शीर्ष संस्था लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना की है । सिडबी राज्य स्तरीय वित्त निगमों/राज्य औद्योगिक विकास निगमों/बैंकों आदि को उनके द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को दिए गए ऋणों के प्रति पुनर्वित्त प्रदान करता है, औद्योगिक इकाइयों के कामकाज को सुगम बनाने के लिए मौजूदा औद्योगिक समूहों/सम्पदाओं को अधिक सुविधाएँ प्रदान कर उन्हें सुदृढ़ बनाता है । इसके अलावा यह एमएसएमई इकाइयों/उत्पादों के लिए माल गोदाम सुविधाएँ स्थापित करने के साथ–साथ सहयोग सेवाएँ, सभागृह, व्यापार केन्द्र, कच्चा माल डिपो, मालगोदाम, औजार कक्ष, परीक्षण केन्द्र, औद्योगिक श्रमिक आवास आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने में भी मदद करता है । दि बैंकर, लंदन की हाल की रैंकिंग के अनुसार सिडबी का स्थान विश्व के 30 सर्वोच्च विकास बैंकों में है ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के महत्व तथा उन्हें आसान वित्त उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋणों को प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में शामिल किया है । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के संबंध में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों से अपेक्षित है कि वे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले अपने कुल ऋण का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करें ।
- बैंकों द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रदान वित्त में खासी वृद्धि हुई है । 2006-07 में 1,27,000 करोड़ रुपये था । 2008-09 में यह 4.85 लाख खातों में 2,56,128 करोड़ रुपये हो गया और 2009-10 में बढ़कर 8.73 लाख खातों में 3,64,001 करोड़ रुपये हो गया ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा सभी बैंकों को निर्देश जारी किये गये कि सूक्ष्म और लघु क्षेत्र (विनिर्माण व सेवा उद्यम दोनों) की इकाइयों को 5 लाख रुपये तक के ऋण बिना किसी संपार्श्विक (Collateral) प्रतिभूति के प्रदान करें । दिनांक 06 मई 2010 से बैंकों को निर्देश दिये गये हैं कि वे

सूक्ष्म और लघु क्षेत्र की इकाइयों को 10 लाख रुपये तक के ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति के प्रदान करें ।

- तेजी से बदलते अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य ने भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने नई चुनौतियां पेश कर दी हैं । इसी उद्देश्य से क्रिसिल, इकरा, डन एंड ब्राडस्ट्रीट की सलाह से सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट रेटिंग योजना आरंभ की गई है । राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी बनाया गया है । सितंबर 2005 में एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि. (स्मेरा) की स्थापना की गई । यह एमएसएमई को समर्पित तृतीय पक्ष रेटिंग एजेंसी है, जो व्यापक, पारदर्शी और विश्वसनीय रेटिंग प्रदान करती है । अच्छी रेटिंग से बाजार में उनकी साख बढ़ेगी और उन्हें शीघ्र और सस्ता ऋण प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने संभावित प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों के लिए 'राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना' आरंभ की गई है । इस योजना के अंतर्गत ''उद्यमी मित्र'' अर्थात चयनित शीर्ष संस्थानों को सहायता तथा पथ-प्रदर्शन प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है ।
- एमएसएमई को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) ने एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की योजना आरंभ की है । इससे एमएसएमई को अपने कारोबार के विस्तार के लिए पूंजी जुटाने में सबसे सुगम माध्यम से जुड़ने का अवसर मिलेगा। उन्हें देश-विदेश के संस्थागत निवेशक भी बड़े स्तर पर पूंजी प्रदान कर सकते हैं । वे अपने उद्योगों का बेहतर मूल्यांकन प्राप्त कर सकते हैं।
- सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र द्वारा उत्पादित माल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के विशेष उपाय किए हैं । इसके लिए लघु उद्योग विकास संगठन में निर्यात विकास केन्द्र की स्थापना की गई है । सिडबी एमएसएमई उद्योगों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा दरों पर वित्त प्रदान करता है, ताकि एमएसएमई अपनी निर्यात वचनबद्धताओं को पूरा कर सकें।
- सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र को तकनीकी सहायता उपाय के रूप में ग्रामीण तकनीकी पार्कों की स्थापना की है । नवंबर 2005 में इंडिया एमएसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड (आईएसटीएसएल) की स्थापना की गई । यह एमएसएमई को एक ऐसा वैश्विक मंच प्रदान करता है, जहाँ से वे आधुनिक प्रौद्योगिकी सुविधाएं अपना सकते हैं ।
- सिडबी ने जापान इंटरनेशनल को-आपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) के साथ भारत में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऊर्जा बचतकारी योजना आरंभ की है ।

एमएसएमई क्षेत्र के सुधार के लिए गठित कार्यदलों की खास सिफारिशें :

उच्चस्तरीय कार्यदल (अध्यक्ष – श्री टी. के. ए. नायर)

i. बैंकों को सलाह दी गई है कि वे एमएसएमई को ऋण देने में साल-दर-साल 20 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करें ताकि संवर्धित ऋण प्रवाह सुनिश्चित किया जा सके ।

ii. बैंकों को यह सलाह भी दी गई है कि वे सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करें ।

iii. सूक्ष्म उद्योगों के अग्रिम के 60 प्रतिशत के आबंटन को चरणों में प्राप्त करें अर्थात 2010-11 में 50 प्रतिशत, 2011-12 में 55 प्रतिशत और 2012-13 में 60 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त करें ।

iv) एमएसएमई पर और अधिक ध्यान देने वाले ऐसे कार्यालय खोले जाएं, जो एमएसएमई के लिए परामर्शदाता केन्द्र के रूप में भी कार्य कर सकें ।

v) एक जिले का लीड बैंक कम-से-कम एक एमएसएमई समूह को गोद ले ।

रुग्ण एमएसएमई के पुनर्वसन पर कार्यदल (अध्यक्ष – श्री के. सी. चक्रवर्ती)

i. बैंक समस्याग्रस्त इकाइयों के लिए एक समुचित पुनर्वसन/पुनःसंरचना और गैर विवेकाधीन ''एकबारगी निपटान योजना'' (ओटीएस) बनाएं ।

ii. बैंक अपनी-अपनी वेबसाइट पर एमएसएमई क्षेत्र में ऋणों की वसूली के लिए ओटीएस योजना के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार करें ।

(आंकड़ों के स्रोत-भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी पुस्तिका, भारतीय रिज़र्व बैंक, मासिक बुलेटिन, जून-2010, भारतीय रिज़र्व बैंक, वार्षिक रिपोर्ट 2009-10, सिडबी वेबसाइट-होम पेज, एमएसएमई मंत्रालय वेबसाइट-होम पेज)

❍❍❍

एमएसएमई के विकास में क्लस्टर मॉडल का योगदान

श्रीमती सावित्री सिंह
सहायक महाप्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

भारत परंपरागत रूप से कृषि प्रधान देश रहा है । भारत की 65 प्रतिशत (पहले 70 प्रतिशत) जनसंख्या आज भी गांवों, कस्बों में निवास करती है एवं अपने जीविकोपार्जन के लिए खेती के अलावा छोटे-मोटे उद्योग-धंधों पर निर्भर रहती है । ऐसे छोटे उद्यमों को ही उनकी लागत एवं आकार के आधार पर एमएसएमई क्षेत्र के रूप में पहचान दी गई है । भारतीय अर्थव्यवस्था में एमएसएमई क्षेत्र का महत्व निर्विवाद है और क्या आम जनता, क्या सरकार सभी इस क्षेत्र की प्रगति को देश की प्रगति के साथ जोड़कर देखते हैं । एमएसएमई क्षेत्र बड़ी संख्या में अकुशल/अर्धकुशल कार्यबल के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराता है । यह क्षेत्र कच्चे माल, बुनियादी जिंसों, तैयार माल एवं छोटे-छोटे उपस्करों की आपूर्ति कर अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों के लिए संपूरक की भूमिका भी निभाता है । इस क्षेत्र के महत्व के मद्देनजर भारत सरकार एवं रिज़र्व बैंक ने इसकी समृद्धि एवं इसमें सुधार हेतु कई उपाय किए हैं । सेवा उद्यमों को एमएसएमई के अंतर्गत शामिल किए जाने के बाद से अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां एमएसएमई के दायरे में आ गई हैं । एमएसएमई के विकास के लिए समय पर उचित दर पर ऋण की उपलब्धता बहुत मायने रखती है, जिसके लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं । इसके अलावा विपणन, उत्पाद विकास, उत्पादन से पहले एवं बाद में जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने पर भी सरकार ने ध्यान दिया है ।

एमएसएमई मंत्रालय ने माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों की उत्पादकता, क्षमता निर्माण और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार लाने के उद्देश्य से क्लस्टर अप्रोच की रणनीति अपनाई है । इस रणनीति में उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम दोहन के साथ ही एमएसएमई क्षेत्र के मध्यम एवं दीर्घावधि विकास को लक्षित किया गया है । माइक्रो, लघु एवं मध्यम उद्यमों की बड़ी संख्या एवं विशाल क्षेत्र में इनके फैलाव को देखते हुए सरकार के क्लस्टर विकास कार्यक्रम की सफलता क्लस्टर आधारित उद्यमों की पहल के साथ ही इनके विकास कार्य में लगी विभिन्न संस्थाओं एवं राज्य सरकारों की सक्रिय सहभागिता पर निर्भर करती है ।

एमएसएमई मंत्रालय ने सबसे पहले 1998 में अपनी योजना ''एकीकृत प्रौद्योगिकी उन्नयन और प्रबंधन कार्यक्रम'' (अपटेक) के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टरों में चुनिंदा हस्तक्षेप आरंभ किए । अगस्त 2003 में इस योजना का लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम के रूप में पुनः नामकरण किया गया और क्षमता निर्माण, विपणन विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, प्रदर्शन दौरों आदि और सामान्य सुविधाओं की स्थापना जैसे हस्तक्षेपों के माध्यम से सूक्ष्म व लघु उद्यमों के समग्र तथा एकीकृत विकास के लिए उसका दायरा बढ़ाया गया ।

क्लस्टरों की विशेषताएं :

- सामूहिक लाभ को बढ़ावा देना, उदाहरण के तौर पर कच्चे माल, अन्य घटकों एवं मशीनरी के आपूर्तिकर्ताओं का स्वैच्छिक प्रवाह अथवा क्षेत्र विशेष के कौशलयुक्त श्रमिकों की उपलब्धता ।
- विशेषज्ञ तकनीकी, प्रशासनिक, और वित्तीय सेवाएं प्रदान करनेवालों को पनपने का मौका देना ।
- स्थानीय उत्पाद, नवोन्मेष एवं सामूहिक सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देने के साथ ही फर्मों के बीच आपसी सहयोग के विकास में सहायक परिवेश का निर्माण करना ।

कृषि और ग्रामोद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 अक्तूबर 2005 को जारी किए गए कार्यालय ज्ञापन के अनुसार उद्योग समूह (क्लस्टर) से आशय है ''किसी राज्य के एक या अधिक लगते हुए जिलों में/दो या दो से अधिक राजस्व उपमंडलों में स्थित कारीगरों/लघु उद्यमियों के लगभग 500 लाभार्थी परिवारों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, सेवा देनेवालों आदि का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एकत्रीकरण'' सरकार ने वर्ष 2005 में

''परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन हेतु कोष की योजना (स्फूर्ति)'' नाम से एक केंद्रीय योजना तैयार की और उसके लिए 100 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की ।

इस योजना के तहत तय किए गए लक्ष्य इस प्रकार थे –

1) वर्ष 2005-06 से आरंभ कर 5 वर्ष की अवधि में देश के विभिन्न भागों में पारंपरिक उद्योगों के समूह (क्लस्टर) का विकास ।

2) परंपरागत उद्योगों को अधिक विपणनशाली, उत्पादक, ग्रामीण उद्यमियों और परंपरागत उद्योग कारीगरों को लाभप्रद तथा प्रोत्साहन वर्धक रोजगार के अवसर प्रदान करके अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना ।

3) उद्योग क्लस्टरों की स्थानीय शासकीय प्रणाली को स्थानीय हितधारियों की सक्रिय भागीदारी से मजबूत करना ताकि वे स्वयं विकास हेतु पहल करने योग्य हो सकें ।

4) नवीन तथा परंपरागत कौशल, उन्नत प्रौद्योगिकियों, उन्नत प्रक्रियाओं, विपणन आसूचना तथा सार्वजनिक और निजी भागीदारी के नए मानक तैयार करना ताकि समूह आधारित परंपरागत उद्योगों के पुनःसृजन के लिए ऐसे मानकों को धीरे-धीरे बदला जा सके ।

सरकार द्वारा तय किए गए लक्ष्य क्षेत्र तथा संभावित लाभार्थी थे –

क) परंपरागत उद्योगों में लगे तथा खादी, कयर एवं ग्रामोद्योग (चमड़ा और कुम्हारी सहित) के चयनित क्लस्टरों में कार्य कर रहे कारीगर, कामगार, मशीन निर्माता, कच्चा माल उपलब्ध करानेवाले, उद्यमी, संस्थागत और निजी व्यापार विकास सेवा उपलब्ध करानेवाले ।

ख) कारीगर गिल्ड, सहकारी समितियां, कंसोर्टियम, उद्यमी, नेटवर्क, स्वसहायता समूह, उद्यमी संघ आदि ।

ग) परंपरागत उद्योगों में प्रत्यक्ष रूप से लगे कार्यान्वयी अभिकरण, सरकारी संस्थानों/संगठनों तथा नीति निर्माताओं के क्षेत्रीय कार्यकर्ता ।

क्लस्टर के चयन हेतु सरकार द्वारा तय किए गए मानदंड –

क्लस्टरों का चयन राज्य के एक या अधिक लगते हुए जिलों में दो या दो से अधिक राजस्व उपमंडलों में स्थित कारीगरों/लघु उद्यमियों के लगभग 500 लाभार्थी परिवारों, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ता, व्यापारी, सेवा देनेवालों आदि का चयन उनके लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एकत्रीकरण के आधार पर होगा । क्लस्टर चमड़ा और कुम्हारी कार्य सहित खादी, कयर एवं ग्रामोद्योग से संबंधित होंगे । स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टरों का चयन करते समय उत्पादन में वृद्धि हेतु क्षमता तथा रोजगार सृजन के अवसरों पर भी विचार किया जाएगा । क्लस्टरों का चयन करते समय देश में क्लस्टरों के भौगोलिक वितरण सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र में क्लस्टरों की कुल संख्या के कम-से-कम 10 प्रतिशत भाग को भी ध्यान में रखना होगा ।

क्लस्टरों को दी जाने वाली सहायता में निम्नांकित को शामिल किया गया :

1. खादी क्षेत्र में चरखा और लूम को बदलना ।
2. सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना ।
3. विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के लिए नई डिजाइन, नए उत्पादों का विकास, नई/सुधरी पैकेजिंग इत्यादि ।
4. विपणन संवर्धन गतिविधियां ।
5. अन्य क्लस्टरों तथा संस्थाओं में प्रदर्शन अभिमुख दौरे, आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण, क्लस्टर स्तरीय नेटवर्क की स्थापना हेतु समर्थन (उद्योग संघ) तथा अन्य आवश्यकता आधारित समर्थन जैसी क्षमता निर्माण गतिविधियां ।
6. निदान अध्ययन के भाग स्वरूप क्लस्टर के विकास के लिए आवश्यक समझी जानेवाली तथा क्लस्टर हेतु वार्षिक योजना कार्यान्वयी अभिकरण द्वारा पहचानी गई अन्य गतिविधियां ।

सरकार द्वारा उस समय लिए गए निर्णय के अनुसार कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय को इस योजना की संपूर्ण नीति, समन्वय तथा प्रबंधकीय समर्थन उपलब्ध कराने हेतु समन्वय मंत्रालय के रूप में अभिहित किया गया । इसके अलावा खादी और ग्रामोद्योग आयोग एवं कयर बोर्ड को नोडल एजेंसियों के रूप में नामित किया गया । इन एजेंसियों को यह भी देखना होगा कि स्फूर्ति के अंतर्गत क्लस्टरों में शामिल इकाइयों को ग्रा.रो.सृ.का., प्रधानमंत्री रोजगार योजना, महिला कयर योजना का लाभ मिले, बशर्ते संबंधित क्लस्टर उन कार्यक्रमों के दिशानिर्देशों का पूरी तरह से पालन करें । क्लस्टरों को उनकी विशिष्टता के अनुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसे नोडल एजेंसियों को प्रदान किया जाएगा, जो उसे एक अलग खाते में रखेंगे और इस खाते की

लेखा-परीक्षा भी की जाएगी । समय-समय पर इनका समवर्ती और कार्योत्तर मूल्यांकन अध्ययन भी किया जाएगा, ताकि योजना के कार्यान्वयन में हुई कमियों और त्रुटियों का पता लगाया जा सके ।

सरकार ने क्लस्टरों के विकास के लिए पहले से लागू दिशानिर्देशों के स्थान पर *14 मार्च 2006 को नए दिशानिर्देश* जारी किए । ये दिशानिर्देश लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत क्लस्टर विकास की पहल को लागू करने के लिए लघु उद्योग मंत्रालय से वित्तीय मदद पाने के प्रस्ताव को तैयार करने में सभी हिताधिकारियों का मार्गदर्शन करते हैं । इन दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार से वित्तीयन सुविधा हासिल करने के लिए क्लस्टर के सदस्यों के सहयोग से गठित एक इकाई का होना आवश्यक है जिसे विधिक मान्यता मिली हुई हो । क्लस्टर विकास कार्यक्रम के तहत सभी प्रस्ताव इसी विशिष्ट इकाई के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए । लेकिन हमारे देश में क्लस्टर में शामिल इकाइयों के मध्य विद्यमान विविधताओं एवं असमानताओं को देखते हुए बेहतर होगा कि किसी सरकारी संस्था को यह जिम्मेदारी सौंपी जाए और आगे चलकर इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट इकाई का गठन अवश्य किया जाए । इस तरह से लघु उद्यमों के विकास हेतु गठित केंद्र सरकार की संस्थाओं एवं इकाइयों के अलावा राज्य सरकारों एवं अन्य गैर सरकारी संगठनों की सक्रिय सहभागिता पर बहुत कुछ निर्भर करता है।

क्लस्टर विकास कार्यक्रम के प्रमुख चरण हैं :

- क्लस्टरों का चयन
- क्लस्टर विकास एक्जिक्यूटिव का चयन
- विश्वास निर्माण
- निदानात्मक अध्ययन
- कार्ययोजना तैयार करना
- बजट तैयार करना एवं विभिन्न संस्थानों से निधि लीवरेज करना
- कार्ययोजना को लागू करना
- निगरानी एवं मूल्यांकन
- दूसरे को भार सौंपना और स्वयं निकल जाना
- स्व-प्रबंधन की अवस्था

क्लस्टर विकास हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं अन्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से नेशनल सेंटर फॉर एसएसआई क्लस्टर डेवलपमेंट, हैदराबाद तथा इंटरनेशनल सेंटर फॉर क्लस्टर कंप्टिटिवनेस एंड ग्रोथ, अहमदाबाद की स्थापना की गई । यहां पर क्लस्टर विकास एक्जिक्यूटिव के लिए तीन से चार सप्ताह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिनमें उन्हें क्लस्टर विकास से संबंधित निदानात्मक अध्ययन करने तथा इस बारे में नए पहलुओं को लागू किए जाने से संबंधित साधनों एवं उपकरणों की जानकारी प्रदान की जाती है ।

परियोजना की लागत एवं भारत सरकार का योगदान :

अलग-अलग क्लस्टरों के लिए परियोजना की लागत अलग-अलग हो सकती है, जो परियोजना की अवधि (आम तौर पर तीन वर्ष), क्लस्टर के आकार, स्वरूप और निदानात्मक अध्ययन से उभरे प्रस्तावित मध्यस्थता के दायरे पर निर्भर करता है । तथापि, लघु उद्योग मंत्रालय का योगदान परियोजना की कुल लागत के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा । प्रति परियोजना के लिए यह 10 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर होगा । इसके अलावा मंत्रालय का योगदान अन्य हिताधिकारियों तथा राज्य सरकार, उद्योग संघों, क्लस्टर की अन्य फर्मों जैसे सहभागियों की उपलब्धता एवं इच्छा पर भी निर्भर करेगा । निधियां डीसी (लघु उद्योग) द्वारा सीधे ही इस प्रयोजन हेतु बनाई गई विशिष्ट इकाई को उपलब्ध कराई जाएंगी और उसकी सूचना राज्य सरकार को दी जाएगी । परियोजना के लिए किए गए आवेदन में किए गए अनुरोध के अनुसार वार्षिक किस्तों की अदायगी की जाएगी, लेकिन उसके लिए संचालन समिति की सिफारिश जरूरी होगी ।

भारत सरकार ने दिनांक 1 अक्तूबर 2007 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया जिसमें क्लस्टरों के विकास कार्यक्रम में कुछ संशोधन किए गए । इस कार्यक्रम के नाम को बदलकर ''माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम'' (एमएसई-सीडीपी) कर दिया गया और इस तरह से इसके दायरे को और विस्तृत किया गया । इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा दी जानेवाली वित्तीय सहायता प्रति केंद्र 5 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर 2 करोड़ रुपए अथवा परियोजना लागत 40 प्रतिशत तय की गई । केवल महिलाओं द्वारा चलाए जानेवाले माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हेतु विकसित क्लस्टरों के लिए भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम के तहत प्रदान की जानेवाली वित्तीय सहायता लागत 90 प्रतिशत (9 करोड़ रुपए की सीमा के भीतर) तय की गई । इसके अलावा प्रमुख स्थानों पर महिला उद्यमियों के उत्पादों की प्रदर्शनी एवं बिक्री हेतु भी सरकार की ओर से सहायता प्रदान की जाएगी ।

क्लस्टरों के विकास हेतु पहल : सूक्ष्म एवं लघु उद्यम–क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई–सीडीपी)

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए एमएसई–सीडीपी कार्यक्रम के तहत ऐसे समूहन से क्लस्टरों को किफायती दर पर बैंकिंग एवं ऋण सुविधा की उपलब्धता के साथ ही अन्य सेवा प्रदान करनेवालों को भी सुविधा होती है और इस तरह से इन उद्यमों के लिए सेवाओं की लागत को कम करने एवं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने में आसानी होती है ।

एमएसई–सीडीपी योजना के उद्देश्य

क) टेक्नॉलॉजी, कौशल एवं गुणवत्ता में सुधार, बाजार पैठ, पूंजी की उपलब्धता जैसे सर्वसामान्य मुद्दों का हल ढूंढकर एमएसई के विकास एवं उनकी स्थिरता में मदद पहुंचाना ।

ख) स्वयं–सहायता समूहों, संघों एवं एसोसिएशन आदि के गठन एवं उन्नयन जैसी सर्वसामान्य गतिविधियों द्वारा एमएसई की क्षमता में वृद्धि करना ।

ग) एमएसई के नए/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों/क्लस्टरों में बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करना/अद्यतन करना ।

घ) कॉमन सुविधा केंद्रों की स्थापना करना (परीक्षण, प्रशिक्षण केंद्र, कच्चा माल गोदाम, विशिष्ट निदान, उत्पादन प्रसंस्करण में सहायक) ।

योजना की व्याप्ति –

- निदानात्मक अध्ययन
- टेक्नॉलॉजी की उपलब्धता
- टेक्नॉलॉजी के उत्पादक से अंतिम उपयोगकर्ता की ओर अंतरण में सहायता
- कॉमन सुविधा केंद्रों की स्थापना
- अनुसंधान एवं विकास जरूरतें
- लघु उद्यमों के समूचे क्लस्टरों में टेक्नॉलॉजी की शीघ्र पहुंच हेतु कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण एवं अध्ययन दौरों का आयोजन
- मौजूदा/नए क्षेत्रों/इस्टेट के एमएसई के लिए बिजली संवितरण नेटवर्क, पानी, दूरसंचार, निकासी एवं प्रदूषण नियंत्रण, सड़कें, बैंक, कच्चा माल, भंडारण एवं विपणन दुकानें, कॉमन सेवा सुविधाएं और टेक्नॉलॉजी बैकअप सेवाएं जैसी सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना ।

गतिविधियां	कार्यान्वयन एजेंसियां
निदानात्मक अध्ययन सॉफ्ट इंटरवेंशन सीएफसी की स्थापना	• एमएसएमई मंत्रालय के कार्यालय • राज्य सरकार के कार्यालय • एमएसई क्षेत्र के विकास में लगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान • एमएसएमई मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कोई अन्य संस्थान/एजेंसी
बुनियादी सुविधा विकास परियोजनाएं	राज्य/संघ शासित सरकारें – इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन का अच्छा ट्रैक रिकार्ड रखनेवाली राज्य सरकार की उपयुक्त एजेंसियों के माध्यम से

परियोजना की लागत एवं भारत सरकार की सहायता :

- निदानात्मक अध्ययन – अधिकतम लागत 2.50 लाख रुपए
- सॉफ्ट इंटरवेंशन – भारत सरकार के 75 प्रतिशत योगदान सहित परियोजना की अधिकतम लागत 25.00 लाख रुपए (विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/माइक्रो/गांव/एससी/एसटी इकाई वाले क्लस्टरों के लिए)
- हार्ड इंटरवेंशन अर्थात सीएफसी की स्थापना – भारत सरकार के 70 प्रतिशत योगदान सहित परियोजना की अधिकतम लागत 15.00 करोड़ रुपए (विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए 90 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/माइक्रो/गांव/एससी/एसटी इकाई वाले क्लस्टरों के लिए)
- बुनियादी सुविधाओं का विकास नया/मौजूदा औद्योगिक क्षेत्र है । भारत सरकार के 60 प्रतिशत योगदान सहित परियोजना की अधिकतम पात्र लागत 10.00 करोड़ रुपए (विशिष्ट श्रेणी के राज्यों के लिए 80 प्रतिशत और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/माइक्रो/गांव/एससी/एसटी इकाई वाले क्लस्टरों के लिए)।

शेष राशि सिडबी/बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण अथवा राज्य/संघ क्षेत्र से इक्विटी के रूप में होगी ।

कैसे संपर्क करें :

एमएसई–सीडीपी के तहत विचारार्थ प्रस्तावों को राज्य सरकारों अथवा उनके स्वतंत्र निकायों अथवा एमएसएमई मंत्रालय की फील्ड संस्थाओं के माध्यम से भेजा जा सकता है । इन प्रस्तावों को एमएसई–सीडीपी की संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है ।

भारत में सामाजिक-आर्थिक विकास के एक भाग के रूप में क्लस्टरों के विकास हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर कई संस्थाओं ने पहल की है। अनुमान है कि भारत में लगभग 636 एसएमई (औद्योगिक) एवं 6000 के आस-पास कारीगरों/माइक्रो उद्यमियों के क्लस्टर मौजूद हैं, जिनकी रोजगार निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका है। क्लस्टर विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर इस प्रयोजन के लिए नियोजित एजेंट व्यावसायिक एवं पैनी नजर रखते हैं । इस संबंध में अलग-अलग स्तरों पर कार्य कर रही संस्थाएं इस प्रकार हैं :

केंद्र सरकार के स्तर पर –

- दि क्लस्टर इनिशिएटिव ग्रीन बुक
- खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, लघु उद्योग मंत्रालय
- डेवलपमेंट कमिश्नर, लघु उद्योग मंत्रालय
- कयर बोर्ड
- टेक्स्टाइल समिति, टेक्स्टाइल मंत्रालय
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

राष्ट्रीय स्तर पर सहायक संस्थाएं –

- भारतीय स्टेट बैंक अपटेक कार्यक्रम
- सिडबी टेक्नॉलॉजी अपग्रेडेशन कार्यक्रम
- नाबार्ड
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम
- भारतीय उद्यम विकास संस्थान
- लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण राष्ट्रीय संस्थान

राज्य सरकार के स्तर पर –

- आंध्र प्रदेश www.aponline.gov.in
- गुजरात www.gujratindustry.gov.in
- मध्य प्रदेश www.mp.nic.in
- केरल www.keralindustry.org

क्लस्टरों की सहायता करने वाले भारत के कुछ प्रमुख संसाधन संस्थान इस प्रकार हैं :

- फाउंडेशन फॉर एमएसएमई क्लस्टर
- भारतीय उद्यम विकास संस्थान
- केरल ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन
- भारतीय उद्यम विकास संस्थान
- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेस लिमिटेड
- अपेक्स क्लस्टर डेवलपमेंट सर्विसेज
- क्लस्टर पल्स
- नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज
- नॉर्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रीज कंसल्टेंट्स लिमिटेड
- इंडियन स्कूल ऑफ लाइवलीहुड प्रमोशन
- नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ एंट्रीप्रिनियरशिप स्मॉल बिजनेस डेवपलमेंट

क्लस्टरों को निधियां उपलब्ध करानेवाले प्रमुख संस्थान इस प्रकार हैं :

राष्ट्रीय संस्थान –

- डेवपलमेंट कमिश्नर, लघु उद्योग मंत्रालय, एमएसएमई, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
- खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
- कयर बोर्ड, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार
- डेवलपमेंट कमिश्नर, हैंडलूम, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
- डेवपलमेंट कमिश्नर, हैंडिक्राफ्ट, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
- वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार
- खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार
- औद्योगिक संवर्धन और नीति विभाग, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
- वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
- बायोटेक्नॉलॉजी विभाग
- टेक्नॉलॉजी इंफॉर्मेशन, फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल
- रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
- नाबार्ड
- सिडबी

राज्य संस्थान –

- उद्योग विभाग, गुजरात सरकार
- उद्योग विभाग, केरल
- उद्योग विभाग, उड़ीसा
- हैंडलूम विभाग, केरल
- उद्योग विभाग, पश्चिम बंगाल

अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां –

- इटैलियन कॉपरेशन
- डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट
- विश्व बैंक
- युनाइटेड नेशन्स डेवलपमेंट प्रोग्राम
- युनाइटेड नेशन्स इनवॉयरमेंट प्रोग्राम
- युनाइटेड नेशन्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन
- स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कार्पोरेशन
- अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन
- साउथ एशिया इंटरप्राइज डेवलपमेंट फॅसिलिटी
- Kreditanstalt fur Wiederaufbau
- Deutsche Gesselschaft fur Technische Zusammenarbeit

भारत सरकार का मुख्य ध्यान इन क्लस्टरों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर केंद्रित है ताकि उन्हें सुरक्षित परिवेश से बाहर निकलकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के काबिल बनाया जा सके । इनके विकास से रोजगार के अवसरों में वृद्धि के साथ ही क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर किया जा सकेगा । क्लस्टर एप्रोच से माइक्रो एवं लघु उद्यमों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता में संवर्धन के साथ ही उनकी क्षमता को बढ़ाने में भी मदद मिलती है । क्लस्टर एप्रोच की व्याप्ति का विस्तार करने के लिए सरकार ने 10 फरवरी 2010 को ''माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम'' में पुनः कुछ संशोधन किए, जिनमें कुछ प्रमुख संशोधन इस प्रकार हैं :

1) सामान्य सुविधा केंद्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करना, जिसमें भारत सरकार का योगदान 70 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/सूक्ष्म/ग्रामीण/अजा/अजजा इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए 90 प्रतिशत) होगा ।

2) बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए करना, जिसमें भारत सरकार का योगदान 60 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/सूक्ष्म/ग्रामीण/अजा/अजजा इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए 90 प्रतिशत) होगा ।

3) सॉफ्ट इंटरवेंशनों के लिए अधिकतम परियोजना लागत को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25.00 लाख रुपए करना, जिसमें भारत सरकार का योगदान 75 प्रतिशत (विशेष श्रेणी के राज्यों और 50 प्रतिशत से अधिक महिला/सूक्ष्म/ग्रामीण/अजा/अजजा इकाइयों वाले क्लस्टरों के लिए 90 प्रतिशत) होगा ।

4) सीएफसी तथा/या बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए लागत की उच्चतम सीमा को 5 लाख रुपए तक बढ़ाना ।

क्लस्टर विकास में हुई प्रगति :

वर्ष 2009-10 के दौरान भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2010 तक 457 क्लस्टरों को एमएसई-सीडीपी के तहत निदानात्मक अध्ययन, सॉफ्ट तथा हार्ड इंटरवेंशनों के लिए लिया गया । वर्ष के दौरान 43 नए क्लस्टरों में निदानात्मक अध्ययन कराए गए, 41 क्लस्टरों में सॉफ्ट इंटरवेंशन आरंभ किए गए और 9 क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्र की स्थापना को अनुमोदित किया गया ।

अब तक इस कार्यक्रम के तहत 473 एमएसएमई क्लस्टरों को सहायतार्थ चुना गया, जिनमें से 265 के संबंध में यह काम पूरा हो गया है । बुनियादी सुविधाओं के विकास के तहत 124 परियोजनाओं को हाथ में लिया गया, जिनमें से 88 परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है । लघु व अति लघु इकाइयों को कुल 9956 प्लॉट आबंटित किए गए हैं और 2770 इकाइयां स्थापित की गई हैं । इस योजना ने अब तक 25,869 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है ।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि एमएसएमई क्षेत्र पूरे विश्व की विकासशील अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । तेजी से बदलते हुए अंतरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य ने भारत में एमएसएमई के समक्ष अनेक अवसर और चुनौतियां प्रस्तुत कर दी हैं । हालांकि एक ओर जहां इनके लिए उत्पादकता में वृद्धि करने और अन्य देशों में बाजारों की खोज करने के लिए अनेक अवसर उत्पन्न हो गए हैं, वहीं दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी, प्रबंधन एवं वित्तीय शक्ति को समुन्नत करने की बाध्यता भी खड़ी हो गई है । अतः जरूरत इस बात की है कि इस क्षेत्र की मौजूदा शक्ति को मजबूत बनाया जाए एवं कमजोरियों को सुधारने पर ध्यान केंद्रित किया जाए और इसके लिए सरकार के साथ ही इस क्षेत्र से जुड़ी अन्य सभी संस्थाओं को मिलकर प्रयास करने होंगे ।

❍❍❍

एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास

विजय प्रकाश श्रीवास्तव
संकाय सदस्य, प्रबंधन विकास संस्थान,
बैंक ऑफ इंडिया, नवी मुंबई

एक देश की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि वहाँ उद्यम और रोजगार के पर्याप्त अवसर हों और हर हाथ, जो काम करना चाहे, को काम मिल सके । इस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 7 से 8 प्रतिशत के बीच है और हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि विश्व में चीन के बाद हमारे देश की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है । यह संवृद्धि दर और ज्यादा हो सकती थी यदि देश में बेरोजगारी उतनी नहीं होती जितनी कि अभी है । लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में जो गतिशीलता और जीवंतता इस समय देखने को मिल रही है उसमें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) का महत्वपूर्ण योगदान है ।

आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है और अभी भी भारत की गिनती कृषि प्रधान देशों में की जाती है । देश के आकार को देखते हुए बड़े उद्योगों की संख्या ज्यादा नहीं है । इसका एक कारण यह है कि बड़े उद्योग स्थापित करने के लिए ज्यादा पूंजी व संसाधनों की आवश्यकता होती है, जिन्हें जुटा पाना आसान नहीं है । ऐसे में एमएसएमई क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ जाता है ।

बेरोजगारी की समस्या, जो भारत में बढ़-चढ़ कर मौजूद है और जो अब अमेरिका जैसे विकसित देश को भी अपनी चपेट में ले रही है, को एक अभिशाप के रूप में देखा जाता है । योग्य और कुशल व्यक्तियों को यदि रोजगार नहीं मिलता तो देश उनमें मौजूद क्षमताओं और संभावनाओं का लाभ उठाने से वंचित रह जाता है । बेरोजगारी के सामाजिक दुष्परिणाम भी हैं । बेरोजगारी व्यक्ति की सोच को नकारात्मक बना सकती है और उसे ऐसी गतिविधियों की ओर उन्मुख कर सकती है जो समाज व राष्ट्र को नुकसान पहुचाएं। एमएसएमई को बढ़ावा देना बेरोजगारी की समस्या को कम करने में काफी हद तक सहायक हो सकता है ।

हमारे देश में आर्थिक विकास के लिए एमएसएमई की उपयोगिता को आज़ादी के समय से स्वीकार किया गया है । पिछले एक दशक से इस क्षेत्र को विभिन्न प्रकार से काफी प्रोत्साहित किया जा रहा है और अब यह पहले की अपेक्षा मजबूत स्थिति में है । एमएसएमई क्षेत्र को उद्यमिता की नर्सरी कहा जाता है जो व्यक्तियों की रचनात्मकता एवं नवोन्मेषिता से पुष्पित-पल्लवित होती है ।

एमएसएमई के विशिष्ट पहलू

एमएसएमई बड़े उद्योगों की तुलना में कम पूंजीगत लागत पर रोजगार के व्यापक अवसर मुहैया कराने के साथ-साथ ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के औद्योगीकरण में मदद करते हैं जिससे क्षेत्रीय असंतुलन दूर होता है तथा राष्ट्रीय संपत्ति व आय के वितरण में विसंगतियाँ कम होती हैं । एमएसएमई सहायक इकाइयों के रूप में बड़े उद्योगों के पूरक हैं और इस तरह से देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में योगदान करते हैं ।

एमएसएमई का विकास उद्यमिता विकास से सीधे जुड़ा हुआ है। उद्यमिता और इसके फलस्वरूप रोजगार और धन का सृजन समावेशी विकास को बढ़ावा देते हैं इसलिए आज उद्यमिता विकास बहुत सारे देशों, जिनमें भारत शामिल है, की प्राथमिकताओं में शामिल है ।

उद्यमों के आकार, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी और उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं की दृष्टि से एमएसएमई क्षेत्र विविधताओं से पूर्ण है । ये विविधताएँ इस क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं की तरफ ध्यान दिलाती हैं।

एमएसएमई के विकास के मौजूदा कारक

भारत में एमएसएमई क्षेत्र के अब तक के विकास का श्रेय निम्नलिखित कारकों को दिया जा सकता है -

- स्थानीय एवं विदेशी स्रोतों द्वारा इस क्षेत्र को निधि का प्रवाह
- प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं प्रौद्योगिकी में विविधता
- कम निवेश लागत
- क्षेत्र के प्रति सरकार, सरकारी व निजी बैकों का उदार दृष्टिकोण
- सरकार एवं अन्य एजेंसियों द्वारा सब्सिडी

- जनशक्ति की उपलब्धता
- प्रचुर मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध होना
- इंजीनियरों व तकनीकविदों की उपलब्धता

एमएसएमई का भविष्य

ऐसा माना जा रहा है कि एमएसएमई क्षेत्र अभी अपने विकास के प्राथमिक चरण में है तथा आने वाले समय में यह और सुदृढ़ होकर देश की अर्थव्यवस्था में अत्यधिक योगदान करेगा । जानी-मानी रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एमएसएमई क्षेत्र की लगभग 2000 इकाइयों के फंडिंग पैटर्न का अध्ययन करने के बाद बताया है कि बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को 500 बिलियन रुपयों का कर्ज़ देने की संभावनाएं मौजूद हैं । भारत में औसत प्रति व्यक्ति आय भले ही कम हो, उच्च व मध्य वर्ग को मिलाकर करीब 35 करोड़ की आबादी है जो एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं के लिए विशाल बाजार उपलब्ध कराती है । निम्न आय वर्ग में भी बाज़ार संभावनाएं मौजूद हैं । वैसे भी भारतीय अर्थव्यवस्था की एक बड़ी ताकत इसका मुख्यतः उपभोग आधारित होना है । अतः एमएसएमई क्षेत्र का भविष्य निस्संदेह रूप से उज्ज्वल है ।

एमएसएमई एवं मानव संसाधन

एमएसएमई क्षेत्र को जिस चुनौती का सबसे अधिक सामना करना पड़ रहा है वह है संसाधनों की कमी । इसमें उपयुक्त मानव संसाधन की कमी भी शामिल है । किसी भी अन्य संगठन की भांति एमएसएमई इकाइयों की सफलता भी काफी हद तक इसमें कार्यरत मानव संसाधन की गुणवत्ता पर निर्भर करती है । अतः एमएसएमई के लिए उपयुक्त मानव संसाधन का चयन अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है ।

अब भारतीय युवाओं में उद्यमिता की ओर रुझान बढ़ रहा है लेकिन बहुसंख्यक युवा अभी भी ऐसे हैं जो नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि उनकी सोच में नौकरी में निश्चिंतता होती है और जोखिम कम होता है । वैसे भी हमारी शिक्षा पद्धति जोखिम लेने व नवोन्मेषिता को न प्रोत्साहित करने वाली रही है । ऐसे में युवाओं को उनकी इस प्रवृत्ति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता । वास्तविकता है कि सबसे अधिक प्रतिभाशाली समझा जाने वाला वर्ग एमएसएमई क्षेत्र में कार्य करने को आम तौर पर उद्यत नहीं है । एमएसएमई क्षेत्र को ज़्यादातर वे लोग मिलते हैं जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव या तो बिलकुल नहीं या बहुत कम होता है और इसलिए उन्हें प्रशिक्षित करना जरूरी हो जाता है । एक और समस्या है कि प्रशिक्षण और थोड़े अनुभव के बाद ऐसे लोग बेहतर अवसरों के लिए एमएसएमई क्षेत्र को छोड़ देते हैं । इस प्रकार कई मामलों में एमएसएमई इकाइयां प्रशिक्षण संस्था बन कर रह जाती हैं । अतः एमएसएमई क्षेत्र के लिए ऐसी जनशक्ति का चयन किया जाना चाहिए जिसकी इसमें रुचि हो और जो इसमें लंबे समय तक कार्य करने को तैयार हो ।

अक्सर यह देखा गया है कि एमएसएमई इकाइयों के प्रवर्तक/संस्थापक प्रौद्योगिकी में अनुभव और/या योग्यता रखने वाले लोग होते हैं । उनके पास तकनीकी ज्ञान तो होता है लेकिन एक फर्म चलाने हेतु जो अन्य पूरक कुशलताएं चाहिए उसकी उनमें कमी होती है । अतः जब एमएसएमई हेतु प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की बात आती है तो उद्यमी जो ऐसी इकाइयां स्थापित करते हैं और जनशक्ति जो इसमें नियोजित हो या की जाने वाली हो, दोनों को शामिल करना जरूरी हो जाता है ।

उपयुक्त प्रतिभाओं को आकर्षित करने हेतु एमएसएमई को समझना चाहिए कि उनके लिए जिस प्रकार पूंजी, मशीनरी एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं महत्वपूर्ण हैं उसी प्रकार मानव संसाधन भी महत्वपूर्ण है । अतः मानव संसाधन में निवेश की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए तथा संगठन की वेतन, सुविधाओं आदि से जुड़ी मानव संसाधन नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जिससे लोग संगठन में बने रहने तथा इसे अपना सर्वोत्तम देने को प्रेरित हों ।

नई युवा पीढ़ी से जनशक्ति का चुनाव एमएसएमई के लिए लाभप्रद है क्योंकि वे चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं और उन्हें प्रशिक्षित करना आसान होता है । इस शुरुआती प्रशिक्षण के बाद भी उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताएँ बनी रहेंगी । कहने का आशय यह है कि एमएसएमई को नई-पुरानी दोनों जनशक्ति को प्रशिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए।

एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास और इनकी उपयोगिता

विश्व में प्रौद्योगिकी और कारोबार के मॉडल स्थिर नहीं रहते । इनमें बदलाव होता रहता है । इसे देखते हुए एमएसएमई क्षेत्र की निरंतरता और मजबूती इस पर निर्भर करेगी कि यह क्षेत्र अपने को इन परिवर्तनों के अनुरूप कैसे ढालता है और सकारात्मक

परिवर्तनों को कहाँ तक अंगीकार करता है । कौशल विकास एवं प्रौद्योगिकी उन्नयन ही एमएसएमई को टिकाए रख सकते हैं । इससे हम एमएसएमई के लिए प्रशिक्षण एवं कौशल विकास की उपयोगिता समझ सकते हैं ।

अन्तरराष्ट्रीय अध्ययनों में यह निष्कर्ष सामने आया है कि एमएसएमई में मानव संसाधन एवं प्रबंधन विकास प्रत्येक ऐसी इकाई की अलग-अलग आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए । इस विकास को लागत अवधि एवं लाभप्रदता से जोड़कर देखा जाना चाहिए । इकाई को प्रशिक्षण का पूरा लाभ मिले इसके लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी है –

- प्रशिक्षण आवश्यकताओं का वैज्ञानिक रीति से आकलन / विश्लेषण होना चाहिए ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्य शुरू से परिभाषित एवं स्पष्ट होने चाहिए ।
- प्रशिक्षण पद्धति लक्ष्य समूह की ग्राह्यता के अनुसार होनी चाहिए।
- प्रारम्भिक प्रशिक्षण की अवधि लंबी हो सकती है । लेकिन उत्तरवर्ती प्रशिक्षण कार्यक्रमों की अवधि कम रखी जानी चाहिए क्योंकि कुछ संगठनों को लंबे समय के लिए अपनी जनशक्ति को कार्यमुक्त करने में मुश्किल आ सकती है ।
- प्रशिक्षण में व्यावहारिक पक्ष पर अधिक ज़ोर होना चाहिए ।
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता एवं उपयोगिता का मूल्यांकन अवश्य किया जाना चाहिए तथा प्राप्त फीडबैक के आधार पर आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपेक्षित बदलाव लाने चाहिए ।
- प्रशिक्षण को औपचारिकता मात्र न समझकर इसे सभी पक्षों द्वारा गंभीरता से लिया जाना चाहिए ।

एमएसएमई क्षेत्र में प्रशिक्षण की आवश्यकता मोटे तौर पर दो रूपों में महसूस की जाती है । एक है प्रौद्योगिकी या तकनीक विषयक प्रशिक्षण एवं दूसरा व्यक्तित्व आधारित प्रशिक्षण । निर्माण क्षेत्र में लगे उद्यम प्रौद्योगिकी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं, अतः उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी के चुनाव तथा इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम जनशक्ति की उपलब्धता पर ध्यान देना बेहद जरूरी है । अगर प्रौद्योगिकी बेचने या प्रदान करने वाला संगठन इसके उपयोग का प्रशिक्षण प्रदान करता है तो अच्छी बात है, नहीं तो अलग से ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए । जहां जरूरी समझा जाए वहाँ प्रक्रिया सुधार एवं बेहतर परिणाम हेतु सिक्स सिग्मा, लीन सिग्मा व बैलेन्स्ड स्कोर कार्ड जैसे परिष्कृत प्रबंधन टूल को अपनाने का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाना चाहिए । बड़ी एमएसएमई इकाइयों में इस प्रशिक्षण की ज्यादा आवश्यकता हो सकती है । एमएसएमई इन दिनों आईएसओ प्रमाणन हासिल करने को महत्वपूर्ण मानते हैं । अतः यह भी प्रशिक्षण का एक विषय हो सकता है ।

हालांकि कौशल विकास को कई बार सीधे तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता से जोड़ लिया जाता है, इसके और आयाम भी हैं । नयी चीजें सीखने, कार्यनिष्पादन को गुणवत्तापूर्ण बनाने एवं नयी प्रौद्योगिकी को मन से अपनाने के लिए एक व्यक्ति का दृष्टिकोण काफी मायने रखता है । इसलिए एमएसएमई क्षेत्र में साफ्ट स्किल्स के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए । साफ्ट स्किल्स का दायरा फैला हुआ है । जो खास विषय इसमें शामिल किए जा सकते हैं, वे हैं –

- सकारात्मक दृष्टिकोण
- लक्ष्य निर्धारण
- टीम भावना
- समय प्रबंधन
- अभिप्रेरणा / स्व प्रेरणा
- सम्प्रेषण कौशल
- वर्क – लाइफ बैलेन्स
- व्यक्तित्व विकास
- सृजनशीलता एवं नवोन्मेषिता
- ग्राहक उन्मुखता ।

साफ्ट स्किल्स में प्रशिक्षण न केवल उनके लिए जरूरी है जो शॉप फ्लोर पर काम करते हैं बल्कि उनके लिए भी जो प्रबंधन या प्रशासन का कार्य देखते हैं ।

इन दिनों सभी प्रगतिशील संगठन अपनी कार्य-प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने लगे हैं । सूचना प्रौद्योगिकी एमएसएमई इकाइयों की दक्षता एवं कार्य-कुशलता में इजाफा कर सकती है । इसके तमाम उदाहरण देखने को मिलेंगे । अतः प्रशिक्षण

का एक और क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी होना चाहिए । इस प्रशिक्षण में प्रशिक्षणार्थियों को प्रौद्योगिकी की जानकारी देने के साथ-साथ यह भी समझाया जाना चाहिए कि प्रौद्योगिकी का उपयोग समय बचाने, खर्च कम करने, उत्पादकता बढ़ाने व स्टेकहोल्डरों को बेहतर सेवाएँ प्रदान करने के लिए कैसे किया जाना चाहिए । क्लाउड कम्प्यूटिंग सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के लिए शेयर्ड प्लैटफ़ार्म उपलब्ध कराती है । इसमें इंटरनेट एवं संबंधित सेवाओं के उपयोग की लागत अपेक्षाकृत काफी कम है । एमएसएमई के लिए क्लाउड कम्प्यूटिंग एक वरदान बनकर आयी है । एमएसएमई क्लाउड कम्प्यूटिंग का अधिकतम लाभ उठाएं, इस हेतु संबंधित लोगों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ।

ऊपर साफ्ट स्किल्स के अंतर्गत नवोन्मेषिता में प्रशिक्षण की आवश्यकता बतायी गई है । हम इस पर फिर से ज़ोर देना चाहेंगे । उत्पाद एवं सेवाओं में निरंतर नवोन्मेषिता ही एमएसएमई को प्रतियोगितात्मक श्रेष्ठता की स्थिति में रख सकती है। एसएमई व एमएसएमई को नवोन्मेषिता का वाहक कहा जाता है क्योंकि इनमें नवोन्मेषिता पर प्रयोग की कीमत कम होती है और संगठन के ढांचे की दृष्टि से यह प्रयोग करना आसान होता है । नवोन्मेषिता एमएसएमई की शक्ति बने, उन्हें इस हेतु प्रशिक्षण के माध्यम का पूरा लाभ उठाना चाहिए ।

एमएसएमई के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु संस्थागत पहल

केंद्र सरकार में एमएसएमई मंत्रालय को देश में स्व-रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए मँझौले, लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के विकास की जिम्मेदारी दी गयी है । मौजूदा एवं भावी उद्यमियों के कौशल विकास हेतु इस मंत्रालय की विभिन्न योजनाएँ एवं कार्यक्रम हैं । मंत्रालय ने कई उद्यमिता विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं । इस हेतु राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों, उद्योग संघों, वित्तीय संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों आदि के प्रयासों में मंत्रालय मदद करता है ।

प्रबंधन के कई स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम अब उद्यमिता केन्द्रित हैं । ऐसे पाठ्यक्रम पहले केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजिनियरिंग, मुंबई तथा इंटरप्रेनेयूरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, अहमदाबाद जैसे संस्थानों द्वारा चलाये जाते थे । इस सिलसिले में बैंकों द्वारा की गई पहल भी काबिले तारीफ है । कई बैंकों ने एक या अधिक ग्रामीण विकास एवं स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रुडसेटी) स्थापित कर रखे हैं । रुडसेटी में आम तौर पर गरीब, बेरोजगार, साधनहीन युवाओं को उनकी रुचि के उद्यम में प्रशिक्षित किया जाता है । सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने के उपरांत ये युवा अपना उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से आसान शर्तों पर कर्ज प्राप्त कर सकते हैं । ग्रामीण कस्बाई तथा अर्ध शहरी इलाकों में उद्यमिता को बढ़ावा देने में रुडसेटी की भूमिका को नज़र अंदाज नहीं किया जाना चाहिए । रुडसेटी की गतिविधियों के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन देने के लिए हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान समय-समय पर कार्यक्रम आयोजित करता है ।

युवाओं को रोजगार या उद्यम के लायक बनाने हेतु केंद्र सरकार की एक बड़ी पहल नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कार्पोरेशन के रूप में सामने आयी है जिसने तीन वर्ष पहले अपना काम शुरू किया है । कार्पोरेशन का लक्ष्य अगले 10 वर्षों में डेढ़ करोड़ युवाओं को अलग-अलग कौशलों में प्रशिक्षित करना है । उम्मीद की जानी चाहिए कि कुशल जनशक्ति की यह उपलब्धता हमारे देश में एमएसएमई क्षेत्र में कुशल मानव संसाधन की कमी को पूरा करेगी तथा इस क्षेत्र को और सुदृढ़ बनाएगी ।

कई अन्तरराष्ट्रीय संगठन भी हमारे देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए कौशल विकास एवं प्रशिक्षण में सहयोग कर रहे हैं ।

चुनौतियाँ एवं अवसर

भारत जैसे विकासशील देश में एमएसएमई क्षेत्र में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है । इन संभावनाओं का लाभ उठाना जरूर एक चुनौती है । उद्यम करने को तत्पर लोग तो देश में हैं लेकिन कुशल तथा जानकार लोगों की कमी है । इस अंतर को पाटने के लिए संसाधन भी मौजूद हैं । इन संसाधनों का पर्याप्त उपयोग हो, इनका आवश्यकतानुसार आबंटन हो और इनसे वांछित उद्देश्य पूरे हों, इसके लिए सभी संबंधित पक्षों को सजग रहना होगा और आपस में ताल-मेल भी रखना होगा ।

यह संतोष का विषय है कि हमारे देश में एमएसएमई को पहले से ही पर्याप्त महत्व दिया जा रहा है । इस क्षेत्र में हम कौशल विकास एवं प्रशिक्षण के लिए केन्द्रित एवं कारगर नीतियाँ अपनाकर देश की बहुसंख्यक आबादी को नियोजित करने तथा इसे सामाजिक, आर्थिक रूप से ज्यादा समृद्ध बनाने में सफल हो सकते हैं ।

❍❍❍

एमएसएमई विशेष अध्ययन – कयर उद्योग

डॉ. मधुशील आयिल्यत्त
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

नारियल पेड़ को संपूर्ण भारत में कल्पवृक्ष की संज्ञा प्राप्त है । यह पेड़ अपने करीब 70-80 साल के जीवन काल में मानव को मुख्य रूप से खाद्य वस्तु और तेल प्रदान करता है । इसका तना एवं पत्ते दीवार, दरवाज़ा, छत इत्यादि के निर्माण कार्य में उपयुक्त किए जाते हैं । नारियल के फल से छिलका, रेशा, और गूदा (पिथ) निकाले जाते हैं, जिनके ऊपर कयर उद्योग पूर्णतः निर्भर है । यह हमारे देश का कृषि आधारित एक प्रमुख मझौले–लघु स्तर का उद्योग है । महिला केंद्रित पंरपरागत कुटीर उद्योग होने के कारण देश के दक्षिणी राज्यों में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में भी इस उद्योग का बड़ा महत्व रहा है । योजना आयोग के आँकड़ों के अनुसार असंगठित क्षेत्र में फैले हुए इस उद्योग से देश के करीब 31.25 लाख लोगों को जीवनयापन या अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होती है । अद्यतन समय में भारत कयर का सबसे बड़ा एवं प्रबल उत्पादक और निर्यातक है । पर्यावरण हितैषी उत्पाद होने के कारण विश्व के करीब 97 देशों में कयर उत्पादों की माँग है ।

कयर का इतिहास

इतिहास कयर के सुनहरे रेशे के जन्म के बारे में विभिन्न कहानियां सुनाता है। देश में नारियल के बारे में पहले रिकार्ड किया हुआ इतिहास तो रामायण काल का है, वाल्मिकी रामायण के किष्किंधा कांड और आरण्य कांड में नारियल का हवाला मिलता है। कालिदास के रघुवंश और संगत साहित्य में नारियल पर संदर्भ मिलते हैं। प्राय: ऐसा समझा जाता है कि वैदिकोत्तर काल में भारत में नारियल का परिचय कराया गया था । प्रसिद्ध यात्री मारको पोलो ने 13वीं शताब्दी के अपने भारतीय दौरे के संदर्भ में नारियल को ''भारतीय गरी'' कहा था। नारियल के रेशों से बनी रस्सियों और रज्जू का उपयोग पुराने समय से ही होता आया है। मलय, जावा, चीन तथा अरब देशों में सदियों पहले गए भारतीय नाविक अपनी जहाज के कैबिन के रूप में कयर का उपयोग करते थे । 11 वीं शताब्दी के अरब लेखक ने अपने लेखों में जहाज के केबिन में रस्सी के व्यापक उपयोग का हवाला दिया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्व में सबसे प्रथम कयर उद्योग की स्थापना यूके में हुई थी। वर्ष 1840 में कप्तान वाईडली ने कप्तान लोगन और मि. थॉमस ट्रॉलर से मिलकर इंग्लैंड के लॉडगेड हिल में ट्रॉलर एण्ड सन्स नामक कालीन फर्म की स्थापना की । जमीन को आच्छादित करने के लिए उपयुक्त बनावट में विभिन्न कयर उत्पादों का उत्पादन इस फर्म की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। भारत में कयर मैट, मैटिंग तथा अन्य जमीन आच्छादित करने वाली चीजों के उत्पादन हेतु प्रथम कारखाने की स्थापना (दाराइस्मैल एण्ड कंपनी) ईरान में जन्मे अमरीकी नागरिक स्वर्गीय श्री जेम्स द्वारा 1859 में आलप्पी, केरल में की गयी थी । आगे चलकर इस महान विदेशी उद्यमी के पदचिन्हों पर चलते हुए भारतीय भी इस उद्योग को प्रगति के पथ पर ले गए ।

कयर रेशे की संरचना और प्रसंस्करण की प्रक्रिया

प्रत्येक कयर रेशे का सेल तंग और खोखला होता है, जिसकी घनी दीवारें सेलुलोस से निर्मित होती हैं। अपक्व अवस्था में ये पीले होते हैं । बाद में ये कठोर हो जाते हैं क्योंकि उनकी दीवारों पर लिग्निन की एक परत जम जाती है। कयर रेशा अपेक्षित रूप से जलसह और 100% प्राकृतिक है, जो खारे पानी से भी क्षतिग्रस्त नहीं होता।

पुराने जमाने में नारियल के छिलके से रेशे को निकालने के लिए प्राकृतिक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता था । इसमें छिलके को 9-10 महीने तक पानी में भिगोया जाता है और उसके पश्चात काठ के हथोड़ों से पीटकर सुनहरे रंग का रेशा प्राप्त किया जाता था । लेकिन वर्तमान समय में भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन कार्यरत इस क्षेत्र के स्वायत बोर्ड के प्रयासों के फलस्वरूप यह कार्य अब केवल तीन महीनों में

किया जा सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत 'कयर रेट' नामक जीवाणु मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। इस कयर रेट का कयर रेशे पर प्रयोग करने से उत्तम गुण के रेशे केवल 72 घंटों में ही प्राप्त होने लगे हैं।

कयर उद्योग एवं यंत्रीकरण

कयर का मुख्य बाजार विदेशी होने पर भी स्वदेशी एवं प्रादेशिक बाजारों का भी इस क्षेत्र में महत्त्व है। कुल मिलाकर 1000 करोड़ रुपए का लक्ष्य आज कयर उद्योग के सामने है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हाथ से काम करने वाले कामगारों की प्रवीणता काफी नहीं है। उसके लिए उत्पादन प्रक्रिया में नई तकनीक को अपनाना अत्यंत जरूरी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार अपने अधीन कार्यरत कयर बोर्ड के माध्यम से संपूर्ण भारत के उद्यमियों को अवस्थापना सुविधाएं तथा सहायक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं तथा नीतियों को लागू करता है।

देश के दक्षिणी राज्यों से बाहर कयर उद्योग का यदि विकास हुआ है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण इस क्षेत्र का यंत्रीकरण है। दक्षिणी राज्यों के परंपरागत कयर उद्यमी एवं मजदूर आज अन्य राज्यों से यंत्रों के सहारे तैयार किए गए रेशे को अपना रहे हैं। नारियल के छिलके से कयर रेशे को तैयार करने के लिए व्यापक रूप में क्रशर, डीसी 3, कॉबिंग मशीन, बीटर, टर्बोक्लीनर, बीटिंग प्रेस आदि प्रयुक्त होते हैं। कयर उद्योग (खासकर विकसित न हुए राज्यों में) व्यवसाय कुशल मजदूरों की कमी के कारण स्वचलित कंवेयर सिस्टम पर पूर्णत: निर्भर है। परंपरागत राटों के प्रयोग के क्षेत्र में मजदूरों के परिचय को प्रयुक्त करते हुए कयर क्षेत्र में उत्पादन एवं गुणवत्ता क्षमता को बढ़ावा देने हेतु प्रयास आज भी जारी हैं। परंपरागत राटों में मोटर लगाया हुआ यंत्रीकृत परंपरागत राट, स्वचलित स्पिनिंग मशीन (सिंगल हेड, डबल हेड एवं मल्टी हेड) तथा रेशे को साफ करने के लिए प्रयुक्त विल्लोविंग मशीन और स्लिवरिंग मशीन इस उद्योग के लिए अत्यंत उपयोगी मशीने हैं। कयर रस्सी को तैयार करने के लिए यंत्रों को पहले से ही प्रयुक्त करते आ रहे हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में यंत्रीकरण अब तक संभव नहीं हो पाया है। यदि इस जनोपयोगी उद्योग को कायम रखना है तो अद्यतन प्रौद्योगिकी को तुरंत अपनाना होगा।

कयर का निर्यात संवर्धन

यदि कयर क्षेत्र में भारत से हो रहे निर्यात पर नजर डालेंगे तो यह पता चलता है कि वर्ष 2010-11 के दौरान करीब 807 करोड़ रुपये के 3,21,000 टन कयर व कयर उत्पादों का निर्यात हुआ है। यह कयर उत्पादों के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य से काफी ऊपर है। पिछले साल करीब 804 करोड़ रुपये के 2,94,508 टन कयर व कयर उत्पादों का निर्यात भारत से हुआ, जबकि वर्ष 2008-09 के दौरान यह तकरीबन 640 करोड़ रुपये तथा 1,99,924 टन रहा था।

सामान्य निर्यात प्रवृत्ति पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि पिछले कुछ सालों में कयर रेशा, कयर यार्न, हैंडलूम मैट, टफ्टेड मैट, कयर भूवस्त्र, कयर रस्सी, छल्लेदार कयर, कयर पिथ जैसे उत्पादों के निर्यात में मूल्य एवं मात्रा की दृष्टि से लगातार वृद्धि दर्ज की गई है; जबकि हैंडलूम मैटिंग, पॉवरलूम मैटिंग, कयर रग्स, कयर कार्पेट व रबड़ीकृत कयर के निर्यात में मूल्य एवं मात्रा की दृष्टि से कटौती हुई है। अक्सर यह देखा जाता है कि भारत से हैंडलूम मैट, टफटेड मैट और कयर पिथ का निर्यात विदेशों के लिए होता है। अन्य उत्पादों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम होने पर भी निर्यात की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है।

कयर एवं कयर उत्पादों का सबसे बड़ा आयातक यूएसए है। कुल निर्यात का करीब 35% शेयर यूएस में ही जाता है। कुल निर्यात का करीबन 30 प्रतिशत यूरोपियन यूनियन में शामिल यूके, जर्मनी, नीदरलैण्ड, इटली, फ्रांस, स्पेन, बेलजियम, डेनमार्क, पुर्तगाल, फिनलैण्ड, स्वीडन, आईरिश रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और ग्रीस जैसे देशों को होता है । इनके अलावा कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस और ब्राजील भी भारत से कयर आयात कर रहे हैं ।

कयर एक परंपरागत निर्यातोन्मुख उद्योग होने के कारण निर्यात में आए किसी भी प्रकार की घट-बढ़ का असर इस उद्योग पर सीधे रूप से पड़ता है। इसे समझते हुए कयर उद्यमियों को प्रोत्साहन एवं सहायता देने के उद्देश्य से भारत सरकार कई प्रकार के प्रयास कर रही है। कयर बोर्ड के माध्यम से हो रहे विदेशी बाजार विकास एवं सहायता योजना इसमें प्रमुख हैं। नए बाजारों को परखने तथा उसके अनुरूप निर्यात का प्रबंधन करने के लिए निर्यातक को इससे सहायता मिलती है। इस योजना से लाभ उठाते हुए मझौले एवं लघु निर्यातक भी अब विदेशी प्रदर्शनियों में भाग ले पा रहे हैं, जो पहले उनके लिए एक सपना ही था। कैटलॉग शो तथा अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के माध्यम से अन्य प्राकृतिक रेशों के साथ अपनी क्षमताओं को विश्व के सामने रखने का अवसर कयर उद्योग को प्राप्त हो रहा है।

भारत सरकार हर साल इस क्षेत्र में श्रेष्ठ निष्पादन करनेवाले निर्यातकों को कयर उद्योग पुरस्कार भी वितरित करती है। वर्ष 2010-11 के लिए कयर निर्यात हेतु पुरस्कृत उद्यमियों की सूची आगे दी गई है ।

कयर उद्योग पुरस्कार – 2010-11

क्र. सं.	पुरस्कार का नाम	पुरस्कार विजेता
1	कयर भूवस्त्र का निर्यात निष्पादन	मे. चारंगाट्टु कयर मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
2	हथकरघा कयर उत्पादों का निर्यात निष्पादन	मे. फाईबर वर्ल्ड
3	उल्लेखनीय निष्पादन करनेवाला शीर्षस्थ कयर संघ	मे. कयर फेडरेशन
4	कयर उत्पादों का निर्यात निष्पादन	मे. राम कयर मिल्स
5	कयर यार्न का निर्यात निष्पादन	मे. केराफाईबरटेक्स इंटरनॅशनल प्रा. लि.
6	कयर पिथ उत्पादों का निर्यात निष्पादन	मे. शिवंती जो कयर्स
7	छल्लेदार कयर का निर्यात निष्पादन	मे. टेक्नो एक्सपोर्ट्स
8	कयर व कयर उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक	मे. केराफाईबरटेक्स इंटरनेशनल प्रा. लि.
9	मझौले स्तरीय निर्यातक – सबसे अच्छा निर्यात निष्पादन	मे. चारंगाट्टु कयर मैनुफैक्चरिंग कं. प्रा. लि.
10	लघु स्तरीय निर्यातक – सबसे अच्छा निर्यात निष्पादन	मे. टेक्नो एक्सपोर्ट्स

ऐसा विश्वास किया जाता है कि ग्यारहवीं योजना के अंत तक पहुंचते-पहुंचते कयर उद्योग की संवृद्धि दर 15% तक और कुल बिक्री रु. 2100 करोड़ तक पहुंच जाएगी । यदि यह संभव हो पाता है तो इस उद्योग में करीब 1,70,000 रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, जिसमें 1,40,000 अवसर महिलाओं के लिए होंगे। यह उद्योग देश के कर्मठ एवं युवा उद्यमियों एवं श्रमिकों के लिए आशा की एक किरण है। प्लास्टिक से बचने के लिए और हमारे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए प्राकृतिक रेशों से बने उत्पाद सबसे अच्छे विकल्प हैं, इसी कारणवश आज संपूर्ण विश्व में कयर उत्पादों की माँग है।

❍❍❍

कयर बोर्ड को दी गई सहायता का विवरण

(रुपये करोड़ में)

वर्ष	आवंटन (आवर्ती व्यय) योजना	जारी निधि/ योजना
2007-08	36.70	35.70
2008-09	47.60	47.60
2009-10	42.00	38.73
2010-11	50.65**	37.16*

* दिसम्बर 2010 तक
** स्फूर्ति सहित
स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

एमएसएमई के विकास में विभिन्न संस्थाओं की भूमिका

डॉ. राजीव कुमार सिन्हा *(रिसर्च एसोसिएट),*
एग्रो-इकोनॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर बिहार एण्ड झारखण्ड
भागलपुर

भारत में सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम (एमएसएमई) अर्थोपार्जन तथा रोजगार के बृहद् अवसरों का सृजन करने की क्षमता वाला क्षेत्र है । यह क्षेत्र 'अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के प्रसार' के माध्यम से अपने विकास की सम्भावना तलाशने के सामर्थ्य से परिपूर्ण है । एमएसएमई (जो लघु तथा मध्यम उद्यमों का ही सूक्ष्म स्तरीय प्रकार या रूप है) भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

यहाँ एक पुरानी कहावत का सहारा 'एमएसएमई' को बेहतर ढंग से समझने के लिए लिया जा सकता है – ''जब अवसर का कोई एक दरवाजा व्यक्ति विशेष के लिए बंद हो जाता है, तब कोई दूसरा दरवाजा स्वयं ही खुल जाता है ।'' विगत तीन वर्षों के दौरान उत्पन्न हुई 'वैश्विक स्तर की आर्थिक मंदी' 'काम के नये अवसरों' में 'गुलाबी गिरावटों' के रूप में प्रतिफलित हुई हैं । विभिन्न 'व्यावसायिक प्रबंधन संस्थानों' तथा 'अभियांत्रिकी महाविद्यालयों' में होनेवाली परिसरीय नियुक्तियों की प्रक्रिया 'विगत वर्षों' की तुलना में (यानी वर्ष 2008 के पहले के वर्षों के मुकाबले) काफी कम है । 'तकनीकी शिक्षा प्राप्त युवक-युवतियों' के लिए तथाकथित 'भुगतानित रोजगार बाजार (पेड जॉब मार्केट)' की ख्याति कम हो रही है । इन ग्रेजुएट (स्नातक उपाधि प्राप्त) नौजवानों के लिए 'उद्यमकर्ता के रूप में कार्य करने का मार्ग' ही नये अवसर के रूप में उपलब्ध है । अभियांत्रिकी तथा प्रबंधन के क्षेत्र में डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री-धारियों को 'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों से संबंधित क्रियाकलापों' से संबंधित अवसरों की ओर भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा करके उन्हें दूसरों के लिए भी काम के नये अवसरों को उपलब्ध कराने का मौका मिल जाएगा (जो अपेक्षाकृत कम शिक्षित या विशिष्ट तकनीकी ज्ञानरहित हैं) । इस माध्यम से अपने लिए तो 'सम्मानजनक ढंग से अर्थोपार्जन का उपाय' हो ही जाएगा । 'नये लघु तथा मध्यम उद्यम' राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित, ठीक ढंग से संचालित तथा पल्लवित होने चाहिए तथा इसके लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त समय है ।

आर्थिक विकास में योगदान

आर्थिक विकास में 'एमएसएमई क्षेत्र' के योगदान की चर्चा की जाए तो यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से 'पश्चगामी तथा अग्रगामी संयोजनों (बैकवार्ड तथा फॉवर्ड लिंकेजेज)' द्वारा यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 45 प्रतिशत के योगदान, कुल निर्यात के 40 प्रतिशत भाग के अंशदान तथा 'भारतीय बाजार' एवम् विदेशी बाजारों के लिए 8000 प्रकार के छोटे-बड़े 'स्तरीय उत्पादों' के निर्माण या उत्पादन द्वारा यह देश के आर्थिक विकास में विशिष्ट योगदान दे रहा है । यह क्षेत्र न सिर्फ मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है, बल्कि 'कृषि-क्षेत्र' के बाद सबसे बड़ा 'रोजगार प्रदायक' साधन (माध्यम) है ।

विशेषज्ञों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था उल्लेखनीय रूप से 'अपने घरेलू बाजारों' तथा 'इसकी जनसंख्या की बढ़ती हुई क्रय-शक्ति' पर निर्भर है । इन 'पूर्व-निर्धारित विकास की शर्तों' को अनवरत रूप से पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था में 10 प्रतिशत वार्षिक से अधिक की संवृद्धि-दर आवश्यक है । यह तभी सम्भव है जब 'एमएसएमई क्षेत्र' वर्तमान से अधिक तीव्र गति से बढ़ेगा ।

संवैधानिक स्थिति

'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम (उद्यम विकास एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006' में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में 'एमएसएमई' को दो वर्गों में विभाजित किया गया है ।

(i) विनिर्माण उद्यम – उद्योगों की प्रथम अनुसूची (विकास तथा नियामक अधिनियम, 1951) में वर्णित किसी उद्योग से संबंधित वस्तुओं के निर्माण अथवा उत्पादन में संलग्न उद्यम इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं । ये 'निर्माण उद्यम' प्लांट तथा यंत्रों, मशीनों में निवेश के रूप में परिभाषित किए जाते हैं ।

(ii) सेवा उद्यम – सेवाएँ उपलब्ध कराने या प्रदान करने के क्षेत्र में संलग्न उद्यम 'सेवा उद्यमों' की श्रेणी में आते हैं तथा उन्हें 'उपस्करों में निवेश' के रूप में परिभाषित किया जाता है ।

बैंकों की भूमिका

इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता कि 'वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया' के तहत 'एमएसएमई क्षेत्र' को बैंकों द्वारा वित्तीय सुविधाएँ मुहैय्या करवाए जाने के मार्ग में कई चुनौतियाँ हैं । 'वाणिज्यिक बैंकों' से 'एमएसएमई क्षेत्र' के लिए समय पर ऋण की उपलब्धता एक बड़ी बाधा मानी जा सकती है, क्योंकि 'वाणिज्यिक बैंक' इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करना एक 'जोखिम भरा साध्य' मानते हैं । भारत में बड़ी संख्या में 'संगठित क्षेत्र' के अंतर्गत आने वाले उद्यम हैं, परंतु वे संस्थागत वित्तीय सुविधाएँ प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं । बैंकों को इस क्षेत्र को 'वित्तीय सुविधाएँ' उपलब्ध कराने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है । साथ-ही-साथ, उद्यमी अनुभव करते हैं कि 'वाणिज्यिक बैंक' भी 'एमएसएमई' को वित्तीय सुविधाएँ उपलब्ध कराने के मामलों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते । इस संबंध में सामान्य रूप से विद्यमान भावना यह है कि वे एकपक्षीय रूप से इस क्षेत्र को 'वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना' अलाभकारी मानते हैं ।

'एमएसएमई क्षेत्र' द्वारा बैंकिंग सुविधा प्राप्त करने के मार्ग में दूसरी चिंताजनक बात यह है कि 'लघु तथा सूक्ष्म उद्यमों' के 'प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों' के केन्द्रीय अथवा मुख्य भाग होने के बावजूद वे बैंकों से उस 'अपेक्षाकृत निम्न ब्याज दर' पर ऋण नहीं प्राप्त कर सकते, जिस दर पर 'कृषि क्षेत्र' को ऋण-सुविधा प्रदान की जाती है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि बैंकर एवम् उद्यमी दोनों यह महसूस करते हैं कि ''तरलता मुख्य मुद्दा'' है, जो इस क्षेत्र के विकास के मामले में हिचकिचाहट उत्पन्न करता है । यहाँ एक उत्साहजनक तथ्य यह है कि लगभग सभी 'संस्थागत साख एजेंसियों (विशेषकर बैंकों)' का यह संगठित दृष्टिकोण है कि इस क्षेत्र से व्युत्पन्न 'जोखिम पूँजी' काफी निम्न है तथा बैंक 'उद्यमियों की बढ़ती हुई संख्या' को आर्थिक सहायता जारी रखने की नीति पर चल रहे हैं ।

वांछित कुशल श्रमिक तथा कर्ज

'एमएसएमई' के प्रसार एवम् सुदृढ़ीकरण हेतु 'केन्द्रीय सरकार' द्वारा किये जा रहे विभिन्न उपायों की श्रृंखला में एक है - ''उद्यमशीलता तथा लघु व्यवसाय विकास के लिए राष्ट्रीय संस्थान (निसबड - एनआईईएसबीयूडी)'' की स्थापना तथा इसके द्वारा 'श्रमिकों में कुशलता वृद्धि के उपाय करना' । युवकों के 'एमएसएमई' से संबंधित 'वस्तुओं एवम् सेवाओं' से संबंधित गतिविधियों में कौशल-वृद्धि के लिए चलाये गये कार्यक्रमों की चर्चा यहाँ अप्रासंगिक नहीं होगी ।

'निसबड' की धनात्मक भूमिका

''नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एन्टरप्रन्योरशिप एण्ड स्मॉल बिजनेस डेवलेपमेंट (निसबड)'' ''एमएसएमई मंत्रालय'' के अंतर्गत एक प्रधान संस्थान है जिसके द्वारा पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश, उड़ीसा, बिहार तथा झारखण्ड राज्यों सहित अन्य कई राज्यों में 'दिसम्बर 2011' तक 35,000 युवकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक 'कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम' संचालित किया गया है । इस संबंध में 'वित्तीय वर्ष 2011-12' के दौरान 'उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों में से कम-से-कम 25 प्रतिशत को रोजगार प्राप्त हो जाने की उम्मीद 'निसबड' को है ।

'संस्थान' द्वारा अधिकतम रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 'बाजार-माँग के आधार' पर 'निपुणताओं की पहचान' की गयी है । मुख्य निपुणताएँ, जिन्हें चिन्हित किया गया है - (i) गृहरक्षण (हाउसकीपिंग), (ii) आतिथ्य, (iii) खुदरा प्रबंधन, (iv) सूचना तकनीक (आईटी), (v) विद्युत अभियांत्रिकी (vi) वेशभूषा की शैली का रूपरेखीकरण, (vii) श्रृंगार के सामानों के निर्माण की कला तथा (viii) श्रृंगार-स्थल का संचालन । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेनेवाले प्रतिभागियों को 'स्वरोजगार के लिए' भी प्रेरित किया जाएगा तथा उन्हें ''राजीव गाँधी उद्यमी मित्र योजना (आरजीयूएमवाई -रगुमाई)'' के तहत हाथों-हाथ सहायता प्रदान की जाएगी । इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में जिला प्रशासन, उद्योग तथा व्यापारिक/व्यावसायिक संघ, बैंकर तथा 'रोजगार उपलब्ध कराने वाली एजेंसियाँ' एक-दूसरे के साथ निकटतापूर्ण संबंध बनाकर काम करेंगी ।

ऊपर वर्णित पाँच राज्यों के अलावा, जहाँ 'निपुणता सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम' लागू किया गया है, उन राज्यों में (i) उत्तराखण्ड, (ii) मध्यप्रदेश, (iii) हरियाणा, (iv) दिल्ली, (v) राजस्थान, (vi) छत्तीसगढ़, (vii) पंजाब, (viii) जम्मू-कश्मीर, (ix) गुजरात तथा (x) चंडीगढ़ हैं ।

यहाँ इस तथ्य की चर्चा विशेष महत्त्व की होगी कि 'शोध अध्ययन सम्पादित करने तथा एमएसएमई क्षेत्रांतर्गत नये तथा पहले से विद्यमान उद्यमियों' को दिशा-निर्देश देने तथा वांछित परामर्श प्रदान करने के अतिरिक्त, निसबड वर्ष 1983 से ही 'राष्ट्रीय' तथा 'अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों' के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों

का आयोजन करता रहा है । 'एमएसएमई क्षेत्र' के विकास तथा सुदृढ़ीकरण में 'निसबड' की अहम भूमिका का आकलन इन आँकड़ाधारित तथ्यों से किया जा सकता है कि 'वर्ष 2010-11' तक 'संस्थान' ने 125 देशों के 2000 व्यक्तियों सहित 70,000 से अधिक 'काम करने के इच्छुक लोगों' को प्रशिक्षित किया । 'वर्ष 2011-12' के दौरान संस्थान ने रोजगार प्राप्त करने योग्य निपुणताओं की प्राप्ति के मामले में कम-से-कम 40,000 लोगों को प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है । संस्थान उक्त वर्षावधि में कम-से-कम 10,000 प्रतिभागियों को 'मजदूरी आधारित'/'स्व-रोजगार के अवसर' उपलब्ध कराने की दिशा में भी प्रयास करेगा ।

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की नीतियाँ

'सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)' के राष्ट्रीय आर्थिक विकास में अहम योगदान के मद्देनजर इनके संरक्षण, समर्थन तथा सुदृढ़ीकरण सहित विकास हेतु केन्द्रीय एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर इन्हें स्वावलंबी बनाने के लिए कई नीतिगत एवम् भौतिक उपाय किये जाते रहे हैं । इन विकासात्मक नीतियों/उपायों को मुख्य रूप से निम्नांकित भागों/वर्गों में रखा जा सकता है :

i) औद्योगिक विस्तार सेवाएँ;
ii) ऋण सुविधाओं से संबंधित संस्थागत सहायता;
iii) 'वस्तुओं के रखने के खुले स्थान' के लिए विकसित स्थलों का प्रावधान;
iv) प्रशिक्षण-सुविधाओं का प्रावधान;
v) किस्तों पर यंत्रों/मशीनों को खरीदने अथवा आपूर्ति की व्यवस्था;
vi) घरेलू विपणन के साथ-ही-साथ निर्यात के लिए सहायता;
vii) पिछले क्षेत्रों में उद्यमों की स्थापना आदि के लिए विशेष प्रोत्साहन; तथा
viii) 'तकनीकी स्तरोन्नयन' के लिए 'तकनीकी परामर्श' तथा 'वित्तीय सहायता' ।

एक ओर जहाँ अधिकतर 'संस्थागत समर्थन सेवाएँ' तथा 'कुछ प्रोत्साहन' 'केन्द्रीय सरकार' द्वारा प्रदान की जाती हैं, वहीं दूसरी सुविधाएँ विभिन्न परिमाणों में राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं । दरअसल ऐसी सुविधाओं, सहायताओं तथा प्रोत्साहनों का उद्देश्य विभिन्न परिमाणों में 'लघु उद्योगों को विस्तारित तथा विकास के पथ पर' सतत रूप से आगे बढ़ाने के लिए निवेशों को आकर्षित करना है । इन सभी प्रयासों तथा 'समग्र रूप में नीतिगत उपायों' के पीछे मंशा औद्योगिक उत्पादनों में वृद्धि द्वारा उनके संबंधित राज्यों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि रही है ।

निःसंदेह रूप से 'केन्द्रीय' तथा 'राज्य सरकारों' द्वारा 'एमएसएमई' के विकासार्थ बनायी गयी नीतियाँ तथा प्रावधान आधारित प्रयास सराहनीय हैं । परंतु जब तक इच्छुक सभी उद्यमियों को इन सारे प्रावधानों की पूर्ण जानकारी देकर उत्पादन से संबंधित क्रिया-कलाप प्रारम्भ करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार/'धनात्मक परिवर्तन' नहीं होगा ।

बेहतर परिणामोन्मुखी उपाय

विगत वर्षों की 'वैश्विक आर्थिक मंदी' के दौरान 'पेड जॉब मार्केट' की क्षीण होती सम्भावना के मद्देनजर 'एमएसएमई क्षेत्र' को सुदृढ़ तथा विकसित करने के लिए विशेष कदम उठाने होंगे । महानगरों तथा बड़े शहरों के अलावा सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के आस-पास भी 'फैक्ट्री आच्छादन' एवम् 'औद्योगिक सम्पति के विकास का क्षेत्र' विकसित करना होगा, जहाँ 'कुछ प्राथमिक वस्तुओं' अथवा 'कृषि पदार्थों की यथेष्ट सहित अतिरेक मात्राओं के उत्पादन पर आधारित' कुछ 'एमएसएमई' स्थापित किए गए हों । भारतीय अर्थव्यवस्था को 'विकास के सम्मानजनक स्तर' पर बनाये रखने के लिए अनवरत रूप से 10 प्रतिशत से अधिक की 'वार्षिक सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) संवृद्धि दर' वांछित है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 'एमएसएसई क्षेत्र' के विस्तार तथा विकास हेतु 'एकत्रीकृत तथा सामूहिक रणनीति' की जरूरत है । परंतु एक खुली वैश्विक अर्थव्यवस्था में सिर्फ 'समन्वित विकासात्मक रणनीति' का निर्माण ही यथेष्ट नहीं होगा । इसके लिए 'केन्द्रीय सरकार' तथा 'सम्बन्धित राज्य सरकारों' के संबंधित मंत्रालयों तथा विभागों को ('नाबार्ड', 'भारतीय रिज़र्व बैंक', 'आईडीबीआई', 'सिडबी' आदि की सलाह लेकर/इनसे अनुशंसाएँ माँगकर) 'एमएसएमई' के सुदृढ़ीकरण हेतु एक 'विशेष ऋण-प्रदायक योजना (नीति) बनानी होगी । इसके तहत, यदि 'एमएसएमई' द्वारा विश्व के विकसित देशों के बाजारों में अपने 'तकनीकी रूप से अधिक श्रेष्ठ वस्तुओं या उत्पादों' की आपूर्ति की योजना हो, तथा इसके

लिए यदि वे अपने उद्यमों में कीमती/ज्यादा मूल्य की मशीनें/यंत्र/उपकरण लगाना चाहते हों, तो उन्हें 'बिना अनावश्यक विलंब किए' अपेक्षाकृत निम्न ब्याज दर' पर माँगी गयी पूर्ण राशि उपलब्ध करानी होगी ।

'प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रों' की भाँति बैंकों को 'एमएसएमई क्षेत्रों' के प्रसार, सुदृढ़ीकरण तथा विकास के लिए स्वयं पहल कर वांछित वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने की रणनीति बनानी होगी । यह इसलिए भी वांछित है कि निकटतम भविष्य में 'आई.टी.', 'इलेक्ट्रॉनिक्स' तथा 'कम्प्यूटर अभियांत्रिकी' आदि के क्षेत्रों में युवाओं के लिए 'रोजगार की सम्भावनाएँ' 'अधिक ग्रहण नहीं करने की स्थिति' में आ जाएंगी और तब 'एमएसएमई क्षेत्र' ही 'रोजगार सृजन' का अत्यंत महत्त्वपूर्ण साधन होगा तथा 'राष्ट्र के आर्थिक विकास' में इसकी अहम भूमिका तो है ही ।

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने के वास्तविक रूप में इच्छुक वैसे लोगों को, जिन्होंने 'निसबड द्वारा संचालित' 'कौशल सृजन प्रशिक्षण कार्यक्रम' अथवा सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा समय-समय पर संचालित विभिन्न प्रशिक्षणों में प्रतिभागिता की हो, एमएसएमई क्षेत्रों की उत्पादन या विनिर्माण इकाइयों तथा 'औद्योगिक उत्पादन गतिविधियों' में 'सम्मानजनक तथा प्रोत्साहक पारिश्रमिक की दरों' पर रोजगार प्रदान करना ही होगा । सरकार एवम् भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड तथा आईडीबीआई जैसी शीर्ष वित्तीय संस्थाओं/एजेंसियों द्वारा 'एमएसएमई' के लिए सिर्फ नीतियाँ या प्रावधानों का निर्धारण कर देने से परिदृश्य नहीं बदल जाएगा । इसके लिए शोधाधारित सर्वेक्षणों द्वारा देश के व्यापक सुदूरवर्ती क्षेत्रों में 'क्षेत्र-विशेष के लिए उपयुक्त उद्यमों, विभिन्न क्रियाकलापों में 'पारम्परिक तथा तकनीकी दक्षता प्राप्त उद्यमियों (इच्छुक)' की पहचान कर उन्हें 'यथेष्ट आर्थिक सहायता (ऋण संबंधी)' प्रदान करनी होगी ।

ऊपर वर्णित उपायों को 'योजनाबद्ध ढँग' से अपनाये जाने पर भारत में 'एमएसएमई' का न सिर्फ विकास एवम् सुदृढ़ीकरण होगा, बल्कि वे अनवरत रूप से देश के आर्थिक विकास में उत्साहजनक ढंग से योगदान करते रहेंगे और यही वर्तमान समय की महत्त्वपूर्ण माँग भी है ।

❍❍❍

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न एजेंसियां

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
- भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई)
- भारतीय बैंकिंग कोड एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई)
- वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार
- भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)
- राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि. (एनएसआईसी)
- खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
- कयर बोर्ड
- असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के लिए राष्ट्रीय आयोग (एनसीईयूएस)
- राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड)
- विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी)
- पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय (डीजीएसएंडडी)
- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी)
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)
- भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई)

एमएसएमई के विकास में कार्यरत एजेंसियां

ध्रुव कुमार फिटकरीवाला
मुख्य प्रबंधक (अग्रणी बैंक)
भारतीय स्टेट बैंक, देवघर, झारखंड

किसी भी देश की लघु एवं मध्यम इकाइयां देश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में एक प्रमुख सहयोगी की महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारत जैसे देश में लघु एवं मध्यम इकाइयां राजस्व संग्रह करने, रोजगार के अवसर प्रदान करने और वैश्विक बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक छवि बढ़ाने जैसे मुख्य कार्य के साथ-साथ आर्थिक स्थिरता बढ़ाने जैसी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयां दूसरी सबसे बड़ी अंशदाता बन गई हैं। एक अनुमान के अनुसार, यह क्षेत्र मूल्य के मामले में निर्माण (मैन्यूफैक्चरिंग) में 39 प्रतिशत और कुल निर्यात में करीब 33 प्रतिशत हिस्सेदारी निभा रहा है। हाल के वर्षों में औद्योगिक क्षेत्र के कुल उत्पादन में इस क्षेत्र की भागीदारी और संवृद्धि दर प्रत्येक वर्ष बढ़ती ही जा रही है। भारतीय परिदृश्य में जहां सरकार विभिन्न प्रयासों और पहलों द्वारा उद्यमियों के कौशल को विकसित (nurture) कर रही है, वहीं लघु एवं मध्यम इकाइयों का व्यवसाय देश की अर्थव्यवस्था में मेरुदण्ड के समान है।

भारत सरकार ने दिनांक 16 जून 2006 को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का विधीकरण किया, जिसे दिनांक 02 अक्तूबर 2006 को अधिसूचित किया गया । इस अधिनियम को संक्षेप में एमएसएमईडी (MSMED) अधिनियम, 2006 कहा जाता है। इस अधिनियम के पारित होने से, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा में मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में विस्तार होने के साथ-साथ सेवा क्षेत्र को भी शामिल कर लेने से इसमें आमूलचूल परिवर्तन हुआ है । उपर्युक्त अधिनियम द्वारा किसी वस्तु के निर्माण को उत्पादन और सेवाएं उपलब्ध कराने वाले सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा को भी संशोधित कर दिया गया है और बैंक ऋण के मामलों में यही परिभाषा मान्य होगी।

भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशानुसार मध्यम उद्यमों को बैंकों द्वारा दी गई ऋण सुविधाओं को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण सुविधा नहीं माना जाएगा। लेकिन खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र की सभी इकाइयों को दी गई सभी ऋण सुविधाओं को प्राथमिकता क्षेत्र का ऋण माना जाएगा, हालांकि इन इकाइयों का संयंत्र एवं मशीनरी में मूल निवेश की राशि एवं परिचालन का आकार चाहे कुछ भी हो।

चुनौतियां एवं बाधाएं

इस क्षेत्र को अपनी विकास यात्रा को जारी रखने के क्रम में कई बाधाओं एवं चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिनमें से प्रमुख निम्नांकित हैं –

- समय पर एवं आवश्यकतानुसार पर्याप्त बैंक ऋण का न मिलना
- सीमित ज्ञान एवं पूंजी के साथ-साथ उपयुक्त तकनीक का उपलब्ध न होना एवं
- निम्न उत्पादन क्षमता, अप्रभावी विपणन युक्तियां, नये बाजार की पहचान करने में ध्यान न देना एवं विस्तारीकरण तथा आधुनिकीकरण की बाधाएं, आदि ।

एमएसएमई से जुड़ी संस्थाएं/एजेंसियां

एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए भारत सरकार सहित राज्य सरकारें भी अपना ध्यान दे रही हैं। साथ ही इस क्षेत्र के विकास के लिए कई संस्थाएं/एजेंसियां भी लगी हुई हैं, जिनके परिश्रम से यह क्षेत्र विकास के नये पथ पर अग्रसर है। इन प्रमुख संस्थाओं एवं एजेंसियों का संक्षिप्त विवेचन आगे प्रस्तुत है।

सरकारी प्रयास

एमएसएमई इकाइयों को वैश्वीकरण की चुनौतियों से सफलतापूर्वक सामना करने में सक्षम बनाने के लिए भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कई प्रयास किये हैं, जो निम्नांकित हैं –

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 का विधीकरण किया गया है।
- राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगात्मक काउंसिल (नेशनल मैन्यूफैक्चरिंग कंपिटीटिवनेस काउंसिल-एन. एम. सी. सी.)

एवं असंगठित क्षेत्र की इकाइयों के राष्ट्रीय आयोग (एन. सी. ई. यू. एस.) का गठन हुआ है ।

- अगले पांच वर्षों में इस क्षेत्र को उपलब्ध कराये जाने वाले ऋण की मात्रा को बढ़ाकर दुगुना करने हेतु सरकार ने एक नीतिगत पैकेज की भी घोषणा की है।
- कोहली समिति की अनुशंसाओं के अनुरूप रुग्ण एमएसएमई इकाइयों के पुनर्वास के लिए दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।
- केंद्र में एक अलग सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाई मंत्रालय का गठन किया गया है।
- अनेक राज्य सरकारों ने भी अपने यहां उद्योग मंत्रालयों के अतिरिक्त कार्यक्रम क्रियान्वयन एवं संस्थात्मक वित्त विभागों का गठन किया है, जहां से इन इकाइयों की समस्याओं के निवारण का हर संभव प्रयास किया जाता है।
- एमएसएमई क्षेत्र पर विशेष ध्यान फोकस करने के लिए प्रधानमंत्री की एमएसएमई विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
- राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र को परामर्शी एवं तकनीकी सहायता/सहयोग उपलब्ध कराने के लिए जनपदों में जनपद उद्योग केंद्रों की स्थापना की है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुरू से ही देश की अर्थव्यवस्था के एक महत्त्वपूर्ण घटक के रूप में एमएसएमई क्षेत्र की महत्ता को समझा है और इस क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा प्रगतिशील एवं नवोन्मेषी कदम उठाता रहा है, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्नांकित हैं :-

i) राज्यस्तरीय अंतःसंस्थात्मक समितियों का गठन, जिनके माध्यम से रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास में लगी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित किया जाता है।

ii) केंद्रीय वित्त मंत्री महोदय द्वारा की गई घोषणा के अनुरूप भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एमएसएमई पर एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है, जो समय-समय पर इस क्षेत्र को उपलब्ध कराई गई ऋण सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा करने के साथ-साथ इसमें आ रही कठिनाइयों को दूर करने के उपाय भी करती है।

iii) एमएसएमई को ऋण के प्रवाह पर उच्चस्तरीय समिति (कपूर समिति) का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना।

iv) एमएसएमई को ऋण की पर्याप्तता एवं संबंधित विषयों की जांच/समीक्षा के लिए समिति (नायक समिति) का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना।

v) एमएसएमई क्षेत्र को ऋण के प्रवाह पर कार्यकारी दल (गांगुली समिति) का गठन एवं उसकी अनुशंसाओं को लागू करना आदि।

वाणिज्यिक बैंक

जैसे-जैसे भारत की अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, एमएसएमई क्षेत्र के विकास के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं । चूंकि यह क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दे रहा है, हमारे वाणिज्यिक बैंक भी उनकी सहायता करने एवं ऋण प्रदान करने में पीछे नहीं हैं और अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से वे इस क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के मार्गदर्शन भी उपलब्ध करा रहे हैं। यहां तक कि मार्जिन की रकम नहीं होने पर हमारे बैंक इक्विटी अंशदान भी करते हैं तथा कुछ मामलों में ब्याजमुक्त ऋण भी देते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की ऐसी ही एक योजना एस.बी.आई.स्माइल है। भारतीय वाणिज्यिक बैंकों से अपेक्षा है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को दी जाने वाली ऋण की मात्रा बढ़ायें । प्रधानमंत्री की एमएसएमई टास्क फोर्स की अनुशंसाओं के आलोक में उन्हें इस क्षेत्र को दिए जानेवाले ऋणों में प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत तथा वित्तपोषित सूक्ष्म उद्यमों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है और अग्रणी जिलों में एमएसएमई को समर्पित विशिष्ट शाखाएं खोलने को कहा गया है। भारत में कार्यरत विदेशी बैंकों के लिए भी समुचित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिन्हें उन्हें पूरा करना है।

एमएसएमई उद्यमों को ऋण उपलब्ध कराने हेतु बैंकों को जारी सामान्य दिशानिर्देश/निर्देश

आवेदनों का निपटारा- पूरी तरह से पूर्ण एवं एक जांच सूची के साथ प्राप्त 25000 रु. तक के ऋण आवेदन 2 सप्ताह में तथा 5 लाख रु. तक के ऋण आवेदन 4 सप्ताह में निपटाये जाने चाहिए ।

संपार्श्विक प्रतिभूति – बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वे इस क्षेत्र को दिये जानेवाले 10 लाख रु. तक के ऋणों में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति स्वीकार न करें। उन्हें यह भी कहा गया है कि वे खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में 10 लाख रु. तक के मामलों में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति न लें। अपने बैंक के सक्षम अधिकारी की अनुमति से बैंक शाखाएं अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड और वित्तीय स्थितिवाली एमएसएमई इकाइयों में संपार्श्विकमुक्त ऋण की राशि बढ़ाकर 25 लाख रु. तक कर सकती हैं और उन्हें शाखा स्तर पर अपने अधिकारियों को ऋण गारंटी योजना का लाभ लेकर संपार्श्विकमुक्त ऋण देने को प्रोत्साहित करना चाहिए।

सम्मिश्र ऋण – एमएसएमई उद्यमियों को आवधिक ऋण एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को एकल खिड़की द्वारा पूरा करने के लिए बैंक उन्हें 1 करोड़ रु. तक के सम्मिश्र (कम्पोजिट) ऋण स्वीकृत कर सकते हैं।

विशिष्ट एमएसएमई शाखाएं – सरकारी बैंकों को कहा गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक विशिष्ट एमएसएमई शाखा खोलें, जिससे वे एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों पर विशेष ध्यान देकर उनकी आवश्यकताएं अच्छी तरह पूरी कर उन्हें बेहतर सेवाएं दे सकें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों से अपेक्षा की है कि वे अपनी प्रत्येक ग्रामीण एवं अर्धशहरी शाखाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष औसतन 5 लघु/मध्यम इकाइयों का वित्तपोषण करने का प्रयास करें।

खादी ग्रामोद्योग आयोग/ खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

विभिन्न राज्यों में कार्यरत खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं खादी ग्रामोद्योग आयोग अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की हस्तशिल्प एवं ग्रामोद्योग इकाइयों के विकास के लिए उनके कर्मियों के प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन, विभिन्न कार्यकलापों के लिए सब्सिडी देने और बैंक ऋण के लिए मार्जिन की रकम की व्यवस्था करने, आदि के द्वारा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं।

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

एमएसएमई क्षेत्र के त्वरित विकास तथा उनकी समस्याओं के शीघ्र निपटारे के लिए सरकार ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे हम सुविधा के लिए 'सिडबी' के नाम से जानते हैं, की स्थापना की है। एमएसएमई के लिए सिडबी का कहना है कि 'सिडबी का साथ है तो क्या बात है' तथा सिडबी एमएसएमई को बेहतर तरीके से समझता है। सिडबी इस क्षेत्र और विभिन्न एजेंसियों के बीच एक बहुत ही मजबूत समन्वयक का भी रोल अदा करता है और इस क्षेत्र की इकाइयों को सीधे वित्त की सुविधा भी प्रदान करता है । सिडबी ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पुनर्वित्त सुविधा का पूरा लाभ बैंकों और राज्य वित्त निगमों को दिया है और इस क्षेत्र को सिडबी द्वारा दिए जानेवाले ऋण की बकाया रकम बढ़कर 46,331 करोड़ रु. तक जा पहुंची है। सिडबी की विभिन्न ऋण योजनाओं पर नीचे की तालिका एक विहंगम दृष्टि डालती है :-

ऋण सुविधा का प्रकार	उद्देश्य
सीधी ऋण सुविधा	नई इकाइयों की स्थापना, चालू इकाइयों के विस्तार एवं आधुनिकीकरण हेतु
रिसिवेबुल वित्त	विपत्रों/बीजकों के विरुद्ध ऋण सुविधा हेतु
सूक्ष्म वित्त	योग्य सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (MFIs) हेतु
जोखिम पूंजी	एमएसएमई उद्यमों के विकास हेतु उनकी अमूर्त आवश्यकताओं के वित्तपोषण हेतु
प्रथागत व्यवस्था (Customised arrangement)	समूह (कलस्टर) में एमएसएमई उद्यमों के वित्तपोषण हेतु
ऊर्जा दक्षता निवेश	ऊर्जा संरक्षण/स्वच्छता हेतु रियायती दरों पर ऋण सुविधा हेतु

राज्य वित्त निगम

भारत के करीब-करीब प्रत्येक राज्य में राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में राज्य वित्त निगमों की स्थापना की है, जिनके माध्यम से एमएसएमई उद्योगों को परामर्श सेवा सहित आवधिक ऋण एवं कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन कुछ विकसित राज्यों को छोड़कर अधिकांश राज्यों में इन निगमों का कार्यकलाप अपेक्षित स्तर का नहीं है।

भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (IFCI) लि.

सार्वजनिक क्षेत्र की भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लि.(IFCI) नामक कम्पनी भी एमएसएमई उद्यमों को विभिन्न सेवाएं

उपलब्ध करा रही है। साथ ही, यह कम्पनी रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास में भी प्रयासरत है और उन्हें भी विभिन्न ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराती है।

लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड

विभिन्न राज्यों में कार्यरत लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड भी इस क्षेत्र के उद्यमों के विकास एवं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार से प्रयासरत हैं।

बैंकिंग कोड्स एवं स्टैण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया (BCSBI)

बैंकिंग कोड्स एवं स्टैण्डर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे बी.सी.एस.बी.आई. के नाम से भी जाना जाता है, ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के प्रति बैंकों की वचनबद्धता पर एक आचार संहिता (कोड) तैयार की है, जिसका पालन बैंकों से किया जाना अपेक्षित है। यह कोड बैंकों द्वारा एमएसएमई उद्यमों से व्यवहार करते समय अपनाये जानेवाले न्यूनतम मानक की आचार संहिता है, जो एक ऐच्छिक संहिता है। यह संहिता एमएसएमई उद्यमों को संरक्षण प्रदान करती है और यह बताती है कि इनके दिनानुदिन के परिचालन और वित्तीय परेशानी के समय बैंकों से किस तरह का व्यवहार अपेक्षित है। यह संहिता किसी भी तरह भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी नियामक एवं पर्यवेक्षी निर्देशों को निरस्त या परिवर्तित नहीं करती है, और बैंकों को समय-समय पर जारी भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास निधि

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी न्यास निधि भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र में संपार्श्विक (कोलेटरल) प्रतिभूतिमुक्त ऋणों का विस्तार करना है। इस योजना के अन्तर्गत 1 करोड़ रु. तक के संपार्श्विकमुक्त ऋणों की अल्प प्रीमियम पर गारंटी दी जाती है। इस योजना के अधीन दिये गये ऋण यदि गैर निष्पादक आस्ति या एन.पी.ए. बन जाते हैं तो ट्रस्ट द्वारा प्रतिभूतिरहित एन.पी.ए. की 75 प्रतिशत राशि (महिलाओं के लिए 80 प्रतिशत), अधिकतम 62.50 लाख रु. संबंधित बैंक को भुगतान कर दी जाती है।

एमएसएमई विकास संस्थान

एमएसएमई विकास संस्थान को पहले लघु उद्योग सेवा संस्थान के नाम से जाना जाता था। इस संस्थान के प्रमुख कार्यालय कोलकाता, मुम्बई एवं नागपुर में हैं। इसके साथ अन्य जगहों पर भी इसके कार्यालय हैं । यह भारत सरकार के एमएसएमई विकास आयुक्त का क्षेत्र (Field) संस्थान हैं और यह एमएसएमई उद्यमों के प्रवर्तन (Promotion) एवं विकास में सहयोग प्रदान करता है। इस संस्थान का उद्देश्य एवं लक्ष्य एमएसएमई के संबंध में भारत सरकार के नीति निर्देशों को लागू कराना भी है।

राज्यस्तरीय बैंकर समिति/अग्रणी बैंक

प्रत्येक राज्य में एक प्रमुख बैंक के संयोजन में राज्यस्तरीय बैंकर समिति कार्यरत है। उसी तरह प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंक योजना के अन्तर्गत एक बैंक अग्रणी बैंक की भूमिका निभा रहा है। प्रत्येक राज्यस्तरीय बैंकर समिति ने अपने यहां एक उपसमिति गठित की है, जो एमएसएमई क्षेत्र को बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह की समय-समय पर समीक्षा करती है, इस क्षेत्र को परेशानीमुक्त ऋण प्रवाह को बढ़ाने की व्यवस्था करती है और समय-समय पर बैंकों को समुचित निर्देश और मार्गदर्शन जारी करती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के वार्षिक नीति वक्तव्य (Annual Policy Statement), 2007-08 के पैरा 157 के अनुसार राज्यस्तरीय बैंकर समिति के हर संयोजक को कहा गया है कि वे इस क्षेत्र को उपलब्ध कराये जानेवाले ऋण के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं की समय-समय पर समीक्षा करें और उस व्यवस्था में लगातार सुधार सुनिश्चित करें। इसी तरह प्रत्येक अग्रणी बैंक में भी जिला परामर्शदात्री समिति की एक उपसमिति का गठन किया गया है, जो इस क्षेत्र को ऋण-प्रवाह पर विशेष ध्यान केंद्रित करती है और इस दिशा में आनेवाली कठिनाइयों के समाधान का प्रयास करती है।

एमएसएमई उद्यम, जिनके बारे में कहा जाता है, ''जो आज छोटा है वह कल बड़ा होगा''(Small is the future big) के विकास को नया आयाम देने एवं उनकी समस्याओं को चिह्नित कर उनके निवारण पर विचार-विमर्श करने के लिए अगस्त 2011 माह में भारतीय चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा भुवनेश्वर में एक 'एमएसएमई शीर्ष सम्मेलन 2011' का आयोजन किया गया था, जिसमें उद्योग जगत की नामी-गिरामी हस्तियों के अतिरिक्त माननीय सूक्ष्म,

लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, भारत सरकार और पश्चिम बंगाल एवं उड़ीसा सरकार के अनेक उच्चाधिकारियों ने सहभागिता की थी। इस शीर्ष सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के श्री मानस रंजन भूनिया ने कहा कि 'एमएसएमई उद्यम ही भविष्य के चालक होंगे।' पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी राज्य के लिए एमएसएमई की महत्ता पर पहले ही जोर दे चुकी हैं और सरकार ने राज्य में लघु उद्योगों के उन्नयन के लिए 17 क्लस्टरों की पहचान की है। राष्ट्रीय एमएसएमई संगोष्ठी में वित्त एवं तकनीक द्वारा प्रतिस्पर्धात्मकता (Competitiveness) विषय पर बोलते हुए मुख्य अतिथि- माननीय श्री वीरभद्र सिंह, मंत्री, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, भारत सरकार ने इस बात को दुहराया कि ये उद्यम भारत के आर्थिक विकास के इंजन हैं और समावेशी विकास प्रक्रिया के प्रोन्नयन के लिए पसंदीदा वाहन हैं। इस संगोष्ठी में इन उद्यमों के लिए एक नया मंत्र 'प्रतिस्पर्धा करो और विजयी बनो' (compete and conquer) भी दिया गया। (साभार - दि इकॉनॉमिक टाइम्स, कोलकाता दिनांक - 2 अगस्त 2011)

निश्चय ही, एमएसएमई उद्यम देश के आर्थिक विकास एवं सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं एवं पूरा देश विकास यात्रा के लिए उनकी ओर टकटकी लगाकर देख रहा है ।

❍❍❍

सूक्ष्म व लघु उद्यमों को बकाया बैंक ऋण

(करोड़ रुपये में)

मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति अनुसार	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	निवल बैंक ऋण के प्रति एमएसई ऋण का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
2005	67,800	8,592	6,907	83,498	8.8
2006	82,434 **(21.6)**	10,421 **(21.3)**	8,430 **(22.1)**	1,01,285 **(21.3)**	7.5
2007	1,02,550 **(24.4)**	13,136 **(26.1)**	11,637 **(38.0)**	1,27,323 **(25.7)**	7.2
2008	1,51,137 **(47.4)**	46,912 **(257.1)**	15,489 **(33.1)**	2,13,538 **(67.7)**	11.6
2009	1,91,408 **(26.6)**	46,656 **(0.0)**	18,063 **(16.6)**	2,56,127 **(19.9)**	11.3
2010 (अस्थाई)	2,78,398 **(45.4)**	64,534 **(38.3)**	21,080 **(16.7)**	3,64,012 **(42.1)**	13.4

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक

टिप्पणी:

1. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाते हैं ।
2. 2008 के दौरान दिखी उच्च वृद्धि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार एमएसई के पुनः वर्गीकरण के कारण है । प्रथम, लघु (विनिर्माण) इकाइयों की निवेश सीमा 1 करोड़ रु. से 5 करोड़ रु. बढ़ाई गई और लघु सेवा में 10 लाख रु. से 2 करोड़ रु. तक की निवेश सीमा वाले उद्यमों को शामिल किया गया । दूसरे, सेवा उद्यमों के कवरेज को विस्तृत करते हुए उसमें छोटे सड़क और जल परिवहन संचालकों, लघु व्यवसाय, प्रोफेशनल और स्व-रोजगार तथा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत दी गई परिभाषा के अनुसार सभी अन्य सेवा उद्यम शामिल किए गए ।
3. परिपत्र आरपीसी.सीओ.प्लान.बीसी. 24/04.09.01/2009-10, दिनांक 18 सितंबर 2009 के माध्यम से खुदरा व्यापार (क्रेडिट सीमा 20 लाख रुपये से अधिक नहीं) को भी एमएसई क्षेत्र के कार्यक्षेत्र के तहत शामिल किया गया है ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास में सिडबी की भूमिका

अनिता सचदेवा
महाप्रबंधक
सिडबी, लखनऊ

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) भारत के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के प्रमुख आधार हैं। देश के औद्योगिक विकास में इस क्षेत्र का उल्लेखनीय योगदान है। यह क्षेत्र बृहद है तथा इसमें असंगठित क्षेत्र भी शामिल है। कृषि क्षेत्र के बाद एमएसएमई रोजगार देनेवाला सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश में मौजूद एक दृढ़ एवं सक्रिय एमएसएमई क्षेत्र उच्च संवृद्धि दर एवं सकल घरेलू उत्पाद हासिल करने में विशेष रूप से सहायक है। लगभग 60 वर्षों में भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र ने राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ और स्थायी बनाने की दिशा में महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। अपनी बुनियादी शक्ति और लचीलेपन को बढ़ाकर इसने एक के बाद एक ऊंचाइयों को स्पर्श किया है। इस क्षेत्र में 7500 से भी अधिक उत्पादों का उत्पादन होता है, जिनका फलक, विविधता की दृष्टि से, काफी व्यापक है। इस क्षेत्र का उत्पादन विनिर्माण क्षेत्र के कुल उत्पादन का लगभग 40 प्रतिशत और कुल निर्यात का 35 प्रतिशत है। देश भर में, 30 लाख से अधिक इकाइयों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र उद्यमिता प्रतिभा के संवर्द्धन में संपोषक की और औद्योगिकी संवर्द्धन में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है।

वर्तमान में, एमएसएमई क्षेत्र उद्यमिता प्रतिभा के सबसे बड़े नियोजकों में से एक है, जो अनुमानित तौर पर 170 लाख से अधिक व्यक्तियों को सीधे रोजगार उपलब्ध कराता है। इस प्रकार, यह क्षेत्र, लाभप्रद रोजगार देने के राष्ट्रीय उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक माध्यम के रूप में उभरा है। अनुषंगी इकाइयों तथा उप-संविदा इकाइयों की स्थापना से लघु उद्योग तथा बड़े उद्योगों के बीच संपर्क सुदृढ़ होते हैं। एमएसएमई इकाइयों की सकल घरेलू उत्पादन में हिस्सेदारी, कम पूँजी निवेश, निर्यात में योगदान, अधिक रोजगार सृजन की क्षमता तथा ग्रामीण और अर्द्ध शहरी क्षेत्रों के औद्योगिक कार्यकलापों में इसके विस्तृत फैलाव के कारण देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था में लघु उद्योग इकाइयों के बढ़ते महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 1988-89 के बजट में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायक संस्था के रूप में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना के अपने निर्णय की घोषणा की। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना लघु उद्योग क्षेत्र की इकाइयों के संवर्द्धन, वित्तपोषण तथा विकास के साथ-साथ इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं के कार्यों का समन्वय करने के लिए प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में की गई है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने 02 अप्रैल 1990 से अपना कार्य प्रारंभ किया।

सिडबी को इसकी संविधि के अंतर्गत भारत के एमएसएमई क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने, उनका वित्तपोषण और विकास करने तथा इसी प्रकार की गतिविधियों से जुड़ी अन्य संस्थाओं के कार्यों में तालमेल बनाए रखने के लिए एक प्रमुख वित्तीय संस्था के रूप में कार्य करना है। इसका कार्यक्षेत्र काफी व्यापक है। इसे विकेन्द्रीकृत क्षेत्र के लघु, अत्यंत लघु, ग्रामीण व कुटीर उद्योगों के समूचे क्षेत्र को सहयोग करने का महत्त्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है।

सिडबी का ध्येय है : ''आर्थिक संवृद्धि, रोजगार सृजन तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास की प्रक्रिया में योगदान करने के उद्देश्य से अल्प, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सशक्त बनाना।''

सिडबी का लक्ष्य है : ''अल्प, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को सुदृढ़, ऊर्जावान तथा वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के उद्देश्य से उसकी वित्तीय और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति का एकल केन्द्र बनना, सिडबी की छवि वरीय और ग्राहक-अनुकूल संस्था के रूप में स्थापित करना तथा आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शेयरधारकों के धन तथा सर्वोच्च निगमित मूल्यों की वृद्धि करना।''

इसके सहयोग के दायरे में संवर्द्धनशील वित्त पोषण एवं विस्तार सहयोग शामिल हैं, जो नयी परियोजनाओं की स्थापना तथा मौजूदा इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण, पुनर्वास के लिए उपयुक्त योजनाओं के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं। अधिनियम के अंतर्गत बैंक को शीर्ष संस्था के रूप में अधिकार दिए गए तथा काफी लचीलापन प्रदान किया गया ताकि ऋण वितरण ढांचे तथा सहयोग सेवा एजेंट के माध्यम से वह देश के सर्वाधिक दूरदराज के इलाकों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को

वित्तीय सहयोग सेवाएं प्रदान करने में अतिसक्रिय हो सके। साथ ही, एमएसएमई क्षेत्र के विकास में लगी वर्तमान संस्थाओं के नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने में सहायता भी करनी है।

चूँकि सिडबी को मौजूदा राज्यस्तरीय संस्थाओं व बैंकों के प्रयासों और क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने तथा उन्हें पूरक सहयोग देने के लिए शीर्ष भूमिका निभानी है, अत: बैंक अपनी वित्तीय एवं सहयोग सेवाओं के माध्यम से तथा उपयुक्त समन्वय प्रणाली स्थापित कर एमएसएमई क्षेत्र की सहायता करता है।

सिडबी के परिचालनों को तीन प्रमुख श्रेणियों में बांटा गया है: [i] अप्रत्यक्ष सहायता, [ii] प्रत्यक्ष सहायता, [iii] विकास व सहयोग सेवाएं।

पुनर्वित्त योजना सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं के माध्यम से निधियों की उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से बनाई गई। प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं में अनुसूचित बैंक, राज्य वित्तीय संस्थाएं, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि शामिल हैं। पात्र प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाएं, पात्र औद्योगिक प्रतिष्ठानों को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित करने और उनके विस्तार/आधुनिकीकरण/विविधीकरण के लिए जो ऋण देती हैं, उनके प्रति सिडबी पुनर्वित्त प्रदान करता है। पुनर्वित्त सहायता नए सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की स्थापना और नई इकाइयों के विस्तार, आधुनिकीकरण, विविधीकरण के लिए तथा उन सभी गतिविधियों के लिए, जो योजना के अंतर्गत सहायता के लिए पात्र हैं, प्रदान की जाती है। इसमें प्रोफेशनल प्रैक्टिस/ सेवा क्षेत्र की इकाइयाँ जैसे पर्यटन संबंधी गतिविधियाँ/अस्पताल/ नर्सिंग होम/पॉलिक्लीनिक/ होटल/ अल्पाहार गृह/ विपणन एवं औद्योगिक मूलभूत संरचना परियोजनाएं शामिल हैं।

प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं की पात्रता और एक्सपोजर सीमाओं का निर्धारण क्रिसिल द्वारा विकसित रेटिंग पैमाने पर प्राथमिक ऋणदात्री संस्था की रेटिंग से किया जाता है।

पुनर्वित्त के लिए बैंक की दो प्रकार की योजनाएं हैं : स्वचालित पुनर्वित्त योजना एवं सामान्य पुनर्वित्त योजना।

स्वचालित पुनर्वित्त योजना में अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के मामले में 200 लाख रुपये तक, राज्य सरकारी बैंकों (जिनमें पीसीबी/यूसीबी आदि शामिल हैं) के मामले में 50 लाख रुपये तक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में 20 लाख रुपये तक के एकल प्रस्ताव शामिल किए जाते हैं। स्वचालित पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत सिडबी कोई मंजूरी-पूर्व जाँच नहीं करता। उक्त सीमाओं से ऊपर के सभी प्रस्ताव सामान्य पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत शामिल होते हैं।

प्रत्यक्ष सहायता : सिडबी परियोजना वित्त के अंतर्गत नवोन्मेषी तथा आर्थिक एवं वित्तीय रूप से व्यवहार्य योजनाओं के लिए प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता है।

विकास व सहयोग सहायता

सिडबी की संवर्द्धनशील एवं विकास सहायता का दायरा काफी व्यापक है तथा इस पर विस्तृत चर्चा लेख में आगे की गई है।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र के आकार तथा देश के आर्थिक विकास एवं सकल घरेलू उत्पादन में उसके योगदान के मद्देनजर भारत सरकार इस क्षेत्र के विकास में विशेष ध्यान दे रही है। सरकार सिडबी के माध्यम से विशेष योजनाएं भी संचालित कर रही है।

एमएसएमई क्षेत्र में देश के सकल घरेलू उत्पादन में 8% से अधिक योगदान करने का सामर्थ्य है। यदि इस क्षेत्र को समय पर, कम दरों में पर्याप्त वित्त उपलब्ध नहीं होता तो उसकी क्षमता का पूर्ण दोहन नहीं हो पाता। बड़ी-बड़ी कंपनियां येन केन प्रकारेण संस्थागत अथवा गैर-संस्थागत स्रोतों से वित्त आदि प्राप्त कर लेती हैं। किन्तु समस्या तो अति लघु और लघु उद्यमों के समक्ष आती है। उन्हें किफायती दरों पर ऋण प्राप्त करने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, आज प्राथमिक ऋणदात्री संस्थाओं का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो गया है जिनमें 80,000 से अधिक शाखाएं हैं। कई समितियां तथा कार्यदल गठित किए गए हैं जो एमएसएमई वित्त के संवर्द्धन हेतु मार्गदर्शन देने व कार्यनीति विकसित करने के कार्य में संलग्न हैं। उनकी सिफारिशों के आधार पर उपयुक्त नीतियां एवं कार्यक्रम तैयार किए गए हैं तथा एमएसएमई को समर्थन प्रदान करने में उनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

भारत में एमएसएमई का एक विशिष्ट लक्षण यह है कि अन्य विकासशील देशों की भांति हमारे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम भी अपनी पूँजी का कुशल उपयोग करते हैं। चूँकि उन्हें पूँजी उपलब्धता की कठिनाइयों का पूर्ण आभास है, अत: उन्होंने नवोन्मेषी होना तथा पूँजी का कुशल उपयोग करना सीख लिया है। वे प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढाल लेते हैं। जब

आर्थिक उदारीकरण आरंभ हुआ तो सभी के मन में यह व्यापक संशय था कि कहीं इससे हमारे एमएसएमई हाशिये पर न चले जाएं।

किन्तु एमएसएमई का महत्त्व और भी बढ़ गया है तथा भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सतत सहभागी होने के साथ-साथ रोजगार सृजन, औद्योगिक विनिर्माण एवं निर्यात में भी उनका योगदान है। औद्योगिक विनिर्माण में एमएसएमई का 45% से अधिक तथा कुल निर्यात में 35% से अधिक योगदान है।

एमएसएमई क्षेत्र के समग्र विकास में सहभागी होने के प्रयासों के तहत सिडबी, क्रेडिट प्लस का दृष्टिकोण अपनाता है जिसके अंतर्गत बैंक ऋण देने के साथ-साथ इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय बाजार में गतिशील तथा प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए संवर्द्धन एवं विकास हेतु अनुदान तथा सुलभ ऋण सहायता उपलब्ध कराता है। सिडबी अपने सहयोगी संगठनों के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र की विभिन्न ऋण एवं ऋणेतर जरूरतों जैसे क्रेडिट गारंटी, क्रेडिट रेटिंग उद्यम पूँजी, प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण आदि की भी पूर्ति करता है। सिडबी ने वर्ष 2000 में भारत सरकार के साथ मिलकर क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्मॉल एन्टरप्राइजेज (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की है।

सीजीटीएमएसई सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी योजना चलाता है, जिसमें सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदत्त 100 लाख रुपये तक की संपार्श्विक/तृतीय पक्ष की गारंटी रहित ऋण सुविधा हेतु गारंटी दी जाती है। सीजीटीएमएसई की स्थापना से बैंकिंग क्षेत्र में क्रांति का सूत्रपात हुआ है। अब अधिक-से-अधिक बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं ने मध्यम एवं लघु उद्यमों को ऋण देना आरंभ कर दिया है। सीजीटीएमएसई से गारंटी प्राप्त करने के बाद कई छोटे-छोटे उद्यमों को बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं ने आगे बढ़कर ऋण दिया है।

गारंटीकृत एमएसएमई इकाइयों के उत्पादन, निर्यात और रोजगार की दृष्टि से क्रेडिट गारंटी योजना परिचालनों की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सीजीटीएमएसई योजना के विषय में बैंकों, उद्योग संघों, एमएसएमई आदि में निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए समाचार पत्र और प्रेस माध्यमों, कार्यशालाओं/सम्मेलनों, विभिन्न जिला/राज्य/ राष्ट्रीय मंच आदि का उपयोग करता है। इससे योजना की लोकप्रियता में काफी बढ़ोतरी हुई है।

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि.(स्मेरा)

एसएमई रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लि.(स्मेरा) की स्थापना 2005 में भारत के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की तृतीय पक्ष रेटिंग एजेंसी के रूप में की गई। स्मेरा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), सार्वजनिक, विदेशी एवं निजी क्षेत्र के अग्रणी बैंकों तथा डन एण्ड ब्रेडस्ट्रीट इन्फार्मेशन सर्विसेज़ इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड (डीएण्डबी) का संयुक्त प्रयास है। स्मेरा से रेटिंग प्राप्त एमएसएमई के लिए रियायती शर्तों पर ऋण प्रदायगी के लिए स्मेरा ने 26 बैंकों व वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन किया है। स्मेरा ने देश के सभी भागों में एमएसएमई की रेटिंग की है। स्मेरा ने यह भी सुनिश्चित किया है कि रेटिंग करते समय अधिकाधिक प्रकार के उद्योगों, जैसे - इंजीनियरी, मोटर-वाहन घटक, कपड़ा, प्लास्टिक, खाद्य प्रसंस्करण आदि को समाहित किया जाए।

इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (आईसार्क)

इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि.(आईसार्क) की स्थापना 2008 में आस्ति वसूली कंपनी के रूप में की गई। कंपनी की चुकता पूँजी में सिडबी का भी योगदान है। कंपनी का उद्देश्य अनुत्पादक आस्तियों का ग्रहण करना और अपनी नवोन्मेषी पद्धतियों के जरिए वसूली मूल्य को अधिकाधिक बढ़ाने के भरसक प्रयास करना है। कंपनी बहु-आयामी समाधान अपनाती है जैसे - पुनर्निर्धारण कारोबार की बिक्री, विलय और अधिग्रहण, प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, समझौता अथवा एकमुश्त निपटान, संविभाग की बिक्री आदि।

जोखिम पूँजी फण्ड (आरसीएफ)

एमएसएमई को जोखिम पूँजी / इक्विटी सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से सिडबी में 200 लाख रुपये की जोखिम पूँजी निधि के साथ जोखिम निधि फण्ड (आरसीएफ) की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत सिडबी ने कई प्रकार की योजनाएं तैयार की हैं जैसे इक्विटी, अधिमान पूँजी, वैकल्पिक परिवर्तनीय ऋण इत्यादि।

इण्डिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेस लि. (आईएसटीएसएल)

भारत में एमएसएमई के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक तकनीकी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए नवंबर 2005 में इण्डिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेस लि. (आईएसटीएसएल) की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भारत के एमएसएमई क्षेत्र के लिए प्रौद्योगिकी विकास की विभिन्न गतिविधियों, जैसे प्रौद्योगिकी का मेल कराना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और स्वच्छ विकास प्रणाली का निष्पादन

करना है। एमएसएमई क्षेत्र में प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और उसमें तेजी लाने के उद्देश्य से आईएसटीएसएल ने इसी प्रकार की गतिविधियों में जुटे विभिन्न राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी की है। इसका उद्देश्य उन संस्थानों द्वारा विकसित अधुनातन प्रौद्योगिकी की पहुँच में बने रहना है ताकि इन प्रौद्योगिकियों को एमएसएमई के बीच प्रसारित किया जा सके। आईएसटीएसएल विभिन्न औद्योगिक समूहों में जागरूकता अभियान चलाता है।

सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल)

सिडबी वेंचर कैपिटल लि. (एसवीसीएल) एक आस्ति प्रबंधन कंपनी है जो कि उद्यम पूँजी निधि का प्रबंधन करती है। एसवीसीएल सेबी में पंजीकृत दो उद्यम पूँजी निधियों – 'दि नेशनल वेंचर फण्ड सॉफ्टवेयर एण्ड इन्फार्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्डस्ट्री' (एनएफएसआईटी) तथा 'दि एसएमई ग्रोथ फण्ड' (एसजीएफ)का प्रबंधन करती है।

एसएमई संवर्द्धन निधि (एसजीएफ)

सिडबी तथा कुछ अन्य वाणिज्य बैंकों के अंशदान से स्थापित यह एक साधारण निधि है जो मोटर वाहन पुर्जों, कपड़ा, ओषधि, नवीकरणीय ऊर्जा, हल्की इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं आदि से संबंधित एमएसएमई पर केन्द्रित है।

हरित वित्तीयन (ग्रीन फाइनैंसिंग)

हरित वित्तीयन एक ऐसा नया क्षेत्र है जो धीरे-धीरे गति पकड़ रहा है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हरित विकास के लिए निधि जुटा रही हैं। सभी विकसित और विकासशील देश हरित विकास के प्रति अग्रसर हैं। वे ऐसी परियोजनाओं में निवेश करते हैं जो कि वातावरण अनुकूल हों। भारत में भी एमएसएमई द्वारा ऊर्जा दक्ष एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकी वाले उपक्रमों में निवेश पर बल दिया जा रहा है। सिडबी ने भी विश्व बैंक, जाइका, जापान तथा केएफडब्ल्यू, जर्मनी जैसे अंतरराष्ट्रीय भागीदारों के साथ मिलकर निधियां जुटायी हैं, जिनका उपयोग ऐसे एमएसएमई के लिए किया जाएगा जो कि ऊर्जा दक्ष, पर्यावरण अनुकूल तथा स्वच्छतर प्रौद्योगिकी को अपनाकर उत्पादन करें।

सतत विकास के प्रति अपनी वचनबद्धता के प्रयास के रूप में सिडबी ने स्मेरा को सहयोग प्रदान किया, ताकि वह एमएसएमई के लिए ग्रीन रेटिंग मॉडल विकसित करे। ग्रीन रेटिंग में एक औद्योगिक इकाई की अनुकूलता इस दृष्टि से आकलित की जाती है कि उसके द्वारा अपनायी जा रही विनिर्माण की प्रक्रिया पर्यावरण के कितने अनुकूल है, जिससे पर्यावरण को कम-से-कम नुकसान हो। रेटिंग करते समय एमएसएमई द्वारा पर्यावरण संबंधी विनियामक मानदण्डों के अनुपालन को भी ध्यान में रखा जाता है। ग्रीन रेटिंग कराने हेतु एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए सिडबी अपनी ब्याज दर में भी छूट प्रदान करता है।

एनट्रीज (एनएईट्रेड रिसीवेबल इंजिन फॉर ई – डिस्काउंटिंग इन कोऑर्डीनेशन विद सिडबी)

एमएसएमई को तीव्रतर एवं त्वरित वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिडबी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के साथ मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना की है। इसका नाम एनट्रीज है तथा यह आरटीजीएस आधार पर ट्रेड प्राप्य बिलों की भुनाई करता है। बैंक ने आगे और पहल करते हुए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एसएमई एक्सचेंज की स्थापना की है। इसका उद्देश्य है देश में उद्यम पूंजी उद्योग को बढ़ावा देने के साथ-साथ लघु एवं मध्यम उद्यमों की पूँजी बाजार तक कुशल पहुँच को सुकर बनाना।

सिडबी के अल्प वित्त प्रयास

अल्प वित्त हाल के वर्षों में समावेशी वृद्धि और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को हासिल करने के एक सशक्त उपाय के रूप में उभरा है। सिडबी सबसे निचले तबके के लोगों तक पहुंच कर समावेशी वृद्धि हासिल करने के राष्ट्रीय लक्ष्य में योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने अब तक 150 से अधिक अल्प वित्त संस्था साझेदारों के जरिए अल्प वित्त सहायता प्रदान की है, जिससे 340 लाख से अधिक निर्धन लाभान्वित हुए, जिनमें से अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं।

उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण पहल के एक भाग के रूप में सिडबी अल्प वित्त क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों और सरोकारों, जैसे निर्धन ग्राहकों के साथ संव्यवहार में पारदर्शिता, ब्याज दर घटाने, संव्यवहार दक्षता बढ़ाने आदि के समाधान की दिशा में कार्य कर रहा है और इसके लिए संबंधित हितधारकों को विभिन्न मंचों पर परिचयात्मक जानकारी देने जैसे नीतिगत उपाय अपनाए गए हैं। सिडबी ने ऋणदाता बैंकों की विधिक प्रसंविदाओं को सुसंगत बनाने के लिए ऋणदाता फोरम बनाया है, जिसका उद्देश्य ऋण दरों में पारदर्शिता और अल्प वित्त संस्थाओं द्वारा आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करना है। बैंक ने अल्प वित्त संस्थाओं के लिए आचार संहिता आकलन साधन विकसित करने हेतु भी चर्चा आरंभ की है, ताकि इस बात का निर्धारण हो सके कि वे स्वैच्छिक अल्प वित्त आचार संहिता का किस सीमा तक

अनुपालन कर रही हैं। सिडबी के इन सतत प्रयासों के कुछ सकारात्मक परिणाम हासिल हुए हैं।

संवर्द्धनशील और विकासपरक प्रयास

बैंक की संवर्द्धनशील और विकासपरक गतिविधियां राष्ट्रीय महत्त्व के दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति हेतु तैयार की गई हैं, जो इस प्रकार हैं–

1) **संवर्द्धन –** जिसमें इसके चुनिंदा कार्यक्रमों, जैसे ग्रामीण उद्योग कार्यक्रम, उद्यमिता विकास कार्यक्रम, व्यावसायिक प्रशिक्षणों आदि के माध्यम से स्व–रोजगार/मजदूरी आधारित रोजगार सृजन होता है।

2) **विकासपरक –** जिसमें चुनिंदा आधार पर प्रयासों जैसे – कौशल–सह–प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम, लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रम, क्लस्टर विकास कार्यक्रम, विपणन सहायता आदि के माध्यम से एमएसएमई क्षेत्र को सुदृढ़ बनाया जाता है, ताकि वे सार्वभौमीकरण व बढ़ती प्रतियोगिता की उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें।

उद्यमिता विकास

बैंक के उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का लक्ष्य ऐसे स्वयंरोजगारपरक उद्यमों का प्रवर्तन करना है जो विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के कम साधन–संपन्न वर्गों, जैसे महिलाओं और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए रोजगार के अवसर जुटाने में सक्षम हों। प्रतिष्ठित उद्यमिता विकास संस्थानों, जैसे रूडसेटी, उजिरे को विभिन्न प्रकार के उद्यमिता संबंधी कार्यक्रमों जैसे सामान्य उद्यमिता विकास कार्यक्रम, उत्पाद/ प्रक्रिया विशिष्ट उद्यमिता विकास कार्यक्रम, प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम, विकास सलाहकारों के लिए पाठ्यक्रम आदि के आयोजन हेतु वार्षिक सहायता प्रदान की जाती है।

एमएसएमई क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण

एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमियों की तकनीकी व प्रबंधकीय क्षमताओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बैंक प्रतिष्ठित प्रबंधन प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता प्रदान करता है, ताकि वे प्रबंध/कौशल विकास कार्यक्रम, जैसे कौशल–सह–प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम (स्ट्रप) तथा लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रम (सिमैप) आयोजित कर पाएँ। कौशल–सह–प्रौद्योगिकी उन्नयन कार्यक्रम का उद्देश्य एमएसएमई इकाइयों का प्रौद्योगिकी प्रोफाइल बढ़ाना होता है, और लघु उद्योग प्रबंध कार्यक्रम में योग्यताप्राप्त बेरोजगारों और साथ ही उद्योग–प्रायोजित अभ्यर्थियों को लक्ष्य में रखा जाता है, समग्रत: जिसका उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र को सक्षम प्रबंधक उपलब्ध कराना होता है। समूह निधि के रूप में सहायता प्रदान करने के अलावा बैंक ऐसे नये संस्थानों को भी प्रोत्साहित करता है जो इस प्रकार के विशेषज्ञतायुक्त कार्यक्रम चला सकते हैं।

समूह विकास

विगत कुछ वर्षों में समूह विकास कार्यक्रम में मूलभूत परिवर्तन आया है और वह प्रौद्योगिकी केन्द्रित से और अधिक व्यापक स्तर के समूह विकास दृष्टिकोण पर केन्द्रित हो गया है, जिसमें प्रबंध पद्धतियों, विपणन संपर्कों का विकास, उत्पाद/डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन आदि समाविष्ट हैं।

वित्तीय संस्थाओं का क्षमता विकास

बैंक एमएसएमई को विभिन्न ऋण एवं ऋणेतर सुविधाओं की प्रदायगी के लिए लगातार राज्य वित्तीय निगमों तथा तकनीकी परामर्श संगठनों के क्षमता विकास और सुदृढ़ीकरण में लगा रहता है। राज्य वित्तीय निगमों के परिचालन और वित्तीय कार्यनिष्पादन में सुधार के उद्देश्य से बैंक ने 12 राज्य वित्तीय निगमों के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं, जिन्होंने धनात्मक नेटवर्थ हासिल करने, गैर–निष्पादक आस्तियों में कमी आदि की दृष्टि से सुधरे हुए परिणाम दिखाने आरंभ कर दिए हैं।

सिडबी सरकारी योजनाओं की नोडल एजेंसी के रूप में

एमएसएमई क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए सिडबी भारत सरकार को नोडल एजेंसी की सेवाएं प्रदान करता है। ये योजनाएं हैं – ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस), वस्त्र उद्योग हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टफ्स), चमड़ा क्षेत्र एकीकृत विकास योजना (आईडीएलएसएस) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण/विस्तार की योजना ।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है, ऐसी स्थिति में टिकाऊ आधार पर तीव्रतर आर्थिक वृद्धि की संभावनाएं उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। वृद्धि का आशावाद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में देखा जा रहा है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की प्रमुख वित्तीय संस्था होने के नाते सिडबी उत्तरदायित्वपूर्ण वित्तपोषण के प्रति प्रतिबद्ध बना हुआ है।

❍❍❍

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए क्रेडिट रेटिंग

चेतना पाण्डेय
वरिष्ठ प्रबंधक
यूनियन बैंक आफ इंडिया, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना

सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों का किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है । इसके अतिरिक्त, व्यवसाय एवं कार्य-नियोजन के साथ-साथ रोजगार के विभिन्न अवसरों के उत्सर्जन में भी इसकी विशेष भूमिका रहती है। विकासशील देशों में जहाँ अर्थव्यवस्था की परिवर्तनशीलता की गति तेज रहती है, इन उद्योगों के विकास पथ में अनेकानेक बाधाएं आती रहती हैं। जहां एक ओर इन उद्योगों को सुचारु रूप से क्रियान्वित करने हेतु समुचित पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है वहीं दूसरी ओर इन उद्योगों पर निर्भर वर्गों के पास पूँजी का सदैव अभाव रहता है । उन्हें संयंत्र अथवा मशीनों के निर्माण अथवा कार्यशील पूँजी हेतु त्वरित निवेश की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वे मुख्यतः ऋण सुविधाओं पर निर्भर रहते हैं । ऋण प्राप्त करने में मुख्य बाधा औपचारिक वित्तीय संस्थाओं की जटिल दस्तावेजी प्रक्रिया एवं निर्णय लेने में देरी के कारण ऋण उपलब्ध न हो पाना है, जिससे अनौपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करने पर निर्भरता उनकी मजबूरी है । यदि हम भारत में सूक्ष्म, लघु अथवा मध्यम उद्योगों की बात करें, तो भारत वर्ष में उद्योग क्षेत्र का लगभग 50% इन्हीं इकाइयों से आता है, पर इनमें से लगभग 13% ही औपचारिक रूप से वित्तपोषित हैं । पंजीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को वित्तपोषण हेतु औपचारिक स्रोतों अथवा संस्थागत वित्त हेतु सफल सूचनातंत्र की उपलब्धता नितान्त आवश्यक है । गैर पारदर्शी सूचना प्रणाली इन उद्योगों के क्रियाकलापों में कई विषमताएं पैदा करती है एवं लघु अथवा मध्यम वर्गीय उद्योगों को समुचित वित्तपोषण में बाधा उत्पन्न करती है । बैंकिंग अथवा अन्य वित्तीय संस्थाएं भी पर्याप्त सूचना के अभाव में समयानुकूल एवं आवश्यक निर्णय नहीं ले पाती हैं एवं सुनियोजित अथवा विश्लेषित सूचना के अभाव में ऋण देने में हिचकिचाती हैं । समय से वित्त उपलब्ध न होने के कारण इन इकाइयों का सुनियोजित विकास नहीं हो पाता और इनका कार्य-निष्पादन अपेक्षित स्तर तक नहीं बना रह पाता, जिससे ये जल्दी ही रुग्णता की ओर अग्रसर होती जाती हैं । इन इकाइयों का निर्माण तात्कालिक मांग पर निर्भर करता है और यदि वे समयानुकूल बाजार की मांग को पूरा नहीं कर पाते तो उनके द्वारा किए गए छोटे-छोटे पूंजी निवेश भी व्यर्थ हो जाते हैं, जिसका इन इकाइयों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । ऐसी परिस्थिति में सामान्य रूप से इन उद्योगों में बाजार जोखिम के साथ-साथ साख क्रेडिट डिफाल्ट रिस्क अधिकाधिक मात्रा में उपलब्ध रहता है । इन जोखिमों के कारण ही वित्तीय संस्थाएं इन्हें ऋण मंजूरी में हिचकिचाती हैं और इनकी स्थिति बद-से-बदतर होती जाती है ।

इन परिस्थितियों से निबटने हेतु सुनियोजित सूचनातंत्र का विकास आवश्यक है जिसके द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थाओं को इन उद्योगों के विषयान्तर्गत समुचित जानकारी उपलब्ध हो और जो इन्हें ऋण संबंधी निर्णय लेने में सहयोग दे सके । वर्तमान परिस्थितियों में इन इकाइयों के कार्य-निष्पादन, क्षमता वर्धन एवं जोखिम संवर्धन हेतु सफलतम सूचना प्रणाली के विकास में क्रेडिट रेटिंग अथवा साख श्रेणी निर्धारण की अहम भूमिका है क्योंकि इससे इन औद्योगिक इकाइयों की ऋण संबंधी पात्रता के निर्धारण में सहयोग मिलता है, साथ ही इन उद्योगों के संचालन व्यय या ब्याज दर का निर्धारण उनकी वित्तीय क्षमता के आधार पर किया जा सकता है । इससे औपचारिक वित्त संस्थाओं से संस्थागत वित्त की उपलब्धता इन्हें उचित मूल्यों पर प्राप्त होती है एवं ऋण स्वीकृति में त्वरित एवं समयानुकूल निर्णय लेने में वित्तीय संस्थाओं को भी मदद मिलती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों का वर्गीकरण

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाइयों या उद्योगों की क्रेडिट रेटिंग स्कीम पर चर्चा करने से पूर्व संक्षेप में यह जान लेना आवश्यक है कि इन इकाइयों का वर्गीकरण किस प्रकार होता है क्योंकि वर्गीकरण के आधार पर ही साख श्रेणी निर्धारण संभव है । भारत सरकार द्वारा अधिनियमित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को निम्नांकित

रूप से परिभाषित किया गया है, जो कि विनिर्माण अथवा सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा

- ऐसे उद्यम, जो विभिन्न वस्तुओं के विनिर्माण अथवा उत्पादन, प्रसंस्करण एवं परिरक्षण में संलग्न हैं, उन्हें सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्गों में उनके द्वारा संयत्र अथवा मशीनरी में निवेश के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जो निम्नानुसार है –
  - सूक्ष्म उद्यम वे हैं, जिनके द्वारा संयंत्र अथवा मशीनरी में निवेश (अथवा ऐसी मदें जिनका वास्तविक मूल्य भूमि अथवा भवन के अलावा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वस्तुएं जिन्हें अधिसूचना संख्या S.O. 1722 (ई) दिनांक 5 अक्तूबर 2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है) ₹ 25.00 लाख से अधिक न हो ।
  - लघु उद्योग या लघु उद्यम वे हैं, जिनके द्वारा संयंत्र अथवा मशीनरी में निवेश (अथवा ऐसी मदें, जिनका वास्तविक मूल्य भूमि अथवा भवन के अलावा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वस्तुएं जिन्हें अधिसूचना संख्या S.O. 1722(ई) दिनांक 5 अक्तूबर 2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है) ₹ 25.00 लाख से लेकर ₹ 5.00 करोड़ से अधिक न हो ।
  - मध्यम उद्यम वे हैं, जिनके द्वारा संयंत्र अथवा मशीनरी में निवेश राशि (अथवा ऐसी मदें जिनका मूल्य भूमि अथवा भवन के अलावा लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वस्तुएं जिन्हें अधिसूचना संख्या S.O. 1722(ई) दिनांक 5 अक्तूबर 2006 द्वारा अधिसूचित किया गया है) ₹ 5.00 करोड़ से लेकर ₹ 10.00 करोड़ से अधिक न हो ।
- सेवा क्षेत्रों में इन इकाइयों का वर्गीकरण इन उद्योगों में कार्यरत उपस्करों में निवेश राशि के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग के रूप में किया गया है । सेवा क्षेत्र के उद्यमों में मुख्यतया लघु व्यवसाय, खुदरा व्यापार, सड़क परिवहन परिचालक, व्यावसायिक और स्वनियोजित व्यक्ति इत्यादि शामिल हैं । अतः सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग विकास अधिनियम के अनुसार सेवाक्षेत्र में कार्यरत उद्यम का वर्गीकरण निम्नानुसार है :–
- सूक्ष्म उद्यम ऐसे उद्यम हैं, जहां उपस्करों में निवेश ₹ 10 लाख से अधिक न हो ।
- लघु उद्यम ऐसे उद्यम हैं, जहां उपस्करों में निवेश ₹ 10 लाख से अधिक है, पर ₹ 2.00 करोड़ से कम हो ।
- मध्यम उद्यम ऐसे उद्यम हैं, जहां उपस्करों में निवेश ₹ 2.00 करोड़ से अधिक पर ₹ 5.00 करोड़ से अधिक न हो।

अतः विभिन्न रूप से वर्गीकृत सुलभ उद्यमों को एक क्रेडिट रेटिंग मानदण्ड में सुनियोजित करना इन इकाइयों के विकास में विशेष रूप से सहयोगी होगा ।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की स्थिति

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वार्षिक रिपोर्ट 2010-11 के अनुसार सूलमउ क्षेत्र उद्यमिता की पौधशाला है, जो अक्सर व्यक्तिगत रचनात्मकता और नवीनता से आगे बढ़ती है । यह क्षेत्र देश के जीडीपी में 8% का योगदान देता है । यह सेक्टर निर्मित उत्पादन में 45% और निर्यात में 40% का योगदान देता है । सूलमउ 26 मिलियन से अधिक उद्यमों के माध्यम से 6 हजार से अधिक प्रकार के उत्पादों का उत्पादन कर रहे हैं तथा लगभग 60 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं ।

परन्तु ऋण की उपलब्धता की समस्या ही इस क्षेत्र के विकास में बाधक तत्व है । ये उद्यम कम पूंजी लागत में स्थापित किए जाते हैं। इन उद्यमों को समुचित वित्तपोषण न मिलने से इन उद्यमों के बीमार होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं और सामान्यतः पूँजीगत हानि इन इकाइयों को कमजोर बना देती है जिसके फलस्वरूप ऋणदाता इन उद्यमों को ऋण देने में हिचकिचाते हैं । साथ ही इनके विस्तृत रूप की समुचित जानकारी के अभाव में भी ऋण संबंधी निर्णय लेने में कठिनाई होती है । साथ ही संगठनात्मक स्तर पर पहले से ही यह प्रमुख असंगठित क्षेत्र है अतः इन्हें संगठित कर उचित मापदण्डों पर आकलन करना कठिन है । इन सभी समस्याओं से उबरने के लिए सूलमउ क्षेत्र में क्रेडिट रेटिंग या साख–श्रेणी निर्धारण बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है क्योंकि जहां इसके द्वारा विभिन्न बिन्दुओं पर गुणात्मक

तथा मात्रात्मक जानकारी उपलब्ध हो जाती है, जिसके फलस्वरूप ऋणदाता संस्थाओं का उन उद्यमों के प्रति विश्वास बढ़ता है वहीं इस क्षेत्र के समुचित विकास के फलस्वरूप रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसरों और सकल घरेलू उत्पाद में भी बढ़ोतरी होती है एवं भारतीय अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ रूप से उभरती है, जिससे सभी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग संभव हो जाता है ।

क्रेडिट रेटिंग क्या है ?

क्रेडिट रेटिंग या साख-श्रेणी निर्धारण क्या है एवं एक सफल क्रेडिट रेटिंग स्कीम के निर्माण की क्या मौलिक आवश्यकताएं हैं और सूलमउ क्षेत्र में क्रेडिट रेटिंग की क्या उपयोगिता है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस लेख में शामिल किए गए हैं । रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र में 60% ऋणों का आवंटन सूक्ष्म उद्यमों को होना चाहिए ।

वैश्वीकरण के फलस्वरूप विश्व स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धा एवं नवोन्मेष बैंकिंग सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए कई चुनौतियां उत्पन्न करते हैं । अपने छोटे आकार के फलस्वरूप ये उद्यम बड़े पैमाने की किफायतें या 'Economies of Scale' पाने में असमर्थ होते हैं, साथ ही उपस्कर खरीदने एवं कच्चा माल पाने के साथ-साथ ऋण की उपलब्धता अथवा उचित परामर्श की अनुपलब्धता उन्हें मुख्य रूप से विकसित होने में बाधित करती है । उन्हें बाजारों का भी समुचित ज्ञान नहीं होता एवं बाजारों से जुड़ी मांगों एवं मापदण्डों को भी विशेषीकृत सूचना नहीं उपलब्ध हो पाती है । अतः सूलमउ क्षेत्र के उद्यमों को उत्पाद प्रसंस्करण तकनीक तथा संगठनात्मक क्रियाकलापों, जिसमें डिजाइन मार्केटिंग तथा लाजिस्टिक्स (Logistics) संबंधी जानकारी होना अत्यन्त ही आवश्यक है ।

क्रेडिट रेटिंग इन सभी समस्याओं का समाधान करने में इनकी मदद करती है । क्रेडिट रेटिंग किसी भी उद्यम की वित्तीय व्यवस्था एवं लाभप्रदता का मूल्यांकन तथा निर्धारण करने की प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप ये उद्यम अपनी वित्तीय देयताओं को समयानुकूल पूर्ण कर सकें । क्रेडिट रेटिंग इन उद्यमों के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने में मदद करती है क्योंकि क्रेडिट रेटिंग स्कीमों की संरचना इन्हीं बिन्दुओं पर आधारित होती है । क्रेडिट रेटिंग इन उद्यमों द्वारा उत्पादित अथवा निष्पादित उत्पाद एवं सेवाओं की बिक्री या टर्नओवर के विषय में जानकारी देती है, साथ ही संचालनात्मक तथा वित्तीय संरचना संबंधी जानकारी उससे जुड़े जोखिमों के आधार पर देती है। रेटिंग द्वारा हम इन उद्यमों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने में औद्योगिक क्षेत्र में उनके निष्पादन का मानदंड बनाने में एवं जोखिम संबंधी जानकारी प्राप्त कर जोखिम संवर्धन करने में सक्षम होते हैं । क्रेडिट रेटिंग का मुख्य उद्देश्य सूलमउ क्षेत्रों में ऋण आवंटन हेतु जोखिम का आकलन करना तथा ऋण हेतु ऋण पात्रता तय करने में सहयोग देना है, ताकि वित्तीय संस्थाओं को ऋण संबंधी निर्णय लेने में सहजता हो । हालांकि इन क्षेत्रों में रेटिंग के विपरीत प्रभाव भी पड़ते हैं, जब उन उद्यमों की साख निर्धारण श्रेणी निम्न स्तर पर होती है । यदि इनकी रेटिंग औसत स्तर से नीचे हो जाए, तो उन्हें कोई भी वित्तीय संस्था ऋण सहायता नहीं देती और उन्हें बाध्य होकर बन्द होना पड़ता है । इनके द्वारा ही उन्हें स्वयं को विभिन्न पैरामीटरों में मापने का अवसर मिलता है । साथ ही पारदर्शिता आने से वित्तीय संस्थाओं का विश्वास बढ़ता है एवं वे भी इन बिन्दुओं पर विचार करते हैं, जिन पर इनकी स्कोरिंग कम होती है एवं उचित सुधारात्मक निर्णय भी लेते हैं ।

क्रेडिट रेटिंग आंतरिक एवं बाहरी दोनों माध्यमों से की जाती है । विभिन्न वित्तीय संस्थाएं उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर क्रेडिट रेटिंग आंतरिक रूप से स्वनिर्धारित स्कोर के आधार पर करती हैं । बाह्य रूप से विभिन्न क्रेडिट रेटिंग कम्पनियाँ, जो सूलमउ क्षेत्र के उद्यमों में लघु एवं मध्यम उद्यमों की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, जिनमें 'स्मेरा' (SMERA) , 'क्रिसिल' (CRISIL), 'फिच' (FITCH) इत्यादि शामिल हैं ।

क्रेडिट रेटिंग स्कीमों की संरचना उत्पादन और सेवा क्षेत्र से जुड़ी इकाइयों के लिए अलग-अलग है । यदि विनिर्माण क्षेत्र हेतु रेटिंग कार्यप्रणाली की चर्चा करें तो क्रेडिट रेटिंग के मानदंडों में विभिन्न वित्तीय तथा गैर-वित्तीय कारक, जैसे सरकारी नीतियों, व्यापारिक नीतियों एवं विनियम या नियंत्रणात्मक उपायों तथा उद्योग क्षेत्र से संबंधित परिवर्तनों का चुनाव किया जाता है ।

जोखिम का प्रकार :

सामान्य रूप से ये उद्यम जिस भी औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं, उनसे जुड़ी नीतियों का प्रभाव एवं बाजार इन उद्योगों के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होता है । क्रेडिट रेटिंग स्कीम का निर्माण करने के लिए सम्पूर्ण वित्तीय तथा गैर वित्तीय कारकों का

चयन विभिन्न जोखिमों के संवर्धन हेतु किया जाता है । अतः यदि हमें इन कारकों का प्रभाव ज्ञात करना है, तो इनसे संबंधित जोखिमों की भी चर्चा करनी होगी, जैसे :-

1. **उद्योग संबंधी जोखिम –** कोई भी उद्योग, जिसमें ये उद्यम कार्यरत रहते हैं ऋण संबंधी जोखिम निर्धारण में अहम भूमिका निभाते हैं । इन उद्योगों की कार्यकुशलता ही इन उद्यमों की लाभप्रदता एवं इससे जुड़ी तरलता के निर्धारक तत्व के रूप में कार्य करती है । व्यापार संबंधी जोखिम किसी भी ग्राहक द्वारा अपनी देयताओं की समयानुकूल अदायगी करने की क्षमता को दर्शाता है एवं उस ग्राहक के व्यापार से जुड़ी गतिविधियों तथा प्रबंधन द्वारा प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ऋण की अदायगी समय सीमा पर न कर पाने से उद्यम पर पड़ने वाले प्रभावों का भी आकलन करता है ।
2. **बाजार संबंधी जोखिम –** बाजार जोखिम किसी भी इकाई द्वारा उत्पादनोत्तर और उत्पादन-पूर्व सुविधाओं हेतु निवेश से जुड़ा होता है ताकि व्यापार सफल रूप से निष्पादित हो सके। साथ ही अवांछित या विपरीत परिस्थितियों में, जिनमें उत्पाद मूल्य में कटौती कच्चे मालों में अप्रत्याशित उतार-चढ़ाव एक उत्पाद पर आश्रित होने से उसकी मांग में कटौती तथा मूल्यों में तरलता इत्यादि शामिल है ।
3. **परिचालन दक्षता तथा उससे संबंधित जोखिम –** वैसे बाजार, जहां प्रतिस्पर्धा का निर्धारण मूल्यों पर निर्भर करता है, विभिन्न कारकों का प्रभाव इस इकाइ द्वारा बाजार में उनके स्तर का निर्धारण अथवा उनके बाजार स्तर का विकास करने में तथा मूल्य निर्धारण करने की क्षमता पर निर्भर करता है । प्रतिस्पर्धा के कारण बाजार में हर इकाई को लाभप्रद होने के लिए लागत कीमत पर कटौती करना आवश्यक होता है । उत्पादन लागत उत्पादन इकाई के स्थान पर, कच्चे माल की उपलब्धता पर, मानव संसाधन की कार्यकुशलता, दक्षता तथा उपलब्धता पर, परिचालन क्षमता पर, प्रौद्योगिकी के सुनियोजन तथा इकाई के विभिन्न संसाधनों के उपयोग करने की क्षमता पर निर्भर करती है।
4. **प्रबंधन जोखिम –** प्रबंधन द्वारा अक्षम होने पर व्यापार बन्द हो जाने की स्थिति पैदा होने पर ऋण की अदायगी न कर पाने को ही प्रबंधन जोखिम के रूप में परिभाषित किया जाता है । इसलिए क्रेडिट रेटिंग में प्रबंधन संबंधी विभिन्न विशेषताओं जैसे मौलिक शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक निपुणता एवं विशेषज्ञता, कार्यकुशलता एवं ज्ञान जो कि व्यावसायिक नीतियों के निर्माण में सहयोगी होने के साथ ही प्रेरक के रूप में कार्य करें, को शामिल किया जाता है । भारतीय सूलमउ मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है । प्रबंधन क्षमता एवं गुणवत्ता हेतु तीन मुख्य कारक हैं :-
   - चरित्र - प्रबंधक का चरित्र उनकी देयताओं के प्रति जिम्मेदारी के एहसास को दिखाता है ।
   - ऋण अदायगी की क्षमता एवं चाहत ही प्रबंधन के साख निर्धारण में सहयोगी है, जिसके आधार पर संस्था की वित्तीय सुदृढ़ता का ज्ञान होता है ।
   - क्षमता उपयोग दर प्रबंधन वर्ग की तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्तीय क्षमता पर निर्भर करती है, जिसके फलस्वरूप कोई भी व्यापार या उद्योग लाभप्रद होता है ।

प्रबंधन वर्ग की गुणवत्ता उनके द्वारा कार्य सुनियोजन करने की क्षमता, उद्यमों की कार्यप्रणाली एवं ऋण चुकौती की क्षमता इत्यादि पर निर्भर करती है । इन कारकों के अभाव में उद्यमों में प्रबंधन जोखिम अधिक रहता है, जो कि उनके क्रेडिट रेटिंग को भी विपरीत ढंग से प्रभावित करता है ।

प्रबंधन वर्ग द्वारा भूतकाल में विभिन्न उद्यमों को सुचारु रूप से चलाने की क्षमता एवं उन उद्योगों की निरंतर कार्यकुशलता, उद्योगों का संगठनात्मक स्तर तथा उत्तराधिकार संबंधी मुद्दे, उनकी निवल मालियत, कम्पनी, प्रशासन इत्यादि प्रबंधन वर्ग की क्षमता का अध्ययन करने में मदद करते हैं ।

5. **वित्तीय जोखिम –** वित्तीय जोखिम का निर्धारण सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की वित्तीय स्थिति पर निर्भर करता है एवं उनके साख पत्रों, तुलन-पत्रों तथा लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा लेखाबही विवरणों के अध्ययन तथा वित्तीय विवरणों के साथ कम्पनी प्रशासन संबंधी नियमों के अध्ययन द्वारा वित्तीय जोखिम का आकलन किया जाता है । इसमें शामिल हैं - मूल अनुपातों का अध्ययन, वित्तीय प्रकटीकरण तथा तुलनपत्र के विश्लेषण, जिसका प्रभाव उद्यमों की लाभप्रदता पर पड़ता है, जो उन उद्यमों के क्रेडिट रेटिंग को भी प्रभावित

करता है, तरल निवेशों की उपलब्धता, साख की उपलब्धता, ग्रुप कम्पनियों की लाभप्रदता एवं वित्तीय क्षमता, उनकी बाजार में साख तथा वित्तीय संस्थाओं से संबंध ।

रेटिंग कार्यप्रणाली भविष्य में उत्पन्न होनेवाले नकदी प्रवाह की क्षमता, जिसके द्वारा ऋण की चुकौती समयानुसार की जा सके, भूतकालीन वित्तीय विवरणों के विस्तृत विश्लेषण, विभिन्न व्यापारिक तथा वित्तीय जोखिम कारकों के उद्योगों पर प्रभावों की जानकारी के लिए नितान्त आवश्यक है । वर्तमान वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन भी वित्तीय नकदी प्रवाह के स्रोतों का आकलन तथा निर्धारण करने तथा भविष्य में उत्पन्न दावों को समायोजित करने हेतु आवश्यक होता है । अतः क्रेडिट रेटिंग में इन सभी कारकों को भी विस्तृत विवरणी के रूप में शामिल किया जाता है ।

क्रेडिट रेटिंग के मुख्य आयाम होते हैं – नए उद्यमों के उद्गम संबंधी जोखिम अथवा प्रतिस्पर्धा संबंधी जोखिम, नए उद्यमों की स्थापना के फलस्वरूप बाजार में उनके उत्पादों की ग्राहकों के बीच स्वीकृति, जिसके द्वारा हम नए उत्पादों की लाभप्रदता का अध्ययन कर सकें, साथ ही उद्यमों द्वारा जोखिमों का विविधीकरण एवं नए क्षेत्रों में विविधीकरण की क्षमता का आकलन । प्रतिस्पर्धा के इस दौर में उद्यमों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विविधीकरण, नए प्रोजेक्ट द्वारा समय अथवा मूल्य या लागत के बढ़ने तथा प्रोजेक्ट की शुरुआत में वित्तीय तथा प्रचालन जोखिम सर्वोपरि होते हैं एवं जैसे–जैसे उद्यमों का विकास होता है बाजार से संबंधित जोखिम का विकास होता है । नए उद्यमों को विकसित करने तथा उनसे जुड़े विभिन्न कारकों जैसे प्रोजेक्ट को स्थापित करने हेतु टीम या दल का निर्माण करने की क्षमता, तकनीकी आपूर्तिकर्ता की क्षमता एवं गुणवत्ता, कार्य–अवधि, वित्तीय व्यवस्था, कच्चे माल की उपलब्धता, बाजार की व्यवस्था तथा विपणन योजना इत्यादि क्रेडिट रेटिंग के मुख्य आयाम हैं ।

अन्य कारकों में प्रदूषण नियंत्रण परिपत्र, सब्सिडी अथवा आर्थिक सहायता की उपलब्धता, बिक्री कर संबंधी ऋण, लेखापरीक्षण नीतियां एवं उनका प्रभाव, व्यापारिक मुनाफा अथवा हानि, बैंक स्टेटमेन्ट या खातों की संचालन व्यवस्था, बीमाकरण इत्यादि अन्य विधिक जोखिम शामिल हैं ।

क्रेडिट रेटिंग मानक

विभिन्न प्रकार के जोखिमों का अध्ययन करने के पश्चात एक मानक क्रेडिट रेटिंग अथवा साख श्रेणी निर्धारण की रूपरेखा विभिन्न मुख्य बिन्दुओं पर आधारित होती है :–

- उधारकर्ता की रेटिंग, जिसमें वित्तीय जोखिम, प्रबंधन जोखिम तथा बाजार और उद्योग जोखिम का आकलन अथवा अध्ययन मुख्य रूप से शामिल हैं।

वित्तीय जोखिम के अध्ययन के मुख्य बिन्दु

- वार्षिक विक्रय अथवा रसीदों में विकास दर यदि 25% से अधिक हो, तो 100% रेटिंग स्कोर प्राप्त होता है । 15% से अधिक एवं 25% से कम हो, तो 80%, 5% से अधिक पर 15% से कम हो तो 60%, 5% तक 30% तथा नकारात्मक विकास पर 0% अंक प्राप्त होते हैं ।
- प्रबंधन जोखिम में मुख्य तीन बिन्दु हैं –
  i) उधारकर्ता का व्यवसायी अनुभव यदि 5 साल से अधिक हो तो 100%, दो साल से अधिक पर पाँच साल से कम हो तो 80%, दो साल से कम हो तो सामान्य तथा नगण्य रहने पर 0% रेटिंग स्कोर प्राप्त होता है ।
  ii) यदि बाजार की रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तकों अथवा पार्टनरों की साख नकारात्मक हो तो वित्तीय संस्थाएं इन उद्यमों का वित्तपोषण नहीं करती हैं ।
  iii) व्यावसायिक एवं सांविधिक दायित्वों को पूरा करने की क्षमता वित्तीय प्रतिबद्धता तथा दायित्व निर्वाह भी मुख्य रूप से क्रेडिट स्कोरिंग के आयाम हैं ।
- बाजार अथवा उद्योग जोखिम में मांग एवं बाजार में प्रतिस्पर्धा, जिसमें उत्पाद अथवा सेवा का स्वभाव, उत्पादों की विभिन्नता, आदेशित मात्रा की उपलब्धता, क्रय विक्रय में विकास, कच्चे माल की उपलब्ध्ता के आधार पर स्कोरिंग की जाती है। मुख्य रूप से उधारकर्ता की रेटिंग कुल क्रेडिट रेटिंग स्कोर का 50% होती है ।

  खातों की संचालन व्यवस्था के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं –
  i) मंजूरी से संबंधित अनुपालन करने की क्षमता, स्टॉक विवरणों का समय पर प्रेषण, खातों में टर्नओवर, वार्षिक क्रय विवरणों की गुणवत्ता अथवा प्रेषण, खातों का संचालन एवं मासिक ब्याज एवं किस्तों की चुकौती इत्यादि।
  ii) प्रतिभूतियों की उपलब्धता के मुख्य बिन्दु इस

प्रकार हैं – संपार्श्विक जमानत अथवा प्रतिभूति की मात्रा अथवा गुणवत्ता, जमानतकर्ता की उपलब्धता अथवा गुणवत्ता ।

iii) व्यापारिक व्यवस्था में वित्तीय संस्थाओं को इन उद्यमों से होने वाली लाभप्रदता शामिल है ।

इसी प्रकार विभिन्न रेटिंग एजेन्सियां उधारकर्ता द्वारा वित्तीय देयताओं की पूर्ति, उत्पादों की गुणवत्ता अथवा बाजारीकरण, तकनीकी सहायता, खातों का संचालन एवं व्यापारिक गुणवत्ता अथवा क्षमता जैसे मुख्य बिन्दुओं को स्कोरिंग के लिए प्रयोग में लाती हैं । क्रेडिट रेटिंग से उद्यमियों को निम्न लाभ होते हैं –

- उद्यमों की गुणवत्ता उजागर होती है ।
- बड़े उद्यमों द्वारा इन उद्यमों में पूँजी निवेश हेतु विश्वास पैदा होता है ।
- शासकीय क्षमता विकसित होती है ।
- अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा मिलता है ।
- उद्यमी अपने उत्पाद की गुणवत्ता को स्वयं सुधारने हेतु प्रेरित होते हैं ।
- वित्तीय संस्थाओं अथवा लेनदारों द्वारा साख की उपलब्धता एवं आसान शर्तों पर समयानुकूल ऋण प्राप्त करने हेतु इन उद्यमों में विश्वास पैदा करना । यदि क्रेडिट रेटिंग उधारकर्ताओं के लिए आवश्यक एवं लाभप्रद है, तो बैंकों तथा लेनदारों के लिए भी हितकर है ।
- वित्तीय संस्थाओं को एक बाहरी निष्पक्ष एजेन्सी की राय प्राप्त होने से निर्णय लेने में मदद मिलती है ।
- लेनदारों की ऋण-पात्रता निर्धारण करने में तथा ऋण की शर्तें जैसे ब्याज दर, चुकौती दर इत्यादि तय करने में सहायक होती है ।
- साथ ही उनके द्वारा यदि उद्यमों की स्थिति बिगड़ रही हो, तो बैंकों को अथवा लेनदारों को पूर्व-सूचना प्राप्त होने में मदद मिलती है ।

अतः सूलमउ के विकास में क्रेडिट रेटिंग मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है एवं उनके द्वारा बाधाओं का निवारण करने में सहयोगी है ।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों की परिभाषा एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के अनुसार विनिर्माण उद्यम हेतु संयंत्र एवं मशीनरी में उनके निवेश के आधार पर और सेवाएं प्रदान करने वाले उद्यम हेतु उपस्करों में निवेश के आधार पर की गई है । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले उद्यमों के लिए निवेश पर मौजूदा अधिकतम सीमा निम्न प्रकार है :

वर्गीकरण	विनिर्माण उद्यम*	सेवा उद्यम**
सूक्ष्म	2.5 मिलियम/25 लाख रुपये	1 मिलियन/10 लाख रुपये
लघु	50 मिलियन/5 करोड़ रुपये	20 मिलियन/2 करोड़ रुपये
मध्यम	100 मिलियन/10 करोड़ रुपये	50 मिलियन/5 करोड़ रुपये

* संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश सीमा ** उपस्करों में निवेश सीमा

संशोधित केवीआईसी अधिनियम, 1956 के अनुसार ग्रामोद्योग को किसी ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किसी ऐसे उद्योग के रूप में परिभाषित किया गया है, जो विद्युत का उपयोग किए बिना अथवा विद्युत के साथ किन्ही वस्तुओं का उत्पादन करता है अथवा सेवा प्रदान करता है और जिसमें प्रति कारीगर अथवा श्रमिक सावधि पूंजी निवेश एक लाख रुपये (किसी पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित ग्रामोद्योग के मामले में डेढ़ लाख रुपये) अथवा किसी ऐसी राशि जो सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार समय-समय पर निर्धारित करें, से अधिक नहीं है ।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, 2010 - 11, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र : भारतीय बैंकों के लिए असीम ऋण संभावनाएं

प्रह्लाद सबनानी
सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक,
स्थानीय प्रधान कार्यालय, भोपाल

मैकेंजी विश्व संस्थान (Mckinsey Global Institute) द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2025 तक भारत विश्व में सबसे बड़े उपभोक्ता बाजारों में से एक उपभोक्ता बाजार बन जाएगा। उक्त अध्ययन प्रतिवेदन व्यक्त करता है कि यदि भारत में 7 से 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष की आर्थिक संवृद्धि दर जारी रहती है तो भारत का वास्तविक उपभोग, चार गुना वृद्धि के साथ, 17 लाख करोड़ रु. से बढ़कर वर्ष 2025 तक रु. 70 लाख करोड़ हो जाएगा। आज विश्व में, उपभोक्ता बाजार की दृष्टि से, भारत का 12 वां स्थान है। वर्ष 2025 तक भारत का उपभोक्ता बाजार विश्व का 5 वां सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार बन जाएगा।

उपर्युक्त अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार, भारत में वास्तविक उपभोग में हो रही उल्लेखनीय वृद्धि का मुख्य कारण (80 प्रतिशत) नागरिकों की आय में हो रही वृद्धि है। दूसरा सबसे बड़ा कारण (16 प्रतिशत) देश में हो रही जनसंख्या वृद्धि है। अध्ययन प्रतिवेदन में इस बात का भी वर्णन किया गया है कि भारत में औसत वास्तविक पारिवारिक प्रयोज्य वार्षिक आय 5.3 प्रतिशत की चक्रवृद्धि (वार्षिक) दर के साथ वर्ष 2005 के 1,13,744 रु. के स्तर से बढ़कर वर्ष 2025 तक 3,18, 896 रु. हो जाएगी।

उपभोग खर्च में उक्त वर्णित वृद्धि के कारण उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करनेवाली कंपनियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तेजी से प्रगति कर रहे राष्ट्र में व्यक्तियों की यदि प्रयोज्य वार्षिक आय में वृद्धि होती है तो उनके द्वारा विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं की अधिक खरीद भी की जाती है। जिससे इन वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तथा इन वस्तुओं का उत्पादन करनेवाली कंपनियों के लिए बाजार का विस्तार होता है । अत: इन कंपनियों द्वारा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि की जाती है। उक्त वर्णित विस्तार वर्ष 2025 तक चलता रहेगा तथा भारत में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण मुख्यत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में ही किया जाता है। अत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम क्षेत्र की कंपनियों, इकाइयों के लिए तेजी से विस्तार की असीम संभावनाएं मौजूद हैं ।

भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का योगदान

भारत में कुल उत्पादन का 40 प्रतिशत हिस्सा लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में ही होता है तथा देश के कुल निर्यात का 34 प्रतिशत भाग इस क्षेत्र द्वारा किया जाता है । कृषि क्षेत्र के बाद लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार के अवसरों का सृजन होता है। देश की कुल औद्योगिक इकाइयों में से 95 प्रतिशत इकाइयां (1.14 करोड़ इकाइयां) लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में हैं, जिनमें 2.72 करोड़ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाता है, जो उद्योग क्षेत्र में प्रदान किये जा रहे रोजगार के अवसरों का 86 प्रतिशत है। अत: देश के आर्थिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र का महत्त्वपूर्ण योगदान है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की समस्याएं

भारतीय अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के महत्त्वपूर्ण योगदान को देखते हुए इस क्षेत्र की समस्याओं पर तुरंत ध्यान देना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख समस्याओं का वर्णन निम्न प्रकार किया जा रहा है –

i) वित्तीय सहायता की अपर्याप्त उपलब्धता – 54 देशों की 4000 फर्मों को शामिल कर, तीन वर्ष पूर्व किए गए एक विश्व व्यवसाय वातावरण सर्वे में यह बात उभरकर सामने आई थी कि विश्व में लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में वित्तीय सहायता की अपर्याप्त उपलब्धता ही मुख्य समस्या है। भारत में भी बैंकों द्वारा इस क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता में कमी देखने को मिल रही है। तीसरे लघु उद्योग जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार, केवल 14.26 प्रतिशत पंजीकृत लघु एवं मध्यम उद्यम एवं 3.09 प्रतिशत अपंजीकृत

Final proof of Pages 12 to 15
Received on 19-12-2011 resubmitted duly corrected 20-12-2011

लघु एवं मध्यम उद्यम ही संस्थागत स्रोतों से वित्त की सुविधा प्राप्त कर रहे थे। सरकारी क्षेत्र के बैंकों का लघु एवं मध्यम उद्यम को योगदान भी कम होते देखा जा रहा है। वर्ष 2001-02 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रदत्त कुल ऋण का 13.8 प्रतिशत भाग लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रदान किया गया था, यह वर्ष 2007-08 में 10.9 प्रतिशत हो गया था । पूरे विश्व में, बैंक लघु एवं मध्यम उद्यम की ऋण संबंधी आवश्यकता के बहुत कम भाग की पूर्ति करते हैं ।

ii) ऋण की उच्च लागत – एक अध्ययन प्रतिवेदन के अनुसार, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रदान किये जा रहे ऋण की लागत तुलनात्मक रूप से अधिक रहती है, जो इनकी लाभप्रदता पर विपरीत प्रभाव डालती है।

iii) देयताओं के निपटान में देरी होना – लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा बेची जानेवाली व्यापारिक वस्तुओं के भुगतान में बड़े उद्योगों द्वारा देरी की जाती है जिससे लघु एवं मध्यम उद्यम के परिचालन चक्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा इन्हें अपना परिचालन चक्र सुचारु रूप से चलाने हेतु अत्यधिक ब्याज दर पर बाजार से ऋण लेना पड़ता है जो इनकी लाभप्रदता को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कानून के अनुसार, लघु एवं मध्यम उद्यम द्वारा बेची जा रही व्यापारिक वस्तुओं का भुगतान 45 दिनों के अंदर कर देना होगा। एक अध्ययन के अनुसार बड़े उद्योगों द्वारा यदि इस कानून का पालन किया जाए तो लघु एवं मध्यम उद्यम की लाभप्रदता में 15 प्रतिशत का इजाफा हो सकता है। एक अन्य अध्ययन के अनुसार, जो लघु एवं मध्यम उद्यम बड़े उद्योगों को अपनी व्यापारिक वस्तुओं का विक्रय करते हैं उनकी औसत प्राप्य राशियां 80 दिवस बाद प्राप्त होती हैं, जो कि अन्य लघु एवं मध्यम उद्यम, जो अपनी व्यापारिक वस्तुएं बड़े उद्योगों को नहीं बेचते हैं, की तुलना में बहुत अधिक है।

iv) पूंजी बाजार में पहुंच नहीं – लघु एवं मध्यम उद्यमों की पूंजी बाजार से राशि की व्यवस्था करने हेतु पहुंच बहुत कम है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भी लघु एवं मध्यम उद्यम में लगभग नहीं के बराबर होता है। अत: इन्हें पूंजी की व्यवस्था करने हेतु बैंकों एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं पर ही निर्भर रहना होता है।

v) मृत्यु–दर का अधिक होना – हाल ही के वर्षों में, लघु एवं मध्यम उद्यम में रुग्ण एवं बीमार इकाइयों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि पाई गई है। एक इकाई जब अपनी व्यापारिक गतिविधियों को लगातार सुचारु रूप से चलाने हेतु पर्याप्त मुद्रा आधिक्य को जुटाने में अक्षम हो जाती है तब इसे रुग्ण इकाई की श्रेणी में गिना जाता है। अपनी व्यापारिक गतिविधि को लगातार सुचारू रूप से चलाने हेतु यह इकाई ऋण की अधिक ब्याज दर पर व्यवस्था करती है, तो और अधिक कर्ज के तले दबती चली जाती है, और अंतत: इस इकाई की मृत्यु हो जाती है। भारत में लगभग 10 प्रतिशत लघु उद्योग इकाइयां रुग्ण पाई गई हैं। इन रुग्ण लघु इकाइयों में से केवल 8 प्रतिशत ही संभाव्य अर्थक्षम पाई गई हैं। शेष इकाइयां मृत्यु को प्राप्त हो सकती हैं। 31 मार्च 2007 को लघु एवं मध्यम उद्यम की 141,132 इकाइयां बैंकों द्वारा रुग्ण घोषित की गई थीं। इनमें 97 प्रतिशत इकाइयां अर्थक्षम नहीं पाई गई थीं। लघु एवं मध्यम उद्यम में अधिक रुग्णता के कारणों को जानने हेतु कई अध्ययन किए गए हैं, जिनके अनुसार निम्नलिखित कारण इन इकाइयों की रुग्णता हेतु जिम्मेदार थे –

बाहरी कारण – i) राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियों में हो रहे परिवर्तन; ii) कीमत एवं वितरण के नियमों में परिवर्तन; iii) मुद्रा एवं पूंजी बाजार में हो रहे परिवर्तन; iv) बिजली, परिवहन एवं कोयले, आदि की पर्याप्त उपलब्धता का न होना ।

आंतरिक कारण – i) तनावपूर्ण औद्योगिक संबंध; ii) कई खामियों से परिपूर्ण आंतरिक योजना एवं इसके क्रियान्वयन में कमियां; iii) कच्चे माल आदि की सुचारु रूप से उपलब्धता का अभाव; iv) लागत नियंत्रण की कमी; v) उद्योग को स्थापित करने हेतु गलत जगह का चयन; vi) प्रबंधन संबंधी कमियां, आदि ।

vi) औद्योगिक उत्पादन करनेवाली कंपनियों का चालू देयता अनुपात – वर्ष 1998 को समाप्त 10 वर्षों का औसत 1.39 प्रतिशत था, जो घटकर वर्ष 2008 को समाप्त 10 वर्षों के लिए, 1.05 प्रतिशत रह गया है। इन्हीं कंपनियों का बिक्री से औसत विविध देनदार अनुपात इसी अवधि में 13.42 प्रतिशत से घटकर 9.32 प्रतिशत हो गया है तथा खरीद से औसत विविध लेनदार अनुपात इसी अवधि में 15.47 प्रतिशत से बढ़कर 16.67 प्रतिशत हो गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थाएं बड़ी कंपनियों को वित्त की सुविधा उपलब्ध करा रही हैं ।

लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में भारतीय बैंकों के लिए ऋण प्रदान करने की अपार संभावनाएं

हाल ही में, भारतीय साख निर्धारण सूचना सेवा लिमिटेड (CRISIL) द्वारा लघु एवं मध्यम उद्यम के निधीकरण के स्वरूप पर किए गए एक अध्ययन के अनुसार, भारतीय बैंक इस क्षेत्र को 50,000 करोड़ रु. की राशि का अतिरिक्त ऋण प्रदान कर सकते हैं। इस अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2006-07 एवं वर्ष 2008-09 के दौरान बैंकों ने इस क्षेत्र की वृद्धिशील कार्यशील पूंजी की कुल आवश्यकता का 75 प्रतिशत भाग, जो कि स्वीकार्य बैंकिंग परंपरा के अनुसार प्रदान किया जा सकता है, के स्थान पर केवल 60 प्रतिशत भाग ही प्रदान किया था। इसके परिणामस्वरूप, लघु एवं मध्यम उद्यम ने शेष राशि की व्यवस्था स्वयं की निधि से की थी।

उक्त अध्ययन, लघु एवं मध्यम उद्यम के तुलन-पत्र में आस्ति एवं देयता की विभिन्न मदों में दो वर्षों के दौरान परिवर्तन के आधार पर किया गया था, जिसका वर्णन निम्न प्रकार किया गया है-

देयताएं	प्रतिशत परिवर्तन	आस्तियां	प्रतिशत परिवर्तन
मूर्त निवल संपत्ति (TNW) आंतरिक उपचय प्रवर्तक से असुरक्षित ऋण	04 38 08	स्थायी आस्तियां चालू आस्तियां	26 74
प्रवर्तक की कुल निधि	50		
बैंकों से लम्बी अवधि के ऋण बैंकों से कार्यशील ऋण चालू देयताएं	04 25 21		
कुल बाहरी स्रोत	50		
कुल देयताएं	100	कुल आस्तियां	100

उपर्युक्त तालिका में दी गई जानकारी से सिद्ध होता है कि लघु एवं मध्यम उद्यम की चालू आस्तियों में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा उसकी स्थायी आस्तियों में 26 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इन आस्तियों में वृद्धि का केवल 25 प्रतिशत भाग ही बैंकों से ऋण के रूप में प्राप्त किया जा सका है तथा 21 प्रतिशत भाग लेनदारों द्वारा प्रदान किया गया है। शेष समस्त राशि प्रवर्तकों ने प्रदान की है अथवा आंतरिक उपचय के माध्यम से उसकी व्यवस्था की गई है।

बैंक वृद्धिशील पूंजी (चालू आस्तियां (74%) - चालू देयताएं (21%)) की कुल आवश्यकता के 75 प्रतिशत भाग तक ऋण प्रदान कर सकते थे । अन्य शब्दों में, उपर्युक्त वर्णित आंकड़ों के अनुसार बैंक वृद्धिशील कार्यशील पूंजी (74 प्रतिशत - 21 प्रतिशत = 53 प्रतिशत) का 75 प्रतिशत अर्थात कुल तुलन-पत्र के आकार का 40 प्रतिशत भाग कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्रदान कर सकते थे, जबकि बैंकों द्वारा केवल 25 प्रतिशत भाग ही कार्यशील पूंजी ऋण के रूप में प्रदान किया गया । अधिकतम अनुमत बैंक ऋण (MPBF) एवं प्रदान किये गए कार्यशील पूंजी ऋण में 15 प्रतिशत का भारी अंतर है। इसे बैंक के लिए वृद्धिशील निधीयन अवसर (Incremental Funding Opportunity) के रूप में परिभाषित किया गया है। क्रिसिल द्वारा किए गए उक्त अध्ययन में वृद्धिशील निधीयन अवसर को 50,000 करोड़ रु. की राशि का बताया गया है। अत: बैंकों में ऋण मूल्यांकन का कार्य कर रहे अधिकारियों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी तथा लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को पर्याप्त मात्रा में ऋण प्रदान करना होगा जिससे न केवल इनकी मृत्यु दर में कमी लाई जा सके, वरन इससे बैंकों के ऋण विस्तार में आसानी होगी।

लघु एवं मध्यम उद्यम को ऋण प्रदान करने हेतु समूह दृष्टिकोण

गांगुली कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि लघु एवं मध्यम उद्यम के समूह बनाकर उनकी निधियों संबंधी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। समूह दृष्टिकोण अपनाए जाने के निम्न फायदे बताए गए हैं -

i) प्रत्येक समूह के लिए निधीयन संबंधी आवश्यकता समान हो सकती है। अत: इन समूहों के लिए विशेष प्रकार के ऋण उत्पाद बैंकों द्वारा विकसित किये जा सकते हैं।

ii) एक ही प्रकार के समूह की इकाइयों को सेवा प्रदान करने में बैंकों को आसानी होगी।

iii) एक समान समूह की इकाइयों के बारे में अध्ययन करने में आसानी होगी जिससे बैंकों को जोखिम प्रबंधन प्रणाली विकसित करने में आसानी होगी।

iv) एक ही समूह की समस्त इकाइयों की निगरानी में भी आसानी होगी।

एक अनुमान के अनुसार, आज भारत में 350 से अधिक लघु एवं मध्यम उद्यम समूह कार्यरत हैं, जिनके द्वारा भारत में किये जा रहे कुल निर्यात में 60 प्रतिशत का योगदान दिया जा रहा है। बैंकों द्वारा इस मॉडल को बढ़ावा दिया जा रहा है।

बैंकों द्वारा प्रयास

लघु एवं मध्यम उद्यम को ऋण का प्रवाह बढ़ाये जाने हेतु बैंकों द्वारा कई प्रयास किये जा रहे हैं । इन प्रयासों में निम्नलिखित निर्णय शामिल हैं –

i) कई बैंकों ने लघु एवं मध्यम उद्यम के लिए ऋण मार्जिन संबंधी एवं स्टॉक तथा प्राप्य राशियों संबंधी नियम शिथिल किए हैं ।

ii) लघु एवं मध्यम उद्यम की स्थायी आस्तियों संबंधी अत्यावश्यक जरूरतों की पूर्ति हेतु नए स्थायी ऋण उत्पादक बैंकों द्वारा प्रचलन में लाए गए हैं।

iii) अर्थव्यवस्था में आई मंदी के चलते लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों की चालू आस्तियों की गुणवत्ता में आई कमी के कारण इन्हें बाजार में बेचने में यदि दिक्कत आ रही है तो इन परिस्थितियों में बैंक इन इकाइयों को प्रदान किये गए ऋणों की किस्तों एवं ब्याज की राशि का, भारतीय रिज़र्व बैंक के नियमों के अनुसार, पुनर्निर्धारण भी करते हैं ताकि इन इकाइयों पर आर्थिक दबाव को कम किया जा सके ।

iv) कई बैंकों ने, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार, लघु एवं मध्यम उद्यम को ऋण प्रदान करने हेतु विशेष शाखाओं की स्थापना विभिन्न शहरों एवं समूह क्षेत्रों में की है। इससे लघु एवं मध्यम उद्यम की समस्याओं को समझकर इनका निदान करना आसान होता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रत्येक जिले में न्यूनतम एक विशेष शाखा की स्थापना करना आवश्यक है ।

भारत वर्ष में अब औद्योगिक क्षेत्र (लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयां शामिल करते हुए) को ही रोजगार के नये अवसर उपलब्ध कराने हेतु चिह्नित किया गया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान वर्ष 1950-51 के 56.1 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2009-10 में 18 प्रतिशत रह गया है। इस कमी की पूर्ति सेवा क्षेत्र द्वारा की गई है जिसका हिस्सा बढ़कर आज 58 प्रतिशत तक हो गया है। उद्योग क्षेत्र का योगदान वर्ष 1950-51 के 11.5 प्रतिशत से बढ़कर आज 24 प्रतिशत हो गया है। चीन के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 48 प्रतिशत है। भारत के कृषि क्षेत्र के योगदान में यदि और कमी आती है तो अब सेवा क्षेत्र द्वारा उसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा, यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो देश में बेरोजगारी की दर और भी अधिक हो जाएगी । इसे रोकने के लिए औद्योगिक क्षेत्र (विशेष रूप से लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयों) के योगदान को बढ़ाना ही होगा ताकि रोजगार के नए अवसर इस क्षेत्र में पैदा हों । देश की 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम के योगदान को बढ़ाने हेतु कई विशेष प्रयास किये जा रहे हैं । बैंकों को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम की वित्त संबंधी समस्त समस्याओं का निदान करने हेतु पूरे मनोयोग से आगे आना होगा। इस क्षेत्र में ऋण प्रदान करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

❍❍❍

लघु उद्यमों के लिए परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की ओर से, एनएसआईसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए 'परफारमेंस एवं क्रेडिट रेटिंग स्कीम' कार्यान्वित कर रहा है और इस स्कीम को 07 मान्यता प्राप्त रेटिंग एजेंसियों अर्थात केयर, क्रिसल, डी एण्ड बी, फिच, इकरा, ओनिकरा एवं समैरा के माध्यम से संचालित कर रहा है । रेटिंग हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा अदा की जानेवाली फीस के लिए 75 प्रतिशत की सीमा तक लेकिन अधिकतम 40,000/- रुपये रेटिंग के प्रथम वर्ष के लिए सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है । यह स्कीम अब बहुत लोकप्रिय हो गई है और इसे अच्छा प्रत्युत्तर मिल रहा है । वर्ष 2009 - 10 के दौरान स्कीम के अंतर्गत कुल 7,531 इकाइयों को रेट किया गया और 31 दिसम्बर, 2010 तक 7827 इकाइयों को रेट किया गया है । रेटिंग, इकाई की दक्षता और साख पर तीसरे पक्ष की विश्वस्त राय के रूप में कार्य करती है । एक अच्छी रेटिंग, रेट की गई इकाई की बाजार में स्वीकार्यता बढ़ाती है जिससे उन्हें शीघ्र और सस्ते ऋण की सुविधा मिलती है और इस तरह ऋण लागत की किफायत में सहायता मिलती है । यह स्कीम लोकप्रिय हो रही है और अधिक इकाइयां अपनी रेटिंग कराने के लिए आगे आ रही हैं ।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2010-11, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार

एमएसएमई और क्रेडिट गारंटी

सुशील कृष्ण गोरे
प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

एमएसएमई आज भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ा एक बहुचर्चित शब्द बन गया है । दरअसल यह न तो शब्द है और न ही कोई संक्षेपाक्षर । यह समावेशी विकास का विजन है । आर्थिक रूप से मजबूत होते भारत की दूरदृष्टि है । आपको याद होगा कि लघु उद्योग और उनका विकास आजादी के बाद नए सिरे से विकसित और औद्योगिकीकृत होते भारत की प्रमुख प्राथमिकताओं में था । भारत सरकार ने 70 के दशक में पहली बार लघु उद्योग क्षेत्र के लिए अलग से नीति बनाने की घोषणा की थी । उसके बाद इस क्षेत्र का स्थान पंचवर्षीय योजनाओं और बजट के केंद्र में बना रहा । ठीक वैसे ही उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (एलपीजी) के बाद बाजार आधारित अर्थव्यवस्था में एक रोल मॉडल की हैसियत रखने वाले भारत के लिए जरूरी हो गया कि बड़ी-बड़ी परियोजनाओं के पीछे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की आवाजें गुम न हो जाएं । बल्कि यह कहा जा सकता है कि बड़े उद्योगों को कच्चे माल, प्राथमिक वस्तुएं, तैयार घटकों की आपूर्ति इन्हीं उद्यमों के द्वारा होती है । चूंकि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र रोजगार सृजन, निर्यात तथा देश की एक बहुत बड़ी आबादी को आर्थिक रूप से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करता है इसलिए इसे 'सनराइज सेक्टर' भी कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी ।

इस क्षेत्र में लगभग 2.6 करोड़ उद्यम काम कर रहे हैं । समूचे विनिर्मित उत्पादन में अकेले इसी क्षेत्र की भागीदारी 45 प्रतिशत और भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 8 प्रतिशत है । देश से होनेवाले संपूर्ण निर्यात का 40 प्रतिशत भाग एमएसएमई की बदौलत होता है । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस क्षेत्र ने तकरीबन 6 करोड़ हाथों को रोजगार दिया है । इसके अलावा सिर्फ खेती-बाड़ी ही एक क्षेत्र है जिसने इससे अधिक लोगों को रोजी-रोटी दी है । इसलिए एमएसएमई न केवल समावेशी विकास का वाहक है बल्कि वह देश के सम, संतुलित एवं स्थिर विकास का भी आधारस्तंभ है । भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर डॉ. के. सी. चक्रवर्ती ने अपने एक भाषण में कहा है कि 'कल के एमएसएमई आज के बड़े कार्पोरेट्स हैं और कल की बड़ी एमएनसी' (The MSMEs of yesterday are the large corporates of today and could be MNCs of tomorrow.) ।

यह तस्वीर केवल भारत की नहीं है बल्कि समूची दुनिया में एमएसएमई का एक दमदार व्यावसायिक संगठन के रूप में उभार देखा जा रहा है । ये तमाम ऐसे नए क्षेत्रों में घुसपैठ बना चुके हैं जहां बड़ी कंपनियों या बड़े औद्योगिक घरानों की नज़र नहीं पड़ी या फिर उन्हें वहां मुनाफे का भविष्य नहीं दिखा और उन्होंने उनकी उपेक्षा की । ग्राहकों के ऐसे छोटे-छोटे संभावनाशील समूहों की उम्मीदों और सपनों में अपना बाजार (Niche Markets) ढूँढ़ने वाले एमएसएमई दुनिया भर में फैले हैं । उनकी सफलताएं उनके देशों की दंतकथाएं बन गई हैं । आपको बता दें कि यूरोपीय संघ के 99 प्रतिशत और अमेरिका के 80 प्रतिशत उद्यम लघु उद्यम हैं । भारत में भी इसकी हिस्सेदारी 97 प्रतिशत है । पांचवीं आर्थिक गणना (अनंतिम आंकड़ा - जून 2006) के अनुसार कृषि के अलावा 421.2 लाख उद्यमों में से 5.8 लाख उद्यम कारखाना इकाइयों के रूप में हैं । भारत सरकार द्वारा जून 2006 में स्वीकृत एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुसार इन 5.8 लाख कारखाना इकाइयों में से लगभग 5 लाख लघु एवं मध्यम उद्यम इकाइयां हैं ।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 बनने के बाद एमएसएमई क्षेत्र सुपरिभाषित हो गया है । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और उनमें निवेश की सीमाएं स्पष्ट कर दी गई हैं । अन्य देशों में नियोजित कर्मचारियों तथा धारित पूंजी आदि के आधार पर एमएसएमई को परिभाषित किया जाता है । इस प्रकार मोटे तौर पर इन उद्यमों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है :

(क) विनिर्माण

(ख) सेवाएं प्रदान करने में लगे उद्यम

उद्यमों के दोनों वर्गों को प्लांट एवं मशीनरी में उनके निवेश (विनिर्माण उद्योगों के लिए) या उपस्करों में उनके निवेश (सेवा प्रदान करने वाले उद्यमों के मामले में) के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में वर्गीकृत किया जाता है । एमएसएमई क्षेत्र में निवेश की उच्चतम राशि बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये तक किए जाने के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस क्षेत्र की प्रगति जोर पकड़ेगी । अब बहुत संभावना है कि प्रौद्योगिकी तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रिया भी इस क्षेत्र में शुरू होगी जो न केवल उदारीकरण और वैश्वीकरण बल्कि विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के नए संदर्भ में जारी प्रतिस्पर्धा में इस क्षेत्र के टिके रहने के लिए भी जरूरी है ।

क्रेडिट की जरूरत

एमएसएमई देश की अर्थव्यवस्था में विकास के वाहक हैं, लेकिन उन्हें अपने व्यवसाय या उद्यम के लिए हमेशा फंड का टोटा रहता है । बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं या तो कतराती रही हैं या बहुत बेमन से उनकी निधिगत जरूरतों को पूरा करती रही हैं । हालांकि सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के फोकस में होने के नाते अब एमएसएमई के प्रति वित्तीय संस्थाओं और बैंकों का रुझान बढ़ा है। फिर भी एमएसएमई को जरूरत पड़ने और समय पर क्रेडिट हासिल करने में दिक्कतें उठानी पड़ती हैं । देखा गया है कि इस क्षेत्र की उधार की जरूरतें प्रायः छोटी होती हैं लेकिन वे जरूरतें बार-बार पड़ती रहती हैं और यह एक वजह है कि बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं उनमें दिलचस्पी नहीं लेतीं । इसके अलावा अधिकतर एमएसएमई पहली पीढ़ी के उद्यमों से संबद्ध होने के नाते क्रेडिट के लिए संपार्श्विक यानी कोलैटरल का इंतजाम नहीं कर पाते जो उनके उद्भव में एक अड़चन है ।

अभी पाँच-दस साल पहले तक एमएसएमई द्वारा ऋण चुकौती में चूक के मामले आम थे । इसके पीछे कई कारण थे । एक कारण यह भी था कि इन उद्यमों के पास प्रौद्योगिकी, कार्पोरेट गवर्नेंस, शोध एवं विकास का कोई क्षितिज नहीं था । कहा जा सकता है कि उनके पास न तो कोई सुपरिभाषित प्रोफेशनल तकाजे थे और न ही कोई प्रबंधकीय एवं संगठनात्मक दृष्टि । वे बाजार की प्रतिस्पर्धा से लगभग कटे हुए थे । उनका कोई चेहरा नहीं था । लिहाजा ऐसे उद्यमों के पास किसी भी औद्योगिक मंदी या अर्थव्यवस्था में सुस्ती की मार झेलने की क्षमता नहीं थी । यही वजह थी कि बैंक उन्हें क्रेडिट देने से कतराते थे ।

एमएसएमई को ऋण उपलब्ध कराने की प्रणाली यानी credit delivery mechanism की जो सबसे बड़ी खामी थी वह खास तौर पर लघु उधारकर्ताओं को ऋण प्राप्त करने में होने वाला विलंब था जो उनकी समस्त योजना को मटियामेट कर देता था । उन्हें ऋण हासिल होते-होते समय और लागत का भारी नुकसान हो जाया करता था, यानि इन उद्यमों पर **'का वर्षा जब कृषि सुखानी'** वाली कहावत चरितार्थ होती थी ।

अपने उद्यमों को अमलीजामा पहनाने के लिए इन एमएसएमई उद्यमियों के पास समय का सधा हुआ हिसाब-किताब नहीं होता था। इन उद्यमों के लिए वर्ष-भर में गाहे-बगाहे पड़ने वाली जरूरतों का आकलन करने और उनके लिए फंड का इंतजाम करने की दूरदर्शिता नहीं थी । एमएसएमई की इस समस्या का समाधान क्रेडिट स्कोरिंग मॉडल में ढूँढा गया ।

इस आलेख का विषय क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएस) तथा क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीएफटी) है । दरअसल इस योजना या इस फंड का मकसद ऋण के लिए संपार्श्विक के अभाव में परेशानहाल एमएसएमई को इस समस्या से निजात दिलाना था । यह उधारकर्ता एमएसएमई और बैंक दोनों के लिए सुविधाजनक है क्योंकि इसमें दोनों को फायदा है ।

ऋण गारंटी निधि योजना

यह ऋण गारंटी निधि न्यास (सीजीएफटी) के न्यास मंडल द्वारा एमएसएमई उद्यमों की ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी प्रदान करने के प्रयोजन से बनाई गई एक योजना है । उक्त योजना 1 अगस्त 2000 को लागू हुई । प्रारंभ में इस योजना का आधिकारिक नाम लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएफएसआई) था । सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 बनने के बाद इसका नाम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीएसएमएसई) तथा निधि का नाम सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीएफटीएमएसई) हो गया।

इस न्यास की स्थापना भारत सरकार के तत्कालीन लघु उद्योग मंत्रालय तथा सिडबी ने मिलकर की थी । इस न्यास की निधि में भारत सरकार तथा सिडबी की हिस्सेदारी का अनुपात 4:1 है । सिडबी द्वारा संचालित इस न्यास का मुख्य कार्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इकाइयों को बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं

से ऋण प्राप्त करने के दौरान संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष की गारंटी जुटाने की समस्या से निजात दिलाना है । यह न्यास एमएसएमई इकाइयों को सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं (एमएलआई) द्वारा बिना संपार्श्विक प्रतिभूति के दिए गए मीयादी ऋण अथवा कार्यशील पूंजी सुविधा के 75 प्रतिशत भाग की गारंटी देता है । शर्त यह है कि किसी भी उधारकर्ता को दिया जाने वाला अधिकतम ऋण 100 लाख रुपये से अधिक न हो । यहां यह बारीकी से समझना जरूरी है कि इस योजना के तहत किसी एमएसएमई उधारकर्ता को 100 लाख रुपये से भी अधिक ऋण मंजूर किया जा सकता है लेकिन न्यास के गारंटी कवर के अंतर्गत आरंभ में 100 लाख रुपये का 75% अर्थात केवल 62.50 लाख रुपये ही मिलेंगे ।

इस योजना को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत वातावरण में संचालित किया जा रहा है । इसमें बी2बी ई-व्यापार मॉडल का प्रयोग किया गया है ।

किसी एमएलआई को यह योजना शुरू करने से पहले अपने उन आंचलिक/क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों के नाम और पते सीजीएफटी को उपलब्ध कराने होते हैं जिनके माध्यम से वे इस योजना को संचालित करना चाहते हैं । इसके अलावा उन्हें उन कार्यालयों के एक नोडल अधिकारी सहित दो अन्य अधिकारियों के नाम एवं संपर्क ब्यौरे देने होंगे । ये अपेक्षित ब्यौरे प्राप्त होने के बाद न्यास उन एमएलआई को एक सदस्य आईडी एवं पासवर्ड आबंटित करता है। उसके बाद एमएलआई गारंटी कवर के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है क्योंकि आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

यह न्यास एमएसएमई क्षेत्र के उद्यमों को सीधे गारंटी कवर नहीं दे सकता । सीजीएफटी केवल अपने पंजीकृत एमएलआई को ही गारंटी कवर देता है । सीजीटीएमएसई का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है और उसके व्यवसाय विकास कार्यालय नई दिल्ली तथा कोलकाता में स्थित हैं । ऋण गारंटी न्यास का संपूर्ण परिचालन ऑनलाइन होता है । इसलिए सीजीएफटी मुंबई से ही अपने सभी एमएलआई की आवश्यकताएं पूरी कर सकता है ।

गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क

1 अप्रैल 2006 से इस न्यास का एकमुश्त गारंटी शुल्क 5 लाख रुपये तक की स्वीकृत ऋण सुविधा पर 1.0 प्रतिशत तथा 5 लाख रुपये से अधिक ऋण पर 2.5 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है । साथ ही, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के एमएसएमई इकाइयों के लिए 50 लाख रुपये तक के ऋण पर एकमुश्त गारंटी शुल्क 0.75 प्रतिशत निर्धारित किया गया है । सभी मामलों में न्यास को गारंटी शुल्क का भुगतान गारंटी प्राप्त करने वाली संस्था को ऋण (कार्यशील पूंजी पर लागू नहीं) की पहली खेप के संवितरण की तारीख से 30 दिन के भीतर अथवा गारंटी शुल्क की मांग सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर, इनमें से जो बाद में हो, या न्यास द्वारा यथानिर्धारित तारीख के भीतर करना अनिवार्य है ।

बाद में गारंटी शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसका भुगतान गारंटी कवर प्राप्त करते समय एकमुश्त किया जाता है । जहां तक वार्षिक सेवा शुल्क का संबंध है, गारंटीकृत ऋण सुविधाओं के लिए उसका भुगतान पहले वर्ष में आनुपातिक आधार पर गारंटी कवर के प्रारंभ होने की तारीख से 31 मार्च तक की स्थिति के अनुसार प्रभावी दर से किया जाता है । बाकी वर्ष के दौरान इस शुल्क की गणना 365 दिन का वर्ष मानकर की जाती है । इस शुल्क का भुगतान गारंटी का दावा करने की तारीख से गारंटीकृत राशि के 75 प्रतिशत भुगतान की पहली किस्त के निपटान तक की अवधि के लिए करना अनिवार्य है । तथापि, प्रारंभिक अवरुद्धता अवधि की समाप्ति यानी गारंटी कवर शुरू होने की तारीख से 18 महीने अथवा ऋण के अंतिम संवितरण की तारीख से पहले, इनमें से जो भी बाद में हो, और गारंटी कवर की अवधि समाप्त होने के बाद, गारंटी के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता ।

न्यास के खाते में गारंटी शुल्क जमा होने की तारीख से गारंटी कवर प्रारंभ हो जाता है और वह मीयादी ऋण/संमिश्र ऋण की निर्धारित अवधि तक जारी रहता है । लेकिन कार्यशील पूंजी के रूप में पात्र एमएसएमई उधारकर्ता को प्रदान की गई ऋण सुविधा के मामले में यह कवर 5 वर्ष अथवा गारंटी कवर का नवीकरण होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रहता है, बशर्ते एमएलआई 31 मार्च की स्थिति के अनुसार प्रतिवर्ष, अधिकतम 31 मार्च तक वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान करता हो ।

इस योजना के तहत ऋण सुविधा पर गारंटी केवल तभी दी जा सकती है जब ऋणदात्री संस्था ने किसी एमएसएमई को ऋण बिना किसी संपार्श्विक प्रतिभूति या तृतीय पक्ष की गारंटी के दिया

हो । यह भी जरूरी है कि उधारकर्ता ने केवल एक संस्था से ऋण हासिल किया हो । लेकिन सिडबी, एनएसआईसी, नेडफी, एसएफसी या किसी राज्य की वित्तीय संस्था द्वारा ऋण सुविधा से लाभान्वित होने वाली एमएसएमई इकाइयों को किसी दूसरी वित्तीय संस्था से ऋण हासिल करने की मनाही नहीं है । वे इस स्थिति में भी इस योजना के अंतर्गत गारंटी कवर के लिए पात्र होंगी ।

एमएलआई

सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (सरकारी एवं निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक), चुनिंदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वित्तीय संस्थाएं इस योजना के अंतर्गत गारंटी कवर की पात्र हैं । ध्यान देने की बात है कि सरकारी, निजी क्षेत्र के केवल वही बैंक तथा विदेशी बैंक एमएलआई हो सकते हैं जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हों यानी उनका नाम भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में दर्ज होना चाहिए । इसी प्रकार केवल वे ही क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पात्र हो सकते हैं जिन्हें नाबार्ड द्वारा धनात्मक मालियत वाले सक्षम श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है । ऐसे पात्र क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के किसी एकल पात्र उधारकर्ता को मीयादी ऋण तथा/अथवा कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में दी गई 50 लाख रुपये तक की ऋण सुविधा इस गारंटी कवर के भीतर आएगी । इन्हें सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं (एमएलआई) कहा जाता है । इनके अलावा भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय लघु औद्योगिक निगम लि. (एनएसआईसी) तथा पूर्वोत्तर विकास वित्त लि. (एनईडीएफआई) को भी इस योजना के अंतर्गत एमएलआई के रूप में शामिल किया गया है । लेकिन अनुसूचित सहकारी बैंक, शहरी सहकारी बैंक तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सीजीएफटी की पात्र वित्तीय संस्थाएं नहीं हैं ।

प्रश्न उठता है कि कैसे कोई ऋणदात्री वित्तीय संस्था इस योजना या इस न्यास के अंतर्गत गारंटी कवर की पात्र बनती है? इसके लिए पात्र ऋणदात्री संस्था को सीजीटीएमएसई के साथ एकमुश्त समझौता करना पड़ता है । इस समझौते के बाद उस संस्था को इस न्यास की सदस्य ऋणदात्री संस्था (एमएलआई) का दर्जा मिल जाता है । इसके बाद वह संस्था किसी पात्र उधारकर्ता को मंजूर ऋण सुविधा के संबंध में न्यास से गारंटी कवर के लिए आवेदन कर सकती है । अमूमन सीजीटीएमएसई सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं पर भरोसा रखते हुए उनके द्वारा अनुमोदित ऋण प्रस्तावों को गारंटी कवर के लिए मंजूर कर लेता है । वह उन प्रस्तावों की पुनःसमीक्षा नहीं करता । वह मानकर चलता है कि इन संस्थाओं ने अपने वाणिज्यिक कौशल और अपेक्षित सावधानी (due diligence) का प्रयोग करते हुए व्यावहारिक रूप से सक्षम प्रस्तावों को ही स्वीकार किया होगा ।

पात्र उधारकर्ता

इस योजना के तहत फुटकर व्यवसाय को छोड़कर विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र से जुड़े नए और मौजूदा दोनों प्रकार के एमएसएमई उद्यम पात्र उधारकर्ता होते हैं । अद्यतन स्थिति यह है कि ''प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार'' पर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अनुसार सेवा क्षेत्र से संबद्ध फुटकर व्यापार छोड़कर सभी क्रियाकलापों के लिए इस योजना के तहत ऋण और गारंटी कवर का प्रावधान किया गया है । इस योजना के तहत लघु सड़क तथा जल परिवहन ऋण पर उनके संचालकों को भी गारंटी कवर प्रदान किया गया है ।

इस योजना के अनुसार पात्र उधारकर्ता से अपेक्षित है कि वह ऋणदात्री संस्था से ऋण सुविधा हासिल करने से पहले आयकर स्थायी खाता संख्या यानी आईटी पैन प्राप्त कर ले । आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272 (सी) के साथ पठित धारा 139ए(5) के अनुसार आयकर संबंधी सभी दस्तावेजों पर पैन नम्बर दर्शाना अनिवार्य है, जिनमें विवरणी, चालान, अपील इत्यादि भी शामिल हैं । एमएसएमई क्षेत्र के छोटे उद्यमों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीजीटीएमएसई फिलहाल 10 लाख रुपये तक के ऋणों के मामलों में गारंटी कवर के लिए पैन पर जोर नहीं दे रहा है । लेकिन 10 लाख रुपये से अधिक के ऋण के लिए इसकी अनिवार्यता में कोई ढील नहीं देता ।

किसी पात्र एमएसएमई उधारकर्ता को अधिकतम 100 लाख रुपये की ऋण सुविधाएं एक अथवा एक से अधिक बैंकों तथा/अथवा एक अथवा एक से अधिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप तथा/अथवा अलग-अलग दी जा सकती हैं, बशर्ते उक्त राशि संबंधित सदस्य ऋणदात्री संस्था अथवा न्यास द्वारा

निर्धारित ऋण राशि की उच्चतम सीमा से कम हो । इस संयुक्त वित्तपोषण को गारंटी कवर प्राप्त होगा । किसी स्व-सहायता समूह को दी गई ऋण सुविधा इस गारंटी की पात्र नहीं होगी ।

ऋण सुविधा

इस योजना के तहत प्रति उधारकर्ता निधि तथा गैर-निधि आधारित कुल ऋण सुविधाएं मिलाकर अधिकतम 100 लाख रुपये का गारंटी कवर दिया गया है । शर्त यह है कि ये ऋण सुविधाएं किसी एमएसएमई की परियोजना की व्यावहारिकता को ध्यान में रखकर बिना किसी संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्षकार की गारंटी के दी गई हों । निधि आधारित ऋण सुविधा में मीयादी ऋण तथा गैर-निधि आधारित ऋण सुविधा में साख-पत्र, बैंक गारंटी आदि को शामिल किया गया है ।

इस योजना के अंतर्गत किसी पात्र उधारकर्ता को 100 लाख रुपये से अधिक ऋण सुविधाएं दी जा सकती हैं, बशर्ते संपूर्ण ऋण बिना किसी संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्षकार की गारंटी के दी गई हो । फिर भी गारंटी कवर केवल 100 लाख रुपये तक ही सीमित होगा । इसका मतलब है कि न्यास के अनुसार 62.50 लाख रुपये यानी 75 प्रतिशत अथवा 65.00 लाख यानी 80 प्रतिशत ऋण जोखिम ही बर्दाश्त करेगा । सामान्यतः न्यास 75 प्रतिशत ऋण जोखिम को गारंटी कवर के दायरे में समेटता है; लेकिन सूक्ष्म उद्यमों को दी गई 5 लाख रुपये की ऋण सुविधाओं को वह 85 प्रतिशत गारंटी कवर प्रदान करता है । इसके अलावा न्यास संचालित तथा सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के एमएसएमई उद्यमों को अधिकतम 65 लाख रुपये की ऋण सुविधाओं पर 80 प्रतिशत गारंटी कवर भी देता है ।

इस योजना के तहत जरूरी नहीं है कि किसी एमएलआई द्वारा किसी पात्र उधारकर्ता को ऋण सुविधा के रूप में मीयादी ऋण तथा कार्यशील पूंजी दोनों एक साथ दिया जाए । फिर भी उसे गारंटी कवर का लाभ मिलेगा । इसके अलावा किसी ऋणदात्री संस्था द्वारा संपार्श्विक के आधार पर किसी उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा को भी गारंटी कवर देने का प्रावधान इस योजना में किया गया है, बशर्ते वह संस्था न केवल उधारकर्ता की संपार्श्विक प्रतिभूति पर से अपना अधिकार त्याग दे, बल्कि न्यास से गारंटी कवर प्राप्त करने से पहले सभी संपार्श्विक आस्तियां उधारकर्ता को सौंप दे । कुछ परिस्थितियों में यदि किसी एमएलआई के लिए संपार्श्विक प्रतिभूति को अपने पास रखना जरूरी हो और उसने उसी उधारकर्ता को नई ऋण सुविधा बिना किसी संपार्श्विक के दी हो तो उसे यह गारंटी कवर दिया जा सकता है, बशर्ते एमएलआई पहले वाले संपार्श्विक को किसी भी रूप में नई ऋण सुविधा से संबद्ध न करता हो ।

इस योजना से लाभान्वित होने वाले एमएसएमई उधारकर्ताओं के ऋणों पर ब्याज की दर भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार लगाई जाती है । तथापि, ब्याज दर को एमएलआई की मूल उधार दर (पीएलआर) से किसी भी स्थिति में 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए । इसमें न्यास को देय गारंटी शुल्क या वार्षिक सेवा शुल्क शामिल नहीं है ।

गारंटी कवर

न्यास के खाते में गारंटी शुल्क जमा की तारीख से गारंटी कवर प्रारंभ हो जाता है और वह मीयादी ऋण/संमिश्र ऋण की निर्धारित अवधि तक जारी रहता है ।

यदि कोई एमएसएमई इकाई इस योजना के तहत ऋण सुविधा लेने के बाद कुछ अपरिहार्य कारणों से रुग्ण इकाई हो जाती है तो एमएलआई द्वारा उसके पुनर्वास या उसे सहायता देकर वापस पटरी पर लाने के लिए दिए गए ऋण को भी योजना के अनुसार अतिरिक्त समय के लिए गारंटी कवर दिया जाएगा, बशर्ते उसे दी जाने वाली वित्तीय सहायता 100 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के भीतर हो। इसके मानदंड न्यास द्वारा निर्धारित किये जाएंगे ।

एमएलई द्वारा किसी पात्र एमएसएमई उधारकर्ता को दी गई ऋण सुविधा के संबंध में न्यास का गारंटी कवर निम्नलिखित परिस्थितियों में समाप्त हो जाएगाः

i. न्यास को बाद में यह पता चले कि एमएलआई ने किसी पात्र उधारकर्ता को संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्षकार की गारंटी लेकर ऋण सुविधा प्रदान की है ।

ii. न्यास को बाद में यह पता चले कि एमएलआई ने किसी पात्र उधारकर्ता को संपार्श्विक अथवा तृतीय पक्षकार की गारंटी लेकर दूसरी/उत्तरवर्ती ऋण सुविधा संपार्श्विक अथवा तृतीय

पक्षकार की गारंटी के आधार पर मंजूर की है और उस मौजूदा ऋण सुविधा को भी उसके दायरे में लाने का काम किया है, जिसके लिए पहले से उसे न्यास का गारंटी कवर प्राप्त है ।

iii. न्यास को विनिर्दिष्ट समय या न्यास द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के भीतर वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान न किया गया हो ।

iv. गारंटी कवर की समय सीमा समाप्त हो गई हो ।

एमएलआई ऋण चुकौती में चूक जाने पर गारंटी का दावा कर सकता है । तथापि, वह प्रारंभिक अवरुद्धता अवधि की समाप्ति यानी गारंटी कवर शुरू होने की तारीख से 18 महीने अथवा ऋण के अंतिम संवितरण की तारीख से पहले, इनमें से जो भी बाद में हो, और गारंटी कवर की अवधि समाप्त होने के बाद गारंटी के लिए कोई दावा नहीं कर सकता । नियमानुसार एमएलआई द्वारा किए गए दावे एवं ऋण की वसूली प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं से संतुष्ट होने के बाद सीजीएफटी मामले के अनुसार अदा न की गई राशि के गारंटीकृत अंश का 75 प्रतिशत या 80 प्रतिशत गारंटी देगा । शेष 25 प्रतिशत का भुगतान वसूली प्रक्रिया पूरी होने के बाद किया जाएगा । वसूली की पूरी जिम्मेदारी एमएलआई की होगी ।

यदि किसी मामले में किसी ऋण सुविधा का कुछ अंश ईसीजीसी या किसी सरकारी या सामान्य बीमाकर्ता या बीमा, गारंटी या इंडेम्निटी का व्यवसाय करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के संघ द्वारा अतिरिक्त गारंटी कवर के अधीन है तो उस ऋण सुविधा का उतना अंश इस सीजीटीएमएसई योजना के अनुसार न्यास के गारंटी कवर का पात्र नहीं होगा ।

लोक अदालत के अंतर्गत जारी नोटिस के आधार पर गारंटी का दावा भी किया जा सकता है और गारंटी की पहली किश्त प्राप्त भी की जा सकती है । क्योंकि लोक अदालत की नोटिस को कानूनी प्रक्रिया का प्रारंभ माना जाता है । इसके ठीक विपरीत वित्तीय आस्ति प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जारी की गई नोटिस के आधार पर गारंटी का दावा नहीं प्रस्तुत किया जा सकता । इसके लिए एमएलआई को उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के उपबंध के अनुसार कार्रवाई करनी होगी ।

प्रतीक चिन्ह

सीजीटीएमएसई को जोड़ने वाली तीन नीली पट्टियां सुविधा, आशा तथा प्रेरणा को दर्शाती हैं और अग्निशिखा उस नियमित सहयोग को दर्शाती है जो यह न्यास उद्यमियों को खुद का उद्यम स्थापित करने का सपना साकार करने के लिए देता है ।

इस अग्निशिखा के चारों तरफ पीला रंग इस न्यास द्वारा एमएसएमई उद्यमियों को संपार्श्विक प्रतिभूति तथा/अथवा तृतीय पक्षकार की गारंटी से चिंतामुक्त करके अपना उद्यम खड़ा करने की ऊर्जा प्रकट करता है ।

CGTMSE शब्द के ऊपर का त्रिकोण, औद्योगिक इकाई तथा उसकी ऊर्ध्वाधर प्रगति का प्रतीक है ।

❍❍❍

वैयक्तिक पाठक कृपया ध्यान दें

'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन' पत्रिका के सभी वैयक्तिक पाठकों (Individual Readers) से पुनः अनुरोध है कि यदि उन्होंने सदस्यता का नवीकरण किए जाने का अनुरोध अभी तक प्रेषित नहीं किया है तो इसे पृष्ठ सं. 104 पर दिए गए सदस्यता फार्म में भरकर यथाशीघ्र प्रबंध संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाऊस, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई – 400 018 को भिजवा दें । **आपका अनुरोध प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आप आगे से इस पत्रिका को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं और आपका नाम पत्रिका की डाक सूची से हटा दिया जाएगा ।**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर उदारीकरण का प्रभाव

सुबह सिंह यादव
मुख्य प्रबंधक,
बैंक ऑफ बड़ौदा, प्रशिक्षण केन्द्र, पटना

21 वीं शताब्दी के उदय से एक ऐसी नई अर्थव्यवस्था उभरकर सामने आई है जो 18वीं शताब्दी की औद्योगिक अर्थव्यवस्था से बहुत अधिक भिन्न है । 18वीं शताब्दी की पुरानी औद्योगिक अर्थव्यवस्था अधिकांशतः भौतिक संसाधनों पर भारी मात्रा में निर्भर थी, नई अर्थव्यवस्था ज्ञान तथा विचारों पर आधारित है और आज सूचना को उत्पन्न किया जा रहा है ।

धन संपत्ति का नवोन्मेष तथा सृजन करने के लिए वैश्विक बाजारों की अभूतपूर्व शक्ति नई अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। तीन प्रमुख शक्तियाँ, जो संगठनों को व्यवसाय करने के तौर-तरीकों का मूलभूत रूप से पुनःपरीक्षण कर आर्थिक भू-आकृति को परिवर्तित कर रहीं हैं, निम्नलिखित हैं -

(1) सूचना तथा प्रौद्योगिकी में भयावह वृद्धि ।

(2) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय परिवर्तन की गति त्वरित करना।

(3) वैश्वीकरण का बढ़ता दायरा ।

वैश्वीकरण तथा उदारीकरण – विगत दशक में वैश्वीकरण, उदारीकरण तथा निजीकरण की प्रक्रियाओं ने जोर पकड़ा जिससे विश्व अर्थव्यवस्था एक या दूसरे तरीके से किसी न किसी रूप में प्रभावित हुई है । विश्व व्यापार संगठन के साम्राज्य के दौरान, बाजार शक्तियों के अंतर्गत बढ़ते हुए लघु एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्र को भी राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजारों में ऊर्ध्व एवं क्षैतिज दोनों तरह की तीक्ष्ण प्रतिस्पर्द्धा का सामना करना पड़ा, जहाँ गैर सक्षम इकाइयों का या तो क्षीण अस्तित्व था अथवा अस्तित्व था ही नहीं । परिवर्तित आर्थिक परिदृश्य की बाध्यता ने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उपक्रमों के परिचालन को जटिल एवं प्रतिस्पर्द्धी बना दिया है ।

वैश्वीकरण तथा उदारीकरण ने इन उपक्रमों के लिए नये वैश्विक बाजारों का सृजन किया है । भारत इस समय बेरोजगारी तथा सामाजिक अपवर्जन की समस्याओं पर काबू पाने के लिए कई प्रकार के परिवर्तनों से जूझ रहा है । अब हमारे समक्ष प्रश्न यह है कि भारतीय उद्योग क्षेत्र को वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्द्धी बनाते हुए समावेशी समाज के स्वरूप को बनाये रखने के साथ-साथ भारत के ज्ञान आधार को कैसे विस्तृत करें, गत्यात्मक आर्थिक वृद्धि को कैसे प्राप्त किया जाए और समानान्तर रूप से भारतीय सामाजिक संरक्षण प्रणाली में आवश्यक परिवर्तन कैसे किए जाएं । इन सबसे अतिरिक्त एक अहम प्रश्न यह है कि सामान्य रूप से पेंशन प्रणाली एवं सार्वजनिक वित्त को उपक्रमी तथा उपक्रम के लिए अपनाये गये कार्यक्रम में कैसे टिकाऊ बनाया जाए ।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों की इकाइयाँ जो लंबे समय से संरक्षण के परिवेश का लाभ उठाती रही हैं अब उन्हें खुले और अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के असंरक्षित वातावरण की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है । ये छोटी और असंगठित ढंग से दूर-दराज के क्षेत्रों में बिखरी कार्यरत इकाइयाँ उतनी मात्रा में उत्पादन नहीं कर पाती हैं जितनी लाभप्रदता के मानदंड के अनुसार अपेक्षित है । साथ ही उनकी मशीनें भी पुरानी तथा घिसीपिटी होती हैं जो आधुनिक या नवीनतम प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से घटिया होती हैं या बेहतर क्षमता वाली नहीं होती हैं । अतः खुले विश्व बाजार और उदारीकृत माहौल में इनका क्या भविष्य होगा, यह हमारा मूल प्रतिपाद्य विषय है ।

यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि विश्व बाजार की प्रतिस्पर्धा और विश्व व्यापार संगठन के साथ हुए करार के कारण संरक्षण की व्यवस्था कम कर देने के बाद लघु और मध्यम उद्योगों की चुनौतियाँ बढ़ने लगी हैं । लेकिन लघु और मध्यम उद्योग हमारे औद्योगीकरण का आधार होने और अर्थव्यवस्था में इनके योगदान के मद्देनजर विश्व स्तर पर व्यापाररत बड़े घरानों और लघु और मध्यम उद्योगों की शक्ति का आभास हो गया है । अतः इन औद्योगिक इकाइयों ने विश्व व्यापार संगठन के दिशानिर्देशों द्वारा खड़ी की गई मुश्किलों की संभावना को दरकिनार कर दिया है तथा अब विकास तथा वृद्धि का केन्द्रबिंदु बनकर उभर रही हैं । बैंकों के लिए भी यह क्षेत्र बहुत ही संभावना वाला है क्योंकि बड़े उद्योग घरानों के लिए तो

Final proof of Pages 16 to 19
Received on 19-12-2011 resubmitted duly corrected 20-12-2011

पूँजी जुटाने के कई रास्ते हैं । वे विदेशों से तथा खुले बाजार से अपनी शर्तों पर धन उगाह लेते हैं परंतु लघु और मध्यम उद्योगों को स्थानीय संसाधनों पर ही निर्भर रहना होता है । अतः यह क्षेत्र ऋण देने का अक्षय क्षेत्र है ।

एमएसएमई क्षेत्र के लिए विपुल अवसर

आज पूरा विश्व एक गाँव बन जाने तथा दूरियाँ तय करने में आसानी हो जाने के कारण लघु और मध्यम उद्योगों के सामने चुनौतियों से कहीं ज्यादा नये अवसर खुल गये हैं । अतः इन्हें प्रौद्योगिकी के विकास और उनमें तेजी से आने वाले परिवर्तनों के साथ-साथ अपने को ढालना होगा तथा सारे विश्व के साथ चलना होगा । यदि लघु और मध्यम उद्योग नई, चुस्त और तीव्रता से काम करने वाली प्रौद्योगिकी को अपनाते हैं तो उनके विकास व प्रगति की अपार संभावनाएँ हैं तथा यदि उन परिवर्तनों से विमुख होंगे तो वे विनष्ट हो जाएँगे । आज के कठिन प्रतिस्पर्धा के जमाने में पूरे विश्व का बाजार खुल गया है । अतः इसे एक व्यापक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए । देश में विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के लागू होने के परिणामस्वरूप लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के लिए बनाया गया संरक्षणवाला माहौल समाप्त हो रहा है । अब लघु और मध्यम उद्योगों के सामने प्रतिस्पर्धा में बड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ खड़ी हैं तथा जो श्रेष्ठ है वही जीवित रह पाएगा, यह सिद्धांत लागू हो रहा है ।

यहाँ प्रश्न यह है कि वे कौन-से मात्रात्मक प्रतिबंध थे, जिन्हें विश्व व्यापार संगठन समाप्त करना चाहता था और कुछ देश उनका विरोध क्यों करते थे ? मात्रात्मक प्रतिबंध वे उपाय हैं जिनके द्वारा कोटा निर्धारित करने, आयात के लिए लाइसेंस जारी करने और आयात पर रोक लगाने के लिए केनलाइजेशन का सहारा लिया जाता था । यद्यपि कई पक्षों के साथ व्यापार के नियमों के तहत, सामान्यतया, किसी भी माल के आयात पर 'मात्रात्मक प्रतिबंध' लगाने की मनाही है, फिर भी विश्व व्यापार संगठन द्वारा व्यापार और टैरिफ पर सामान्य करार के अंतर्गत इस मूलभूत सिद्धांत के लिए कुछ अपवाद निश्चित किए गए हैं । भुगतान संतुलन के आधार पर रोक लगाने की अनुमति है । चूँकि इधर कुछ वर्षों में हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हो गया है और विदेशी मुद्रा का हमारा भंडार पर्याप्त हो गया है, इसलिए हमारा देश मात्रात्मक प्रतिबंध को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध हो गया ।

उदारीकरण के बाद गुणात्मकता, उत्पादकता एवं कार्यकुशलता ही एमएसएमई के आधार रह गये हैं । अब इस क्षेत्र को न केवल आंतरिक, अपितु बाह्य प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ेगा । अतः बाजार में टिके रहने के लिए इन्हें बाजार की अपेक्षाओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप नवोन्मेषी उत्पाद प्रदान करने होंगे ताकि ये नई सहस्राब्दि के लिए तैयार हो सकें। वर्तमान मॉडल में कई परिवर्तन किये जाने की जरूरत है । 21वीं शताब्दी डार्वियन एमएसएमई की ओर देखने को आतुर है । अतः केवल उन्हीं इकाइयों का अस्तित्व बरकरार रहेगा जो समय परिवर्तन के साथ अपने को बाजार की मांगों की संतुष्टीकरण की ओर उन्मुख कर सकेंगी ।

भारत में उदारीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत 1996 से ही हो गई थी और चरणबद्ध तरीके से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाये जाने लगे। प्रारंभ में कुल 2714 वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध थे जो कि आगे चलकर समाप्त कर दिए गए।

उदारीकरण से उत्पन्न चुनौतियाँ

उदारीकरण के चलते ग्राहकों की अपेक्षाओं के परिवर्तित स्वरूप ने एमएसएमई क्षेत्र के सामने नई चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं और बाजार मूल्यों के पुनः निर्धारण हेतु बाध्य किया है । अर्थव्यवस्था के अन्तरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से समेकित होने के बाद आज बाजार परंपरावादी स्वरूप से हटकर नवोन्मेषी होते जा रहे हैं जिसमें त्वरित कार्यप्रणाली एमएसएमई संभाग के सारभाग का निर्माण करता दिखाई देता है । भविष्य का बाजार कम समय में अधिक विपणन की धारणा से प्रेरित होगा ।

1) उदारीकरण के बाद एमएसएमई क्षेत्र को अपनी प्रतिस्पर्द्धा में प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माध्यम से सुधार लाना होगा । एक निरंतर प्रतिस्पर्धी युग में लाभदायी अस्तित्व को बचाने के लिए आधुनिक कुशल एवं उपयुक्त प्रौद्योगिकी का प्रयोग जरूरी हो गया है । प्रायः यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के चलते विकासशील देशों की फर्मों को विदशों से तकनीक प्राप्त करने के अवसर मिल गये हैं और इसके तकनीक बाजारों में प्रतिस्पर्द्धा बढ़ गई है तथा साथ ही इससे तकनीक सस्ती तो हो ही गई है बल्कि उन तक अब आसानी से पहुँच बनाई जा सकती है । तकनीक को प्राप्त करना तथा तकनीक को करने के लिए आवश्यक समस्याओं को सृजित करने में समय, प्रयास, लागत, जोखिम

और फर्मों एवं संस्थाओं के बीच अंतःक्रिया भी सन्निहित है । यह भी सत्य है कि एमएसएमई क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग को प्रोत्साहित करने के प्रयास जारी हैं लेकिन सूचना एवं कौशल का अभाव इसके मार्ग में व्यवधान बने हुए हैं । यद्यपि इन्टरनेट के साथ सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा यह क्षेत्र अपना ग्राहक आधार बढ़ा सकता है, नये उत्पाद बाजारों में प्रवेश करा सकता है, व्यवसाय का विवेकीकरण कर सकता है तथा विश्व स्तर पर संभावी व्यवसाय की तलाश कर सकता है; लेकिन सूचना के अभाव एवं आरंभिक निवेश करने हेतु संसाधनों की कमी के कारण अधिकांश एमएसएमई इकाइयाँ इन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाईं ।

2) बाजारों के उदारीकरण की चुनौतियों तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु विपणन, नवोन्मेष, गुणवत्ता नियंत्रण तथा वित्तीय नियोजन दक्षता के निर्णायक उदाहरण बन गए हैं । अधिकांश उपक्रमी अपने ही उत्पाद तथा सेवाओं में निपुण होते हैं लेकिन बदलते उदारीकृत परिवेश में उनकी यह विशेषज्ञता उस व्यापक प्रबंधकीय कौशल की कमी को सूचित करती है जो टिकाऊपन एवं सफलता के लिए जरूरी है । ऐसी स्थिति में बुनियादी ढांचा सहित किसी भी प्रकार की सहायता ठोस संस्थाओं के मेल-जोल से ही उपलब्ध कराई जाये ताकि इस क्षेत्र का कुशल रूप से विकास हो सके । अब वह समय आ गया है जब एमएसएमई क्षेत्र को अपने ही कार्यस्थल तथा व्यवसाय परिवेश में कौशल एवं नेतृत्व के गुण अर्जित करने होंगे । एक निश्चित बिंदु के बाद ''काम करने से सीखने'' का दृष्टिकोण आधुनिकीकरण की दिशा में कम लाभदायक माना गया है । आधुनिकीकरण में अब प्रौद्योगिकी एवं विपणन कौशल को अधिक महत्व दिया गया है । कर्मचारियों तथा प्रबंधन दोनों की गुणवत्ता तथा कौशल में सुधार लाने के लिए प्रशिक्षण एवं समर्थन कार्यक्रमों की आवश्यकता हो सकती है ।

3) उदारीकरण के पश्चात् हम कृषि से उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की ओर संक्रमण कर रहे हैं । अर्थव्यवस्था में यह प्रवृत्ति इस तथ्य पर आधारित है कि सेवा क्षेत्र ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के संक्रमण का एक अविभाज्य हिस्सा है । एक ऐसा संक्रमण, जो प्रतिबंधित अर्थव्यवस्था से उपक्रमी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है । ऐसी स्थिति में अदृश्य विनियोगों, पूँजी तक पहुँच, सहभागिता के उदय तथा क्लस्टर दृष्टिकोण की ओर ध्यान देना होगा ।

4) उदारीकरण के इस युग में हमें एक उपयुक्त व्यवसाय माहौल का सृजन करना होगा ताकि लोग अपना खुद का व्यवसाय आरंभ करने हेतु जोखिम उठा सकें । हमें व्यवसाय के विफल होने के भय से बाहर आना होगा । हमें यदि सही मायने में एमएसएमई को उदारीकृत वातावरण में ढालना है तो उपर्युक्त बात की ओर ध्यान देना ही होगा।

5) परिवर्तित युग में हमें उद्यमिता संस्कृति की सामाजिक स्वीकृति को बढ़ावा देना होगा । ऐसा सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा परिचालनगत स्तर पर रचनात्मक तरीके से संभव बनाया जा सकता है । उपक्रम संबंधी नीति बनाना एवं उसका क्रियान्वयन करना कोई हवाई अभ्यास नहीं है बल्कि इसके लिए हमें समालोचनात्मक प्रतिपोषक सामग्री/विवरण की आवश्यकता होती है, जो हमें व्यावसायिक समझ देगा एवं शोध समुदाय अपने रचनात्मक इन्पुट प्रदान करेगा ।

6) सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमों का वित्तपोषण 'छोटा ही सुन्दर है' की अवधारणा 21वीं शताब्दी में भी प्रासंगिक है। विगत तीन दशकों में इस क्षेत्र के बारे में होने वाली किसी भी परिचर्चा में लघु उद्योग और 'अपर्याप्त वित्त' ये दोनों संकल्पनाएं साथ-साथ चली हैं । वित्त की कमी उद्योग के लिए हमेशा ही डरावने दैत्य का रूप धारण किये रही है । इस कमी के दो पहलू हैं - एक है पूँजी और दूसरा विलंबित भुगतान । परिणामस्वरूप भारतीय अर्थव्यवस्था में मेरुदंड का स्थान रखने वाला यह क्षेत्र अपने स्थान से खिसकने पर मजबूर हो गया है । बैंक और वित्तीय संस्थान लघु एवं मध्यम उद्योगों को अधिकाधिक ऋण उपलब्ध कराएं; इस बात पर जोर देने की बजाए आज जरूरत इस बात की है कि फैक्टरिंग, जोखिम पूँजी, बाह्य वाणिज्यिक उधार, इक्विटी आधारित वित्तपोषण आदि जैसे वैकल्पिक स्रोतों की मदद से इस क्षेत्र को उपलब्ध होने वाले संसाधनों में इजाफा किया जाए । लघु एवं मध्यम उद्योगों के वित्तपोषण में नई संभावनाओं को तलाशने की बेहद जरूरत है । इन संभावनाओं से लघु-मध्यम उद्यमियों को बेहतर सेवाएँ मिल सकती हैं (उदाहरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित सेवाएँ, जैसे सप्ताह में 24 घंटे भुगतान/निपटान ब्यौरा, निधि अंतरण, सेवा बिलों का भुगतान, इन उद्यमों के उत्पादों का बैंकों की वेबसाइट के माध्यम से विपणन, ऐसी बिक्री के लिए बैंकों के गेटवे की सुविधा प्रदान करना, चैनल वित्तपोषण, प्राप्तियों में

छूट, संग्रहण सेवा, तकनीकी उन्नयन एवं सामूहिक गतिविधियों के लिए वित्तपोषण।)

इस तरह के नवोन्मेषी उत्पादों को उपलब्ध कराने से लघु, मध्यम उद्यमियों के साथ जीवन भर का रिश्ता कायम हो सकता है । इसे प्रायः बैंकिंग से परे रिश्ते के रूप में जाना जाता है । इस पूरी प्रक्रिया से राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में इस क्षेत्र की भागीदारी में काफी इजाफा किया जा सकता है क्योंकि जो कल तक लघु-मध्यम उद्योग थे, वे आज विशाल कॉरपोरेट हैं तथा कल की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ भी हो सकती हैं । इस क्षेत्र की सेवा करके बैंक तथा अन्य एजेंसियों को गर्व का अनुभव होना चाहिए क्योंकि वे बहुराष्ट्रीय कंपनियों का निर्माण करने हेतु निमित्त बन रहे हैं ।

उदारीकरण, वैश्विक वित्तीय संकट एवं एमएसएमई क्षेत्र

यहाँ हम नमूने के तौर पर विनिर्माण क्षेत्र के व्यावहारिक विषयों के आधार का विश्लेषण करेंगे।

विनिर्माण क्षेत्र – वैश्विक मंदी के चलते 15 साल बाद देश की संवृद्धि दर अक्तूबर 2008 में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। विनिर्माण क्षेत्र के सत्रह औद्योगिक उपक्षेत्रों में से वर्ष 2008-09 के दौरान नौ उपक्षेत्रों ने पिछले वर्ष की तुलना में धनात्मक वृद्धि दर्ज की है । इन नौ उपक्षेत्रों में पेय, तम्बाकू एवं उससे संबंधित उत्पाद (15.6 प्रतिशत), परिवहन उपकरणों को छोड़कर मशीनरी उपकरण (8.7 प्रतिशत), मूलधातु एवं मिश्र उद्योग (4.0 प्रतिशत), कपड़ा उत्पाद-वस्त्रों सहित (37 प्रतिशत), मूल रसायन तथा रसायन उत्पाद - पैट्रोलियम एवं कोयला उत्पादों को छोड़कर (2.9 प्रतिशत), परिवहन उपकरण एवं पुर्जे (2.2 प्रतिशत), कागज तथा कागज उत्पाद एवं प्रिंटिंग, प्रकाशन तथा संबंधित उद्योग (1.3 प्रतिशत), गैर धातु खनिज उत्पाद (1.0 प्रतिशत), अन्य विनिर्मित उद्योग (0.5 प्रतिशत) हैं । वर्ष के दौरान लकड़ी तथा लकड़ी के अन्य उत्पादों में 10.3 प्रतिशत की सबसे बड़ी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई है । माँग में आई गिरावट के कारण संवृद्धि दर पर असर पड़ा है । वैश्विक आर्थिक मंदी के होने पर विनिर्माताओं द्वारा अतिरिक्त क्षमताएँ वृद्धिशील प्रतिस्पर्धी बाजार के रूप में स्थापित होंगी और इसका परिणाम होगा बढ़ता हुआ बाजार दबाव । ऐसी स्थिति में सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी जीवित रहेगा और दुर्बल खिलाड़ी या तो व्यवसाय बंद कर देगा अथवा खिलाड़ी उनके व्यवसाय को बाजार प्रेरित मूल्यांकन के आधार पर अधिगृहीत अथवा विलीन कर लेगा ।

विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि अधिकांशतया वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि से ही प्रभावित हुई है जो स्वयं व्यवहार्य लागत पर ऋण की आसान उपलब्धि पर निर्भर करेगा । लेकिन विरोधाभास यह है कि पूँजी निर्माण ऊँची ब्याज की दर पर निर्भर करता है, अतः वस्तुओं एवं सेवाओं के मिलान किए बिना अर्थव्यवस्था में पूँजी प्रवाहित करना स्फीतिकारक हुआ । फिर अल्पकाल में पूँजी तक पहुँच अथवा इसे अर्थव्यवस्था में डालना आवश्यक हो सकता है ताकि विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को ठप्प होने से बचाया जा सके । दीर्घकाल में यह विभिन्न समाजों में खर्च करने की आदत तथा खर्च को व्यर्थ के उपभोग से विनियोग की ओर बदलने के अनुशासन की माँग करेगा।

उदारीकरण का मूल उद्देश्य जीवन की गुणवत्ता में तेजी से एवं स्थायी सुधार लाना है । पूँजी, भूमि एवं श्रम की उत्पादकता में निरंतर वृद्धि से ही सफल व स्थायी विकास संभव है । उत्पादकता में तेजी से विकास करने के लिए एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है, जो भौतिक एवं मानवीय साधनों के पूर्ण उपयोग को प्रोत्साहित कर सके । इसके लिए प्रतिस्पर्द्धात्मक बाजारों के अनुशासन की जरूरत होती है । ठीक इसी परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण के द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों में व्यापक ढंग से स्पर्द्धात्मक परिवेश की रचना करते हुए उत्पादन की क्षमता में सुधार एवं इनकी दक्षता में सुधार की समीक्षा की दिशा में विशेष जोर दिया गया । इससे मानवीय चेहरे के साथ आर्थिक सुधारों की नीति भी परिभाषित होती है । साथ ही सुधरी हुई क्षमता और निवेश के कारण एमएसएमई क्षेत्र अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन सिद्ध हुआ है । यह सत्य है कि इस क्षेत्र के सामने अभी भी प्रतिस्पर्धा है, अतः शीघ्र ही अपने परिचालन में सुधार लाना होगा ताकि बृहद अर्थव्यवस्था और बेहतर स्थिति में हो सके । जहाँ तक वित्तपोषण का प्रश्न है, बैंकों को चाहिए कि वे जोखिम का मूल्यांकन कर श्रृंखला वित्तपोषण करें अर्थात् मांगकर्ता तथा आपूर्तिकर्ता दोनों के तुलन पत्र के आधार पर जोखिम का सही मूल्यांकन कर उन्हें वित्त प्रदान कर सकते हैं ।

❍❍❍

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए विपणन सहायता

विनय बंसल
भारतीय स्टेट बैंक
आगरा मुख्य शाखा, आगरा

2 अक्तूबर 2006 से देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 लागू किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र ने गत वर्षों में देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय अर्थव्यवस्था यद्यपि परंपरागत रूप से कृषि आधारित रही है, तथापि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के एक गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है। यह क्षेत्र भारत में औद्योगिक विकास का मुख्य उत्प्रेरक है व विदेशी मुद्रा अर्जन का एक महत्त्वपूर्ण साधन है। यह क्षेत्र कम पूँजी लागत पर (बड़े उद्यमों की तुलना में) रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह क्षेत्र ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण में सहायता करता है जिससे क्षेत्रीय असंतुलन कम होता है तथा राष्ट्रीय आय और धन के वितरण में असमानता कम होती है। यह क्षेत्र बड़े उद्यमों के विकास में भी सहायक है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र का अंशदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में 8 प्रतिशत, देश के कुल औद्योगिक उत्पादन में 45 प्रतिशत तथा देश के कुल औद्योगिक निर्यातों में 40 प्रतिशत है। चतुर्थ अखिल भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम गणना (2006-07) के अनुसार देश में कुल 2.6 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम हैं जिनमें 6 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। इनमें से 28 प्रतिशत कार्यबल उत्पादन क्षेत्र में तथा 72 प्रतिशत सेवा क्षेत्र में कार्यरत हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की समस्याएं

आर्थिक सुधारों, उदारीकरण व वैश्वीकरण की नीतियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के समक्ष अनेकों अवसर और चुनौतियाँ उत्पन्न की हैं। इन नीतियों ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रतिस्पर्धात्मक परिवेश उपलब्ध कराया है तथा इस क्षेत्र के समक्ष अपनी उत्पादकता बढ़ाने और राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार तलाशने के नए अवसर खोले हैं । लेकिन उदारीकरण के परिणामस्वरूप ये उद्यम अब प्रतिस्पर्धा के बाजार में अपने आपको स्थापित करने में असमर्थ महसूस कर रहे हैं । पारंपरिक रूप से, सार्वजनिक क्षेत्र लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयों के उत्पादन का सबसे बड़ा ग्राहक रहा है। लेकिन उदारीकरण के परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र संकुचित हुआ है, सार्वजनिक उपक्रम निजी उपक्रम में परिवर्तित हुए हैं । भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम प्रौद्योगिकी दृष्टिकोण से विकसित देशों की तुलना में पिछड़े हुए हैं । परिणामस्वरूप इनके उत्पाद घटिया किस्म के एवं अधिक लागत वाले होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा माल का क्रय न करना भी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की एक समस्या है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सामने एक बड़ी समस्या पूँजी का अभाव है। इन उद्यमों की पूँजी की समस्या का एक कारण क्रेताओं द्वारा इन उद्यमों को समय पर भुगतान नहीं करना भी है। इन उद्यमों में औद्योगिक रुग्णता भी बहुतायत में है। इन उद्यमों के पास बड़े उद्योगों की तरह बाजार के विकास के लिए रणनीतिक साधन भी नहीं होते हैं। तकनीकी ज्ञान एवं बाजार ज्ञान के अभाव में तथा सीमित विपणन सुविधाओं के कारण इन उद्यमों का बिचौलियों द्वारा शोषण किया जाता है। यद्यपि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सिडबी तथा लघु उद्योग विकास निगम इन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराते हैं तथापि ये प्रयास उतने प्रभावी सिद्ध नहीं हो सके हैं जितनी अपेक्षा की गई थी।

सरकार, रिज़र्व बैंक, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृत उपाय

- वर्ष 1954 में लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन का काम नीति निर्धारण करना तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के विकास कार्यक्रमों के अनुपालन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों के स्तर पर संस्थागत क्रियाकलापों में सामंजस्य बैठाना है। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना भी वर्ष 1954 में हुई। यह निगम सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को तकनीकी कौशल प्रदान करता है। निगम किराया-क्रय पद्धति पर मशीनरी तथा उपस्कर उपलब्ध कराने, निर्यात संवर्द्धन एवं विपणन में सहायता करता है। लघु उद्योग सेवा संस्थान परियोजना के चयन हेतु सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का मार्गदर्शन

Final proof of Pages 59 to 67

करता है तथा प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह संस्थान बाजार के बारे में सूचनाएं भी प्रदान करता है।

- जिला उद्योग केंद्रों की स्थापना वर्ष 1978 में प्रारंभ की गई। इनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऐसे केंद्रों की स्थापना करना है जिससे एक ही समन्वित केंद्र से पूँजी निवेश से पूर्व और पूँजी निवेश के बाद आवश्यक सभी सुविधाएं इस क्षेत्र को प्राप्त हो सकें। ये केंद्र सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का पंजीयन करते हैं तथा औद्योगिक आस्थान में जगह उपलब्ध कराते हैं।
- राज्य वित्त निगम नये तकनीकी उद्यमियों तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्यम स्थापित करनेवाले उपक्रमियों को इक्विटी पूँजी अथवा उदार ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हैं। ये निगम कारखाने हेतु भूमि व भवन की व्यवस्था भी करते हैं ।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान स्थापित किए हैं–(क) राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान, हैदराबाद, (ख) राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, नोएडा, (ग) भारतीय उद्यमिता संस्थान, गुवाहाटी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए गए सभी ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाएंगे (लेकिन मध्यम उद्यमों को प्रदान किए गए ऋण प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे)।
- सभी घरेलू बैंकों से यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले कुल ऋणों का 40 प्रतिशत अति सूक्ष्म उद्यमों (जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपए तक हो अथवा उपकरणों में निवेश 2 लाख रुपए तक हो) को प्रदान करें। यह भी निर्देशित किया गया है कि ये बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले कुल ऋणों का 20 प्रतिशत ऐसे सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करें जिनका संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश 5 लाख रुपए से अधिक (लेकिन 25 लाख रुपए तक) हो अथवा जिनका उपकरणों में निवेश 2 लाख रुपए से अधिक (लेकिन 10 लाख रुपए तक) हो। इस प्रकार इन बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले कुल ऋणों का 60 प्रतिशत (मार्च 2012 तक 55 प्रतिशत) सूक्ष्म उद्यमों को प्रदान करें।
- विदेशी बैंकों के लिए अपने समायोजित निवल बैंक ऋणों का 10 प्रतिशत सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान करना आवश्यक है। यह ऋण विदेशी बैंकों के लिए निर्धारित कुल 32 प्रतिशत के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण लक्ष्य के अंतर्गत शामिल है।
- वर्ष 1990 में सिडबी की स्थापना की गई। आईडीबीआई की अनुषंगी के रूप में स्थापित सिडबी अब एक स्वतंत्र विकास वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को परियोजना वित्त उपलब्ध कराती है तथा इन उद्यमों के उत्पादों के विपणन में सहायता करती है। सिडबी वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त सुविधा भी उपलब्ध कराती है।
- नायक समिति (1992) की सिफारिशों के आलोक में भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि जिन सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कार्यशील पूँजी आवश्यकता 5 करोड़ रुपए तक (नायक समिति ने 1992 में 2 करोड़ रुपए की संस्तुति की थी) हो, उन्हें उनके अनुमानित वार्षिक व्यापारावर्त (कारोबार) का 20 प्रतिशत कार्यशील पूँजी ऋण प्रदान करें।
- कपूर समिति (1998) की सिफारिशों के आलोक में तदर्थ ऋण सीमा संस्वीकृत करने हेतु शाखा प्रबंधकों को व्यापक अधिकार देने, ऋण आवेदन पत्रों का सरलीकरण करने, वसूली तंत्र में सुधार करने, शिकायत निराकरण तंत्र को पारदर्शी बनाने हेतु बैंकों को निर्देशित किया गया है। सभी बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के 25000 रुपए तक के ऋण आवेदन पत्रों का निस्तारण 2 सप्ताह के भीतर तथा 25000 रुपए से अधिक, लेकिन 5 लाख रुपए तक, के ऋण आवेदन पत्रों का निपटान 4 सप्ताह के भीतर करना सुनिश्चित करें। बैंकों द्वारा किसी सूक्ष्म एवं लघु उद्यम को अब 1 करोड़ रुपए तक का संमिश्र ऋण (कार्यशील पूँजी तथा सावधि ऋण का मिश्रण) प्रदान किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशानुसार बैंक सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए जानेवाले 10 लाख रुपए तक के ऋणों के मामलों में कोई संपार्श्विक प्रतिभूति नहीं लेंगे।

- ऋण सुपुर्दगी प्रणाली को सुदृढ़ करने तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उद्देश्य से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय ने ऋण गारंटी स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के परिचालन हेतु भारत सरकार तथा सिडबी ने सूक्ष्म, लघु उद्यम ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया है। इस ट्रस्ट ने 1 अगस्त 2000 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम शुरू की। स्कीम के अंतर्गत पात्र ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा नए एवं विद्यमान सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को 1 करोड़ रुपए तक के संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण प्रदान किए जाते हैं जिसमें 75 और 85 प्रतिशत तक का गारंटी कवर उपलब्ध है।
- ए. एस. गांगुली समिति (2004) की सिफारिशों के आलोक में भारतीय रिज़र्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों से कहा है कि वे समूह (क्लस्टर) दृष्टिकोण अपनाएं और मान्य सूक्ष्म एवं लघु उद्यम समूह को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते समय ग्राहक, लागत नियंत्रण, प्रति-विक्रय एवं जोखिम रोक (4- सी अवधारणा) पर ध्यान दें।
- सी. एस. मूर्ति समिति (2006) की संस्तुतियों के आलोक में लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रदान किए गए ऋणों की भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समीक्षा की जा रही है तथा इस क्षेत्र को ऋण का प्रवाह बढ़ाने के उपाय तलाशे जा रहे हैं।
- 2007 में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संवर्द्धन पैकेज घोषित किया गया है जिसमें ऋण सुविधा, राजकोषीय सहायता, समूह-आधारित विकास, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी एवं विपणन जैसे उपाय शामिल हैं।
- भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड ने सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बैंक वचनबद्धता संहिता तैयार की है। यह एक स्वैच्छिक संहिता है जिसमें बैंकों के लिए बैंकिंग व्यवहार के न्यूनतम मानक उल्लिखित हैं। इससे लघु एवं मध्यम उद्यमों को बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में आसानी होगी तथा इस क्षेत्र एवं बैंकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध विकसित होंगे।
- के. सी. चक्रवर्ती कार्यदल (2008) की सिफारिशों के आलोक में बैंकों से कहा गया है कि वे रुग्ण इकाइयों के पुनर्वास के लिए पुनर्वास नीति तैयार करें। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कहा गया है कि वे प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम शाखा (एमएसएमई ब्रांच) खोलें ताकि ये शाखाएं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को बेहतर बैंकिंग सेवा प्रदान कर सकें। लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऋण का समुचित प्रवाह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंकों ने अपने निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित अपनी स्वयं की नीतियां बनाई हैं।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों पर प्रधानमंत्री टास्क फोर्स की सिफारिशों के आलोक में बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले ऋणों में 20 प्रतिशत वार्षिक (साल-दर-साल) तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के खातों की संख्या में 10 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि करें।
- ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि में ही सिडबी के पास 4000 करोड़ रुपए की एक विशेष निधि बनाई गई है। इस निधि से बैंकों एवं राज्य वित्त निगमों को पुनर्वित्त सुविधा प्रदान की जाती है।
- लघु उद्योगों के लिए बनाई गई आरक्षित सूची को छोटा किया गया है। अब केवल 21 वस्तुएं ऐसी हैं जो लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं।
- वाणिज्यिक बैंक इक्विटी फंड योजना के अंतर्गत तकनीकी योग्यता प्राप्त उद्यमियों को शून्य अथवा कम मार्जिन पर परियोजनाओं के लिए ब्याजमुक्त ऋण उपलब्ध करा रहे हैं।
- उद्यमिता विकास कार्यक्रम के जरिए कम मार्जिन पर विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जा रहे हैं । महिला उद्यमियों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं जिससे वे प्रशिक्षण तथा रियायती दरों पर ऋण प्राप्त कर सकें।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों को पूँजी बाजार में अभिगम करने की अनुमति दी गई है जिससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी परियोजनाओं के लिए विश्वव्यापी निधि जुटाने में सुविधा हुई है। विदेशी संयुक्त उद्यमों में भारतीय निवेश को उदारीकृत बनाया गया है। लघु उद्यमों की इक्विटी में 24 प्रतिशत तक निवेश करने की उच्चतम सीमा हटा ली गई है। इससे बड़े औद्योगिक घराने (देशी एवं विदेशी) देश में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम स्थापित कर सकेंगे। पूँजीगत वस्तुओं एवं प्रौद्योगिकी आयात को सरल बनाया गया है। अप्रत्यक्ष करों और आयात शुल्कों में पर्याप्त कमी की गई है।

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की निर्यात से जुड़ी इकाइयों के लिए एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम, एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम, ड्यूटी एनटाइटलमेंट पासबुक स्कीम आदि की रियायत योजनाएं शुरू की गई हैं । इसके अतिरिक्त सर्ब्ड फ्रॉम इंडिया स्कीम, फोकस प्रोडक्ट स्कीम तथा फोकस मार्केट स्कीम शुरू की गई है।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को लाभान्वित करने के प्रयास के तहत सरकार ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए धनराशि आवंटित की है। इस योजना का उद्देश्य सूक्ष्म उद्योगों के साथ-साथ ग्रामीण औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर रोजगार का सृजन करना है। इस योजना में परियोजना खर्च पर शहरी उद्यमियों के लिए 15 प्रतिशत तथा ग्रामीण उद्यमियों के लिए 25 प्रतिशत रियायत का प्रावधान है। कमजोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त रियायत का प्रावधान है।
- जब कोई ग्राहक सूक्ष्म एवं लघु उद्यम से कोई वस्तु या सेवा खरीदता है तो उसे (विपरीत संविदा के अभाव में) 45 दिनों के अंदर उसका भुगतान करना आवश्यक है अन्यथा विलंबित अवधि के लिए बैंक दर की तिगुनी ब्याज दर (मासिक आधार पर चक्रवर्ती) से ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा।
- सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम को संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के विस्तार हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धी कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के 10 घटक हैं जिनमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को विपणन सहायता भी शामिल है।
- बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए शीघ्र ही एक नया एक्सचेंज शुरू करने वाला है। इस क्षेत्र की 10 करोड़ रुपए तक की चुकता पूंजी वाली कंपनियां इस नये एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकेंगी। इससे लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र की कंपनियां आसानी से एवं कम खर्च पर पूँजी जुटा सकेंगी और उनकी दूसरे स्रोतों पर निर्भरता कम होगी।

विपणन सहायता

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से विपणन सहायता स्कीम के अन्तर्गत सूक्ष्म और लघु उद्यमों को विपणन सहायता उपलब्ध कराता है। बदलते परिवेश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सम्पूर्ण दायरे के सरोकारों पर ध्यान दिया गया और इस क्षेत्र को एक एकल कानूनी ढांचे के दायरे में लाया गया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 ऐसे ही विषयों की ओर ध्यान देता है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित ऋण, विपणन, प्रौद्योगिकी उन्नयन से संबंधित अन्य मुद्दों पर भी ध्यान देता है। वर्तमान समय की आवश्यकता यह है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को सहायता प्रदान की जाए, जिसमें ग्रामीण और सूक्ष्म उद्यमों पर विशेष जोर हो, जिसमें चुनौतियों को अवसरों में बदलने तथा नई ऊँचाइयां प्राप्त करने के उपयुक्त उपाय हों। विपणन, जो कि व्यापार विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण है, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वृद्धि और जीविता के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण घटक है। बड़े उद्यमों के पास बहुत अधिक संसाधन होते हैं जिससे वे अपने उत्पादों और सेवाओं के विपणन की देखरेख के लिए बड़े स्तर पर कार्मिकों को किराए पर लगा सकते हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पास उतने संसाधन नहीं होते हैं और इसलिए इसके विपणन क्षेत्र में इन इनपुटों का उपयोग करने के लिए सांस्थानिक सहायता की आवश्यकता होती है।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विपणन सहायता स्कीम

इस स्कीम के अन्तर्गत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम निम्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को विपणन सहायता उपलब्ध कराता है -

- अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों व प्रदर्शनियों में एमएसएमई इंडिया स्टॉल के अंतर्गत लघु एवं मध्यम उद्यमों (विनिर्माण) के प्रतिनिधियों की सहभागिता बढ़ाना तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमताओं को प्रदर्शित करना।
- विदेशी बाजारों में लघु एवं मध्यम उद्यमों की पहुंच बढ़ाने के उनके प्रयासों को प्रोत्साहित करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की विपणन क्षमता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाना तथा उनके विपणन कौशलों को प्रोत्साहित करना।

- प्रचलित बाजार परिदृश्य तथा उसके कार्यकलापों के संभावित प्रभावों के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अद्यतन करना।
- उत्पादों और सेवाओं के विपणन के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम कंसोर्टिया के गठन की सुविधा प्रदान करना।
- बड़े संस्थागत क्रेताओं के साथ पारस्परिक प्रतिक्रिया के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्लेटफॉर्म प्रदान करना तथा विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों का प्रचार व प्रसार करना।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए विपणन सहायता स्कीम के अंतर्गत निम्न कार्यकलापों के माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों की प्रतिस्पर्धा और विपणन क्षमता बढ़ाई जा रही है।

विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों का आयोजन

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों का आयोजन इस बात पर ध्यान रखकर किया जा सकता है कि भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अधिक एक्सपोजर उपलब्ध कराया जाए ताकि वे नए उभर रहे व विकसित हो रहे बाजारों में विपणन अवसरों का पता लगा सकें। ये प्रदर्शनियां संबंधित हितधारकों और उद्योग संघों के परामर्श से आयोजित की जा सकती हैं। इन कार्यक्रमों के कैलेंडर को समय पर अंतिम रूप दिया जा सकता है और व्यापक प्रचार के लिए सभी हितधारकों के मध्य वितरित किया जा सकता है। कार्यक्रमों का कैलेंडर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की वेबसाइट पर भी दर्शाया जाएगा। इस प्रकार के प्रदर्शन से भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को अपनी विविध प्रौद्योगिकी, उत्पादों तथा सेवाओं को दर्शाने का मौका मिलेगा जिससे उन्हें व्यापार के अधिक अवसर मिलेंगे तथा व्यापार को बढ़ावा देने, संयुक्त उपक्रमों की स्थापना, प्रौद्योगिकी अन्तरण, विपणन व्यवस्था और छवि निर्माण में सहायता मिलेगी।

अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों के आयोजन के अतिरिक्त, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम, भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को चयनित अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों और व्यापार मेलों में भाग लेने में भी मदद पहुंचाएगा। इस तरह के कार्यक्रमों में भाग लेने से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अन्तरराष्ट्रीय तौर-तरीके जान सकेंगे तथा उनका व्यापारिक कौशल बढ़ेगा। ये कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं जहां वे आपस में मिलते हैं तथा परस्पर चर्चा के आधार पर तकनीकी तथा व्यापारिक समझौता करते हैं। सामान्यत: ऐसे मामले में कम से कम 20 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भाग लेना चाहिए। तथापि 20 से कम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहभागिता के मामले में जांच समिति अंतरराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी प्रदर्शनियों के आयोजन के प्रस्ताव पर विचार कर सकती है। जांच समिति ऐसे

सहायता का स्तर				
		सूक्ष्म उद्यम	**लघु उद्यम**	**मध्यम उद्यम**
विदेशों में प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी	जगह का किराया (बनाई गई दुकान)	वास्तविक प्रभार का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के लिए वास्तविक प्रभार का 95 प्रतिशत)	वास्तविक प्रभार का 60 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के उद्यमों के लिए वास्तविक प्रभार का 85 प्रतिशत)	वास्तविक प्रभार का 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के उद्यमों के लिए वास्तविक प्रभार का 50 प्रतिशत)
	कार्यक्रमों को भेजी जाने वाली वस्तुओं का लदाई प्रभार	अधिकतम 25000 रुपए के अधीन वास्तविक (37500 रुपए लैटिन अमेरिकी देशों के लिए) प्रति उद्यमी प्रति मार्ग	अधिकतम 25000 रुपए के अधीन वास्तविक (37500 रुपए लैटिन अमेरिकी देशों के लिए) प्रति उद्यमी प्रति मार्ग	अधिकतम 25000 रुपए के अधीन वास्तविक (37500 रुपए लैटिन अमेरिकी देशों के लिए) प्रति उद्यमी प्रति मार्ग
	वायुयान भाड़ा (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)	इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़े का 85 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के मामले में 95 प्रतिशत)	इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़े का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा.उद्यमियों के मामले में 85 प्रतिशत)	इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़े का 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के मामले में 50 प्रतिशत)

	विज्ञापन, प्रचार और थीम, पैविलियन	अधिकतम 20 लाख रुपए के अधीन उक्त चार उप शीर्षो के अन्तर्गत कुल देय सब्सिडी का 20 प्रतिशत	अधिकतम 20 लाख रुपए के अधीन उक्त चार उप शीर्षो के अन्तर्गत कुल देय सब्सिडी का 20 प्रतिशत	अधिकतम 20 लाख रुपए के अधीन उक्त चार उप शीर्षो के अन्तर्गत कुल देय सब्सिडी का 20 प्रतिशत
विदेशों में अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला	स्थान किराया (बनाई गई दुकान)	वास्तविक प्रभार का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के उद्यमों के लिए वास्तविक प्रभार का 95 प्रतिशत)	वास्तविक प्रभार का 60 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के उद्यमों के लिए वास्तविक प्रभार का 85 प्रतिशत)	वास्तविक प्रभार का 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के उद्यमों के लिए वास्तविक प्रभार का 50 प्रतिशत)
	कार्यक्रम में भेजी जाने वाली वस्तुओं के लिए लदाई प्रभार	प्रति उद्यमी अधिकतम 15000 रुपए (लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 20000 रुपए) के अधीन वास्तविक राशि	प्रति उद्यमी अधिकतम 15000 रुपए (लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 20000 रुपए) के अधीन वास्तविक राशि	प्रति उद्यमी अधिकतम 15000 (लैटिन अमेरिकी देशों के लिए 20000 रुपए) के अधीन वास्तविक राशि
	वायुयान भाड़ा (एक उद्यम से एक प्रतिनिधि के लिए)	इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़े का 85 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के मामले में 95 प्रतिशत)	इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़े का 75 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के मामले में 85 प्रतिशत)	इकोनॉमी क्लास वापसी भाड़े का 25 प्रतिशत (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. उद्यमियों के मामले में 50 प्रतिशत)
	अधिकतम सहायता (लैटिन अमेरिका)	1.75 लाख रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. श्रेणी के उद्यमियों के लिए 2 लाख रुपए)	1.50 लाख रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र महिला, अ.जा., अ.ज.जा. श्रेणी के उद्यमियों के लिए 1.75 लाख रुपए)	1 लाख रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ. जा., अ.ज.जा. श्रेणी के उद्यमियों के लिए 1.25 लाख रुपए)
	अधिकतम सहायता (अन्य देश)	1.50 लाख रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. श्रेणी के उद्यमियों के लिए 1.75 लाख रुपए)	1.25 लाख रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र, महिला, अ.जा., अ.ज.जा. श्रेणी के उद्यमियों के लिए 1.50 लाख रुपए)	0.75 लाख रुपए (पूर्वोत्तर क्षेत्र, अ.जा., अ.ज.जा. श्रेणी के उद्यमियों के लिए 1 लाख रुपए)
	विज्ञापन प्रचार और थीम पैविलियन	अधिकतम 5 लाख रुपए के अधीन उक्त चार उपशीर्षो के अंतर्गत स्वीकार्य कुल सब्सिडी का 20 प्रतिशत	अधिकतम 5 लाख रुपए के अधीन उक्त चार उपशीर्षो के अंतर्गत स्वीकार्य कुल सब्सिडी का 20 प्रतिशत	अधिकतम 5 लाख रुपए के अधीन उक्त चार उपशीर्षो के अंतर्गत स्वीकार्य कुल सब्सिडी का 20 प्रतिशत

कार्यक्रमों के आयोजन के लिए प्रतिनियुक्त किए जाने वाले राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के प्रतिनिधियों की संख्या को ध्यान में रखकर न्यूनतम संख्या की सिफारिश भी कर सकती है। जांच समिति उपयुक्त औचित्य और सिफारिश के साथ प्रस्ताव राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के पास अनुमोदनार्थ भेजेगी। यदि कार्यक्रम हेतु बजटीय सहायता 50 लाख रुपए से अधिक हो तो प्रशासनिक मंत्रालय का अनुमोदन आवश्यक है।

भारत में घरेलू प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों का आयोजन – राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा देश के भीतर कुछ निश्चित विषय आधारित प्रदर्शनियां तथा व्यापार मेले आयोजित किए जाते हैं जिनका ध्यान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा दिए जाने वाले उत्पादों और सेवाओं पर होता है और जिसमें रोजगार सृजन के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, विशेष क्षेत्रों और क्लस्टरों से उत्पाद (जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र, खाद्य प्रसंस्करण, मशीन उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक, चमड़ा आदि) शामिल होते हैं। इन प्रदर्शनियों व व्यापार मेलों में अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए रियायती दर पर स्थान दिए जाते हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम विभिन्न राज्य सरकार विभागों, उद्योग संघों और अन्य संस्थाओं को उनसे संबंधित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को संपूर्ण देश में उनके उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करने के लिए सहायता प्रदान करता है। इन प्रदर्शनियों का आयोजन संबंधित हितधारकों और उद्योग संघों आदि के परामर्श से किया जा सकता है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को नए बाजारों तक अपना विस्तार करने में मदद मिलती है। इससे उन्हें सहायक कंपनियां बनने, संयुक्त उद्यमों में भागीदार बनने और बड़ी कंपनियों के लिए उप संविदा करने में मदद मिलती है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा ''टेकमार्ट'' प्रदर्शनी

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम प्रत्येक वर्ष (सामान्यत: नवम्बर माह में) अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले के दौरान टेकमार्ट प्रदर्शनी का आयोजन करता है। यह एक अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है जिसमें भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के सबसे अच्छे उत्पादों, प्रौद्योगिकी और सेवाओं का प्रदर्शन किया जाता है। इस प्रदर्शनी में भाग लेनेवाले सामान्य श्रेणी के उद्यमियों को कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इस उद्देश्य के लिए आवंटित स्थान के कुल क्षेत्र का 30 प्रतिशत तक इस उद्देश्य से समय-समय पर जारी निर्देशों और दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणी के उद्यमियों (पूर्वोत्तर क्षेत्र के उद्यमी, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उम्मीदवारों) को दिया जाएगा। सामान्य श्रेणी के उद्यमियों के मामलों में सूक्ष्म उद्यमों को 95 प्रतिशत, लघु उद्यमों को 85 प्रतिशत तथा मध्यम उद्यमों को 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। टेकमार्ट आयोजित करने के लिए कुल बजटीय सहायता सामान्य रूप से 75 लाख रुपए तक होगी। इस सीमा से अधिक व्यय होने पर प्रशासनिक मंत्रालय से अनुमोदन लेना आवश्यक है।

अन्य संगठनों/उद्योग संघों/एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों के सह-प्रायोजन हेतु सहायता

इसके तहत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लाभ के लिए देश के भीतर प्रदर्शनियां एवं मेले आयोजित करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के संवर्द्धन एवं विकास में संलग्न विभिन्न संगठनों को सहायता प्रदान की जा सकती है। यह सहायता राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा उस कार्यक्रम का सहप्रायोजन करने के रूप में होगी। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किसी कार्यक्रम के सह-प्रायोजन के लिए आवेदन करने के लिए किसी आवेदक संगठन को निम्न शर्तें पूरी करनी होंगी -

(क) आवेदक संगठन/उद्योग संघ/संस्थान को कम-से-कम 3 वर्ष से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के विकास में लगा होना चाहिए तथा इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए पर्याप्त अनुभव और योग्यता होनी चाहिए।

(ख) आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम और दुकानों के लिए विशेष रूप से कम-से-कम 5 हजार वर्ग फीट का कवर क्षेत्र होना चाहिए तथा इसमें कम-से-कम 50 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी होनी चाहिए। आयोजक द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तावित प्रदर्शनी का एक ब्ल्यू प्रिन्ट जमा करवाया जाना आवश्यक है।

(ग) मंत्रालय और इसके संगठनों के संवर्द्धनात्मक और अन्य स्कीमों के बारे में सूचना प्रसार के लिए कम-से-कम 100 वर्ग फीट की एक दुकान आयोजक द्वारा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को उपलब्ध कराई जाएगी।

(घ) कार्यक्रम के नाम के पूर्व 'राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम' या 'एनएसआईसी' लिखा होगा और इस बात को भी प्रमुखता के साथ प्रदर्शित किया जाएगा कि संबंधित कार्यक्रम 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों' के लिए है तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा समर्थित है।

(ङ) कार्यक्रम के सभी प्रकाशनों, साहित्य, बैनरों, होर्डिंगों आदि पर राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का नाम प्रमुखता से प्रदर्शित होगा।

क्रेता-विक्रेता बैठकें

क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन एक प्लेटफार्म पर थोक क्रेताओं/सरकारी विभागों तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को एक साथ लाने के लिए किया जाता है। थोक और विभागीय क्रेता जैसे रेलवे, रक्षा, संचार विभाग तथा बड़ी कम्पनियां अपनी विपणन प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के नजदीक आने हेतु क्रेता-विक्रेता बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य थोक विनिर्माताओं के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम की ओर से विक्रेता विकास करना है। इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए एक ओर तो थोक क्रेताओं की आवश्यकताओं के बारे में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को पता चलता है वहीं दूसरी ओर थोक क्रेताओं को उनकी अपनी खरीद सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की क्षमताओं का पता चलता है। इन बैठकों का आयोजन, औद्योगिक विकास में लगे उद्योग संघों और अन्य एजेन्सियों सहित सम्बन्धित हितधारियों के साथ परामर्श करके किया जा सकता है, और इन कार्यक्रमों के लिए कैलेण्डर को समय पर अंतिम रूप दिया जा सकता है और व्यापक रूप से प्रकाशित किया जा सकता है। ऐसी बैठक आयोजित करने के लिए बजट व्यय के विभिन्न घटकों जैसे स्थान का किराया, आन्तरिक सज्जा, विज्ञापन, मुद्रण सामग्री, परिवहन पर निर्भर करेगा। तथापि, बैठक के लिए बजटीय सहायता

की सीमा 'क' श्रेणी, 'ख' श्रेणी तथा 'ग' श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए तथा 2 लाख रुपए होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सीमा 1 लाख रुपए निर्धारित की गई है।

गहन अभियान तथा विपणन संवर्धन कार्यक्रम

गहन अभियान तथा विपणन संवर्धन कार्यक्रमों का आयोजन सम्पूर्ण देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लाभ के लिए विभिन्न स्कीमों के सम्बन्ध में सूचना प्रसार के लिए किया जाता है। उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता सुधारने तथा नवीनतम कार्यकलापों, गुणवत्ता मानकों आदि के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाती है। गहन प्रचार तथा विपणन सुधार कार्यक्रमों के आयोजन के लिए व्यय इस स्कीम के अंतर्गत सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई बजटीय सहायता की सीमा 'क' श्रेणी, 'ख' श्रेणी तथा 'ग' श्रेणी के शहरों के लिए क्रमश: 80,000 रुपए, 48,000 रुपए तथा 32,000 रुपए होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए यह सीमा 16,000 रुपए निर्धारित की गई है। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भागीदार इकाइयों को वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। भाग लेने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अपने खर्च पर इन कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

स्कीम के अन्तर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विपणन प्रयासों को सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप संपादित किए जा सकते हैं –

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के संवर्धन के लिए प्रदर्शन केन्द्रों, शो-विंडो और होर्डिंग आदि का विकास।
- सम्बन्धित साहित्य, ब्रोशर और उत्पाद विशिष्ट सूचीपत्रों का मुद्रण तथा सीडी और लघु फिल्मों का निर्माण।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के उत्पादों और सेवाओं के विपणन को सुविधा प्रदान करने हेतु वेबसाइट विकसित करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों और कार्यक्रमों के लिए विभिन्न स्कीमों के बारे में सामग्री के विज्ञापन और प्रचार का विकास और प्रसार करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं/निर्यातकों की निदेशिका तैयार करना और अद्यतन करना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र की सफल कहानियों का वृत्तचित्रण।
- घरेलू तथा अन्तरराष्ट्रीय दोनों के लिए नए बाजारों/व्यापार सम्भावनाओं तथा उत्पाद रेंज की सम्भावनाओं को जानने तथा उनका आकलन करने के लिए अध्ययन आयोजित करना।
- अन्तरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडलों का आतिथ्य करना तथा नेटवर्किंग सम्बन्धी कार्यक्रम आयोजित करना।

ऐसे कार्यकलापों के लिए बजटीय सहायता की अधिकतम राशि स्कीमों के कुल वार्षिक बजट के 5 प्रतिशत के भीतर होगी तथा किसी भी एक वैयक्तिक प्रस्ताव के लिए उक्त किसी कार्यकलाप के लिए अधिकतम स्वीकार्य सीमा 5 लाख रुपए होगी।

स्कीम के कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा स्कीम का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से किया जा रहा है जो देश में स्थित अपने कार्यालयों के माध्यम से स्कीम के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न कार्यकलापों को सम्पादित करता है। विपणन सहायता स्कीम के कार्यान्वयन की निधियां राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उपयोग के लिए दी जाती हैं, जो इसके उचित उपयोग तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा अपेक्षित अन्य रिपोर्टों की प्रस्तुति हेतु पूरी तरह जिम्मेदार होगा। स्कीम के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र (पूर्ण ब्यौरा सहित) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भेजा जाता है। सभी प्राप्त आवेदन पत्रों को विचार हेतु जांच समिति, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के निदेशक (नियोजन व विपणन) करते हैं, के समक्ष रखा जाता है। जांच समिति पात्रता शर्तों और मानदण्डों को दृष्टिगत रखते हुए सभी आवेदनपत्रों की जांच करती है और उन पर विचार करती है। इन आवेदनपत्रों पर विचार करते समय उन उम्मीदवारों को वरीयता दी जाती है जिन्होंने अब तक इस स्कीम अथवा मंत्रालय की इस प्रकार की अन्य स्कीम के अन्तर्गत सहायता नहीं ली है। जांच समिति इन आवेदनपत्रों को अपनी सिफारिशों के साथ राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के अध्यक्ष की सिफारिश के साथ मंत्रालय के विचारार्थ और अनुमोदनार्थ अग्रेषित करती है। सहायता उम्मीदवारों की फीडबैक सहित कार्यक्रम की रिपोर्ट और अन्य निर्धारित प्रलेखों की प्राप्ति पर प्रतिपूर्ति आधार पर संबंधित आवेदक संगठन को जारी की जाती है।

प्रशासनिक व्यय

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की विपणन सहायता स्कीम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी है। विपणन सहायता स्कीम के कुल व्यय के 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रशासनिक व्यय में उपरिव्यय तथा जनशक्ति की लागत तथा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा किए गए अन्य प्रयासों की लागत शामिल होगी।

स्कीम की समीक्षा एवं अनुश्रवण (मानीटरिंग)

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय समय-समय पर स्कीम की प्रगति की समीक्षा एवं अनुश्रवण का कार्य करेंगे। प्रगति पर आधारित आवधिक रिपोर्ट राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को प्रस्तुत की जाएगी। स्कीम के प्रभाव और लाभों का मूल्यांकन और अध्ययन एक स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा आन्तरिक अध्ययनों, नमूना सर्वेक्षणों, फीडबैक रिपोर्ट आदि के माध्यम से किया जाएगा।

वस्तुत: देश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र बड़े उद्यमों को निकट भविष्य में पीछे छोड़ने की क्षमता रखता है। आवश्यकता है इस क्षेत्र की गुप्त ऊष्मा को समझने की। इस क्षेत्र में अकूत और अविश्वसनीय संभावनाओं और संभाव्यताओं का भरपूर लाभ उठाने के लिए यह आवश्यक है कि इसके विकास पथ की मुश्किलों को पहचाना जाए और उन्हें समयबद्ध ढंग से दूर किया जाए। इसी क्रम में इस क्षेत्र को आधार दर से कम पर ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आधारभूत संरचना के विकास के रूप में ब्याजरहित ऋण दिए जाने चाहिए और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध करायी जानी चाहिए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण प्रदान करने के मामलों में परिमाणात्मक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय गुणात्मक उपलब्धि पर जोर दिया जाना चाहिए। अत: इन उद्यमों को प्रतिभूति-उन्मुख ऋण के स्थान पर आवश्यकता-उन्मुख ऋण प्रदान किए जाने चाहिए। इससे ऋण की जोखिम भले ही बढ़ जाए, लेकिन यह अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक सिद्ध होगी। ऋण उपलब्धता हेतु एकल खिड़की योजना शुरू की जानी चाहिए। संसाधनों की उचित समय पर उपलब्धता सुनिश्चत की जानी चाहिए। सिडबी को कम लागत पर पूँजी उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि वह सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को अधिक सहयोग प्रदान कर सके। 1 अप्रैल 2012 से प्रस्तावित प्रत्यक्ष कर संहिता में विशेष आर्थिक अंचलों में चयनित इकाइयों के लिए विशेष कर रियायत का प्रावधान किया जाना चाहिए। एक ऐसा एकीकृत सांविधिक ढांचा बनाया जाना चाहिए जिसमें सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास के सभी पहलुओं को शामिल किया जाए। एकीकृत सूचना एवं प्रलेखीकरण प्रणाली स्थापित की जाए जो प्रौद्योगिकी, अर्थव्यवस्था, बाजारों, विदेश व्यापार आदि संबंधी सूचनाओं एवं संदर्भों के लिए एक केंद्र बिन्दु हो।

भारतीय रिज़र्व बैंक के नियंत्रण में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम सहकारी ऋण एवं विपणन समिति की स्थापना की जानी चाहिए जो सदस्यों की सभी सेवा आवश्यकताएं पूरी करे। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा उत्पादित माल की विपणन व्यवस्था सुदृढ़ की जानी चाहिए। विपणन सुविधाओं के लाभों को ज्यादा व्यापक रूप से विनियोजित करने के लिए लघु उद्यमों तथा बड़े उद्यमों में पारंपरिक संबंध बनाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विपणन सहायता स्कीम का व्यापक प्रचार एवं प्रसार किया जाना चाहिए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को भी चाहिए कि वे सरकारी प्रोत्साहनों एवं संरक्षण के बजाय अपना ध्यान अपनी कल्पना शक्ति, नियोजन तथा नवोन्मेषीकरण पर केंद्रित करें । ऐसा होने पर देश का सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र न केवल चुनौतियों को अवसरों में बदल सकेगा बल्कि पूरी दुनिया में चमत्कार का झंडा फहरा सकेगा।

❍❍❍

वैयक्तिक पाठक कृपया ध्यान दें

'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन' पत्रिका के सभी वैयक्तिक पाठकों (Individual Readers) से पुनः अनुरोध है कि यदि उन्होंने सदस्यता का नवीकरण किए जाने का अनुरोध अभी तक प्रेषित नहीं किया है तो इसे पृष्ठ सं. 104 पर दिए गए सदस्यता फार्म में भरकर यथाशीघ्र प्रबंध संपादक, बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन, भारतीय रिज़र्व बैंक, राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाऊस, डॉ. एनी बेसंट रोड, वरली, मुंबई - 400 018 को भिजवा दें । **आपका अनुरोध प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि आप आगे से इस पत्रिका को प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं और आपका नाम पत्रिका की डाक सूची से हटा दिया जाएगा।**

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) और निर्यात संवर्धन

काजी मुहम्मद ईसा
सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, कोलकाता

उत्पादन, रोजगार, निर्यात और अवसर, अर्थव्यवस्था के संकेतक माने जाते हैं । निर्यात का संबंध मानव-जीवन के प्रारंभिक काल से रहा है जिसे अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण एवं प्रमुख अंग माना जाता है । पुराने समय में देश की सीमा से परे समुद्री और ज़मीनी मार्ग से वस्तुओं एवं सेवाओं का आवागमन व्यापार के उद्देश्य से होता था। हजारों वर्षों से विश्व के अनेक ऐसे अभावग्रस्त भौगोलिक क्षेत्रों को वस्तुओं/सामग्रियों/माल की आपूर्ति उन स्थानों से की जाती रही है जहां उनका उत्पादन प्रचुर मात्रा में किया जाता था। उत्पादन तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों की विभिन्न क्षेत्रों/देशों में असमान उपलब्धता ने अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को क्रमशः आगे बढ़ाया और अनेक देशों की परस्पर आपूर्ति करने की क्षमता एक-दूसरे की मांग बन गई। किसी को वस्तु, सेवा चाहिए तो किसी को राजस्व चाहिए। परिणामस्वरूप, अन्तरराष्ट्रीय व्यापार का चक्र निरंतर गति पकड़ता रहा और निर्यात-आयात अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण घटक बन गए। वास्तविकता यह है कि यदि विश्व के समस्त राष्ट्र मानचित्र पर बने रहना चाहते हैं और समृद्ध होना चाहते हैं तो उन्हें परस्पर लेन-देन की प्रक्रिया अपनानी ही होगी क्योंकि कोई भी राष्ट्र समग्र रूप से आत्म-निर्भर नहीं है ।

कोई भी राष्ट्र निर्यात तभी कर सकता है जब उसके पास वांछित वस्तु अथवा माल का पर्याप्त उत्पादन हो और अन्य देशों में उसकी मांग हो। देश के बड़े औद्योगिक घराने जहां वस्तुओं के अधिकांश निर्यात का भार संभाले हुए हैं, वहीं एमएसएमई, एक ऐसा क्षेत्र समानांतर रूप से उभर चुका है जो कल्पनातीत रूप से निर्यात गतिविधियों में अभूतपूर्व योगदान दे रहा है । इस क्षेत्र की पहचान पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में ही कर ली गई थी। रोजगार में सतत उच्च वृद्धि सुनिश्चित करने के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) की भागीदारी औद्योगिक उत्पादन और निर्यात में प्रभावी रूप से रही है। देश की आर्थिक स्थिति में सुधार एवं बदलाव लाने की दृष्टि से औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में एमएसएमई पर बल दिया गया था। वर्ष 2006 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम पारित किया गया, ताकि इस क्षेत्र का संगठित एवं सुनियोजित ढंग से विकास किया जा सके । अगले चरण के रूप में 9 मई 2007 को लघु उद्योग मंत्रालय और कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय का विलय करके एमएसएमई मंत्रालय का गठन किया गया जिसका मुख्य कार्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए नीतियां एवं कार्यक्रम बनाना, सुविधाएं मुहैया कराना, क्षेत्र का संवर्धन तथा योजनाओं एवं परियोजनाओं को कार्यान्वित करना और उन पर निगरानी रखना है ।

विभिन्न सरकारी रिपोर्टें और आंकड़े यह दर्शाते हैं कि एमएसएमई की निर्यात संवर्धन में उल्लेखनीय भूमिका रही है। इस संदर्भ में संक्षेप में एमएसएमई की परिभाषा जानना आवश्यक है, और इसका विश्लेषण करना जरूरी है कि इसके उत्पाद क्या हैं और किन उत्पादों का निर्यात किया जाता है, उनकी प्रवृत्तियां क्या हैं और उनके लिए योजनाओं आदि का स्वरूप क्या है। एमएसएमई अधिनियम, 2006 में एमएसएमई को दो भागों में विभक्तकरते हुए परिभाषित किया गया है । इसका **पहला भाग है विनिर्माण उद्यम,** जिन्हें उनके संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश की राशि के आधार पर तथा **दूसरा भाग सेवा उद्यम है,** जिसे उपकरणों में किए गए निवेश की राशि के आधार पर परिभाषित किया गया है। विनिर्माण उद्यम के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम उन्हें कहा जाता है जिनमें अधिकतम निवेश क्रमशः 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए - 5 करोड़ रुपए तथा 5 करोड़ रुपए-10 करोड़ रुपए तक होता है। वहीं सेवा क्षेत्र के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों में निवेश की राशि अधिकतम क्रमशः 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए, तथा 2 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए तक होती है।

एमएसएमई के प्रमुख उत्पाद और अन्तरराष्ट्रीय एक्सपोजर :

एमएसएमई क्षेत्र राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था में व्यापक भूमिका अदा कर रहा है । वर्तमान में लगभग 2.98 करोड़ एमएसएमई का भारत के जीडीपी में योगदान लगभग 8 प्रतिशत है । कुल विनिर्माण उत्पादन में इसकी हिस्सेदारी 45 प्रतिशत और कुल निर्यात में 40 प्रतिशत की बृहत् भागीदारी है । 6.95 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने वाला यह विशाल क्षेत्र 6000 से अधिक उत्पाद पैदा करता है और पिछले पाँच वर्षों में इसमें औसतन 18 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है । एमएसएमई द्वारा विश्व के अनेक देशों को विभिन्न उत्पाद निर्यात किए जाते हैं। प्रमुख उत्पाद एवं निर्यात देशों का ब्यौरा इस प्रकार है :

उत्पाद समूह	जिन देशों को निर्यात किया जाता है
रेडीमेड गारमेंट	अमरीका, यूरोप, कनाडा, पश्चिम एशिया, उत्तरी अफ्रीका
प्लास्टिक के सामान	संयुक्त अरब अमीरात, चीन, इटली, ओमान
समुद्री उत्पाद	जापान, अमरीका, यूरोपीय संघ, चीन, दक्षिण-पूर्व एशिया
खेल सामग्री	इंग्लैंड, अमरीका, आस्ट्रेलिया, जर्मनी, द. अफ्रीका
मसाले	पूर्वी एशिया, यूरोपीय संघ, उत्तरी अफ्रीका और अमरीका
काजू एवं काजू से बनी वस्तुएं	अमरीका, नीदरलैंड, इंग्लैंड, जापान, अरब देश
चमड़ा वस्तुएं	इंडोनेशिया, जर्मनी, अरब देश, अमरीका, इटली
सिंथेटिक वस्तुएं	अरब देश, इंग्लैंड, टर्की, अमरीका, इटली
चर्म एवं चर्म निर्मित वस्तुएं	जर्मनी, इंग्लैंड, इटली, अमरीका, फ्रांस
इंजीनियरिंग एवं विद्युत सामग्री	अमरीका, यूरोप, जापान, हांगकांग, अरब देश, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस
बेसिक रसायन एवं कॉस्मेटिक	अमरीका, जापान, सऊदी अरब, चीन, सिंगापुर, नीदरलैंड
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	जापान, बेल्जियम, इटली, फ्रांस, बांग्लादेश, अमरीका, इंग्लैंड
ऊन और ऊनी बुने वस्त्र आदि	यूरोप, जापान, बांग्लादेश
प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री	अमरीका, यूरोप, जापान
इलेक्ट्रानिक सामान और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमरीका, हांगकांग, अरब देश, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान
तंबाकू और तंबाकू से बनी सामग्री	पूर्वी यूरोप

एमएसएमई क्षेत्र की उत्पादन-क्षमता इसी तथ्य से सिद्ध हो जाती है कि वह देश के कुल निर्यात का 40 प्रतिशत है और इस क्षेत्र के उत्पादों ने अन्तरराष्ट्रीय बाजार में अपनी पहुंच बना रखी है। विभिन्न अध्ययन यह दर्शाते हैं कि रेडीमेड वस्त्र, चर्म निर्मित सामग्री, प्रसंस्कृत खाद्य सामग्री, इंजीनियरिंग वस्तुओं में एमएसएमई का निष्पादन सराहनीय रहा है। निर्यात किए जाने वाले उत्पादों में खेलकूद-सामग्री के निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी कुल निर्यात में 100% है। एमएसएमई के कुछ अन्य महत्वपूर्ण उत्पादों के योगदान का प्रतिशत निम्नानुसार था -

रबड़ और प्लास्टिक	-	6%
इलेक्ट्रानिक और मशीनरी पार्ट	-	6%
धातु उत्पाद	-	8%
मूलभूत धातु	-	10%
रसायन और रसायन उत्पाद	-	12%
खाद्य उत्पाद	-	22%
अन्य	-	36%

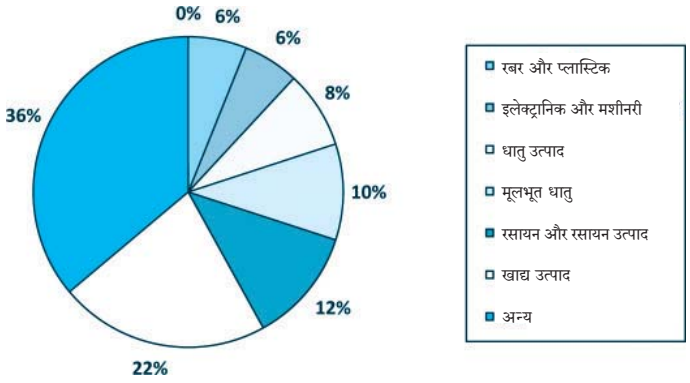

एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात – एक अवलोकन :

सरकार द्वारा एमएसएमई क्षेत्र को पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ से संभाव्य क्षेत्र माना जाता रहा है और सरकार ने प्रत्येक योजना में प्राथमिकताएं प्रदान करते हुए उसके विकास के लिए अनेक व्यवस्थाएं एवं प्रावधान किए हैं। आर्थिक सुधार में 1991 से तीव्रता आई और उत्पादन गतिविधियों में व्यापक परिवर्तन और परिवर्धन किए गए । 1991 के एसएसआई नीतिगत दस्तावेज़ में यह उल्लेख किया गया था कि अस्सी के दशक में एसएसआई क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक सक्रिय और गतिमान क्षेत्र की शक्ल में उभरा है । एमएसएमई मंत्रालय की वर्ष 2010-11 की वार्षिक रिपोर्ट एवं अन्य रिपोर्टों के अनुसार 1951 से लेकर अब तक एमएसएमई क्षेत्र का निर्यात अत्यधिक उत्साहवर्धक रहा है । नीचे प्रस्तुत तालिका से निर्यात की स्थितियां देखी जा सकती हैं :

वर्ष	कुल निर्यात (करोड़ रु.)	एसएसआई/एमएसएमई क्षेत्र का निर्यात (करोड़ रु.)	प्रतिशत भागीदारी
1951-52	716	नगण्य	–
1961-62	660	नगण्य	–
1971-72	1608	155	9.6
1981-82	7809	2071	26.5
1991-92	44040	13883	31.5
2001-02	207745	71244	34.29
2002-03	252790	86013	34.03
2007-08	448377	202017	अनुपलब्ध

स्रोत : एमएसएमई मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट 2010-11

जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है, एमएसएमई(सूलमउ) मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई देश में निर्यात संवर्धन के साथ पेशेवराना तरीके से अन्तरराष्ट्रीय बाज़ार में अपनी पहचान बना रहा है । पिछले 40 वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र ने निर्यात में चार गुना वृद्धि दर्ज की है जो क्षेत्र के बड़े पैमाने पर हुए विकास की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है । यही कारण है कि जहां एमएसएमई क्षेत्र में वर्ष 1992-93 में कुल निवेश 109623 करोड़ रुपए था, वह 2000-2001 में 146845 करोड़ रुपए और वर्ष 2009-10 में बढ़कर 693835 करोड़ रुपए हो गया अर्थात केवल एक दशक में चार गुने से अधिक वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के उत्पादन में सतत वृद्धि निर्यात संवर्धन में सहायक सिद्ध हुई । 1992-93 में उत्पादन 84413 करोड़ रुपए था, जो 2000-01 में 261297 करोड़ रुपए रहा और 2009-10 में बढ़कर 982919 करोड़ रुपए तक पहुंच गया । एमएसएमई क्षेत्र ने खेल सामग्री, रेडीमेड गारमेंट, ऊनी कपड़े, बुने हुए कपड़े, प्लास्टिक उत्पाद, हीरे एवं जवाहरात, प्रसंस्कृत खाद्य तथा चमड़े के उत्पादों के निर्यात में अपना वर्चस्व बना रखा है ।

निर्यात संवर्धन और बाज़ार विकास सहायता :

सरकार द्वारा एमएसएमई के निर्यात को प्रोत्साहित करने हेतु जितनी भी नीतियां बनाई गयी हैं उनका मकसद है कि विश्व बाज़ार में इस क्षेत्र की उपस्थिति बढ़ सके और निर्यातक अपने उत्पादन को बढ़ाते हुए अधिकतम विदेशी आय अर्जित कर सकें। इस परियोजना से (क) पूंजीगत माल/कच्चे माल एवं अन्य आवश्यक इनपुट को निःशुल्क आयात करने की सुविधा दी गई है । कुछ मामलों में शुल्क राहत अथवा रियायती सीमा शुल्क का प्रावधान है ताकि निर्यात के लिए उत्पादन में वृद्धि की जा सके; (ख) भारतीय उत्पादों को अन्तरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए समय-समय पर निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है, जैसे -निर्यात हेतु किए गये उत्पादन के कच्चे माल पर अदा किए गए शुल्क की प्रतिपूर्ति, निर्यातकों को पोतलदानपूर्व एवं बाद में रियायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराना आदि; (ग) निर्यात सम्बंधी प्रक्रियाओं को समय-समय पर आसान बनाया गया ताकि इस वर्ग के निर्यातक प्रेरक वातावरण में कार्य कर सकें । सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं और योजनाएं बनायी हैं जैसे निर्यातकों के उत्पादों को अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया जाता है

और सरकार द्वारा सामान्य वर्ग के उद्यमियों को स्थल किराये के 50 प्रतिशत और हवाई किराये के 75 प्रतिशत व्यय की प्रतिपूर्ति की जाती है, जो 1.25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के अधीन है। एससी/एसटी/महिला स्वामित्व वाली इकाइयों के लिए 1.25 लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अंतर्गत यह सब्सिडी 100 प्रतिशत है।

निर्यात हेतु बार कोडिंग :

यह सुविधा एमएसएमई-एमडीए (बाजार विकास सहायता योजना) के अंतर्गत आती है। बार-कोडिंग अपनाने के लिए जीएस-1 इंडिया (पहले ईएएन इंडिया) के द्वारा प्रभारित पंजीकरण शुल्क (शुरुआती 3 वर्ष हेतु) के 75 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति का प्रावधान है। वर्ष 2010-11 केदौरान दिसम्बर 2010 तक पंजीकरण शुल्क के रूप में 68 एमएसएमई को 13.89 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई ।

निर्यात/व्यापार गृहों को मान्यता :

आयात-निर्यात नीति, 1997-2002 में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्थापित निर्यातकों, मर्चेंटों तथा विनिर्माता निर्यातकों, निर्यात उन्मुख इकाइयों को निर्यात गृह, व्यापार गृह, स्टार ट्रेडिंग हाउस एवं सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस का दर्जा देते हुए उन्हें मान्यता प्रदान की गयी; ताकि निर्यात के रास्ते सहज हों और इन गृहों को आयात-निर्यात नीति के अंतर्गत कतिपय लाभ भी प्रदान किए जाते हैं ।

विशेष आयात लाइसेंस :

जिन निर्यातकों को निर्यात गृह, स्टार ट्रेडिंग हाउस, सुपरस्टार ट्रेडिंग हाउस के रूप में मान्यता प्राप्त है, वे विशेष आयात लाइसेंस के लिए पात्र होते हैं जो उन्हें निर्यात के एफ. ओ. बी. मूल्य के कुछ प्रतिशत के रूप में मिलता है । एमएसएमई पंजीकृत इकाइयों के उत्पादों को अतिरिक्त 2 प्रतिशत प्रदान किया जाता है ।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग -विपणन एवं संवर्धन :

एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2010-11 के अनुसार एमएसएमई वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौर में चुनौतियों का सामना कर रहा है, हालांकि इस क्षेत्र को विश्व में समानतावादी विकास के कारक के रूप में मान्यता दी जाती है । अन्तरराष्ट्रीय बाजार, विदेशी तकनीक तथा अनुभवों की शेयरिंग और अन्तरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराने हेतु सरकार ने 11 देशों के साथ दीर्घकालिक-संधि, समझौता-ज्ञापन और संयुक्त-कार्ययोजना की व्यवस्था की है। ये देश हैं - ट्यूनिशिया, रोमानिया, रवांडा, मैक्सिको, उजबेकिस्तान, लेसोथो, श्रीलंका, अल्जीरिया, सूडान, कोटे डी आई व्यायर और इजिप्ट । अन्तरराष्ट्रीय सहयोग स्कीम के अंतर्गत 11वीं योजना (2007-2012) में 1000 लाख रुपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है जो एमएसएमई क्षेत्र में तकनीकी इन्फ्यूजन, तकनीकी उन्नयन और निर्यात आधुनिकीकरण एवं संवर्धन के लिए है। इसका उद्देश्य यह भी है कि भारतीय एमएसएमई की अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों तथा बैठकों में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन और सेमिनार आयोजित किए जाएं। अप्रैल 2010 से दिसम्बर 2010 तक कुल 31 अन्तरराष्ट्रीय कार्यक्रमों में एमएसएमई क्षेत्र ने भागीदारी की । वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 15 व्यापार मेलों में 131 एमएसएमई हेतु भारत के स्टॉल के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेले में भाग लेने का लक्ष्य रखा गया था। डब्ल्यूटीओ (WTO) समझौते के अंतर्गत एमएसएमई संघों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यशालाएं/संगोष्ठियां आयोजित करने हेतु 11वीं योजना में 25 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में अध्ययन दौरे, वैश्विक निविदाओं में भाग लेना, उत्पादों का कैटलॉग तैयार करना, निर्यातक-निर्देशिका बनाना, अन्तरराष्ट्रीय बाजार में बिक्री संबंधी सूचनाएं मुहैया कराना, भारतीय उच्चायुक्त के माध्यम से विदेशों में एमएसएमई उत्पादों हेतु विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना भी शामिल है।

निर्यात हेतु पैकेजिंग :

विश्व बाजार की प्रवृत्तियों के मद्देनजर पैकेजिंग को अत्यधिक महत्व प्राप्त है। लघु उद्योग के उद्यमियों को पैकेजिंग की वैज्ञानिक तकनीकों, पैकिंग प्रौद्योगिकी के नवीनतम डिज़ाइन एवं पैकेजिंग मानकों एवं विपणन में इसके महत्व से अवगत कराने हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। वर्ष 2009-10 में इस प्रकार के 25 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गये, जिसमें 798 उद्यमियों को लाभ मिला । वर्ष 2010-11 में पैकेजिंग प्रशिक्षण हेतु 15 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है।

निर्यातकों हेतु पुरस्कार योजना :

निर्यात निष्पादन हेतु राष्ट्रीय निर्यात पुरस्कार योजना के अंतर्गत वाणिज्य मंत्रालय द्वारा एमएसएमई को उत्कृष्ट निर्यात हेतु कुल 8 पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं जिसमें ट्रॉफी भी शामिल है। इसमें से

एक पुरस्कार खादी और ग्रामीण उद्योग के लिए है । इस पुरस्कार योजना में ट्रॉफी और 25 हजार रुपये की राशि दी जाती है। यह लघु उद्योग इकाइयों को अपने उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने तथा निर्यात बाजार में प्रवेश करने एवं सतत गुणात्मक परिणाम देने हेतु प्रोत्साहन है ।

तकनीकी एवं वित्तीय सहायता :

सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की हैं:

- उत्पादों की गुणवत्ता में वृद्धि हेतु प्रयोगशालाओं एवं जांच केंद्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- पैकेजिंग उपलब्धता में सहायता प्रदान करना ।
- निरीक्षण दस्तावेज़ प्राप्त करने हेतु सहायता प्रदान करना ।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करना ।
- प्रौद्योगिकी हासिल करने हेतु एमएसएमई की सहायता करना ।
- तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- शिपमेंट के पहले और उसके बाद रियायती ब्याज दर पर वित्त उपलब्ध कराना ।
- देशी एवं आयातित कच्चे माल प्राप्त करने में वित्तीय सहायता प्रदान करना ।
- एमएसएमई इकाई को उन्नत एवं आधुनिक बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- निर्यात के संबंध में मिलने वाले प्रोत्साहनों को हासिल करने की प्रक्रिया में सहायता करना ।
- एमएसएमई को वित्तीय सहायता वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों के अलावा राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान की जाती है । सिडबी और नाबार्ड के माध्यम से क्रमशः 5 करोड़ और 3 करोड़ की पूंजीगत सब्सिडी मुहैया कराई जाती है । 8 वाणिज्यिक बैंकों में से प्रत्येक को 1 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि इस प्रयोजन से दी गई है । प्रत्येक वर्ष बजट प्रावधान करना आदि।

उत्पाद में सुधार पर बल :

एनएसआईसी निर्यात हेतु उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, जैसे- हार्डवेयर, ताले, हल्के इंजीनियरिंग उत्पाद, गिफ्टवेयर एवं नॉवेल्टीज़, रेडीमेड वस्त्र, तथा टेक्सटाइल उत्पाद बनाने वाली लघु उद्योग इकाइयों को बड़े पैमाने पर विकसित करने में सक्रिय भूमिका निभा रहा है। एनएसआईसी एमएसएमई के माध्यम से निर्यात संवर्धन हेतु विभिन्न देशों में उत्पाद-रेंज एवं उनकी बाजार में मांग के संबंध में अध्ययन दौरे करती है, लघु उद्योग सप्लायरों की पहचान करती है, नमूने एकत्रित करती है ताकि इसी प्रकार के नमूने बनाए जा सकें। एनएसआईसी ने इस उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका और दुबई में कार्यालय खोले हैं ताकि एमएसएमई के लिए कारोबार के नये अवसर पैदा किए जा सकें।

निर्यात संवर्धन और उसके लाभ :

एमएसएमई के उत्पादों की देश के बाहर बाजारों में मांग बढ़ने से उत्पाद की बिक्री बढ़ेगी और बाजार का विस्तार होगा, उत्पादन लागत में कमी आएगी, संसाधनों का बेहतर उपयोग होगा और आर्थिक मान में वृद्धि होगी, घरेलू आर्थिक उतार-चढ़ाव के प्रभाव शीघ्र हावी नहीं हो पाएंगे और ग्राहकों का दायरा बढ़ता जाएगा। उत्पादों और सेवाओं की लाइफ बढ़ जाएगी, अनुभव परिपक्व होंगे और विशेषज्ञता बढ़ती जाएगी। परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था में एक सशक्त उद्यमशील आधार का सृजन होगा, जो किसी भी प्रकार के वैश्विक आर्थिक संकट की स्थिति में देश को आघात से उबारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होगा। हाल ही में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश(एफडीआई) के प्रस्तावित 30 प्रतिशत की एमएसएमई में निवेश से यह आशा की गई है कि इससे क्षेत्र की उत्पादक गतिविधियों को गतिशीलता एवं व्यापकता प्राप्त होगी।

पिछले कुछ दशकों में एमएसएमई क्षेत्र में जो प्रौद्योगिकीगत एवं संरचनागत परिवर्तन हुए हैं उसने विश्व अर्थव्यवस्था में इसके बढ़ते प्रभाव को उद्घाटित कर दिया है। सरकार ने अन्तरराष्ट्रीय कारोबार में आनेवाली अड़चनों को कम करने के लिए जो प्रयास किए हैं उससे एमएसएमई की विश्व बाजार में सहभागिता के तमाम रास्ते खोल दिए हैं। एमएसएमई के उत्पादों के निर्यात को सुदृढ़ बनाने एवं उसमें तेजी लाने के लिए माइक्रो तथा मैक्रो दोनों स्तरों पर सरकारी एवं निजी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अन्तरराष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में सशक्त रूप से उतरने की प्रभावी एवं दीर्घकालीन स्थायी योजना से एमएसएमई के विकास में स्थिरता आएगी तथा भविष्य में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास में योगदान निरंतर बढ़ता जाएगा।

ooo

घूमता आईना

के. सी. मालपानी
प्रबंधक, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई

नए शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को लाइसेंस देने पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी

भारतीय रिज़र्व बैंक के वार्षिक नीति वक्तव्य, 2010-11 में की गई घोषणा के अनुसरण में नए शहरी सहकारी बैंक खोले जाने संबंधी सुझाव दिए जाने हेतु श्री वाई.एच.मालेगाम की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 12 सितंबर 2011 को जारी की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रमुख सिफारिशें इस प्रकार हैं –

- शहरी बैंकों द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, इसको देखते हुए बैंकरहित जिलों और 5 लाख से कम आबादी वाले केंद्रों में शहरी सहकारी बैंकों की व्यापक उपस्थिति की जरूरत है। बैंकरहित अथवा अपर्याप्त रूप से बैंक सुविधायुक्त राज्यों और जिलों में बैंक और शाखाएं खोलने के लिए नए आवेदकों को प्रोत्साहित किया जाए।
- विद्यमान सुव्यवस्थित सहकारी ऋण समितियों को, जो लाभ, पूँजी पर्याप्तता, अनर्जक आस्ति अनुपात आदि जैसे कतिपय वित्तीय मानदण्डों को पूरा करती हैं, शहरी सहकारी बैंकों के रूप में लाइसेंस स्वीकृत करने के लिए प्राथमिकता दी जानी चाहिए, खासकर बैंकरहित अथवा अपर्याप्त बैंक सुविधायुक्त केंद्रों में।
- विभिन्न श्रेणी के शहरी सहकारी बैंक (UCBs) खोले जाने हेतु न्यूनतम पूंजी अपेक्षा निम्नानुसार प्रस्तावित की गई है:
  - केवल एक राज्य में परिचालन करने वाले (उत्तर पूर्वी क्षेत्र में / अन्य राज्यों में लेकिन बैंकरहित जिलों तक सीमित / अन्य राज्यों में लेकिन बैंक सुविधायुक्त जिलों के 'सी' और 'डी' श्रेणी की आबादी वाले केंद्रों तक सीमित) शहरी सहकारी बैंक के लिए 50 लाख रुपए ।
  - केवल एक राज्य में परिचालनरत 'सी' और 'डी' श्रेणी की आबादी वाले केंद्रों में 50 प्रतिशत अथवा अधिक शाखाओं वाले शहरी सहकारी बैंक के लिए 100 लाख रुपए।
  - केवल एक राज्य में परिचालनरत शहरी सहकारी बैंक, जिनके लिए 'सी' और 'डी' श्रेणी की आबादी वाले केंद्रों में शाखाओं की अपेक्षा नहीं है, के लिए 300 लाख रुपए।
  - ऐसे शहरी सहकारी बैंक, जो पाँच वर्ष के सफल परिचालन के बाद एक से अधिक राज्यों में परिचालन के लिए इच्छुक हैं, के लिए 500 लाख रुपए।

  (यहां बैंकरहित जिले का तात्पर्य है, जहां पहले से कोई शहरी सहकारी बैंक नहीं है)
- शहरी सहकारी बैंक को चलाने के लिए एक निदेशक बोर्ड का गठन अनिवार्य होगा। निदेशक बोर्ड का निर्वाचन संबंधित सहकारी समिति अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार होगा और यह आरसीएस/सीआरसीएस द्वारा विनियमित और नियंत्रित होगा।
- प्रत्येक नए शहरी सहकारी बैंक के लिए यह भी अपेक्षित होगा कि उसके पास निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त एक प्रबंधन बोर्ड तथा प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) हो। निदेशक बोर्ड मोटे रूप में कार्यनीतिक सीमाओं के निर्धारण के लिए उत्तरदायी होगा, जबकि प्रबंधन बोर्ड को निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित सीमाओं के भीतर शहरी सहकारी बैंक के रोज़मर्रा के परिचालनों को निदेशित करने और नियंत्रित करने का अधिदेश प्राप्त होगा। प्रबंधन बोर्ड के कम-से-कम 51 प्रतिशत सदस्यों के पास बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए(2) में निर्दिष्ट मामलों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

- मुख्य कार्यपालक अधिकारी शहरी सहकारी बैंक के समूचे अथवा लगभग सभी मामलों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा, लेकिन यह प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रण और निर्देश के अधीन होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति के अधीन होगी।
- भारतीय रिज़र्व बैंक को शहरी सहकारी बैंक और इसके प्रबंधन बोर्ड और मुख्य कार्यपालक अधिकारी के कार्यों के नियंत्रण और विनियमन का ठीक उसी तरह पूरा अधिकार होगा, जिस तरह वह किसी वाणिज्यिक बैंक के मामले में निदेशक बोर्ड और मुख्य कार्यपालक के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करता है। कॉरपोरेट गवर्नेंस के नियम भी इन पर पूरी तरह से लागू किए जाएंगे।
- इन बैंकों की लेखा-परीक्षा हेतु चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदित लेखा-परीक्षकों के पैनल से की जा सकेगी।

समिति ने यह भी कहा है कि शहरी सहकारी बैंक की निगरानी व उन्हें बेहतर तरीके से कामकाज चलाने में मदद करने के लिए दो शीर्ष संगठनों का गठन होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का संगठन भुगतान और निपटान संबंधी सुविधाओं तथा सामान्यतया केंद्रीय बैंकों द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाओं के साथ-साथ अपने सदस्यों को चलनिधि सहायता भी उपलब्ध कराएगा, जबकि दूसरा संगठन शहरी सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की जरूरतों के अनुसार प्रबंधन, प्रशिक्षण, आईटी जैसी अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा।

चेक और ड्राफ्ट की उम्र घटेगी, तीन महीने तक चलेंगे

1 अप्रैल 2012 से चेक और बैंक ड्राफ्ट की वैधता अब 6 महीने से घटकर केवल 3 महीने रह जाएगी। रिज़र्व बैंक ने हाल ही में इस बारे में बैंकों को निर्देश जारी किए। इन निर्देशों के मुताबिक, जारी किए गए चेक और ड्राफ्ट तीन महीने के लिए ही वैध होंगे। यह फैसला सरकार की उस सूचना के बाद लिया गया जिसमें कहा गया था कि कुछ लोग छह महीने की वैधता वाले चेक/ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/बैंकर चेक का गलत फायदा उठा रहे हैं। लोगों को इस बारे में जागरूक बनाने के लिए बैंकों को 1 अप्रैल 2012 से जारी चेकों के ऊपर यह जानकारी देने को भी कहा गया है।

इसके साथ ही आरबीआई ने काले धन के लेन-देन पर रोक लगाने के लिए एक और कदम उठाया है। इसके तहत 20 हजार से ऊपर के सभी बैंक ड्राफ्ट अकाउंट पेई होंगे।

बचत खातों पर ब्याज दरें हुई पूरी तरह नियंत्रणमुक्त

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कामकाज में और ज्यादा छूट देते हुए अब बचत खाते पर भी ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त कर दिया है। इससे लाखों बचत खाताधारकों को पहले से अधिक ब्याज मिलने की उम्मीद है। रिज़र्व बैंक द्वारा 25 अक्तूबर 2011 को जारी ऋण एवं मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में बचत खातों पर ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त करते हुए कहा गया है कि बैंकों को बचत खातों में एक लाख रुपए तक की जमाराशियों पर एक समान ब्याज दर की पेशकश करनी होगी। यद्यपि बचत खातों में एक लाख रुपए से अधिक की जमाराशियों के मामले में बैंक अलग-अलग ब्याज दर का प्रस्ताव कर सकेंगे परंतु इस संबंध में यह भी ध्यान रखना होगा कि बैंक के किसी कार्यालय में किसी एक ही तारीख को बचत खातों में स्वीकार की गई एक जैसी जमाराशियों के मामले में अलग-अलग ब्याज दर न हो जाए।

रिज़र्व बैंक ने मई में घोषित सालाना ऋण एवं मौद्रिक नीति में बचत खाते पर ब्याज दर को 3.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत कर दिया था। बचत खातों पर ब्याज दरों के निर्धारण को नियंत्रणमुक्त कर रिज़र्व बैंक ने ब्याज दरों पर नियंत्रण के आखिरी किले को भी ढहा दिया है।

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी)

नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (एनईएफटी) पेमेंट का नया जरिया है। यह बैंक में गए बगैर आपको पूरे देश में एक खाते से दूसरे खाते में फंड ट्रांसफर करने की सुविधा देता है।

- **एनईएफटी के जरिए कौन कर सकता है फंड ट्रांसफर?**

  पार्टिसिपेटिंग बैंक (एनईएफटी के दायरे में आने वाले) के सभी खातेदार, कोई व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बशर्ते संबंधित ब्रांच एनईएफटी से जुड़ी हो। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ऐसे लोगों को भी एनईएफटी की सुविधा वाली शाखाओं में कैश डिपॉजिट की सुविधा देता है, जिनका बैंक एकाउंट नहीं है। हालांकि, इस तरह के रेमिटेन्स में प्रत्येक ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा 50,000 रुपए होगी।

- **एनईएफटी सिस्टम से कौन फंड हासिल कर सकता है?**

  कोई व्यक्ति, फर्म या कॉरपोरेट जिनका बैंक में खाता हो, वे एनईएफटी सिस्टम के जरिए फंड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए लाभार्थी का खाता देश में एनईएफटी सुविधा वाले डेस्टिनेशन बैंक ब्रांच में होना चाहिए। एनईएफटी सिस्टम के जरिए इंडो-नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम के तहत भारत से नेपाल वन-वे क्रॉस-बॉर्डर फंड ट्रांसफर की भी सुविधा है। हालांकि, इसके तहत दूसरे देशों के लिए क्रॉस-बॉर्डर ट्रांजैक्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

- **कैसे काम करता है एनईएफटी सिस्टम?**

  जो खातेदार एनईएफटी के जरिए फंड ट्रांसफर करना चाहता है, उसे एक आवेदन पत्र भरना पड़ता है। इसमें बैंक की ब्रांच के इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड (आईएफएससी) सहित लाभार्थी के बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ती है। आईएफएससी अल्फा-न्यूमेरिक कोड है। यह एनईएफटी सिस्टम में पार्टिसिपेटिंग बैंक ब्रांच, एकाउंट टाइप, एकाउंट नंबर और ट्रांसफर की जाने वाली रकम की जानकारी देता है। रकम ट्रांसफर करने वाला व्यक्ति अपने बैंक की शाखा को अपने खाते से रकम निकालकर लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने के लिए अधिकृत करता है।

- **एनईएफटी ट्रांजैक्शन पर कितना शुल्क लगता है?**

  रकम पाने वाले को कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ता। रकम ट्रांसफर करने वाले को मामूली शुल्क देना पड़ता है। एक लाख रुपए तक के ट्रांजैक्शन के लिए प्रति ट्रांजैक्शन पांच रुपए (सेवा कर अतिरिक्त) का चार्ज लगता है। अधिकतम चार्ज 25 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन है।

डेट (कर्ज संबंधी लिखतों) में एफआईआई निवेश की सीमा 5 अरब डॉलर बढ़ी

वित्त मंत्रालय ने सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉण्ड दोनों में विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के निवेश की ऊपरी सीमा में 5 अरब डॉलर की बढ़ोतरी कर दी है। वित्त मंत्रालय की इस कवायद का मकसद देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह और कंपनियों की फंडिंग का स्रोत बढ़ाना है। इस प्रकार अब कर्ज बाजार में विदेशी निवेश की कुल सीमा 60 अरब डॉलर हो गई है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, एफआईआई अब सरकारी प्रतिभूतियों में 15 अरब डॉलर और कॉरपोरेट बॉण्ड में 20 अरब डॉलर तक का निवेश कर सकेंगे। लेकिन लंबी अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड में एफआईआई निवेश की सीमा को 25 अरब डॉलर पर स्थिर रखा गया है। बाजार नियामक सेबी एफआईआई निवेश की ऊपरी सीमा में इस बदलाव पर जल्द ही अधिसूचना जारी करेगा। 'डेट सिक्योरिटीज में एफआईआई निवेश की सीमा बढ़ाए जाने से देश में विदेशी पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा। इससे सरकारी प्रतिभूतियों और कॉरपोरेट बॉण्ड के घरेलू बाजार के विकास को बढ़ावा मिलेगा।'

राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नीति को मंजूरी प्रदान की है। नई नीति में अगले 10 वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 फीसदी करने और 2020 तक 10 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्तमान में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान 15 से 16 फीसदी है। जबकि तुलनात्मक रूप से देखें तो यह कोरिया में 25 फीसदी, मलेशिया में 25 फीसदी, थाइलैंड में 30 फीसदी और चीन में 34 फीसदी है। इस स्थिति को देखते हुए नई नीति में अगले 10 वर्ष में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25 फीसदी करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नई नीति के तहत देश में सात नए औद्योगिक शहर स्थापित करने का निर्णय किया गया है जो संविधान के अनुच्छेद 243 (सी) के प्रावधानों के अनुरूप होंगे। ये क्षेत्र हैं (i) अहमदाबाद - धोलेरा निवेश क्षेत्र (गुजरात) (ii) शेन्द्रा - बिदकिन औद्योगिक पार्क (महाराष्ट्र) (iii) मानेसर - बावल निवेश क्षेत्र (हरियाणा) (iv) कुरुक्षेत्र - भिवाड़ी - नीमराणा निवेश क्षेत्र (राजस्थान) (v) पीथमपुर - घार - मऊ निवेश क्षेत्र (मध्यप्रदेश) (vi) दादरी - नोएडा - गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (उत्तरप्रदेश) (vii) दिघी बंदरगाह निवेश क्षेत्र (महाराष्ट्र)। इन शहरों में पर्यावरण को बढ़ावा देने और दक्षता उन्नयन संबंधी सुविधा का ध्यान रखा जाएगा। नई नीति के संदर्भ में सभी पक्षों से व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। नई विनिर्माण नीति के संदर्भ में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने 14 अक्तूबर 2011 को हुई बैठक में श्रम मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े मुद्दों को सुलझा लिया था। इन औद्योगिक शहरों की स्थापना के संदर्भ में वित्त मंत्रालय की ओर से कई रियायतें दी गई हैं। हालांकि व्यक्तिगत इकाइयों को कोई सब्सिडी प्रदान करने का प्रस्ताव नहीं है। इन 7 औद्योगिक शहरों में से 4 की स्थापना जापान के सहयोग से की जा रही है। इस संबंध में जापान की ओर से वित्तीय प्रावधान भी किए गए हैं। इन औद्योगिक शहरों का विकास राज्यों के सहयोग से किया जाएगा क्योंकि भूमि राज्य का विषय होता है। इनका विकास बंजर या बेकार भूमि पर किया जाएगा। इसके लिए उर्वर, खेती योग्य, सांस्कृतिक या वन क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा।

डाकघर की छोटी बचत योजनाओं (स्माल सेंविग्स) पर ब्याज दरें बढ़ीं

13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर फैसला करते हुए वित्त मंत्रालय ने विभिन्न डाकघर बचत योजनाओं में कम-से-कम 0.5 फीसदी ब्याज बढ़ा दिया। इसके अलावा इन योजनाओं को पहले से ज्यादा पारदर्शी बना दिया गया है । आयोग की इस संबंध में आई सिफारिशें देखने के बाद सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक की तत्कालीन उप गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक समिति बनाई थी। इस समिति को राष्ट्रीय अल्प बचत कोष की समग्र समीक्षा का जिम्मा सौंपा गया था। समिति ने इसी साल 7 जून को अपनी रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की थी।

- सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) पर दी जाने वाली ब्याज दर को बढ़ाकर 8.6 फीसदी सालाना करने का फैसला किया गया है। इस पर फिलहाल 8 फीसदी की दर से ब्याज दिया जा रहा है ।
- पीपीएफ में निवेश की अधिकतम सीमा को बढ़ाकर एक लाख रुपए सालाना कर दिया गया है। अभी तक पीपीएफ खाते में सालाना 70,000 रुपये तक ही जमा किए जा सकते थे ।
- यद्यपि, पीपीएफ से लिए गए कर्ज पर ब्याज 1 फीसदी सालाना से बढ़ाकर 2 फीसदी सालाना कर दिया गया है।
- डाक घर बचत खाते पर मिलने वाले ब्याज दर में भी आधा फ़ीसदी की बढ़ोतरी की गई है तथा इसे साढ़े तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फ़ीसदी कर दिया गया है।
- मीयादी जमा यानि एफडी पर ब्याज दर में सर्वाधिक बढ़ोत्तरी एक वर्ष की परिपक्वता वाली एफडी पर की गई है। इसकी मौजूदा ब्याज दर को 6.25 से बढ़ाकर 7.7 फ़ीसदी कर दिया गया है।
- मासिक आय योजना (एमआईएस) और राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) की परिपक्वता अवधि को छह साल से घटाकर पांच साल कर दिया गया है। साथ ही, मासिक आय योजना पर मिलने वाले ब्याज को 8.2 फ़ीसदी और राष्ट्रीय बचत पत्र पर मिलने वाले ब्याज को 8.4 फ़ीसदी तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन एमआईएस की परिपक्वता पर दी जाने वाली 5 फीसदी अतिरिक्त राशि आगे से नहीं दी जाएगी।
- सरकार अब निवेशकों के लिए दस वर्ष की परिपक्वता अवधि वाले नए एनएससी लाएगी। इस पर 8.7 फ़ीसदी ब्याज मिलेगा। इसके साथ ही किसान विकास पत्र अब बंद कर दिए जाएंगे।
- पीपीएफ में निवेश की बढ़ी सीमा चालू वित्त वर्ष से प्रभावी हो जाएगी और इस पर बढ़ी ब्याज दर इसी वर्ष एक दिसंबर से लागू हो जाएगी, जबकि अन्य बचत योजनाओं पर नई ब्याज दरें इस संबंध में अधिसूचना जारी होने के दिन से लागू होंगी।

सोने (गोल्ड) के बारे में कुछ अहम जानकारियां...

भारत में सदियों से सोने को पारिवारिक प्रतिष्ठा की निशानी के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि भारत दुनिया भर में सोने की सबसे ज्यादा खपत करने वाला देश है। सोने को लेकर भारतीय परिवारों में आज भी जबरदस्त आकर्षण है। सोने में गहरे रुझान के बावजूद इसकी शुद्धता और दूसरी ऐसी कई चीजें हैं जिन के बारे में आम ग्राहकों में सही जानकारी का अभाव है। तो आइए हम जानते हैं -

क्या है कैरेट

कैरेट सिस्टम को किसी भी ज्वैलरी या सोने के आभूषण में मौजूद शुद्ध सोने की मात्रा जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे शब्दों में, एलॉय में मौजूद सोने के हिस्से के आकलन की इकाई को कैरेट कहा जाता है। मसलन, 24 कैरेट गोल्ड को शुद्ध सोना माना जाता है। इसी तरह से अगर कोई ज्वैलरी या सोने का कोई दूसरा आइटम 18 कैरेट का है तो इसका मतलब यह है कि उसमें 18 हिस्सा सोना है और 6 हिस्सा दूसरा मेटल। यानि कि 75 फीसदी शुद्ध सोने वाली ज्वैलरी को 18 कैरेट का माना जाता है। ज्वैलर्स बताते हैं कि शुद्ध सोने(24 कैरेट) की ज्वैलरी नहीं बनाई जा सकती है। इसलिए इसमें एलॉय यानि कि दूसरे मेटल मिलाए जाते हैं। एलॉय के रूप में सोने में ज्यादातर कॉपर और सिल्वर मिलाए जाते हैं।

मूल्यवान और अर्ध-मूल्यवान रत्नों जैसेकि हीरा, पन्ना, पुखराज आदि के संबंध में कैरेट का मतलब उस पत्थर के वजन से होता है । एक कैरेट 200 मिलिग्राम के बराबर होता है।

क्या है हॉलमार्क?

भारत सरकार ने ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (बीआईएस) को गोल्ड हॉलमार्क के लिए एकमात्र एजेंसी नियुक्त किया है। हॉलमार्किंग का मकसद गोल्ड ज्वैलरी की क्वालिटी में होने वाली धांधली से ग्राहकों को बचाना है। अगर कोई ज्वैलरी 22 कैरेट या 18 कैरेट की है तो उसकी हॉलमार्किंग के लिए ज्वैलरी का प्रयोगशाला में परीक्षण होता है। इसके जरिए ज्वैलरी की क्वालिटी को परखा जाता है। इसके बाद इसे हॉलमार्क दिया जाता है। आजकल ज्यादातर ज्वैलर्स हॉलमार्क ज्वैलरी ही बेच रहे हैं।

❍❍❍

पुस्तक समीक्षा

विक्रय कला – सफलता के सूत्र

लेखक : वाई. कृष्णमूर्ति

अनुवाद – हरिकृष्ण निगम

प्रकाशक – संस्कार साहित्य माला, मुंबई

पृष्ठ संख्या– 128, मूल्य – 200/- रुपये

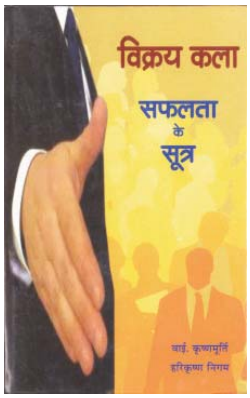

श्री वाई. कृष्णमूर्ति द्वारा लिखित ''विक्रय कला – सफलता के सूत्र'' पुस्तक बीमा उत्पादों की बिक्री करने की कला से परिचित कराती है और बीमा क्षेत्र में किसी अभिकर्ता को सफलता की नई ऊँचाइयाँ छूने को प्रेरित करती है। साथ ही श्री हरिकृष्ण निगम द्वारा जनमानस की भाषा हिंदी में किया गया बोधगम्य अनुवाद बीमा जैसे अमूर्त उत्पादों की सहज रूप से बिक्री करने की कला से समाज के विस्तृत वर्ग को अवगत कराता है । आज के वैश्वीकरण के युग में जहाँ बीमा उत्पाद बिक्री करने की कोई सीमारेखा नहीं रह गई है और चारों ओर प्रतिस्पर्धा का माहौल है जिसमें हर एक व्यक्ति दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में भागा जा रहा है, ऐसी स्थिति में बीमा की आवश्यकता, समय प्रबंध, ऊँचा लक्ष्य, विक्रय निपुणता आदि जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं को केन्द्र में रखते हुए इस पुस्तक का वर्ण्य विषय धीरे–धीरे छह अध्यायों में आगे बढ़ता है ।

इसका पहला अध्याय ''विक्रय के लिए पहल कैसे करें? किसी विषयवस्तु की पहली समस्या 'क्यों' और 'कैसे' से पाठक को रू–ब–रू करता है । जीवन में आने वाली आकस्मिकताओं से निपटने में सहायता देने में सक्षम इस उत्पाद से आगे बढ़ते हुए लेखक बीमा की बिक्री से जुड़ने की आवश्यकता को पाँच चरणों में बताता है जिसमें ग्राहक की तलाश, उससे मिलने के लिए जरूरी तैयारी, उससे सम्पर्क साधना, साक्षात्कार और बिक्री करना शामिल है । उपयुक्त प्रत्येक चरण में इस बात पर बार–बार जोर दिया गया है कि अभिकर्ता को धैर्यवान होना चाहिए और इस सिद्धांत पर अवश्य अमल करना चाहिए कि ग्राहक सदैव सही होता है । ग्राहक की आपत्तियों का क्रमबद्ध रूप में तार्किक ढंग से निराकरण करना चाहिए लेकिन इस प्रक्रिया में कभी भी नकारात्मक व्यवहार या सोच का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए ।

अगले अध्याय 'संप्रेक्षण दक्षता बढ़ाइए' के तहत लेखक बीमा उत्पाद की बिक्री से बाहर निकलकर व्यक्तित्व विकास की ओर उन्मुख होता है । ''फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन'' के सिद्धांत पर चलते हुए कृष्णमूर्ति जी ने बहुत ही सहज रूप में अपनी बात दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने और धैर्यपूर्वक दूसरों की बातों को चुनने की कला विकसित करने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डाला है । अमौखिक संप्रेषण के तहत जहां वह शारीरिक भाव–भंगिमा की बात करते हैं और बताते हैं कि प्रभावी संप्रेषण का लगभग 80 प्रतिशत आपके हाव–भाव से ही ग्राहक को स्पष्ट हो जाता है । इसके अतिरिक्त मौखिक संप्रेषण के तहत लेखक ने वाणी के उतार–चढ़ाव, जोर देने और धीरे से अपनी बात समझाने के तरीकों पर चर्चा की है । इसके बाद यह अध्याय सम्प्रेषण में आने वाली बाधाओं की चर्चा करता है और इनसे बचते हुए सुनने की प्रक्रिया संबंधी दस सिद्धातों की व्याख्या करता है । कुल मिलाकर यह अध्याय इस पुस्तक की आत्मा के समान है । यह अध्याय केवल बीमा अभिकर्ता की विक्रय कला को ही नहीं मांजता अपितु किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारने में मदद करता है ।

तीसरा अध्याय 'सकारात्मक सोच के साथ जिएं' भी व्यक्तित्व विकास से जुड़ा हुआ है । यह बताता है कि नकारात्मक व्यक्तित्व आपको अस्वीकार्य बनाता है और हताश कर देता है, जबकि रचनात्मकता व्यक्ति को सकारात्मक सोच की ओर अग्रसर करती है । सभी प्रकार की चुनौतियों, आकांक्षाओं और दायित्वों को स्वीकार करना और लगन तथा परिश्रम से उसे पूरा करना सकरात्मक सोच का ही नतीज़ा होता है । इसमें एक सारणी के जरिए सकारात्मक और नकारात्मक सुझाव के विषय में बखूबी समझाया गया है । व्यक्तित्व विकास के लाभ, स्वयं सहायता करने, अपने आप को पहचानने, आत्मविकास के तरीके, क्रोध से होने वाली हानियों और इससे दूर रहने के उपाय और सबको साथ लेकर चलने के दस सूत्रों से ओत–प्रोत यह अध्याय सचमुच जीवन–शैली को एक नई दिशा प्रदान करता है ।

चौथा अध्याय 'समय प्रबंधन' के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालता है । एक अभिकर्ता के जीवन में समय की महत्ता को दर्शाते हुए लेखक बताता है कि सबसे उत्तम विक्रेता वही है जो 'बिक्री के

विचार को सदा जीवित रखता है' और अपना सर्वस्व इस पर न्योछावर कर देता है । प्रत्येक कार्य के लिए योजना बनाने से लेकर उसका संपादन करने तक सभी कुछ समयबद्ध रूप में करने से ही सफलता आपके कदम चूमती है । समय की कीमत समझाते हुए वह प्रसिद्ध अरबपति ''ओनासिस'' द्वारा अपनाए गये 16 सिद्धातों का उल्लेख भी काफी जीवंत उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत करता है । इसके साथ समय बचाने का बीस सूत्री कार्यक्रम भी इस अध्याय को रोचक बना देता है ।

पांचवां अध्याय 'ऊंचे लक्ष्य बनाना' जीवन बीमा और किसी भी प्रकार के विपणन व्यवसाय में संलग्न व्यक्तियों के लिए एक ऐसे पायदान का निर्माण करता है जिस पर आगे चलकर वे अपने व्यावसायिक जीवन के साथ-साथ अपने व्यावहारिक जीवन में भी एक सफल, सुरक्षित और सम्मानपूर्ण अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं । इसके साथ ही यह अध्याय महत्वाकांक्षा और अहंकार में अंतर को भी निरूपित करता है । महत्वाकांक्षा जहाँ आपका मार्ग सफलता की ओर प्रशस्त करती है वहीं दूसरी ओर अहंकार आपको अधोगति की ओर अग्रसर कर देता है । बीमा के क्षेत्र में कितनी ही सफलता क्यों न प्राप्त कर लें परंतु इस क्षेत्र के मूल मंत्र विनम्रता का त्याग कभी भी किसी अभिकर्ता को नहीं करना चाहिए । अध्याय के अंत में लेखक इस बात पर प्रकाश डालता है कि लक्ष्य विशिष्ट होना चाहिए जिसे कसौटी पर कसा जा सके, लक्ष्य यथार्थपरक और समय के अनुकूल होना चाहिए । इसके अतिरिक्त लक्ष्य सुस्पष्ट होना चाहिए ताकि मानदंडों के आधार पर उसकी समीक्षा की जा सके और यदि उसकी प्राप्ति में कुछ कमी रह जाती है तो उसकी पुनःप्राप्ति के लिए प्रयास किए जा सकें ।

'विक्रय निपुणता का अभ्यास' नामक छठा और अंतिम अध्याय इस बात को बखूबी बताता है कि 'करत-करत अभ्यास से जड़मत होत सुज़ान' । इस अध्याय में इस बात को विभिन्न तरीकों से समझाया गया है कि कठिन श्रम का कोई पर्याय नहीं होता है, परंतु श्रम करने के लिए भी सही दशा और दिशा का होना आवश्यक है । वह बताता है कि जिस प्रकार शरीर में रक्त का संचार जीवन भर बना रहता है उसी प्रकार किसी जीवन बीमा अभिकर्ता के लिए भावी ग्राहकों की लंबी फेहरिस्त ही उसके विक्रय-जीवन का रक्त होती है, जिसके द्वारा वह सफलता की नित नई ऊंचाइयों को छूता रहता है । बिक्री कला के अभ्यास के लिए आवश्यक है कि अभिकर्ता नियमित आधार पर आंकड़ों का संकलन करे और विक्रय के लिए आवश्यकता आधारित योजना बनाए, ग्राहक की सराहना करे और कुतर्कों से बचे, समय की पाबंदी बरते और अपने वर्तमान एवं भावी ग्राहकों को विशेष अवसरों पर शुभकामना संदेश अवश्य भेजे । इस प्रकार के छोटे-छोटे प्रयासों से कोई भी अभिकर्ता इस क्षेत्र में अपने लिए एक नई जगह बना सकता है और सफलता उसके कदम चूमेगी । इसके बाद लेखक, अभिलेख को ठीक प्रकार रखने के फायदे बताते हुए बिक्री के कुछ नए सूत्रों को प्रतिपादित करता है । इनमें किसी ग्राहक की सेवानिवृत्ति के समय एकल प्रीमियम के लिए निवेशक को प्रोत्साहित करना, सामूहिक प्रचार कार्य करना, कुछ समय के लिए सीमित बीमा उत्पादों में निवेश के फायदे गिनाना, सीमा रेखा पर आए आयु के निवेशकों को उचित राय प्रदान करना, मिश्रित उत्पादों को बढ़ावा देना, ग्राहक के साथ सदैव सम्मानपूर्वक बात करना, कंपनी के स्मृति चिन्हों को भेंट स्वरूप ग्राहकों को प्रदान करना, ग्राहक से मिलने पर सौजन्यपूर्ण और परिष्कृत भाषा का प्रयोग करना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की संस्कृति अपनाना, स्थानांतरित हो जाने पर भी ग्राहकों को पहले के समान ही सेवाएं प्रदान करते रहने का आश्वासन देना आदि बातें शामिल हैं जो सुनने में काफी छोटी लगती हैं, परंतु उनका किसी अभिकर्ता के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है ।

कुल मिलाकर यह पुस्तक विपणन कला के क्षेत्र में अभिरुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही सहज और सुंदर है । साथ ही इस पुस्तक में साधारण भाषा में न केवल बिक्री के सूत्रों को समाहित किया गया है अपितु व्यक्तित्व विकास से भी जुड़े अनेकानेक पहलुओं का किया गया समावेश इसे जनमानस के अध्ययन के लिए भी सुरुचिपूर्ण बना देता है । यत्र-तत्र कुछेक मात्रात्मक त्रुटियां और पृष्ठ 91 पर दूसरे उपशीर्षक में अर्थ संबंधी हुई कुछ भूलें भी पुस्तक के कलेवर के आगे नगण्य प्रतीत होती हैं ।

बिना किसी प्रस्तावना/परिचय के पुस्तक की शुरुआत पाठक को पहली ही नजर में खटकती है । शायद अगले संस्करण में इसे सुधार लिया जाए ।

● **सुबोध मेहरोत्रा**
सहायक प्रबंधक
भारतीय रिज़र्व बैंक, मुम्बई

❍❍❍

अ | नु | चिं | त | न

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का अप्रैल-जून 2011 अंक अपने घर पर पाकर चिर-संचित अभिलाषा पूरी हुई, हार्दिक धन्यवाद । इस अंक में सम्पादकीय बहुत प्रेरक एवं उपयोगी लगा । महान नीतिज्ञ आचार्य चाणक्य के श्लोक द्वारा त्याग और राग का अन्तर समझाकर महान भारतीय संस्कृति के सरोकारों को सतत उन्नत करने की अपनी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति दी है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की पंक्ति 'जब तक जन-मन का इस जग में भाग नहीं सम होगा, शांत न होगा कोलाहल संघर्ष नहीं कम होगा' पढ़कर मन प्रफुल्लित होना स्वाभाविक था । जयशंकर प्रसाद जी अपने प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी में लिखते हैं ''ज्ञान अलग कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा पूरी कैसे हो मन की । एक दूसरे से न मिल सके, यह विडम्बना है जीवन की ।'' ज्ञान और कर्म के अन्तर की इस विडम्बना को दूर करते हुए, संस्कृति और सभ्यता दोनों का साथ-साथ विकास, सामाजिक समरसता तथा उच्चतम मानवीय मूल्यों को आत्मसात करते चलने की प्रबल चाह पत्रिका में झलकती है ।

'मोबाइल बैंकिंग - एक क्रान्ति' आधुनिक बैंकिंग विषयक आवश्यक जानकारी को समेटे है । 'ई-बैंकिंग - सुविधाएँ, समस्याएँ एवं जोखिम' लेख के माध्यम से आधुनिकतम बैंकिंग के नवोन्मेषी उत्पादों के बारे में जानकारी रोचक एवं ज्ञानवर्धक लगी । 'कृषि एवं ग्रामीण विकास - एक नया मॉडल' भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की महत्ता, उसके आधुनिकीकरण और प्रत्येक को रोजगार जैसे महत्त्वपूर्ण पहलुओं को अंगीकार करके अपनी उपयोगिता सिद्ध करता है । 'मुद्रास्फीति प्रबन्धन और व्यवस्था' लेख सारगर्भित लगा, मुद्रास्फीति का प्रभाव बहुत प्रभावी ढंग से बताया गया तथा परिवर्तन की अपेक्षाओं के बारे में भी । मानव संसाधन पर 'अधिकारों का प्रत्यायोजन - चुनौती ही नहीं अवसर भी' व्यावहारिक एवं सीखपूर्ण लगा ।

शेष सभी लेख भी अच्छे लगे । केनरा बैंक के बारे में जानकारी तथा 'घूमता आईना' रोचक लगे । सभी लेख सामयिक, ज्ञानवर्धक, खोजपरक एवं बैंकर मस्तिष्क को अद्यतन करने वाले हैं । कुल मिलाकर अंक संग्रहणीय है ।

आशा खत्री (सहायक प्रबन्धक)
हरियाणा ग्रामीण बैंक, प्र. का., रोहतक

बैंकिंग जगत की सर्वेसर्वा, अनोखी व ज्ञानवर्द्धक पत्रिका बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन प्राप्त हुई । इस हेतु आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

आपकी पत्रिका को पढ़ने के बाद हमें भी चिंतन-मनन करने को विवश होना पड़ता है । यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करती है । चिंतन करते-करते मंथन किया तथा उसी मंथन से आज हमारे यूको बैंक, अंचल कार्यालय, मुंबई की यूको मुंबई झलक तिमाही पत्रिका प्रकाशित हो गई । सच्चाई है कि बड़ों से सीख लेकर ही आगे की मंजिल तय करनी चाहिए । आपकी पत्रिका वास्तव में प्रेरणादायी व नवीनतम ज्ञानदायी है ।

अप्रैल-जून 2011 के आवरण पृष्ठ पर दी गई तस्वीरें यह स्पष्ट करती हैं कि वर्तमान में मंहगाई ने आम जनता की कमर तोड़ डाली है । एक ऐसी भी तस्वीर है कि नोटों (पैसों) के बीच होते हुए भी आम आदमी की पॉकेट बिलकुल ही खाली है । आपने वर्तमान परिप्रेक्ष्य की वास्तविकता को दर्शाया है ।

आपकी संपादकीय में प्रकाशित की गई भाषा पर जानकारी हमारे ज्ञान में वृद्धि करती है । हकीकत में शब्द को ब्रह्म कहा गया है । भाषा की एकरूपता से ही **देश में रामराज्य** कायम होना संभव है । आज प्रशासन और आम जनता की भाषा में बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है जिसके कारण कम्यूनिकेशन गैप हो गया । जिस प्रकार जंगल में आदमी जानवर की भाषा नहीं समझ पाता उसी प्रकार जानवर आदमी की भाषा नहीं समझ पाता है । भारत में एक भाषा का तारतम्य स्थापित करना काफी आवश्यक है । इस अंक में प्रकाशित की गई मोबाइल बैंकिंग - एक क्रांति, ई-बैंकिंग-सुविधाएं, समस्याएं एवं जोखिम, कृषि एवं ग्रामीण विकास - एक नया मॉडल, घूमता आईना, मुद्रास्फीति प्रबंधन और अर्थव्यवस्था आदि लेख काफी अच्छे लगे । इस हेतु आपको और आपकी संपादकीय टीम को बहुत-बहुत बधाई ।

सुनील कुमार
राजभाषा अधिकारी, यूको बैंक,
अंचल कार्यालय, मुंबई

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन का जुलाई - सितम्बर 2011 अंक प्राप्त हुआ । धन्यवाद । ज्ञान हमेशा भाषा के परिधान में छिपा रहता है ऐसा अनुचिंतन संपादकीय लेख में रोचक रहा । पत्रिका को उनकी जरूरतों के अनुसार अधिक अनुकूल बनाने का प्रयास काफी सराहनीय है । लेख का चयन, संपादन, स्वच्छ मुद्रण, सरल एवं मनमोहक प्रस्तुतीकरण एक अनूठी पत्रिका की याद दिलाता है।

'आधार' के संदर्भ में अच्छी जानकारी प्राप्त हुई । ऐसी जानकारी हमारे ज्ञान की पहचान का भी आधार बन जाती है । 'आस्बा' जैसे नये विषय को सरल भाषा में व्यक्त करना भी एक खूबी की बात है । 'घूमता आईना' में मजा आया । ऐसे ज्ञानवर्धक लेख - समीक्षा चालू रखने चाहिए ।

संपादकीय मंडल को धन्यवाद और बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन को परमकृपालु परमात्मा अति लम्बी आयु प्रदान करे और हमारी राष्ट्रभाषा/ राजभाषा हिंदी को अधिक रोचक बनाये ।

सुशीलकुमार एन.चौहाण
सेंट्रल बैंक
मेटोडा शाखा (गुजरात)

हमें आपकी 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' का जुलाई-सितम्बर 2011 अंक प्राप्त हुआ, धन्यवाद । पत्रिका के मुखपृष्ठ में प्रकाशित छायाचित्र देश के बदलते परिदृश्य को दर्शा रहा है । संपादकीय संस्कार, संस्कृति, भाषा और नए सोच का एक अनुपम संगम लगा । 'अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट' वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके असर और उसके निराकरण के उपायों पर नव जानकारी दे रहा है । वहीं रमाकांत शर्मा जी का लेख 'ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं' उन संस्थाओं के लिए सहायक सामग्री साबित हो सकता है जो यह मान बैठे हैं कि गांवों में बैंकिंग को आगे बढ़ाना मुश्किल है । 'आधार - पहचान का नया आधार' हमें इसके दूरगामी महत्त्व को बताता है । इतिहास के पन्नों में इस बार बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पढ़कर इसके संस्थापकों की जीवटता और मेहनत के बारे में जानने का अवसर मिला जिसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे । पत्रिका में प्रकाशित अन्य सभी लेख भी पठनीय, उपयोगी एवं नि:संदेह संग्रहणीय है ।

जी. एन. सोमदेवे
सहायक महाप्रबंधक (राजभाषा)
राष्ट्रीय आवास बैंक, नई दिल्ली

बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन पत्रिका का जुलाई - सितम्बर 2011 का अंक प्राप्त हुआ । धन्यवाद । मैं इस पत्रिका का नियमित पाठक हूँ । इस पत्रिका का हर अंक संग्रहणीय है । मुझे निम्नलिखित लेख बहुत ही अच्छे लगे :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं और पंचायतों की भूमिका ।
2. बुनियादी संरचना हेतु बैंकों द्वारा वित्तपोषण ।
3. वित्तीय समावेशन : समस्याएं एवं समाधान ।

बैंकों में कार्यरत व्यवसाय प्रतिनिधि (बीसी) के लिए उपरोक्त लेख बहुत उपयोगी हैं । मेरे साथ काम कर रहे बीसी को उपरोक्त लेखों द्वारा जानकारी दे रहा हूं ।

मुस्ताक मांगुरे
बैंक ऑफ इंडिया, कोल्हापुर जोन

बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन का जुलाई-सितम्बर 2011 अंक प्राप्त कर प्रसन्नता हुई । सम्पादकीय में कई ऐसे ज्वलन्त मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है जो आज हमारे समाज में प्रत्यक्ष घटित हो रहे हैं । वित्तीय समावेशन और समावेशी आर्थिक विकास के लिए हिन्दी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का कोई विकल्प नहीं है और यही कारण है कि सारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अपने उत्पादों का विज्ञापन हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में कर रही हैं ।

हिन्दी के मानकीकरण का प्रयास आनेवाले समय में अपना प्रभाव दिखायेगा और इससे भावों का सही सम्प्रेषण हो सकेगा और हिन्दी एक विश्वभाषा बनने की ओर अग्रसर होगी ।

वित्तीय समावेशन-समस्याएं और समाधान में श्री संजय कुमार ने व्यावहारिक स्थिति दर्शायी है । वित्तीय समावेशन में आ रही समस्याओं का निदान आवश्यक है । श्री. के. सी. मालपानी ने घूमता आईना में अच्छा संकलन प्रस्तुत किया है जो सराहना के योग्य है ।

अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में गिरावट भारतीय चार्वाक सिद्धांत को प्रतिपादित करती है । ''जब तक जीवो सुख से जीवो उधार लेकर घी पिओ'' की नीति के कारण ही आज वित्तीय संस्थाओं में अस्थिरता आ रही है ।

बुनियादी संरचना हेतु वित्तपोषण के लिए सरकार द्वारा बॉण्ड जारी किए जाने चाहिए जिसमें निवेशकर्ताओं को कर में राहत मिले और इनकी वर्तमान अधिकतम छूट सीमा 20,000/- से बढ़ाकर 1,00,000 रु. की जानी चाहिए ताकि बुनियादी संरचना हेतु बचतों को आकर्षित किया जा सके । अन्य रचनाएं भी रोचक एवं सूचनापरक है । सम्पादक मण्डल को साधुवाद ।

विश्वनाथ सिंहानिया
भारतीय रिज़र्व बैंक, नागपुर

लेखकों से

इस पत्रिका का उद्देश्य बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर हिन्दी में मौलिक सामग्री उपलब्ध कराना है । बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखने वाले सभी लेखकों से सहयोग मिले बिना इस उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी? हमें इसमें आपका सक्रिय सहयोग चाहिए । बैंकिंग विषयों पर हिन्दी में मूल रूप से लिखे स्तरीय लेखों की हमें प्रतीक्षा रहती है । साथ ही, अर्थशास्त्र, वित्त, मुद्रा बाज़ार, पूंजी बाज़ार, वाणिज्य, विधि, मानव संसाधन विकास, कार्यपालक स्वास्थ्य, मनोविज्ञान, परा बैंकिंग, कम्प्यूटर, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ इन विषयों पर व्यावहारिक या शोधपूर्ण मौलिक लेख भी हमें प्रकाशनार्थ भेज सकते हैं । प्रकाशित लेखों और पुस्तक समीक्षाओं पर मानदेय देने की व्यवस्था है। **कृपया प्रकाशनार्थ सामग्री भेजते समय यह देख लें कि :**

- सामग्री बैंकिंग और उससे संबंधित विषयों पर ही है ।
- उसमें दी गयी जानकारी उपयोगी और अद्यतन है एवं अधिकतम 8 टंकित पृष्ठों में है ।
- लेख यदि संभव हो तो सी.डी. में आकृति/एपीएस/यूनिकोड फांट में भेजने की व्यवस्था की जाए ।
- वह कागज़ के एक ओर स्पष्ट अक्षरों में लिखित अथवा टंकित है ।
- यथासंभव सरल और प्रचलित हिंदी शब्दावली का प्रयोग किया गया है और अप्रचलित एवं तकनीकी शब्दों के अर्थ कोष्ठक में अंग्रेजी में दिये गये हैं ।
- यह प्रमाणित करें कि लेख मौलिक है, प्रकाशन के लिए अन्यत्र नहीं भेजा गया है और 'बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' में प्रकाशनार्थ प्रेषित है ।
- लेख में शामिल **आंकड़ों, तथ्यों आदि के संबंध में स्रोत का स्पष्ट उल्लेख करें ।**
- प्रकाशन के संबंध में यह सुनिश्चित करें कि **जब तक लेख संबंधी अस्वीकृति की सूचना प्राप्त नहीं होती, संबंधित लेख किसी अन्य पत्र-पत्रिका में प्रकाशनार्थ न भेजा जाए ।**

प्रकाशकों से

जो प्रकाशक अपनी पुस्तक की समीक्षा करवाना चाहते हैं
वे कृपया अपनी पुस्तकों की दो प्रतियां भिजवाने की व्यवस्था करें ।

पाठकों से

इस पत्रिका को आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं । इसके लिए आपको लिखित रूप में 'कार्यकारी संपादक, बैंकिंग चिंतन-अनुचिंतन' से अनुरोध करना होगा । आपका पत्र मिलते ही आपका नाम डाक सूची में शामिल कर लिया जाएगा और तदनंतर आपको पत्रिका निरंतर मिलती रहेगी । आपसे अनुरोध है कि अपने सहयोगियों को भी यह जानकारी प्रदान करें तथा अपनी मांग से हमें तत्काल अवगत कराएं ताकि हम तदनुसार प्रतियों का मुद्रण कर सकें । **पुराने पाठक कृपया पत्राचार करते समय अपनी सदस्यता संख्या का उल्लेख अवश्य करें।**

• पाठकों की प्रतिक्रियाओं का हमें सदैव इंतजार रहता है । •

बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन
सदस्यता नवीकरण फॉर्म

प्रबंध संपादक
बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन
भारतीय रिज़र्व बैंक
राजभाषा विभाग
केंद्रीय कार्यालय, गारमेंट हाउस
वरली, मुंबई 400 018

महोदय,

मैं दो वर्ष के लिए 'बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन' की सदस्यता का नवीकरण कराना/ग्राहक बनना चाहता हूँ। आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित ब्योरे के अनुसार मुझे नियमित रूप से पत्रिका भेजें।

सदस्यता क्रमांक _____

नाम (स्पष्ट अक्षरों में) : श्री/श्रीमती/कुमारी _____

पता (स्पष्ट अक्षरों में) _____

_____

_____

केंद्र _____ पिनकोड _____

टेलीफोन नं. (कार्यालय) _____ निवास _____

फैक्स नं. _____ एसटीडी कोड _____

ई–मेल पता _____

दिनांक : _____ 2011

(हस्ताक्षर)

कृपया नोट करें : सदस्यता नवीकरण फॉर्म प्राप्त न होने पर आपका नाम सदस्यता सूची से हटा दिया जाएगा।

बैंकिंग शब्दावली

वित्तीय क्षेत्र में हिंदी के प्रचार-प्रसार तथा शब्दावली में एकरूपता सुनिश्चित किए जाने जाने के क्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित बैंकिंग शब्दावली एक ऐसा शब्दकोश है जिसमें बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण अंग्रेजी शब्दों की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उनके लिए उपयुक्त हिंदी शब्दों का चयन किया गया है। 268 पृष्ठ वाले इस कोश का मूल्य 75.00 रुपए (डाक व्यय अतिरिक्त) है। इसे प्राप्त करने हेतु निम्न पते पर संपर्क किया जा सकता है:

निदेशक, रिपोर्ट समीक्षा और प्रकाशन (बिक्री अनुभाग)
आर्थिक नीति एवं अनुसंधान विभाग
भारतीय रिज़र्व बैंक
अमर भवन, फोर्ट, मुंबई - 400 001

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित नवीनतम हिन्दी पुस्तक

'सहकारी बैंकिंग-संगठन और स्वरूप'

मूल्य : 250/- रुपये

पुस्तक मिलने का पता

मै. आधार प्रकाशन प्रा. लि.
एस.सी.एफ. 267, सेक्टर 16
पंचकुला (हरियाणा)

इस अंक के प्रकाशन में राजभाषा विभाग, केन्द्रीय कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक के सहायक प्रबंधक (राजभाषा) श्री आशीष पूजन का सहयोग प्राप्त हुआ।

पंजीकरण संख्या - 47043/88

नये एमएसएमई उपक्रम की स्थापना के विभिन्न चरण